VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

PT 365

अर्थव्यवस्था

CLASSROOM STUDY MATERIAL

(April 2022 to December 2022)

www.visionias.in
8468022022 9019066066

DELHI JAIPUR HYDERABAD BHOPAL GUWAHATI RANCHI LUCKNOW PUNE AHMEDABAD CHANDIGARH PRAYAGRAJ

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /Vision_IAS vision_ias /VisionIAS_UPSC

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2024
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम
लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध
• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
• सीसैट कक्षाएं
• PT 365 कक्षाएं
• MAINS 365 कक्षाएं
• PT टेस्ट सीरीज
• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
• निबंध टेस्ट सीरीज
• सीसैट टेस्ट सीरीज
• निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
• करेंट अफेयर्स मैगजीन
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI: 15 मार्च, 1 PM | 10 जनवरी, 9 AM
JAIPUR: 5 अप्रैल, 3 PM
LUCKNOW: 7 जून
BHOPAL: 5 जुलाई

#PrelimsIsComing
ABHYAAS 2023
ALL INDIA PRELIMS
(GS+CSAT) MOCK TEST SERIES
2 APRIL | 23 APRIL | 7 MAY
All India ranking & detailed comparison with other students
Vision IAS Post Test Analysis ™ for corrective measures and continuous performance improvement
Closely aligned to UPSC pattern
Available in ENGLISH/ हिन्दी
Register @ www.visionias.in/abhyaas
OFFLINE* IN 170+ CITIES
*SUBJECT TO GOVERNMENT REGULATIONS AND SAFETY OF THE STUDENTS
AGARTALA | AGRA | AHMADNAGAR | AHMEDABAD | AIZAWL | AJMER | ALIGARH | ALMORA | ALWAR | AMARAVATI | AMBALA | AMBIKAPUR | AMRAVATI | AMRITSAR | ANANTHAPURU | ASANSOL | AURANGABAD | AYODHYA | BALLIA | BANDA | BAREILLY | BATHINDA | BEGUSARAI | BENGALURU | BHAGALPUR | BHAVNAGAR | BHILAI | BHILWARA | BHOPAL | BHUBANESWAR | BIKANER | BILASPUR | BOKARO | BULANDSHAHR | CHANDIGARH | CHANDRAPUR | CHENNAI | CHHATARPUR | CHITTOOR | COIMBATORE | CUTTACK | DAVANAGERE | DEHRADUN | DELHI-MUKHERJEE NAGAR | DELHI-RAJINDER NAGAR | DHANBAD | DHARAMSHALA | DHARWAD | DHULE | DIBRUGARH | DIMAPUR | DURGAPUR | ETAWAH | FARIDABAD | FATEHPUR | GANGTOK | GAYA | GHAZIABAD | GORAKHPUR | GR NOIDA | GUNTUR | GURDASPUR | GURUGRAM | GUWAHATI | GWALIOR | HALDWANI | HARIDWAR | HAZARIBAGH | HISAR | HOWRAH | HYDERABAD | IMPHAL | INDORE | ITANAGAR | JABALPUR | JAIPUR | JAISALMER | JALANDHAR | JAMMU | JAMNAGAR | JAMSHEDPUR | JAUNPUR | JHAJJAR | JHANSI | JODHPUR | JORHAT | KAKINADA | KALBURGI | KANNUR | KANPUR | KARIMNAGAR | KARNAL | KASHIPUR | KOCHI | KOHIMA | KOLHAPUR | KOLKATA | KORBA | KOTA | KOTTAYAM | KOZHIKODE | KURNOOL | KURUKSHETRA | LATUR | LUCKNOW | LUDHIANA | MADURAI | MANDI | MANGALURU | MATHURA | MEERUT | MIRZAPUR | MORADABAD | MUMBAI | MUNGER | MUZAFFARPUR | MYSURU | NAGPUR | NALANDA | NASIK | NAVI MUMBAI | NELLORE | NIZAMABAD | NOIDA | ORAI | PALAKKAD | PANAJI | PANIPAT | PATIALA | PATNA | PRAYAGRAJ | PUDUCHERRY | PUNE | PURNIA | RAIPUR | RAJKOT | RANCHI | RATLAM | REWA | ROHTAK | ROORKEE | ROURKELA | RUDRAPUR | SAGAR | SAMBALPUR | SATARA | SAWAI MADHOPUR | SECUNDERABAD | SHILLONG | SHIMLA | SILIGURI | SIWAN | SOLAPUR | SONIPAT | SRINAGAR | SURAT | THANE | THANJAVUR | THIRUVANANTHAPURAM | THRISSUR | TIRUCHIRAPALLI | TIRUNELVELI | TIRUPATI | UDAIPUR | UJJAIN | VADODRA | VARANASI | VELLORE | VIJAYAWADA | VISAKHAPATNAM | WARANGAL

अर्थव्यवस्था (Economy)

विषय-सूची

1. संवृद्धि, विकास और गरीबी उन्मूलन (Growth, Development and Poverty Alleviation) 7

1.1. संवृद्धि और विकास (Growth and Development) 7

1.1.1. सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल्य वर्धित में अंतराल (GDP-GVA Gap) 7

1.1.2. मानव विकास रिपोर्ट (Human Development Report) 9

1.2. गरीबी उन्मूलन (Poverty Alleviation) 10

1.2.1. निर्धनता संबंधी अनुमान (Poverty Estimates) 10

1.2.2. वित्तीय समावेशन संबंधी घटनाक्रम (Developments on financial inclusion) 12

1.3. संवृद्धि, विकास और गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं और जानकारी (Key Concepts and Information on Growth, Development and Poverty Alleviation) 13

2. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)....15

2.1. सरकारी वित्त की स्थिति (Status of Government Finances) 15

2.1.1. चालू खाता घाटा (Current Account Deficit: CAD) 15

2.1.2. राज्य वित्त को मजबूत करना (Strengthening State Finances) 16

2.1.2.1. राज्य FRBM अर्थात् राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management: FRBM) 18

2.1.2.2. नगर निकायों की वित्त व्यवस्था (Municipal Financing) 18

2.2. कराधान (Taxation) 19

2.2.1. वस्तु और सेवा कर (Goods and Services Tax: GST) 19

2.2.2. डिजिटल कर (Digital Tax) 20

2.2.3. वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर कराधान (Taxation of Virtual Digital Assets: VDAs) 22

2.3. गैर कर राजस्व (Non-Tax Revenues) 24

2.4. राजकोषीय नीति से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं और जानकारी (Key Concepts and Information on Fiscal Policy) 24

3. बैंकिंग, परिसंपत्ति की गुणवत्ता, पुनर्गठन और मौद्रिक नीति (Banking, Asset Quality, Restructuring And Monetary Policy) 28

3.1. बैंकिंग (Banking) 28

3.1.1. शहरी सहकारी बैंक (Urban Co-operative Banks: UCBs) 28

3.1.2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks: RRBs) 30

3.1.3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (Non-Banking Financial Companies: NBFCs) 31

3.1.4. निधि नियम, 2014 में संशोधन (Amendment to Nidhi Rules, 2014) 32

3.1.5. वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (Financial Services Institution Bureau: FSIB) 33

3.1.6. बैंकिंग प्रणाली में तरलता (Banking System Liquidity) 34

3.2. परिसंपत्ति की गुणवत्ता और पुनर्गठन (Asset Quality and Restructuring) 35

3.2.1. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (Non-Performing Assets: NPAs) 35

VISION IAS

 © Vision IAS

3.2.2. वसूली और पुनर्गठन संबंधी उपाय (Recovery and Restructuring Measures).. 36
3.2.2.1. ऋण वसूली अधिकरण (Debts Recovery Tribunals: DRTs).. 36
3.2.2.2. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (Asset Reconstruction Companies: ARCs).. 37
3.3. मौद्रिक नीति (Monetary Policy) 38
3.3.1. भारत में मुद्रास्फीति (Inflation in India).. 38
3.3.2. मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting).. 39
3.3.3. मूल्य निगरानी केंद्र (Price Monitoring Centres: PMC).. 40
3.3.4. स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit Facility: SDF) 41
3.4. बैंकिंग और मौद्रिक नीति से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं (Key Concepts on Banking and Monetary Policy)...... 43
4. भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार (Payment Systems and Financial Markets) 48
4.1. भुगतान प्रणाली (Payment Systems).. 48
4.1.1. भारतीय भुगतान प्रणाली (Indian Payment System) 48
4.1.2. भुगतान प्रणाली संबंधी अन्य घटनाक्रम (Other developments in Payment Systems) 49
4.2. फिनटेक (FinTech) 50
4.2.1. केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (Central Bank Digital Currency: CBDC).. 50
4.2.2. टोकनाइजेशन (Tokenisation).. 52
4.2.3. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface: UPI) 54
4.2.4. डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (Digital Banking Units: DBUs) 54
4.2.5. डिजिटल ऋण (Digital Lending).. 56
4.3. वित्तीय बाजार (Financial Markets) 58
4.3.1. क्रेडिट रेटिंग (Credit Rating) 58
4.3.2. सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchange: SSE).. 60
4.3.3. सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड्स (Sovereign Green Bonds: SGrB) 61
4.3.4. वित्तीय क्षेत्रक से संबंधित संस्थान और प्रणालियां (Institutions and Systems in the Financial Sector) 63
4.3.5. वित्तीय क्षेत्रक से संबंधित अन्य अवधारणाएं (Other Concepts in The Financial Sector).. 64
4.4. बीमा क्षेत्रक (Insurance Sector) 66
4.4.1. नए बीमा नियम (New Insurance Rules).. 66
4.5. पेंशन क्षेत्रक (Pension Sector) 67
4.5.1. भारत में पेंशन प्रणाली (Pension System in India) 67
5. बाह्य क्षेत्रक (External Sector) 70
5.1. व्यापार (Trade).. 70
5.1.1. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण (Internationalization of Rupee) 70
5.1.2. विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization: WTO).. 72
5.1.3. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Marine Products Export Development Authority: MPEDA) ... 74
5.2. निवेश (Investment) 75
5.2.1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investments: FDI).. 75
5.2.2. विदेशी निवेश से संबंधित अन्य घटनाक्रम (Other Developments Related to Foreign Investment) 76

VISION IAS

5.3. विनिमय दर में उतार-चढ़ाव (Exchange Rate Dynamics) 76
5.3.1. भारतीय रुपये में गिरावट (Indian Rupee Depreciation) 76
5.3.2. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उतार-चढ़ाव (India's Forex Dynamics) 78
5.4. वैश्विक संस्थान (Global Institutions) 79
5.4.1. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund: IMF) 79
5.4.2. विश्व बैंक समूह (World Bank Group) 80
5.5. बाह्य क्षेत्रक से संबंधित मुख्य अवधारणाएं और जानकारी (Key Concepts and Information on External Sector) 81
6. नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता (Innovation, Skill Development And Entrepreneurship) 84
6.1. नवाचार (Innovation) 84
6.1.1. वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global Innovation Index: GII) 84
6.1.2. भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था {Intellectual Property Rights (IPR) Regime in India} 86
6.1.3. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (National Intellectual Property Awareness Mission: NIPAM) .. 87
6.2. कौशल विकास (Skill Development) 88
6.2.1. निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पहल (निपुण) {National Initiative for Promotion of Upskilling of Nirman workers (NIPUN)} 89
6.3. उद्यमशीलता (Entrepreneurship) 89
6.3.1. भारत में यूनिकॉर्न (Unicorns in India) 89
6.3.2. गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल {Government e-Marketplace (GeM) portal} 91
6.4. नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं और जानकारी (Key Concepts and Information on Innovation, Skill development and Entrepreneurship) 91
7. कृषि (Agriculture) 94
7.1. कृषि संबंधी आदान/इनपुट्स (Agricultural Inputs) 94
7.1.1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price: MSP) 94
7.1.2. नैनो यूरिया (Nano-Urea) 95
7.2. फसली कृषि (Crop Cultivation) 96
7.2.1. अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (IYM) 2023 {International Year of Millets (IYM) 2023} 96
7.2.2. चावल/ धान की खेती (Rice/ Paddy Acreage) 97
7.2.3. भारत में गन्ने का उत्पादन (Sugarcane Production in India) 98
7.2.4. कपास की खेती (Cotton Cultivation) 99
7.2.5. जूट की खेती (Jute Cultivation) 101
7.2.6. कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 का मसौदा {Draft Coffee (Promotion and Development) Bill, 2022} 102
7.2.7. तंबाकू की खेती (Tobacco Cultivation) 103
7.3. संबद्ध क्षेत्रक (Allied Sector) 104
7.3.1. भारत का डेयरी क्षेत्रक (India's Dairy Sector) 104
7.4. खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) 106

VISION IAS

© Vision IAS

7.4.1. भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक (Food Processing Sector in India) 106
7.5. कृषि विपणन और उद्यमशीलता (Agricultural Marketing and Entrepreneurship) 106
7.5.1. एशियन पाम ऑयल एलायंस (Asian Palm Oil Alliance: APOA) 106
7.5.2. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (Primary Agricultural Credit Societies: PACS) 107
7.5.3. कोडेक्स एलेमेंट्रिस कमीशन (Codex Alimentarius Commission: CAC) 107
7.6. कृषि से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं और जानकारी (Key Concepts and Information on Agriculture) 108
8. उद्योग और संबद्ध घटनाक्रम (Industry and Associated Developments) 111
8.1. खनन (Mining) 111
8.1.1. जिला खनिज प्रतिष्ठान (District Mineral Foundation: DMF) 111
8.1.2. भारत में स्वर्ण खनन (Gold Mining in India) 112
8.2. भारत में इस्पात उद्योग (Steel Industry in India) 113
8.3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम {Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)} 115
8.4. भारत में अर्धचालक उद्योग (Semiconductor Industry in India) 116
8.5. तकनीकी वस्त्र (Technical textiles: TT) 118
8.6. औषध उद्योग और चिकित्सा उपकरण (Pharmaceutical Industry and Medical Devices) 119
8.6.1. भारत में चिकित्सा उपकरण उद्योग (Medical Devices Industry in India) 119
8.6.2. बल्क ड्रग पार्क (Bulk Drug Park: BDP) 120
8.7. भारत में खिलौना क्षेत्रक (Toy Sector in India) 121
8.8. औद्योगिक क्षेत्रक से संबंधित अन्य घटनाक्रम (Other Developments in the Industrial Sector) 122
8.8.1. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business: EoDB) 122
8.8.2. प्रतिस्पर्धा कानून और बिग टेक कंपनियां (Competition Law and Big Technology Companies) 123
8.9. उद्योग संबंधी प्रमुख अवधारणाएं और अन्य जानकारी (Key Concepts and Information on Industry) 125
9. सेवा क्षेत्रक (Services Sector) 127
9.1. भारत में पर्यटन क्षेत्रक (Tourism Sector in India) 127
9.1.1. राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन रणनीति (National Strategy For Sustainable Tourism) 127
9.1.2. पर्यटन क्षेत्रक से जुड़े अन्य घटनाक्रम (Other Developments in the Tourism Sector) 128
9.2. ई-कॉमर्स (E-Commerce) 128
9.2.1. ई-कॉमर्स को बढ़ावा और उसका विनियमन (Promotion and Regulation of E-Commerce) 128
9.2.2. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (Open Network for Digital Commerce: ONDC) 129
9.3. दूरसंचार क्षेत्रक (Telecom Sector) 131
9.3.1. गति शक्ति संचार पोर्टल (GatiShakti Sanchar Portal) 132
9.4. सेवा क्षेत्रक से जुड़े अन्य घटनाक्रम (Other Services Sector Developments) 132
9.4.1. सॉफ्टवेयर ऐज ए सर्विस (Software as a Service: SaaS) 132
10. अवसंरचना क्षेत्रक (Infrastructure Sector) 134
10.1. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक (Logistics Sector) 134
10.1.1. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy: NLP) 134

VISION IAS

10.1.2. पी.एम. गति शक्ति (PM Gati Shakti) ... 135
10.1.3. लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) 2022 रिपोर्ट {Logistics Ease Across Different States (LEADS) 2022 Report} ... 136
10.1.4. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (Multi Modal Logistics Park: MMLP) ... 137
10.2. रेलवे (Railways) ... 138
10.2.1. रेलवे में नवाचार (Innovation in Railways) ... 138
10.2.2. एल्युमीनियम से निर्मित रेल बोगियां (Aluminium Wagons) ... 139
10.2.3. रेलवे से जुड़े अन्य घटनाक्रम (Other developments in Railways) ... 140
10.3. नागर विमानन क्षेत्रक (Civil Aviation Sector) ... 140
10.3.1. राष्ट्रीय वायु खेल नीति (NASP) 2022 {National Air Sports Policy (NASP) 2022} ... 140
10.3.2. नागर विमानन क्षेत्र से जुड़े अन्य घटनाक्रम (Other Developments in the Civil Aviation Sector) ... 141
10.4. सड़क मार्ग (Roadways) ... 142
10.4.1. सड़क अवसंरचना में निजी निवेश मॉडल (Private Investment Models in Road Infrastructure) ... 143
10.4.2. सड़क मार्ग क्षेत्रक से संबंधित अन्य घटनाक्रम (Other Developments in the Roadways Sector) ... 144
10.5. भारतीय पोत-परिवहन उद्योग (Indian Shipping Industry) ... 145
10.5.1. लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल (Landlord Port Model) ... 145
10.5.2. भारत का पहला 'हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र {India's First 'National Centre Of Excellence For Green Port & Shipping (NCoEGPS)} ... 145
10.5.3. पोत परिवहन उद्योग से जुड़े अन्य घटनाक्रम (Other developments in the Shipping Industry) ... 146
10.6. अवसंरचना से संबंधित मुख्य अवधारणाएं और जानकारी (Key Concepts and Information on Infrastructure) 146
11. ऊर्जा क्षेत्रक (Energy Sector) ... 149
11.1. विद्युत क्षेत्रक (Power Sector) ... 149
11.1.1. ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियमावली (Green Energy Open Access Rules) ... 149
11.1.2. विद्युत संशोधन विधेयक, 2022 (Electricity Amendment Bill, 2022) ... 150
11.1.3. विद्युत क्षेत्रक से जुड़े अन्य घटनाक्रम (Other developments in the Power Sector) ... 151
11.2. कोयला, तेल, गैस और अन्य संसाधन (Coal, Oil, Gas and Others) ... 152
11.2.1. कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम {Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act} ... 153
11.2.2. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy: HELP) 153
11.2.3. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क, प्राधिकरण और क्षमता विनियम (Natural Gas Pipeline Tariff, Authorisation and Capacity Regulations) ... 154
11.2.4. गैस क्षेत्रक से संबंधित अन्य घटनाक्रम (Other Developments in Gas Sector) ... 154
11.2.5. गैस क्षेत्रक से जुड़े अन्य घटनाक्रम (Developments in the Oil sector) ... 155
11.3. ऊर्जा क्षेत्रक से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं और अन्य जानकारी Key Concepts and Information on Energy Sector) ... 156
12. विविध (Miscellaneous) ... 158
12.1. अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 (Nobel Prize for Economics 2022) ... 158

VISION IAS

© Vision IAS

12.2. मानक राष्ट्रीय कार्य योजना (SNAP), 2022 {Standards National Action Plan (SNAP) 2022}.................. 159

12.3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR).. 160

नोट

प्रिय अभ्यर्थियों,

PT 365 (हिंदी) डॉक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365) की महत्वपूर्ण समसामयिकी को समेकित रूप से कवर किया गया है, ताकि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके।

अभ्यर्थियों के हित में PT 365 डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित नवीन विशेषताओं को शामिल किया गया है:

संक्षेप में इन्फोग्राफिक्स: कुछ टॉपिक्स, जैसे–

- वृहत क्षेत्रकों के हालिया घटनाक्रम,
- अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रियाएं,

आदि को सारांश के रूप में प्रस्तुत कर उन्हें इंटरएक्टिव इन्फोग्राफिक्स के रूप में शामिल किया गया है, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो, सीखने का सहज अनुभव मिल सके और कंटेंट को बेहतर तरीके से याद रखना सुनिश्चित किया जा सके।

संगठनों से जुड़े इन्फोग्राफिक्स: क्विक रिवीजन को सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित आर्टिकल्स के साथ–साथ प्रमुख संगठनों से संबद्ध प्रीलिम्स ओरिएंटेड जानकारी दी गई है।

शब्दावली को जानें: इन्हें महत्वपूर्ण अवधारणाओं और शब्दों को स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया है।

क्विज़: अभ्यर्थी ने विषय को कितना बेहतर समझा है, इसके परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. संवृद्धि, विकास और गरीबी उन्मूलन (Growth, Development and Poverty Alleviation)

1.1. संवृद्धि और विकास (Growth and Development)

1.1.1. सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल्य वर्धित में अंतराल (GDP-GVA Gap)

'GDP और GVA' के मध्य अंतर तथा उनका उपयोग

मानक	'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP)	'सकल मूल्य वर्धित' (GVA)
परिभाषा	यह एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है।	यह किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। इस कुल मूल्य में से निवेश और कच्चे माल की लागत को शामिल नहीं किया जाता है।
मापन	इसे **उत्पादन, आय** और **व्यय दृष्टिकोणों** द्वारा मापा जाता है ।	**इसे उत्पादन पहुंच (Output reach)** द्वारा मापा जाता है और GDP के लिए **प्रॉक्सी** के रूप में उपयोग किया जाता है।
'GDP और GVA' के मध्य तकनीकी अंतर: GDP = GVA + उत्पादों पर निवल कर – उत्पादों पर निवल सब्सिडी		
उद्देश्य	**GDP**, किसी देश में समग्र आर्थिक वृद्धि के आकलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत एक साधन है।	उत्पादन की तरफ से आर्थिक गतिविधि के क्षेत्रक-वार विवरण को मापने के लिए **GVA** का उपयोग किया जाता है।

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत की GDP[1] और GVA[2] के बीच अंतराल बढ़ गया है।

भारत में 'GVA'

- 2015 से, **स्थिर मूल्य पर 'GVA'** (आधार वर्ष 2011-12) का प्रयोग किया जा रहा है। इसका प्रयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के उत्पादन के आकलन हेतु एक प्राथमिक मापन के रूप में किया जाता है।
    - यह **संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (SNA), 2008 के अनुरूप है।**
    - SNA, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (UNSC) द्वारा अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय मानक का नवीनतम संस्करण है।
- **भारत** में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) **'GVA'** के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान जारी करता है। **वस्तुओं और सेवाओं** को शामिल करते हुए इसे आठ व्यापक क्षेत्रकों के तहत

[1] Gross Domestic Product/ सकल घरेलू उत्पाद

[2] Gross Value Added/ सकल मूल्य वर्धित

जारी किया जाता है (इन्फोग्राफिक देखें)।

'GDP और GVA' के मध्य अंतराल के लिए उत्तरदायी कारण

- **मूलभूत अंतर:** गौरतलब है कि GDP की गणना **बाजार मूल्य** पर की जाती है जबकि GVA की गणना **स्थिर मूल्य** पर की जाती है। इससे **"GDP और GVA' के मध्य'** अंतर पैदा हो जाता है।
- **अन्य कारण:** जब सब्सिडी अधिक और करों का संग्रह कम होता है तब **GDP संवृद्धि,** GVA ग्रोथ से पिछड़ जाती है। इसी तरह, जब कर संग्रह अधिक होता है और सब्सिडी कम होती है, तो **GDP संवृद्धि,** GVA ग्रोथ से अधिक होती है।

विभिन्न परिस्थितियों में GDP और GVA का इस्तेमाल

GDP	GVA
• **यह अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की** पहचान करने में मदद करता है। यानी यह जानने में मदद करता है कि वह **वृद्धिशील** है या **मंदी** का सामना कर रही है। • **यह आय** और **निजी उपभोग के आंकड़ों** के माध्यम से लोगों **के जीवन स्तर** के विषय में उचित समझ प्राप्त करने में सहयोग करता है।। • यह निवेश, सरकारी खर्च और निवल निर्यात जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर **देशव्यापी विश्लेषण** करने में मदद करता है।	• **यह आर्थिक गतिविधि (अर्थात् उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं) के संबंध में** वास्तविक स्थिति के आकलन में मदद करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि **'GDP में बढ़ोतरी बेहतर कर अनुपालन** जैसे अन्य कारणों से भी हो सकती है। • यह मूल्य वर्धन का **क्षेत्रक-वार** और **क्षेत्र-वार** आकलन प्रदान करता है। इससे नीति निर्माताओं को **प्रोत्साहन** या **प्रेरणा** की आवश्यकता वाले क्षेत्रकों की पहचान करने में सहायता मिलती है। • यह वैश्विक डेटा मानकों के आधार पर किसी क्षेत्रक की **उत्पादकता** की पहचान करने में सहयोग करता है। इससे निवेशकों को आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर विशेष प्रकार के निवेश संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलती है।

संबंधित सुर्ख़ियां

हरित GDP (Green GDP)

- हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। इस अध्ययन के अनुसार, **पारंपरिक GDP की तुलना में हरित GDP तेजी से वृद्धि** कर रही है।
- **हरित GDP: संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार 1993 में हरित GDP का विचार** प्रस्तुत किया था। **हरित GDP, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित को शामिल करती है:**
    - पर्यावरणीय क्षरण,
    - प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, तथा
    - संसाधनों और पर्यावरण की बचत।
- इसमें GDP में से **कार्बन उत्सर्जन लागत, अपशिष्ट सृजन की अवसर लागत और प्राकृतिक संसाधनों की कमी की समायोजित बचत को घटाना** शामिल है।

हरित GDP को मापने के लिए भारत के प्रयास

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने **प्राकृतिक पूंजी लेखांकन तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन (NCAVES)**[3] के तहत पर्यावरणीय लेखांकन का संकलन शुरू किया है।
    - NCAVES परियोजना 2017 में **संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय संघ** ने शुरू की थी। इसे पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन के लिए **ज्ञान और लेखांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाने** हेतु शुरू किया गया था।
- **भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हरित लेखांकन परियोजना (GAISP)** शुरू की गई है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से समायोजित राष्ट्रीय आय लेखाओं के लिए एक ढांचा तैयार करना है।

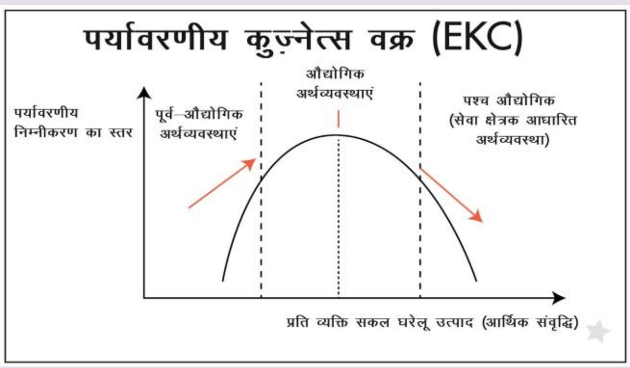

- **उत्तराखंड** अपने चार महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों (वायु, जल, वन और मृदा) को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला **देश का प्रथम राज्य बन गया है।**

अन्य संबंधित तथ्य: पर्यावरणीय कुज्नेट वक्र (Environmental Kuznets Curve: EKC)

---
[3] Natural Capital Accounting and Valuation of Ecosystem Services

- EKC का तर्क है कि आर्थिक विकास के **प्रारंभिक चरणों में प्रदूषण स्तर और प्रति व्यक्ति आय के बीच एक सकारात्मक संबंध** प्रतीत होता है।

1.1.2. मानव विकास रिपोर्ट (Human Development Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, UNDP[4] ने 2021-22 के लिए मानव विकास रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के इस संस्करण का शीर्षक (थीम) है **"अनिश्चित समय, अस्थिर जीवन: परिवर्तनशील विश्व में हमारे भविष्य को आकार देना"**[5]।

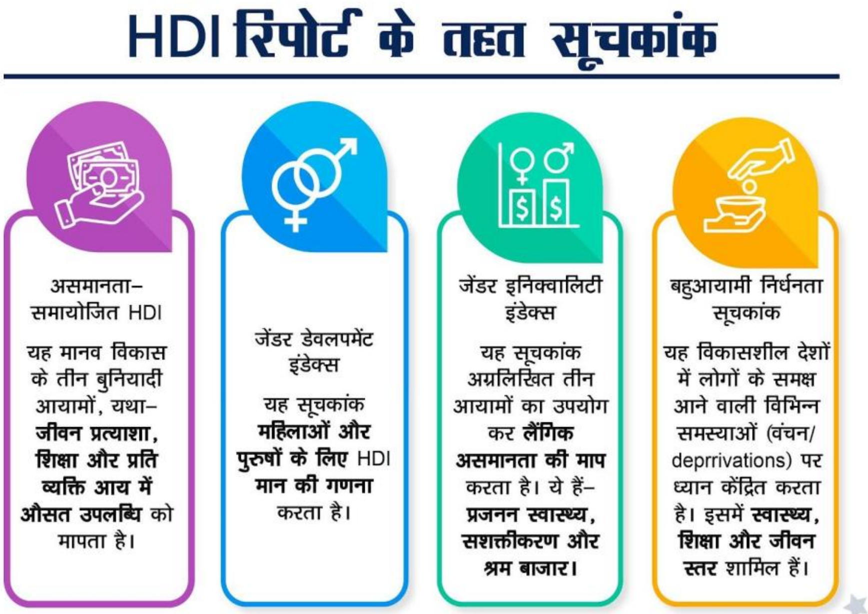

अन्य संबंधित तथ्य

- मानव विकास **लोगों की स्वतंत्रता और अवसरों को बढ़ाने एवं उनके कल्याण को बढ़ावा देने की प्रक्रिया है।**
- इसे **पहली बार 1990 में** प्रकाशित किया गया था। यह **मानव विकास के तीन प्रमुख आयामों** में उपलब्धियों का मापन करती है:
    - **लंबा और स्वस्थ जीवन (जीवन प्रत्याशा),**
    - **शिक्षा तक पहुंच (स्कूली शिक्षा के अपेक्षित एवं औसत वर्ष), और**
    - **गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर {प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI)।**

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **वैश्विक HDI में गिरावट:** पहली बार इस सूचकांक में **लगातार दो वर्ष 2020 और 2021 में गिरावट** आई है। यह गिरावट पिछले पांच वर्षों की प्रगति के विपरीत है।
- भारत **191 देशों में से 132वें स्थान पर** है। भारत के कुछ पड़ोसी देशों ने इससे बेहतर प्रदर्शन किया है। ये हैं- **श्रीलंका (73), चीन (79), बांग्लादेश (129) और भूटान (127)।**
    - भारत, वैश्विक स्तर की तुलना में पुरुषों और महिलाओं के बीच मानव विकास अंतराल को तेजी से कम कर रहा है।

HDI में इस गिरावट के पीछे के कारण

- **वैश्विक: कोविड-19 महामारी, रूस का यूक्रेन पर आक्रमण और जलवायु संकट के संयुक्त प्रभाव** ने मानव विकास स्कोर को कम कर दिया है।
    - वैश्विक स्तर पर, जीवन प्रत्याशा 2019 के 72.8 वर्ष से **2021 में घटकर 71.4 वर्ष** हो गई है।
- **घरेलू: भारत** का मानव विकास मान **वर्ष 2021-22 में कम होकर 0.633 हो गया, जबकि वर्ष 2020 में यह 0.645 था।** इससे भारत **मध्यम मानव विकास की श्रेणी** में आ गया है। **इसके निम्नलिखित कारण हैं-:**
    - **जीवन प्रत्याशा** का 69.7 वर्ष से **घटकर 67.2 वर्ष** होना।
    - भारत में स्कूली शिक्षा के लिएअपेक्षित वर्ष 11.9 हैं और स्कूली शिक्षा हेतु बिताए गए औसत वर्ष 6.7 हैं।

[4] United Nations Development Programme/ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

[5] Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a World in Transformation

VISION

- वर्ष 2019 और 2021-22 के दौरान **क्रय शक्ति समता (PPP)[6] के मामले में** विकासशील देशों में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में तुलनात्मक रूप से **भारत की प्रति व्यक्ति आय में 5 प्रतिशत की कमी** आई है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)

मुख्यालय: न्यूयार्क

उत्पत्ति: इसे **तकनीकी सहायता पर संयुक्त राष्ट्र के विस्तारित कार्यक्रम** (1949 में गठित) और **संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष (1958 में स्थापित) के विलय** से 1965 में स्थापित किया गया था।

सौंपे गए कार्य: UNDP को सौंपे गए कार्यों में गरीबी समाप्त करना तथा लोकतांत्रिक शासन-प्रणाली, विधि का शासन और समावेशी संस्थान स्थापित करना शामिल हैं।

कार्यक्षेत्र में शामिल देश: यह संगठन 170 देशों में काम करता है।

भारत: सदस्य है

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:

- यह **अंतर्राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है।**
- यह बदलाव का समर्थन करता है और लोगों का जीवन बेहतर बनाने में मदद करने के लिए देशों को ज्ञान, अनुभव और संसाधन प्रदान करता है।
- यह **तीन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है: सतत विकास; लोकतांत्रिक शासन और शांति स्थापना; एवं जलवायु और आपदा लचीलापन।**
- मानव विकास रिपोर्ट (HDR) UNDP द्वारा स्वतंत्र रूप से जारी की जाने वाली एक प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट है।

1.2. गरीबी उन्मूलन (Poverty Alleviation)

1.2.1. निर्धनता संबंधी अनुमान (Poverty Estimates)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक (WB) से जुड़े लेखकों ने भारत में निर्धनता और असमानता के दो अलग-अलग अनुमान प्रकाशित किए (इन्फोग्राफिक देखें)।

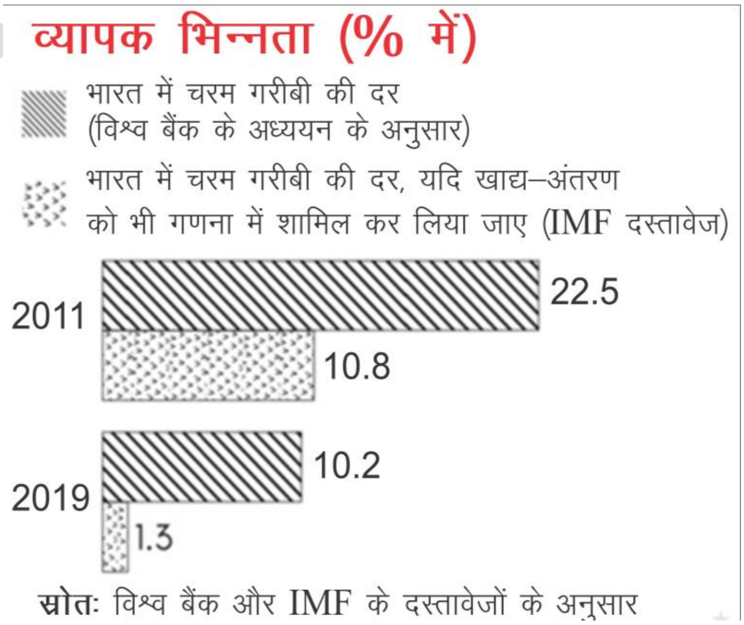

अन्य संबंधित तथ्य

प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने भी **भारत में असमानता की स्थिति (State of Inequality in India)** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

निर्धनता और निर्धनता मापने की अलग-अलग विधियों के बारे में

- **निर्धनता** को मोटे तौर पर किसी व्यक्ति या समुदाय की ऐसी स्थिति या दशा के रूप में परिभाषित किया जाता है जब उसके पास एक उचित जीवन स्तर के लिए धन की कमी या संसाधनों तक पहुंच नहीं होती है।

[6] Purchasing Power Parity

- **इसे आमतौर पर** निर्धनता की सीमा या निर्धनता रेखा के आधार पर **पूर्ण या सापेक्ष निर्धनता[7] के रूप में मापा जाता है।** इस सीमा रेखा के नीचे आने वाले लोगों को गरीब या निर्धन माना जाता है।
    - **निरपेक्ष या पूर्ण निर्धनता** या **चरम निर्धनता** से, स्वच्छ पेयजल, भोजन या स्वच्छता जैसी जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी का पता चलता है।
        - उदाहरण के लिए, विश्व बैंक उस व्यक्ति को अत्यंत निर्धन मानता है जो **क्रय शक्ति समता (PPP)[8]** के आधार पर प्रतिदिन **1.9 डॉलर** से कम कमाता है।
    - **सापेक्ष निर्धनता** किसी व्यक्ति या परिवार की निम्न आय और संसाधन की स्थिति को दर्शाती है। उनकी यह स्थिति, जिस समाज में वे रहते हैं उस समाज में पर्याप्त या सामाजिक रूप से स्वीकार्य मानी जाने वाली स्थिति की तुलना में निम्न होती है।
- हालांकि, निर्धनता के कई स्वरूप हैं, जो समय और स्थान के साथ बदलते हैं। इस कारण निर्धनता मापने की विभिन्न विधियां अपनानी पड़ती हैं, जैसे-

निर्धनता अनुमान के दृष्टिकोण

दृष्टिकोण	आयाम / संकेतक
बेहतर स्थिति वाला दृष्टिकोण (Well-being Approach)	**एरिक एलार्ड** द्वारा दिए गए इस दृष्टिकोण में तीन आयाम शामिल हैं: (संसाधन) पास होना (Having), (सामाजिक) स्वीकार्यता होना (Loving), और (आध्यात्मिक–भावनात्मक) संतुष्टि होना (Being)
क्षमता वाला दृष्टिकोण (Capabilities Approach)	आय और उपभोग दृष्टिकोण के विकल्प के रूप में **अमर्त्य सेन** द्वारा प्रतिपादित इस दृष्टिकोण के आधार पर, **OECD** ने बहुआयामी क्षमता फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसमें निम्नलिखित पांच क्षमताओं को शामिल किया गया है: आर्थिक क्षमताएं; मानवीय क्षमताएं; राजनीतिक क्षमताएं; सामाजिक–सांस्कृतिक क्षमताएं; सुरक्षा संबंधी क्षमताएं
बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (Multidimensional Poverty Index: MPI)	इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। इसे UNDP और **ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI)** द्वारा निम्नलिखित **3 आयामों (और 10 संकेतक)** के आधार पर घरेलू स्तर की गरीबी को मापने और उसकी व्याख्या के लिए प्रतिपादित किया गया है: **शिक्षा** (स्कूली शिक्षा और स्कूल में उपस्थिति के वर्ष), **स्वास्थ्य** (बाल मृत्यु दर और पोषण), और **जीवन स्तर** (बिजली, पेयजल, स्वच्छता, आवास, रसोई ईंधन और संपत्ति)।

भारत में गरीबी के आकलन	
तेंदुलकर समिति, 2009	• **पद्धति:** तेंदुलकर समिति ने NSSO के आंकड़ों के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया था। इसके लिए समिति ने **मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE)[9]** के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया था।

[7] Absolute or Relative poverty

[8] Purchasing Power Parity

[9] Monthly Per Capita Consumption Expenditure

© Vision IAS

	• **निष्कर्ष:** 2011-12 में **कुल आबादी का 21.9%** गरीबी रेखा से नीचे था।
रंगराजन समिति, 2014	• **पद्धति:** समिति द्वारा प्रस्तुत गरीबी रेखा का अनुमान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) द्वारा परिवारों (Households) के एक स्वतंत्र वृहद सर्वेक्षण पर आधारित था। • **निष्कर्ष:** 2011-12 में **कुल आबादी का 29.5%** हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे था।
नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: आधार रेखा रिपोर्ट (NITI Aayog's National Multidimensional Poverty Index: Baseline Report)	• **पद्धति:** इसे **UNDP** और **ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI)** के सहयोग से **नीति आयोग** द्वारा तैयार किया गया है। ○ यह **12 मापदंडों** (MPI के 10 संकेतक तथा स्वास्थ्य और जीवन स्तर के तहत दो नए संकेतक **प्रसव पूर्व देखभाल** और **बैंक खाता**) पर आधारित है। • **निष्कर्ष: भारत की 25.01% आबादी,** बहुआयामी रूप से गरीब है।
गरीबी के आकलन के लिए अन्य समितियां	• **अलघ समिति (1979), लकड़ावाला समिति (1993) आदि**

भारत के लिए असमानता को मापने वाले अन्य मापक	
'पावर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022: करेक्टिंग कोर्स' • यह गरीबी और साझा समृद्धि संबंधी वैश्विक अनुमानों और रुझानों पर **विश्व बैंक (WB)** द्वारा **दो वर्ष में एक बार** जारी की जाने वाली रिपोर्ट है। • इसके तहत **प्रति व्यक्ति** (प्रति दिन) **चरम गरीबी रेखा की सीमा को 1.90 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2.15 अमेरिकी डॉलर कर दिया है। यह गणना 2017 की क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर की जाती है।** ○ **गरीब रेखा:** इसमें **प्रति व्यक्ति प्रति दिन 6.85 अमेरिकी डॉलर से कम** पर जीवन यापन करने वाली आबादी शामिल है।	**असमानता घटाने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक {Commitment to Reducing Inequality (CRI) Index}** • **भारत** असमानता घटाने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक में **123वें** स्थान पर है। भारत की पिछली रैंकिंग की तुलना में इस वर्ष 6 स्थानों का सुधार हुआ है। • **वर्ष 2022 का CRI सूचकांक** 161 देशों में कोविड-19 महामारी के पहले दो वर्षों के दौरान असमानता से निपटने के लिए उनकी सरकारी नीतियों और कार्यों का आकलन करता है। • इस सूचकांक को **'ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस'** ने तैयार किया है।

1.2.2. वित्तीय समावेशन संबंधी घटनाक्रम (Developments on financial inclusion)

ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 (Global Findex Database 2021)	• **विश्व बैंक** ने "ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021: फाइनेंसियल इन्क्लूसन, डिजिटल पेमेंट्स एंड रिजिलिएंस इन द एज ऑफ़ कोविड-19" रिपोर्ट जारी की है। ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस ने **विश्व की 123 अर्थव्यवस्थाओं में लोगों द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक वित्तीय सेवाओं के उपयोग** पर सर्वेक्षण किया है। • भारत उन सात देशों में शामिल है, जहां विश्व के **1.4 अरब वयस्कों में से आधे वयस्क निवास करते हैं। इनकी औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है।**
फिनक्लुवेशन (Fincluvation)	• **इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)** ने शुभारम्भ किया है। यह **वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सह-सृजन और इससे जुड़े नवाचार हेतु फिनटेक स्टार्ट-अप समुदाय के साथ सहयोग करने की एक संयुक्त पहल है।** ○ यह स्टार्ट-अप्स के साथ मिलकर वित्तीय समाधान उपलब्ध कराने के लिए **IPPB का एक स्थायी प्लेटफ़ॉर्म** होगा। • **IPPB** (2018 में लॉन्च) को संचार मंत्रालय के डाक विभाग तहत स्थापित किया गया था। इसमें **भारत सरकार की उसके स्वामित्व के अधीन 100% इक्विटी है।**
वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-INDEX)	• इस सूचकांक को **भारतीय रिज़र्व बैंक** जारी करता है। • यह **बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और साथ ही पेंशन क्षेत्र के विवरण** को शामिल करके **देश भर में वित्तीय समावेशन के विस्तार** को दर्शाता है। • **इसमें पहुंच (Access), उपयोग (Usage) और गुणवत्ता (Quality) जैसे तीन मापदंडों** सहित 97 संकेतकों को शामिल किया गया है।

	• इस सूचकांक का निर्माण **बिना किसी आधार वर्ष** के किया गया है। यह वित्तीय समावेशन की दिशा में सभी हितधारकों द्वारा वर्षों से किए जाने वाले संचयी प्रयासों को दर्शाता है। • वित्त वर्ष 2020-21 में यह **सूचकांक 53.9** था। यह वित्त वर्ष 2021-22 में **बढ़कर 56.4** हो गया। **इसके सभी उप-सूचकांकों में वृद्धि देखी गई है।**

1.3. संवृद्धि, विकास और गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं और जानकारी (Key Concepts and Information on Growth, Development and Poverty Alleviation)

ग्लास क्लिफ (Glass cliff)	• "ग्लास क्लिफ" शब्द एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है, जिसमें **महिलाओं को संकट के समय या मंदी के दौरान उच्च पदों पर पदोन्नत किया जाता है। ऐसे** समय में विफलता की संभावना अधिक होती है। • यदि ऐसी स्थिति में उच्च पद पर पदोन्नत महिला कंपनी के प्रदर्शन में गिरावट को नियंत्रित करने में विफल रहती है, तो कंपनी इस विफलता का दोष उस महिला पर ही लगाती है। • ऐसी प्रवृत्तियाँ, नेतृत्व के लिए महिलाओं के उपयुक्त नहीं होने के बारे में रूढ़ियों को पुष्ट करती हैं। • यह शब्दावली नेतृत्व वाले पदों पर पदोन्नत होने पर अल्पसंख्यकों/ हाशिए पर रहे समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी लागू होता है।
तकनीकी मंदी (Technical Recession)	• तकनीकी मंदी शब्द का उपयोग **उत्पादन में लगातार दो तिमाहियों में हुई गिरावट** का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ○ किसी देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, यह आमतौर पर **वास्तविक GDP में आए लगातार संकुचन को** बताता है। ○ यह **अक्सर एक बार होने वाली घटना** (जैसे, कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन का लगना) के कारण होती है। **आमतौर पर इसकी अवधि छोटी होती है।** • इसका उपयोग **मुख्य रूप से GDP की प्रवृत्ति को समझने** के लिए किया जाता है। इसके विपरीत, **'मंदी' में आर्थिक गतिविधियों में अधिक व्यापक गिरावट** शामिल होती है। इस गिरावट से रोजगार, घरेलू और कॉर्पोरेट आय आदि सहित अनेक आर्थिक घटक प्रभावित होते हैं।
डूम लूप (Doom Loop)	• अर्थशास्त्रियों के अनुसार, यूरोप डूम लूप की ओर बढ़ रहा है। • डूम लूप **सुभेद्यता (Vulnerability) का एक चक्र** है। इसमें बैंकों द्वारा रिज़र्व के लिए रखे गए सॉवरेन बॉण्ड्स की कीमतों में अस्थिरता से किसी देश की बैंकिंग प्रणाली गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप, बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों में कमी आने लगती है। (इन्फोग्राफिक देखें) • यह एक ऐसी परिघटना है, जिससे **इसकी आर्थिक प्रणाली के एक हिस्से को पहुंचा आघात दूसरे हिस्से को भी प्रभावित करता है।** इससे यह और व्यापक होने लगता है।
रचनात्मक अर्थव्यवस्था (Creative economy)	• संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) के अनुसार, रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक **उभरती हुई अवधारणा** है। यह **इमेज, ध्वनियों, पाठों और प्रतीकों के प्रभुत्व वाले समकालीन विश्व में रचनात्मकता, संस्कृति, अर्थशास्त्र तथा प्रौद्योगिकी के बीच समन्वय** से संबंधित है। • संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2021 को **'सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष'** के रूप में मनाया था। • भारत की **रचनात्मक अर्थव्यवस्था में कला और शिल्प, ऑडियो एवं वीडियो कला, डिजाइन** आदि शामिल हैं। वर्ष 2019 में इसने **भारत के निर्यात में 121 बिलियन डॉलर** मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के रूप में **योगदान** दिया था।
ट्विन सिटी डेवलपमेंट (TCD)	• हाल ही में, प्रधान मंत्री ने बल्क ड्रग पार्क, ट्विन सिटी डेवलपमेंट आदि सहित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। • TCD में **मौजूदा शहरों का रूपांतरण और सैटेलाइट/ थीम टाउनशिप की नई शैली को विकसित** करना शामिल है। ये टाउनशिप **सुरक्षित, कुशल, स्वच्छ और हरित होंगे** तथा जीवन की उच्च गुणवत्ता प्रदान करेंगे। • इसके अंतर्गत, शहर एक दूसरे के बहुत निकट होंगे। साथ ही, ये शहर आर्थिक, कार्यात्मक और शहरी बुनियादी ढांचे की जरूरतों पर परस्पर निर्भर होंगे।
अर्बन-20 (Urban-20: U20)	• भारत की G20 अध्यक्षता के तहत, **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 'U20 कार्यक्रम' आयोजित कर रहा है।** • U20, G20 में शामिल देशों के शहरों को जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समावेशन आदि सहित **शहरी विकास के अलग-अलग महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने तथा सामूहिक समाधान प्रस्तावित** करने के लिए एक मंच प्रदान

© Vision IAS

	करता है। • यह **राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच लाभकारी संवाद को सुगम** बनाता है। साथ ही, यह G20 एजेंडे में शहरी विकास के मुद्दों के महत्व को बढ़ावा देने में मदद भी करता है।
ट्विन ट्रांजीशन (Twin Transition)	• ट्विन ट्रांजीशन दृष्टिकोण के अनुसार **सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा हेतु एक विशाल व व्यापक अवसर मौजूद** है। इस अवसर का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। • ट्विन ट्रांजीशन दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता **चौथी औद्योगिक क्रांति या उद्योग 4.0 की पृष्ठभूमि में उत्पन्न** हुई है। • यह दृष्टिकोण डिजिटल और संधारणीयता को अलग-थलग नहीं करता। इसकी बजाये यह **दक्षता और उत्पादकता के मामले में बड़े लाभों के अवसर प्रकट करने के लिए उन्हें आपस में जोड़ता** है। • इस दृष्टिकोण को अपनाकर, नेतृत्वकर्ता अपने संगठनों को भविष्य में भी संचालनीय बनाए रखने के लिए **डिजिटल और संधारणीय एजेंडे** को एक साथ ला सकते हैं।

कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, 2022	• **इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU)** ने वैश्विक स्तर पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, 2022 जारी किया है।
	  ○ इसके तहत, विश्व के 172 शहरों में 200 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों की तुलना की जाती है।
	  ○ इस सूची में **दुनिया के सबसे महंगे शहर के रूप में न्यूयॉर्क** पहले स्थान पर है। इसके बाद **सिंगापुर** का स्थान है।
	• EIU, **द इकोनॉमिस्ट ग्रुप** का अनुसंधान और विश्लेषण प्रभाग है। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप **द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर** की सहयोगी कंपनी है। EIU का गठन 1946 में किया गया था।

विकसित देश बनाने के लिए "पंच प्रण" (Developed Country through PanchPran)	• प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीयों से आगामी 25 वर्षों में भारत को **एक विकसित देश बनाने के लिए "पंच प्रण"** को अपनाने का आह्वान किया था।
	• संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के देशों को तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है- **विकसित अर्थव्यवस्थाएं, संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाएं और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं।**
	
	  ○ भारत, **प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI)** के मामले में **'निम्न मध्यम आय'** श्रेणी में है।
	  ○ भारत का वर्तमान **'मानव विकास सूचकांक' स्कोर काफी कम (0.64) है।**
	• **सकल घरेलू उत्पाद और क्रय शक्ति समता (PPP)** के निरपेक्ष स्तर पर, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड (FIF)	• **महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया (PPR)** के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया **फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड: (FIF)** स्थापित किया गया है। इसमें **भारत** सहित कई देशों की **वित्तीय प्रतिबद्धताएं** शामिल हैं।
	• इसकी **मेजबानी विश्व बैंक द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की तकनीकी सहायता** से की जाएगी। **FIF** निम्नलिखित कार्य **करेगा:**
	  ○ यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों में **PPR क्षमताओं को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण** प्रदान करेगा।
	  ○ यह **राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण अंतराल को दूर** करेगा।
	• FIF **पशुजन्य (Zoonotic) रोग निगरानी, प्रयोगशालाओं, आपातकालीन संचार, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यबल क्षमता आदि** जैसे क्षेत्रों में PPR क्षमता को मजबूत करने में मदद करेगा।

2. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

2.1. सरकारी वित्त की स्थिति (Status of Government Finances)

2.1.1. चालू खाता घाटा (Current Account Deficit: CAD)

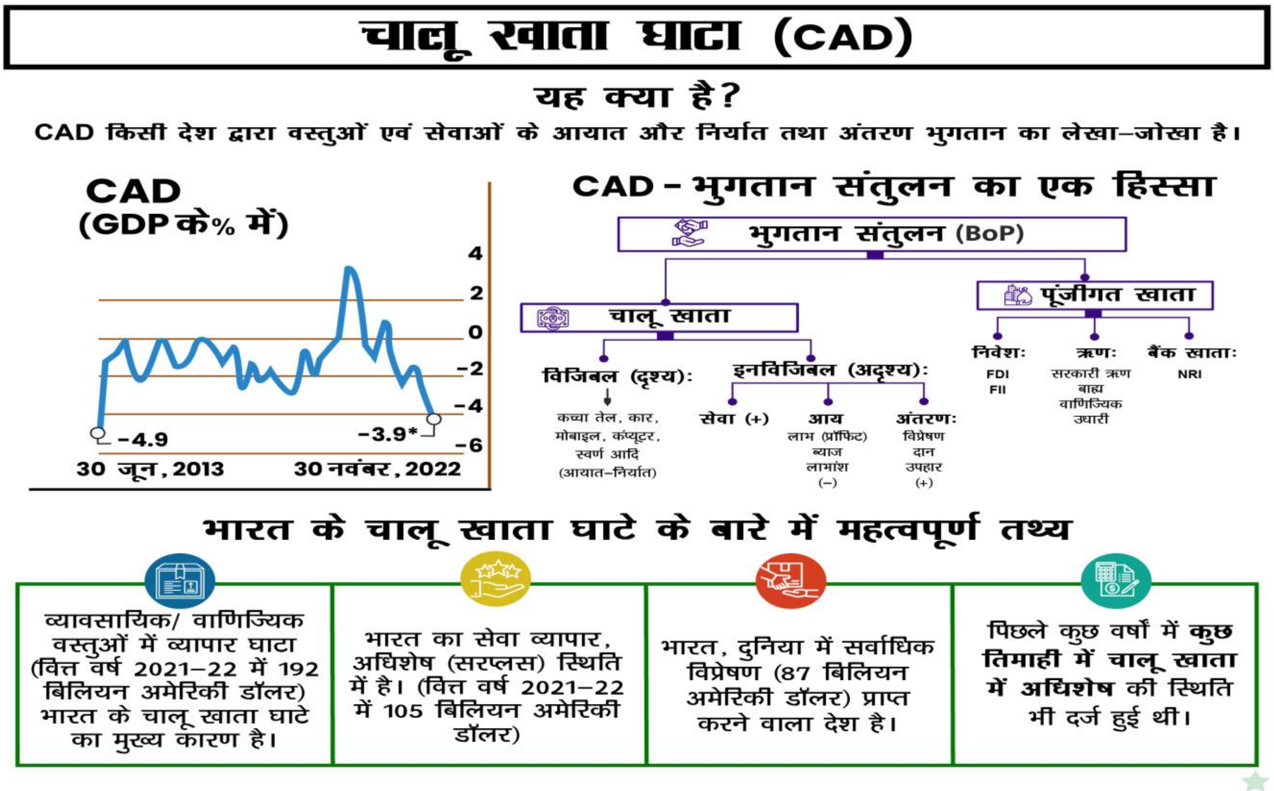

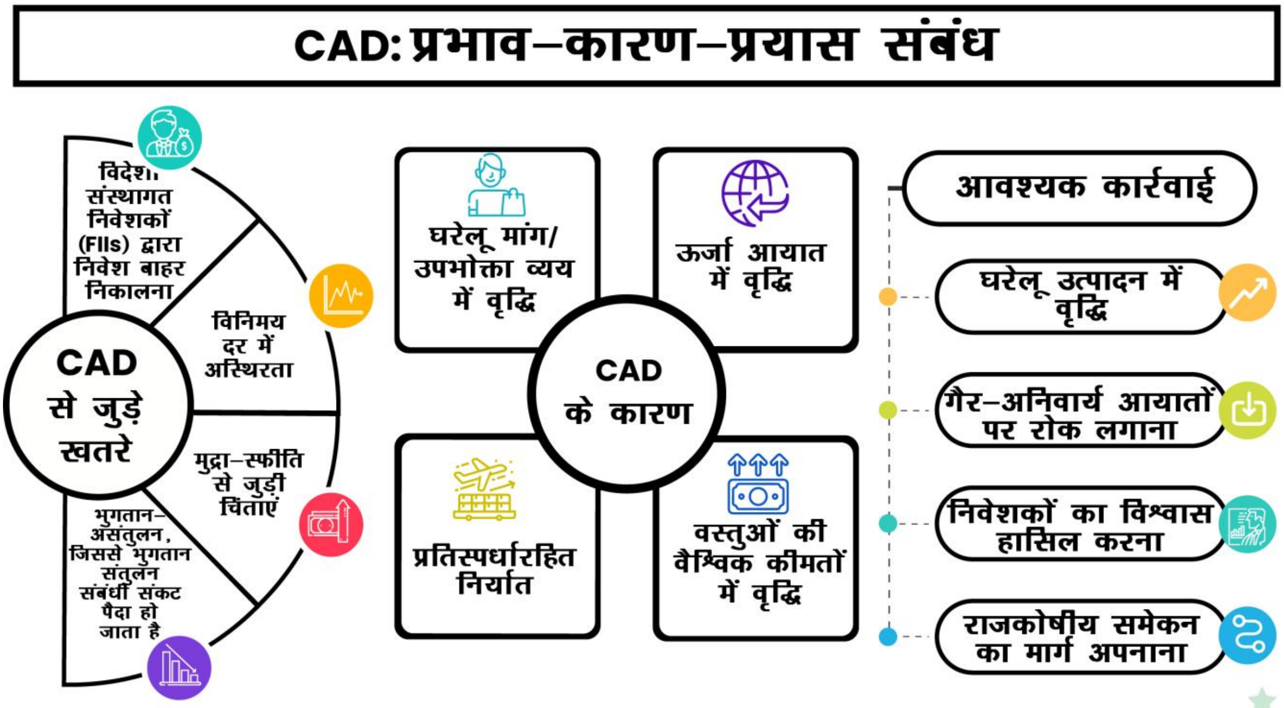

© Vision IAS

2.1.2. राज्य वित्त को मजबूत करना (Strengthening State Finances)

सुर्ख़ियों में क्यों?

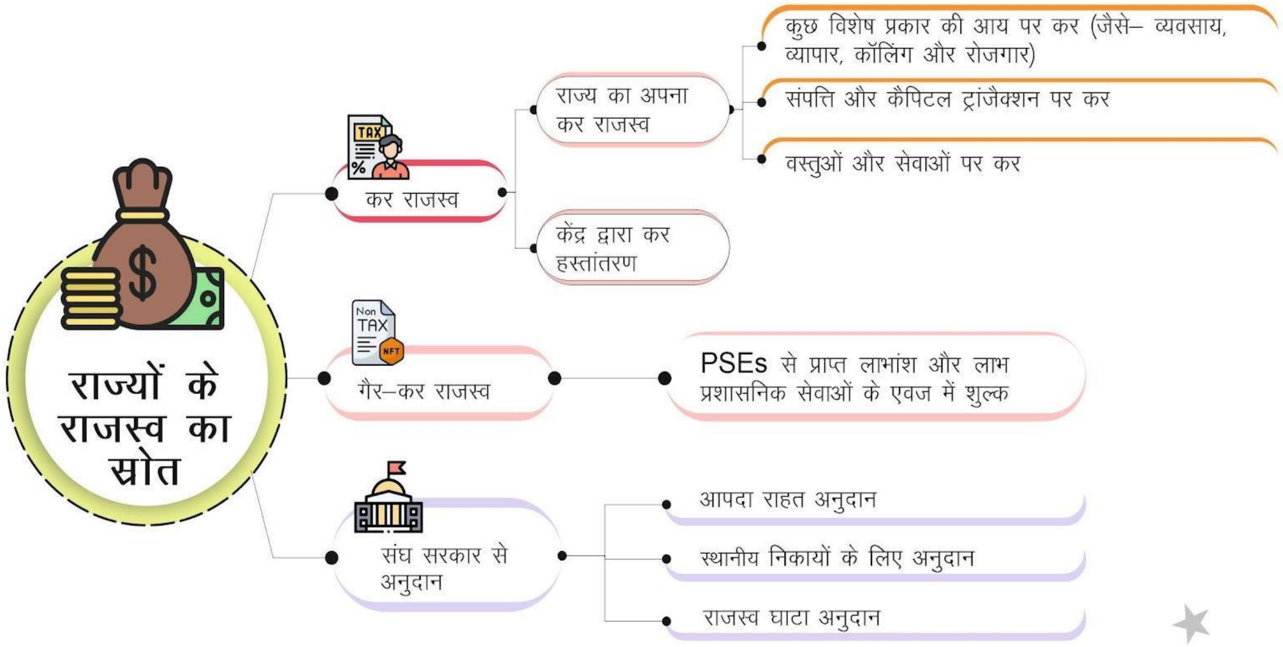

हाल ही में, केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों द्वारा जनता को **मुफ़्त में आधारभूत सुविधाएं (Freebies)** देने के कारण उन पर **ऋण के बढ़ते बोझ** और **बिगड़ती राजकोषीय स्थिति** पर चिंता जताई है।

राज्य वित्त के बारे में

राज्य वित्त में शामिल हैं- राज्यों के अपने कर और गैर-कर राजस्व, भारत के संविधान में वर्णित आधार पर केंद्र से करों का हस्तांतरण तथा अनुदान, आदि (इन्फोग्राफिक देखें)।

- केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत **अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा (Post Devolution Revenue Deficit: PDRD)** अनुदान प्रदान करती है, ताकि अंतरण के बाद राज्यों के राजस्व खातों में दिखने वाले अंतर को पूरा किया जा सके।
- अनुच्छेद 282 के तहत **विवेकाधीन अनुदान।**
- **वित्त आयोग** (अनुच्छेद 280) की सिफारिशों के आधार पर निवल विभाज्य पूल (Net divisible pool) से अंतरण आदि।

शब्दावली को जानें

- **आकस्मिक देयताएं** (Contingent Liabilities): कई बार कुछ ऋणी उधार लेते हैं और सरकार उक्त उधार के लिए गारंटी देती है। जब ऐसे ऋणी उधार चुकाने में विफल (डिफ़ॉल्ट) हो जाते हैं तो वह ऋण सरकार के लिए देयता बन जाता है, अर्थात् अब सरकार को वह ऋण चुकाना पड़ेगा। इसे ही आकस्मिक देयताएं कहा जाता है।

राज्य वित्त को मजबूत बनाने के लिए कौन-सी पहलें आरंभ की गई हैं?

- **उधार की सीमा में कमी**: केंद्र ने कोविड-19 के दौरान राज्यों के लिए उधार की सीमा को बढ़ाकर **GSDP**[10] के **5%** के बराबर कर दिया था। अब इसे फिर से कम कर वित्त-वर्ष 2022-23 के लिए **3.5%** कर दिया गया है।
- **ऑफ-बजट उधारियों को राज्यों के ऋण में शामिल करना:** ऑफ-बजट उधार को भी अब राज्य द्वारा स्वयं लिए गए उधार/ऋण के रूप में माना जाएगा।
- **अर्थोपाय अग्रिम (WMA) में कमी:** RBI द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए WMA की सीमा ₹51,560 करोड़ से घटाकर ₹47,010 करोड़ कर दी गई है।

10 Gross State Domestic Product/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद

- ○ WMA वस्तुतः RBI द्वारा सरकार को दी जाने वाली अस्थायी अग्रिम राशि है। सरकार की प्राप्तियों (आय) एवं भुगतानों (व्यय) में विसंगति आने पर RBI द्वारा यह अस्थायी अग्रिम राशि दी जाती है।
- **ओवरड्राफ्ट की सुविधा:** RBI द्वारा राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों हेतु एक तिमाही के लिए ओवरड्राफ्ट दिनों की **अधिकतम संख्या 50 दिनों से कम करके 36 दिन कर दी गई है।**
- **"पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता**[11] योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 50 वर्षों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाना।
- **राज्य सरकारें सुधार संबंधी पहलों की दिशा में कार्य करने के लिए अतिरिक्त उधार ले सकती हैं। इसके तहत राज्यों** को निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने के लिए अपने GSDP के 1% के बराबर अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति है:
  - ○ एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली लागू करने के लिए;
  - ○ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस संबंधी सुधारों को लागू करने के लिए;
  - ○ शहरी स्थानीय निकाय/ जन उपयोगी सुविधाओं में सुधार को लागू करने के लिए; और
  - ○ विद्युत क्षेत्रक में सुधार को लागू करने के लिए।

अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances: WMA) के बारे में

- WMA को 1997 में प्रस्तुत किया गया था। **RBI अधिनियम, 1934 के तहत RBI केंद्र और राज्यों को अस्थायी अग्रिमों** के रूप में अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध करवाता है। सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल भुगतान में किसी भी अंतर से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध कराया जाता है।
  - ○ इस तरह के अग्रिमों को जारी किये जाने की तिथि से **तीन महीने के भीतर चुकाया जा सकता है। ब्याज मौजूदा रेपो दर** (वह दर जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालीन धन उधार देता है) **पर लगाया जाता है।**
- WMA **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM)**[12] **अधिनियम का हिस्सा नहीं** है, क्योंकि इनका भुगतान वर्ष के भीतर ही कर दिया जाता है।
- **WMA दो प्रकार के** होते हैं: **सामान्य और विशेष।**
  - ○ **सामान्य WMA स्पष्ट अग्रिम** होते हैं। वहीं **विशेष WMA** या विशेष आहरण सुविधा (SDF)[13] राज्य द्वारा धारित **सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत (कोलैटरल) के विरुद्ध प्रदान की जाती है।** जब राज्य SDF सीमा का व्यय कर चुके होते हैं, तब उन्हें सामान्य WMA प्राप्त होता है।
  - ○ SDF के लिए ब्याज दर **रेपो दर से एक प्रतिशत कम** है।
- WMA के अलावा, राज्यों को **ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान की जाती है।** हालांकि, यह सुविधा तब प्राप्त होती है, जब किसी राज्य की वित्तीय जरूरत उसकी SDF और WMA सीमा से अधिक हो जाती है।
- WMA के माध्यम से प्राप्त की जा सकने वाली **निधियों के लिए राज्य-वार सीमा निर्धारित** है। ये सीमाएँ राज्य के कुल व्यय, राजस्व घाटा और राजकोषीय स्थिति जैसे कारकों पर निर्भर करती हैं।
  - ○ WMA की सीमाएं **सरकार और RBI द्वारा पारस्परिक रूप से तय की जाती हैं।** इसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

[11] Special Assistance to states for Capital Investment"

[12] Fiscal Responsibility and Budget Management

[13] Special Drawing Facility

© Vision IAS

2.1.2.1. राज्य FRBM अर्थात् राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management: FRBM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों को सूचित किया है कि **राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों, स्पेशल पर्पज व्हीकल या एजेंसियों द्वारा बाजार से लिए गए उधार, राज्यों की FRBM सीमा** के तहत होंगे।

अन्य संबंधित तथ्य

ये उधार **राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे** को प्रभावित करते हैं। इसलिए, ऐसे उधार लेने के लिए संविधान के **अनुच्छेद 293 (3) के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी** लेनी होती है।

- **राजस्व घाटा (Revenue deficit):** यह तब होता है, जब राजस्व की वास्तविक राशि और/या व्यय की वास्तविक राशि बजटीय राजस्व एवं व्यय के अनुरूप नहीं होती है।

- **अनुच्छेद 293(3)** यह प्रावधान करता है कि यदि राज्य सरकारों पर भारत सरकार का ऋण बकाया है, तो उन्हें नए ऋण लेने के लिए केंद्र की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है।
- सभी राज्यों ने **12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अपने FRBM अधिनियम लागू** किए हैं। इस अधिनियम के अनुपालन की निगरानी संबंधित **राज्य विधान-मंडल** करता है।
  - प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में केंद्र सरकार प्रत्येक **राज्य की सामान्य निवल उधार सीमा (NBC)**[14] तय करती है।
  - वित्त वर्ष 2022-23 के लिए **राज्यों की निवल उधार सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) की 3.5% निर्धारित** की गई है।

2.1.2.2. नगर निकायों की वित्त व्यवस्था (Municipal Financing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **नगर निकायों की वित्त व्यवस्था पर एक रिपोर्ट** जारी की है। यह रिपोर्ट नगर निकायों की वित्त व्यवस्था पर **अब तक का पहला व्यापक विश्लेषण** है। इसके तहत सभी राज्यों से 201 नगर निगमों[15] के बजटीय आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण किया गया है।

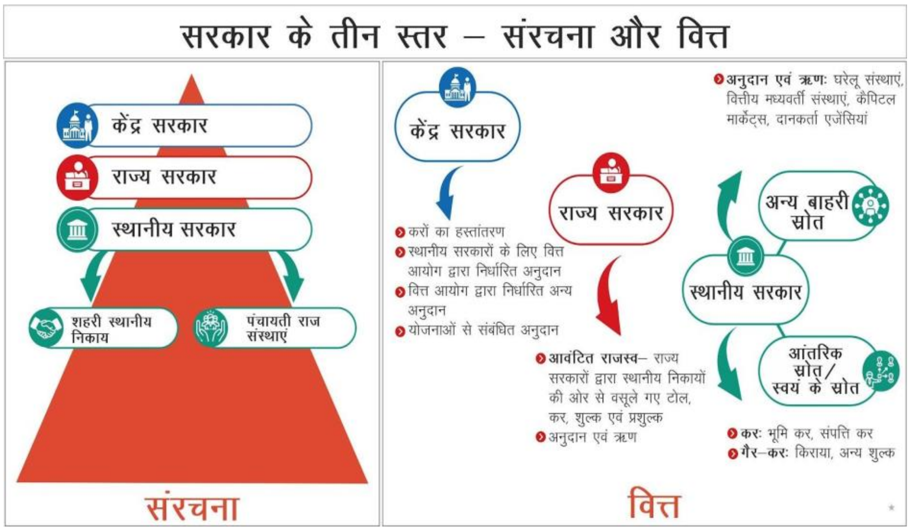

[14] Net Borrowing Ceiling

[15] Municipal Corporations

नगर निकायों की वित्त व्यवस्था के बारे में

- **74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। इसके माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)[16] को संस्थागत रूप प्रदान किया गया। इस प्रकार, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देते हुए **सरकार के तीसरे स्तर की नींव** रखी गई (इन्फोग्राफिक्स देखें)।
- हालांकि, इस संशोधन अधिनियम ने संविधान में इस संबंध में **"नगर निकायों की वित्त सूची"** के लिए **प्रावधान नहीं** किया है। इसे पूरी तरह से राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

2.2. कराधान (Taxation)

2.2.1. वस्तु और सेवा कर (Goods and Services Tax: GST)

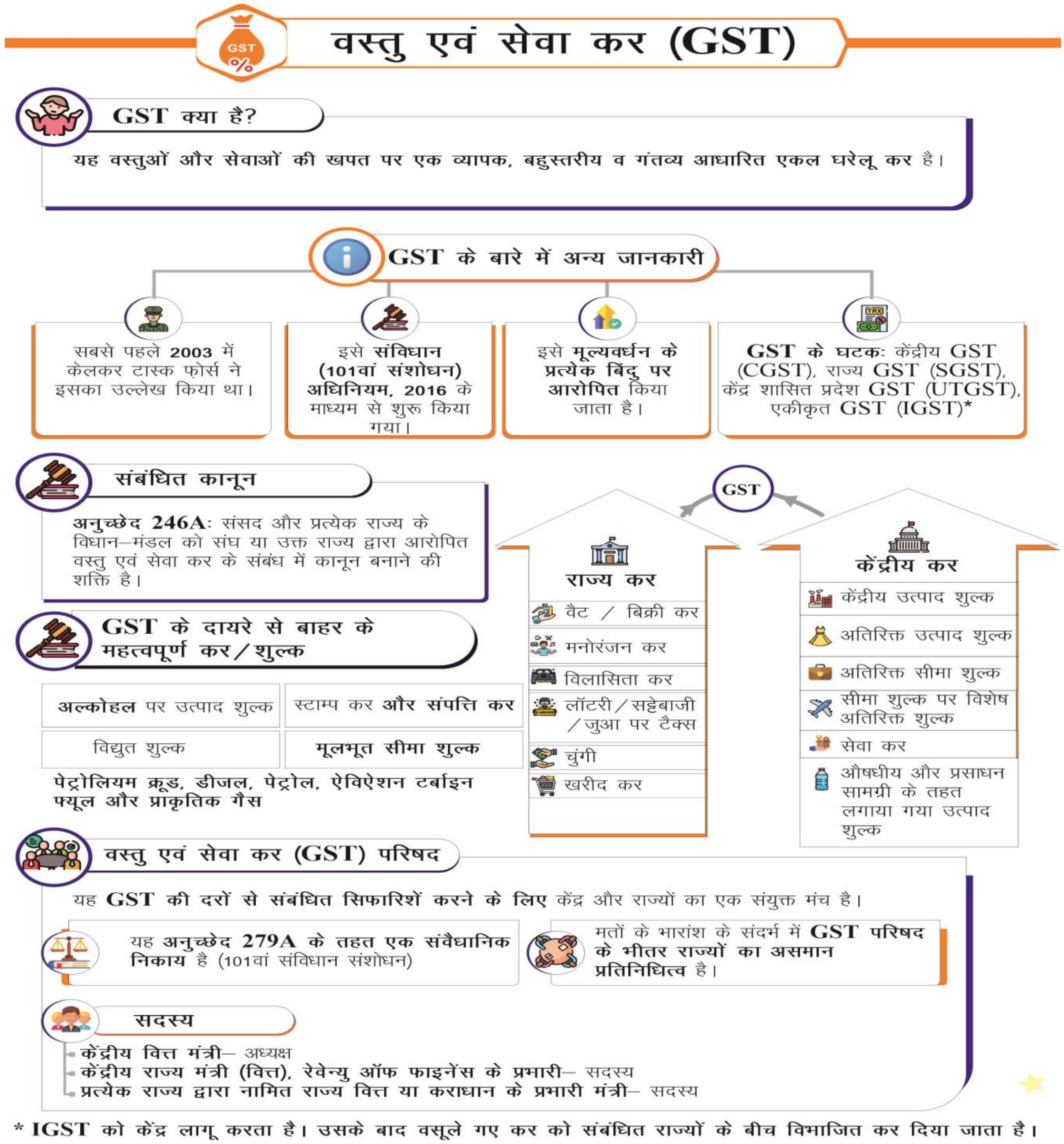

[16] Urban Local Bodies

© Vision IAS

GST के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण शब्दावली		
सिन गुड्स	**सर्कुलर ट्रेडिंग**	**इनपुट टैक्स क्रेडिट**
सिन गुड्स: इसमें वें वस्तुएं शामिल होती हैं जिन पर सरकार सिन टैक्स लगाती है। सिन टैक्स सामाजिक रूप से हानिकारक मानी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक विशेष कर है।	**सर्कुलर ट्रेडिंग:** इसका अर्थ व्यापारियों द्वारा किसी भी वास्तविक सामान या सेवा का लाभ उठाए बिना इनवॉइस जारी करके धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना है।	**इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC):** इसके तहत आउटपुट पर टैक्स की राशि का भुगतान करते समय उसमें से इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए टैक्स की राशि को घटाया जा सकता है और शेष राशि का भुगतान किया जा सकता है। ITC का दावा केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्षतिपूर्ति उपकर (GST compensation Cess)

- **वस्तु एवं सेवा कर (उपकर की अवधि और संग्रह की अवधि) नियम, 2022** के अनुसार, **क्षतिपूर्ति उपकर** 1 जुलाई, 2022 से 31 मार्च, 2026 तक लगाया जाएगा।
  - **इस उपकर का लगाया जाना 30 जून, 2022 को समाप्त होना था।** हालांकि, केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जी.एस.टी. परिषद ने इसे आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया था। समय-सीमा में यह विस्तार, राज्यों को जी.एस.टी. के कारण राजस्व में हुई हानि की भरपाई के लिए **पहले लिए गए ऋणों को चुकाने के लिए किया गया था।**
  - हालांकि, बढ़ी हुई अवधि तक राज्यों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी या नहीं, यह **अभी तय नहीं** किया गया है।
- चुनिंदा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर **जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति उपकर** लगाया जाता है।
  - इनमें विलासिता, अनावश्यक और नुकसानदेह वस्तुएं शामिल हैं। जैसे: पान मसाला, अलग-अलग तंबाकू उत्पाद आदि नुकसानदेह वस्तुएं हैं ।
- वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार **जी.एस.टी. के कार्यान्वयन** के कारण होने वाले **राजस्व के किसी भी नुकसान के लिए** राज्यों को पांच वर्ष की अवधि हेतु **क्षतिपूर्ति का आश्वासन** दिया गया था।
  - इसका **द्विमासिक** आधार पर भुगतान किया जाता था।

प्री-पैकेज्ड और लेबल वाली वस्तुओं पर GST का लागू होना

- GST के तहत **अनाज, दाल और आटे जैसे खाद्य पदार्थों के 25 किलोग्राम तक के सिंगल पैकेज को 'प्री-पैकेज्ड तथा लेबल्ड' माना** जाएगा। इस सिंगल पैकेज पर **5% की दर से GST** लगाया जाएगा।
- हालांकि,यदि **खुदरा व्यापारी** निर्माता या वितरक से 25 किलोग्राम का पैक किया गया सामान लाकर **उसे खुले रूप में बेचता है, तो इस पर GST नहीं लगेगा।**

मुनाफाखोरी-रोधी (Anti-profiteering)

- हाल ही में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग** को **मुनाफाखोरी-रोधी मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया है।**
- केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (GST) अधिनियम, 2017 की धारा 171 के अनुसार मुनाफाखोरी के तहत माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता जानबूझकर प्राप्तकर्ताओं को किसी भी कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं देते हैं।
- NAA[17] वस्तु और सेवा कर अधिनियम के तहत एक **वैधानिक तंत्र** है। इसका प्रमुख कार्य पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनुचित रूप से की जाने वाली मुनाफाखोरी की गतिविधियों को रोकना है।
- सूर्यास्त खंड (Sunset clause) के तहत NAA का कार्यकाल **2 वर्ष** निर्धारित किया गया था। लेकिन, GST परिषद इसे बढ़ा सकती है।

2.2.2. डिजिटल कर (Digital Tax)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, G24 समूह में शामिल भारत समेत अन्य विकासशील देशों ने **डिजिटल सर्विस टैक्स** से संबंधित संप्रभु वचन[18] देने के प्रस्ताव का विरोध किया है। **OECD**[19]के इस प्रस्ताव के तहत देशों से भविष्य में इक्वलाइजेशन लेवी (समकारी शुल्क / Equalisation Levy: EL) जैसे किसी भी **डिजिटल सर्विस टैक्स को लागू नहीं करने** की मांग की गई है। इस कदम से अब "वैश्विक कर समझौते" को लागू करने में देरी हो सकती है।

अन्य संबंधित तथ्य

17 National Anti-profiteering Authority/ राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण

18 Sovereign Commitments

19 आर्थिक सहयोग और विकास संगठन / Organisation for Economic Co-operation and Development

- डिजिटल सर्विस टैक्स वस्तुतः OECD की **"दो स्तंभों वाली योजना"**[22] का एक हिस्सा है। 2021 में दो-स्तंभों वाली इस योजना पर भारत सहित 138 देशों (16 दिसंबर 2022 तक) ने सहमति दी थी।
    - इस योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों में सुधार करना तथा अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना है (बॉक्स देखें)।

OECD की दो स्तंभों वाली योजना (OCED's Two Pillar Plan) के बारे में

- BEPS वस्तुतः **बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली टैक्स प्लानिंग (साधारण भाषा में कर चोरी) संबंधी रणनीतियों** को संदर्भित करता है। इसके तहत कंपनियां कर नियमों में व्याप्त कमियों और अस्पष्टता का फायदा उठाती हैं।
- **कर बचाव (Tax Avoidance) संबंधी प्रयासों का समाधान करने के लिए OCED का फ्रेमवर्क दो स्तंभों पर आधारित है:**
    - **स्तंभ 1 - कर अधिकारों का पुनर्वितरण (Pillar One i.e., Reallocation of Taxing Rights):** यह 20 बिलियन यूरो से अधिक टर्नओवर तथा 10% से अधिक लाभ कमाने वाली करीब 100 बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNEs) पर लागू होता है।
    - **स्तंभ 2 - ग्लोबल एंटी-बेस एरोजन मैकेनिज्म (Pillar Two i.e., Global anti-base erosion mechanism):** यह वर्ष 2023 से, वैश्विक स्तर पर 750 मिलियन यूरो से अधिक के राजस्व वाली बड़ी MNEs पर 15% का न्यूनतम वैश्विक निगम कर GMCT)[20] निर्धारित करता है।
- G20 और OECD देशों द्वारा एक **ग्लोबल मिनिमम टैक्स** (न्यूनतम वैश्विक कर) पर सहमति व्यक्त की गई है। **ग्लोबल मिनिमम टैक्स** को **ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट (GMCTR)** के नाम से भी जाना जाता है। GMCTR वस्तुतः BEPS[21] के समावेशी फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स समझौते का उद्देश्य:
    - बहुराष्ट्रीय कंपनियों को टैक्स हेवन देशों में अपने मुनाफे को दिखाने के कारण कम करों (या कोई कर नहीं) का भुगतान करने से रोकना, और
    - जिस देश में अपनी आर्थिक उपस्थिति से वे लाभ कमाती हैं, उस देश में उन्हें कर का भुगतान करने के लिए बाध्य करना है, भले ही वे उस देश में भौतिक रूप से मौजूद न हों।

भारत में डिजिटल टैक्स के बारे में

- **डिजिटल वस्तुओं या सेवाओं या डिजिटल कारोबारी गतिविधियों** पर लगने वाले कर को डिजिटल टैक्स कहते हैं। यह एक प्रकार का **प्रत्यक्ष कर** है।
- भारत ने वर्ष 2016 में **6% के इक्वलाइजेशन लेवी (अर्थात् डिजिटल टैक्स)** की शुरुआत की थी। इसके तहत ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं तक सीमित विदेशी डिजिटल कंपनियों (जैसे कि गूगल, फेसबुक आदि) पर कर लगाया गया था। इस प्रकार के कर को "डिजिटल ऐड्वर्टाइज़िंग टैक्स (DATs) कहा जाता है।
    - भारत सरकार ने वित्त अधिनियम, 2020 के माध्यम से भारतीय आयकर अधिनियम के दायरे का विस्तार कर इक्वलाइजेशन लेवी को इसमें शामिल किया। इसे सामान्य रूप से **EL 2.0 (या इक्वलाइजेशन लेवी 2.0)** के नाम से जाना जाता है।
    - **EL 2.0** 1 अप्रैल, 2020 से लागू है।
        - यह 2023 के बाद भी जारी रह सकता है। इसका कारण यह है कि अलग-अलग देशों द्वारा लगाए जा रहे इस प्रकार के कर को प्रतिस्थापित करने वाला वैश्विक कर समझौता, अपने कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहा है।
    - इसके तहत अब **विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों के व्यापार और सेवाओं पर 2% का डिजिटल सर्विस टैक्स (DST) या EL लगाया जा रहा है।**

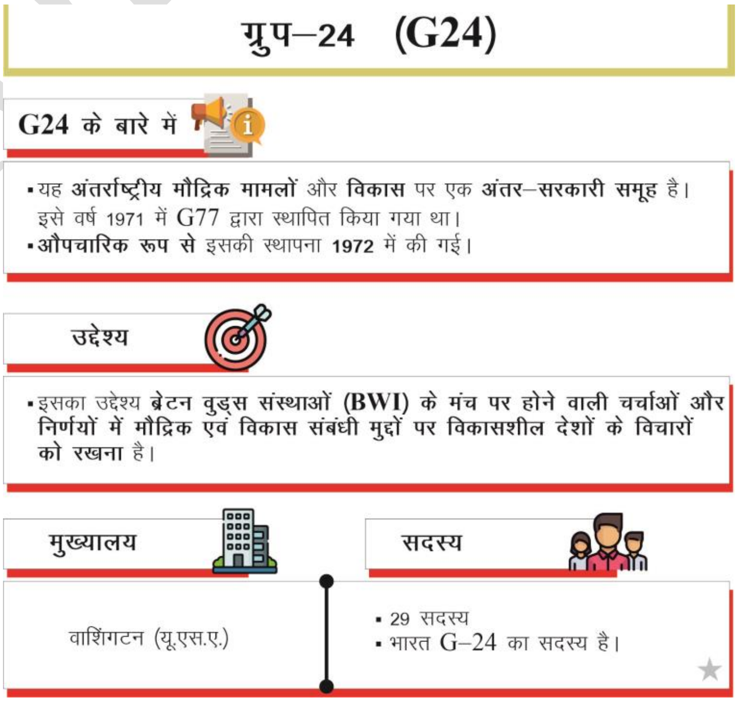

[20] Global Minimum Corporation Tax

[21] आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण/ Base Erosion and Profit Shifting

[22] OECD's Two-Pillar Plan

© Vision IAS

इन कंपनियों में अमेज़न, वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट और 2 करोड़ या उससे अधिक की वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियां शामिल हैं।

- डिजिटल सर्विस टैक्स का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय डिजिटल बाजार से अर्जित राजस्व पर विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाता उचित कर का भुगतान करें।

इसके कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियां

- **अलग-अलग हित:** यूरोपीय देशों ने **डिजिटल कराधान** को प्राथमिकता दी है, जबकि यू.एस.ए. ने **वैश्विक न्यूनतम दर** को प्राथमिकता दी है।
- यू.एस.ए. और यूरोप, दोनों की विधायिकाएं अब इन समझौतों को लागू करने के लिए आवश्यक **कानूनों को पारित करने के लिए संघर्ष** कर रही हैं। उदाहरण के लिए- हाल ही में, हंगरी ने यूरोपीय संघ के न्यूनतम निगम कर को दिया गया समर्थन वापस ले लिया है।

OECD

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)

पेरिस फ्रांस

उत्पत्ति: यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में आर्थिक सहयोग संगठन (OEEC) की जगह की गई थी।

- OEEC की स्थापना 1948 में यूरोपीय पुनर्निर्माण हेतु मार्शल योजना को संचालित करने में मदद करने के लिए की गई थी।

उद्देश्य:

- **'बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियां'** इस संगठन का आदर्श वाक्य है। यह उन नीतियों को आकार देता है जो सभी के लिए समृद्धि, समानता, अवसर और कल्याण को बढ़ावा देती हैं।

सदस्य नहीं, हालांकि, भारत OECD के प्रमुख साझेदारों में से एक है

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:

- यह प्रमाणों और अनुभव साझा करने, साझा आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का पता लगाने, सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने तथा साक्ष्य–आधारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करने के लिए सदस्य देशों और अन्य देशों के साथ काम करता है।
- **प्रमुख प्रकाशन/ सूचकांक:** अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक, OECD बेटर लाइफ इंडेक्स

2.2.3. वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर कराधान (Taxation of Virtual Digital Assets: VDAs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों (VDAs) पर **नए TDS प्रावधान का अनुपालन करने के तरीके निर्धारित करने के लिए आयकर नियमों में संशोधन किया है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- **संशोधित नियमों के तहत:**
  - **एक वर्ष में ₹10,000 से अधिक की** VDAs या क्रिप्टोकरेंसी **के भुगतान पर 1% का TDS लगाया जाएगा।**
  - **निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए TDS की**

वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) से जुड़ी चिंताएं

- VDAs **अत्यधिक जोखिम भरी परिसंपत्तियां** हैं। ये व्यापक रूप से **अविनियमित** रहती हैं। इससे लेन-देन में कोई भी **नुकसान होने पर विनियामक से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती है।**
- **इनसे संबंधित कुछ अन्य चिंताएं इस प्रकार हैं:**
  - ये वित्तीय प्रणाली को अस्थिर कर सकती हैं,
  - देश के संप्रभु हितों के खिलाफ है,
  - ये RBI की मौद्रिक नीति के प्रभाव को कम कर सकती हैं, और
  - इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के एक हिस्से के डॉलरकरण की आशंका है:
    - डॉलरकरण का अर्थ देश की घरेलू मुद्रा के अलावा या उसके स्थान पर अमेरिकी डॉलर का उपयोग करना है।
- आतंकवाद के वित्त-पोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और नशीली दवाओं की तस्करी आदि में भी इसके दुरुपयोग का खतरा है।

सीमा प्रति वर्ष ₹50,000 होगी, जिसमें ऐसे व्यक्ति/हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) शामिल हैं जिन्हें आई-टी अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है।

वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों (VDAs) के बारे में:

- **वित्त विधेयक 2022** में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति को **आय कर अधिनियम, 1961 के तहत परिभाषित** किया गया है। इन्हें क्रिप्टोग्राफिक माध्यमों या अन्य तरीकों द्वारा उत्पन्न सूचना, कोड, संख्या या टोकन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो भारतीय या विदेशी मुद्रा नहीं है। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित, संग्रहित या इनका व्यापार किया जा सकता है।
    - इसमें **नॉन फंजिबल टोकन (NFTs), क्रिप्टो** आदि शामिल हैं।
- यह मूल्य का एक डिजिटल स्वरूप है, जिसका लेन-देन किसी प्रतिफल के बदले या उसके बिना किया जाता है।
- **इनमें शामिल हैं:** क्रिप्टोकरेंसी, NFTs, डीमटेरियलाइज्ड शेयर, प्रमोशनल करेंसी, ई-बुक्स आदि।
    - RBI ने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े जोखिम की तुलना अर्थव्यवस्था के डॉलरकरण से की है। साथ ही, इसे भारत के संप्रभु हित के विरुद्ध माना है।
    - क्रिप्टोकरेंसी को विकेंद्रीकृत अंतर्राष्ट्रीय आभासी मुद्रा के रूप में पेश किया जा रहा है। इन्हें अल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसे कुछ देशों द्वारा कानूनी मुद्रा या सरकारी मुद्रा के रूप में मान्यता दी गई है।

शब्दावली को जानें

- **डी–डॉलराइजेशन या विडॉलरकरण:** यह एक डॉलर–प्रधान विश्व व्यवस्था से दूर एक कदम का वर्णन करता है। इसमें राष्ट्र अन्य मुद्राओं या स्वर्ण के रूप में रिज़र्व रखने के लिए अपने अमेरिकी डॉलर (ट्रेजरी) को बेच देते हैं। इसके अलावा, वे अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यापार भागीदारों के बीच लेन–देन के लिए अपनी मुद्राओं का उपयोग करते हैं।

वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों (VDAs) पर कराधान

- VDAs के अंतरण से होने वाली आय पर **30% की समान दर से कर** लगाया जाएगा। इसे किसी अन्य नुकसान की भरपाई के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है।
    - किसी भी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं होगी। आय की गणना करते समय केवल खरीद (अधिग्रहण) की लागत को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।
    - यदि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति उपहार के रूप में दी जाती है, तो उपहार प्राप्त करने वाले को कर चुकाना होगा।

VDAs से संबंधित विज्ञापन का विनियमन

- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा:** इसके तहत भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार करने वालों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही, यदि उन्होंने विज्ञापन के बारे में पूर्व में पड़ताल नहीं की है, तो भी यह दंडनीय है।
- **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) द्वारा:** ASCI ने क्रिप्टो और नॉन-फंजीबल टोकन के प्रचार एवं विज्ञापन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ASCI द्वारा सभी VDA उत्पादों और सेवाओं में क्रिप्टो उत्पादों तथा NFTs के संबंध में डिस्क्लेमर को अनिवार्य किया गया है।
    - **ASCI एक स्वैच्छिक स्व-विनियामक संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी।** इसका उद्देश्य विज्ञापन में स्व-विनियमन के माध्यम से भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।
    - यह **कानूनी रूप से गैर-बाध्यकारी विज्ञापन संहिता और दिशा-निर्देश** जारी करता है।
    - **केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2006** केबल सेवाओं द्वारा किए जाने वाले सभी विज्ञापनों के लिए ASCI संहिता के अनुरूप होना अनिवार्य बनाता है।

 © Vision IAS

2.3. गैर कर राजस्व (Non-Tax Revenues)

गैर–कर राजस्व (Non–Tax Revenues)

गैर–कर राजस्व क्या है?

यह सरकार द्वारा करों के अलावा अन्य स्रोतों से अर्जित आय है।

प्रमुख स्रोत

- राज्यों और रेलवे को दिए गए **ऋण के बदले ब्याज–प्राप्तियां**
- **सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों (PSE)** से प्राप्त लाभांश और लाभ
- **परिसंपत्ति मुद्रीकरण, विनिवेश** और **निजीकरण**

परिसंपत्ति मुद्रीकरण के चरण

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC)

यह पूर्णतः **सरकारी कंपनी है।** यह **समाप्त/ बंद हो रहे या बेचे जा रहे सभी सार्वजनिक उपक्रमों से भूमि एकत्र करने** के लिए स्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP)

इसका लक्ष्य 6 **लाख करोड़ रुपये मूल्य का परिसंपत्ति–मुद्रीकरण** करना है। (नीति आयोग को इसे विकसित करने का काम सौंपा गया है।)

रणनीतिक विनिवेश पर वैकल्पिक तंत्र (AM)

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के रणनीतिक विनिवेश पर निर्णय लेने के लिए 2019 में यह वैकल्पिक तंत्र बनाया गया था। (**सदस्य:** वित्त मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और संबंधित प्रशासनिक विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री।)

राज्य सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यम (SPSEs) का निजीकरण

केंद्र ने **वित्त वर्ष–2023 में इस तरह के रणनीतिक विनिवेश से प्राप्त राशि का 100% राज्यों को प्रदान करने की प्रतिबद्धता** व्यक्त की है। इसका उद्देश्य SPSEs के निजीकरण को प्रोत्साहित करना है।

***रणनीतिक विनिवेश का अर्थ:** प्रबंधन अधिकारों के हस्तांतरण के साथ–साथ PSE में सरकार की शेयरधारिता के उल्लेखनीय हिस्से की बिक्री (कम–से–कम 50% या इससे अधिक)।

2.4. राजकोषीय नीति से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं और जानकारी (Key Concepts and Information on Fiscal Policy)

दोहरे घाटे की समस्या (Twin Deficit problem)	• वित्त मंत्रालय ने अपनी **मासिक आर्थिक समीक्षा** में, वस्तुओं की ऊंची कीमतों और बढ़ते सब्सिडी बोझ के साथ **भारतीय अर्थव्यवस्था में दोहरे घाटे की समस्या** के फिर से उभरने के प्रति सचेत किया है। • • दोहरा घाटा, किसी देश में **चालू खाता घाटे के साथ-साथ राजकोषीय घाटे की स्थिति** की उपस्थिति को दर्शाता है। ○ राजकोषीय घाटा किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच अंतर को दर्शाता है।

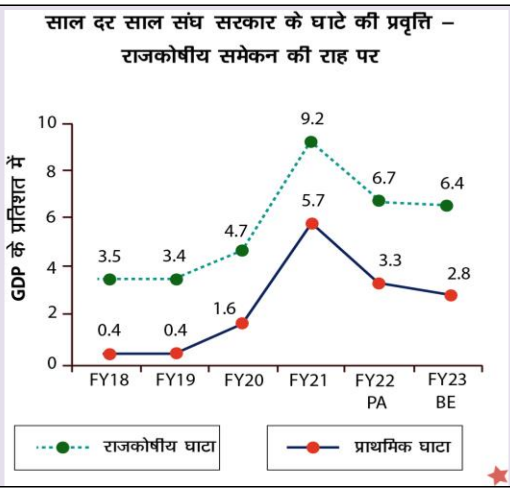

एकल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड {Single Nodal Agency (SNA) dashboard}	• वित्त मंत्रालय ने **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) का एकल नोडल एजेंसी (SNA) डैशबोर्ड** लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वित्त में प्रौद्योगिकी के प्रभावी लाभ को सुनिश्चित करना है।
	  ○ यह पहल **PFMS सुधार का एक हिस्सा** है। इसे वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। इसे यह विश्लेषण करने के लिए शुरू किया गया था कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के लिए धन कैसे जारी और वितरित किया जाता है तथा इसकी कैसे निगरानी की जाती है।
	  ○ PFMS एक वेब-आधारित **ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन** है। इसे **लेखा महानियंत्रक कार्यालय** ने विकसित और कार्यान्वित किया है। यह सरकार को एक उत्तम सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करने पर लक्षित है।
	• **SNA मॉडल:** SNA मॉडल के लिए **राज्यों को प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)** के लिए एक **SNA अधिसूचित** करने की आवश्यकता होती है। यह SNA एक **वाणिज्यिक बैंक में एक विशेष बैंक खाता** खोलेगा। इसी खाते में विशेष केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी लेनदेन संपन्न किए जाएंगे।

भारत के बाह्य ऋण (2021-22) पर स्थिति रिपोर्ट (Status Report on India's External Debt 2021-22)	• इस रिपोर्ट को आर्थिक मामलों के विभाग की **विदेशी ऋण प्रबंधन इकाई** ने जारी किया है। मार्च 2021 की तुलना में, 31 मार्च 2022 तक भारत का **विदेशी ऋण 8.2 प्रतिशत बढ़कर 620.7 बिलियन डॉलर** हो गया था। • बाह्य ऋण से तात्पर्य **देश के बाहर से उधार ली गई धनराशि** से है। इस ऋण को उसी मुद्रा में चुकाना होता है, जिस मुद्रा में इसे उधार लिया गया है। • **अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग का ऋण भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक** बना हुआ है। 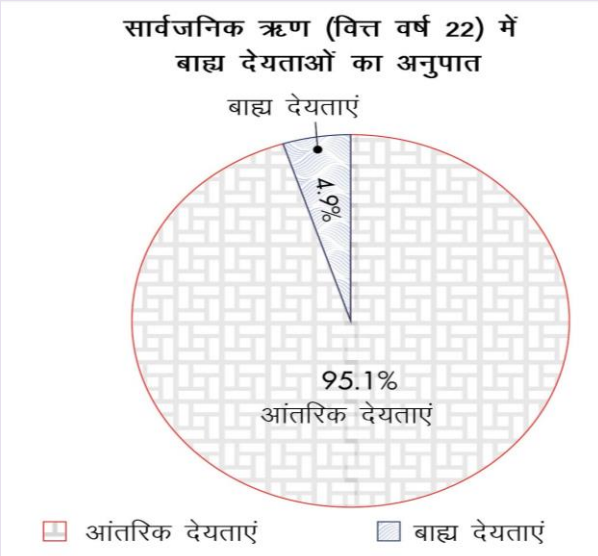
टोबिन टैक्स (Tobin Tax)	• टोबिन टैक्स एक ऐसा कर है, जो **हाजिर मुद्रा परिवर्तन (Spot currency conversions)** पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य **मुद्रा व्यापार में अल्पकालिक सट्टेबाजी को हतोत्साहित करना** है। • यह उन **देशों के लिए राजस्व स्रोत बन जाता है, जहां अल्पकालीन पूंजी मुद्रा लेन-देन बहुत ज्यादा** होता है।

विंडफॉल टैक्स (Windfall tax)	• केंद्र ने कच्चे तेल के उत्पादकों पर विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। साथ ही, पेट्रोल निर्यात लेवी को भी समाप्त किया है।
	• विंडफॉल टैक्स, **एक कंपनी पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एकबारगी कर** है।
	  ○ यह कर **अनपेक्षित या अप्रत्याशित रूप से प्राप्त बड़े लाभ** पर लगाया जाता है। इसे विशेष रूप से गलत तरीके से प्राप्त लाभ पर लगाया जाता है।
	  ○ यह केवल **जनहित से जुड़े उद्देश्यों के लिए वसूला** जाता है।
	  ○ इसकी घोषणा **घरेलू तेल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और पेट्रोल की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए** की गई है।

जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स (GAAR)	• GAAR **दुरुपयोग रोकने वाला प्रावधान** है। कर अधिकारी इस प्रावधान का उपयोग कर से बचने की अस्वीकार्य प्रथाओं को रोकने के लिए करते हैं। • अधिकतर परिपक्व अर्थव्यवस्थाएं इस नियम का उपयोग करती हैं। भारत में इसे **पहली बार वर्ष 2012 में उपयोग** किया गया था। • **आयकर अधिनियम, 1961 के तहत यह 1 अप्रैल, 2017 को लागू हुआ था। इसका प्रभावी कार्यान्वयन इस वर्ष शुरू हुआ है।**

© Vision IAS

	• यह **अंतिम उपाय रूपी प्रावधान** है। इसका उपयोग **उन गैर-कानूनी प्रथाओं को रोकने के लिए** भी किया जाता है, जो **कर कानूनों के उद्देश्यों को कमजोर** करती हैं, जैसे- कानून का अनुचित उपयोग या दुरुपयोग। • भारत में GAAR की शुरुआत से पहले, इस तरह के लेनदेन से निपटने के लिए **न्यायिक निर्णयों और ट्रांसफर प्राइसिंग विनियमों सहित स्पेसिफिक एंटी-अवॉयडेंस रूल्स (SAAR) की मदद** ली जाती थी।
TDS पर CBDT के दिशा-निर्देश	• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने **व्यवसाय या पेशे में प्राप्त लाभों** के संबंध में स्रोत पर कर कटौती (TDS) के नये प्रावधान की प्रयोज्यता से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किये हैं। 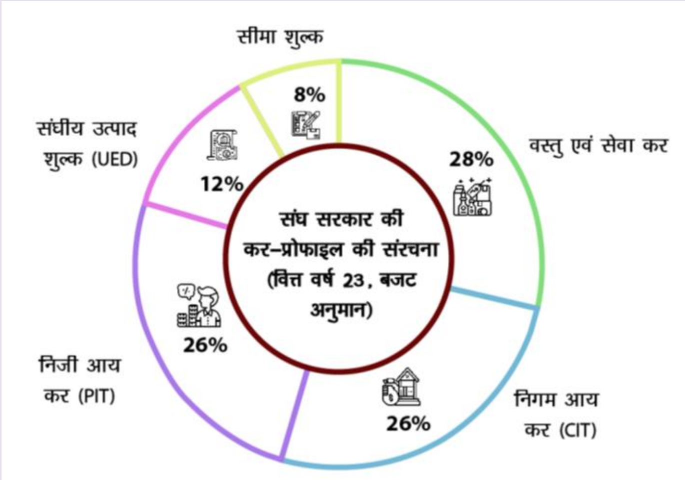 • **बजट वर्ष 2022-23** ने आयकर अधिनियम में **धारा 194R** नामक एक नई धारा जोड़ी है। इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में 20,000 रुपये से अधिक का कोई **अनुलाभ या परिलब्धि** किसी को देता है, तो उस पर **10% की दर** से TDS की कटौती होगी। • CBDT ने स्पष्ट किया है कि धारा 194R, अस्पताल में कार्यरत रहने के दौरान दवाओं के नि:शुल्क नमूने प्राप्त करने वाले डॉक्टरों के लिए **अस्पताल में नि:शुल्क नमूनों के वितरण** पर भी लागू होगी।
दोहरे कराधान से बचाव समझौते (Double Taxation Avoidance Agreement : DTAA)	• आयकर अपीलीय प्राधिकरण (ITAT) ने कहा है कि गूगल इंडिया द्वारा गूगल की आयरलैंड इकाई को किया गया भुगतान रॉयल्टी नहीं है। इसलिए, यह **विदहोल्डिंग टैक्स के अधीन नहीं है।** • **रॉयल्टी से तात्पर्य उस भुगतान से है, जो किसी परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उसके स्वामी को चुकाया जाता है।** • **रॉयल्टी से अर्जित आय भारत में कर के अधीन है।** • विदहोल्डिंग टैक्स को **रिटेंशन (प्रतिधारण) टैक्स** के रूप में भी जाना जाता है। यह किराया, कमिशन या पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान करते समय कर को रोक कर रखने का करदाता का दायित्व है। • **आयकर (IT) अधिनियम की धारा 195 के अनुसार,** यदि कोई व्यक्ति किसी अनिवासी व्यक्तिगत खाते में भुगतान करता है, तो उसमें से कर का भुगतान करना उस व्यक्ति का दायित्व होगा। • ऐसे भुगतानों पर लागू कर की दर **दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) द्वारा निर्धारित** की जाती है। • DTAA **भारत और किसी अन्य देश के बीच हस्ताक्षरित एक कर संधि है।** इसके तहत करदाता, स्रोत देश के साथ-साथ उनके निवास वाले देश से भी अर्जित अपनी आय पर **दोहरे करों का भुगतान करने से बच जाते हैं।** • भारत का **80 से अधिक देशों के साथ दोहरे कराधान से बचाव का समझौता** है। इसमें **लाभांश, ब्याज, रॉयल्टी आदि जैसे भुगतानों पर विदहोल्डिंग टैक्स** भी शामिल है।

निवासी लेकिन सामान्य रूप से निवासी नहीं (Resident but Not Ordinarily Resident:	• यह **आयकर कानून** के तहत आवासीय स्थिति की एक श्रेणी है। RNOR एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है, जो सामान्य निवासी के रूप में पात्र नहीं है।
	• इसमें वह व्यक्ति शामिल है, जो
	  ○ देश में 120 दिनों से अधिक लेकिन 182 दिनों से कम दिन रहा हो; और
	  ○ भारत में मौजूद अपनी परिसंपत्ति से 15 लाख रुपये या उससे अधिक अर्जित करता है।

RNOR)	○ EPCG प्राधिकार पत्र का धारक प्रत्यक्ष या तीसरे पक्ष के माध्यम से निर्यात कर सकता है।
सूचना का स्वत: आदान-प्रदान (AEOI)	• हाल ही में, स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक ने अपने वार्षिक आंकड़े जारी किये हैं। इन आंकड़ों के अनुसार, स्विस बैंकों में भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा जमा किया गया धन वर्ष 2021 में **14 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।** ○ कर धोखाधड़ी एवं कर-चोरी को रोकने के लिए स्विट्जरलैंड और भारत के मध्य वर्ष 2018 से **कर (Tax) मामलों से संबंधित सूचनाओं का एक स्वचालित आदान-प्रदान (AEOI) समझौता** लागू है। • AEOI **कर अधिकारियों के बीच सूचना के पूर्वनिर्धारित समुच्चय** के स्वचालित आदान-प्रदान का प्रावधान करता है। ○ इस ढांचे के तहत, स्विस वित्तीय संस्थानों में खाताधारक सभी भारतीय निवासियों की **विस्तृत वित्तीय जानकारी प्रत्येक वर्ष** उपलब्ध करवाई जाती है।

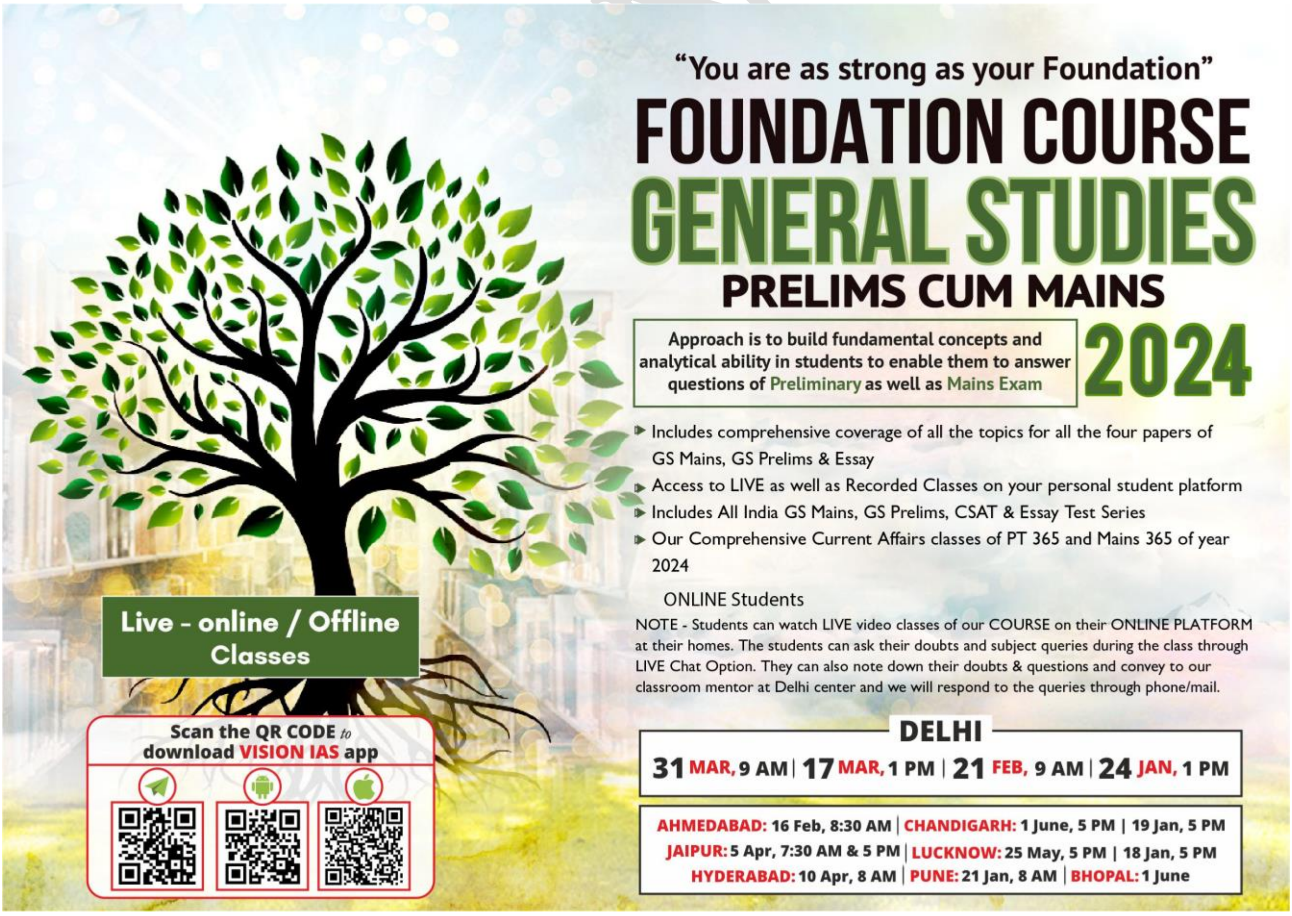

3. बैंकिंग, परिसंपत्ति की गुणवत्ता, पुनर्गठन और मौद्रिक नीति (Banking, Asset Quality, Restructuring And Monetary Policy)

3.1. बैंकिंग (Banking)

3.1.1. शहरी सहकारी बैंक (Urban Co-operative Banks: UCBs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए गठित **विशेषज्ञ समिति (एन. एस. विश्वनाथन पैनल)** की सिफारिशों के आधार पर UCBs के विनियामकीय ढांचे को संशोधित किया है।

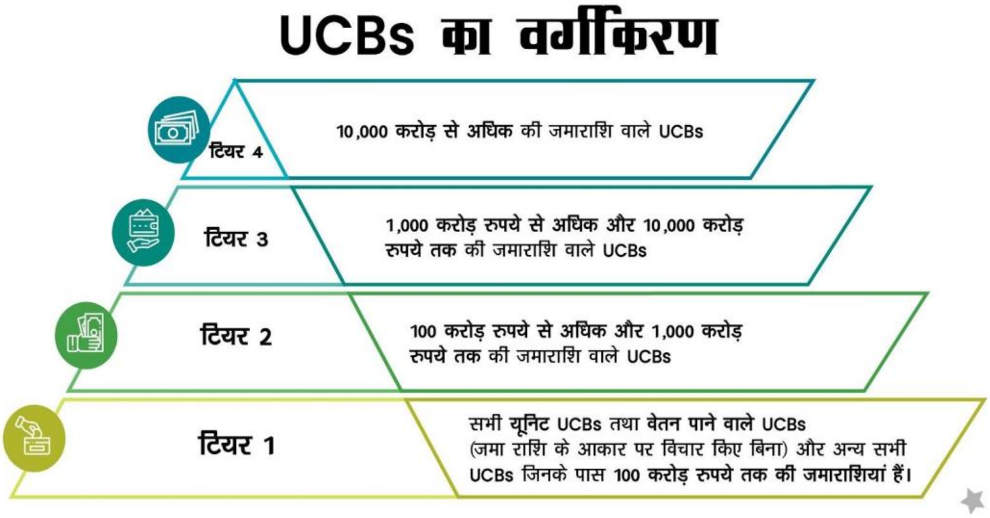

संशोधित मानदंडों पर एक नज़र

- मौजूदा UCBs की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए **विभेदित विनियामकीय ढांचे** के साथ वर्तमान दो-स्तरीय विनियामकीय ढांचे को **चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- बैंकों के वित्तीय लचीलेपन को मजबूत करने के लिए एक ही जिले में संचालित **टियर-1 UCBs** की न्यूनतम नेट वर्थ **2 करोड़ रुपये** होनी चाहिए। अन्य सभी टियर के UCBs की न्यूनतम नेट वर्थ **5 करोड़ रुपये** होनी चाहिए।
    - जो UCBs वर्तमान में उपर्युक्त न्यूनतम नेट वर्थ के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से न्यूनतम नेट वर्थ प्राप्त करनी होगी।
- **जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR)**[23]**:**
    - **टियर-1 UCBs** के लिए न्यूनतम CRAR को उनकी **जोखिम भारित परिसंपत्तियों (RWAs) के 9% पर** बरकरार रखा गया है।
    - **टियर-2 से लेकर टियर-4 के UCBs** अपनी **RWAs के 12% प्रतिशत के बराबर CRAR** बनाए रखेंगे।

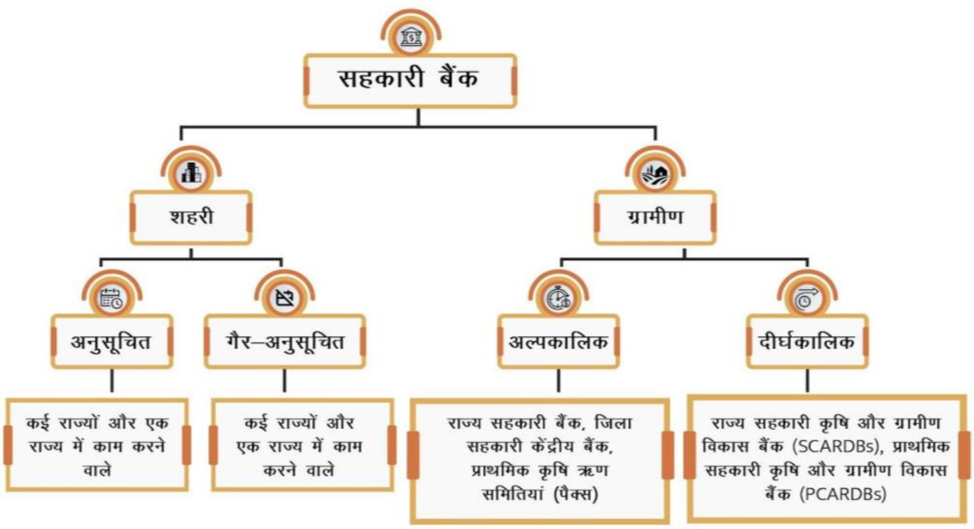

[23] Capital to Risk Weighted Assets Ratio

- टियर-2 से लेकर टियर-4 के UCBs, जो वर्तमान में RWAs के 12 प्रतिशत के संशोधित CRAR मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से इसे पूरा करना होगा।

- **आर्थिक रूप से मजबूत और सुप्रबंधित (Financially Sound and Well Managed: FSWM):** FSWM का दर्जा निर्धारित करने के लिए संशोधित मानदंड निम्नलिखित हैं:
  - **3% से अधिक का निवल NPA (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) नहीं** होना चाहिए।
  - **पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान CRR/ SLR मानदंडों के अनुपालन में कोई चूक न** हुई हो।
  - **आंतरिक प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली मजबूत** होनी चाहिए और **बोर्ड में कम-से-कम दो पेशेवर निदेशक** होने चाहिए।
  - **कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS)** पूरी तरह से लागू होना चाहिए।
- **किस पर लागू होगा:** यह ढांचा सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर लागू होगा।

UCBs, यूनिवर्सल बैंक (UNBs), लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks: SFBs) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks: RRBs) के लिए विनियामकीय ढांचों की तुलना				
विवेकपूर्ण मानदंड विनियामकीय मंजूरी	**UCBs**	**UNBs**	**SFBs**	**RRBs**
पूंजी पर्याप्तता (Capital Adequacy)	**बेसल I** मानदंडों के तहत, पूंजी को बनाए रखने का आधार केवल ऋण जोखिम होना चाहिए।	**बेसल III** मानदंडों के तहत, पूंजी को बनाए रखने का आधार ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम होना चाहिए।	**बेसल II** मानदंडों के तहत, पूंजी को बनाए रखने का आधार केवल ऋण जोखिम होना चाहिए।	पूंजी को **बेसल I** मानदंडों के तहत बनाए रखा जाना चाहिए।
नए ब्रांच खोलना और एक्सटेंशन काउंटर	ऐसे UCBs जो FSWM मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें **स्वचालित मार्ग** के तहत नई ब्रांच खोलने की अनुमति है।	स्वचालित अनुमोदन मार्ग के तहत, लेकिन शर्तों के अधीन।	स्वचालित अनुमोदन मार्ग के तहत, लेकिन शर्तों के अधीन।	स्वचालित अनुमोदन मार्ग के तहत, लेकिन शर्तों के अधीन।
संचालन के क्षेत्र का विस्तार (Extension of area of operation)	पूर्व अनुमोदन मार्ग के तहत	लागू नहीं है। संचालन का क्षेत्र पूरे देश में फैला हुआ है।	लागू नहीं है। संचालन का क्षेत्र पूरे देश में फैला हुआ है।	RRBs के संचालन का क्षेत्र निर्धारित है।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (Priority Sector Lending: PSL) हेतु लक्ष्य	31 मार्च, 2024 तक **एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (ANBC) का 75 प्रतिशत** हासिल किया जाना है।	ANBC का 40 प्रतिशत	ANBC का 75 प्रतिशत	ANBC का 75 प्रतिशत
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल होना	पूर्व अनुमोदन मार्ग निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले UCBs आवेदन के लिए पात्र हैं।	पूर्व अनुमोदन मार्ग संचालन शुरू होने के बाद सभी नए SCBs आवेदन के लिए पात्र हैं।	पूर्व अनुमोदन मार्ग संचालन शुरू होने के बाद सभी नए SFBs आवेदन के लिए पात्र हैं।	पूर्व अनुमोदन मार्ग नाबार्ड (NABARD) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर RBI द्वारा नए समामेलित (सम्मिश्रित) RRBs को इसमें शामिल किया जाता है।

सहकारी बैंकों के बारे में

- सहकारी बैंक सहकारी आधार पर स्थापित वित्तीय संस्थाएं होती हैं। ये अपने सदस्यों द्वारा गठित और उनसे जुड़े होते हैं। इसका अर्थ यह है कि सहकारी बैंक के ग्राहक उसके मालिक भी होते हैं।

© Vision IAS

- पंजीकरण: UCBs मुख्य रूप से सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं। इन्हें संबंधित राज्य के राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत किया जाता है। यदि इनके संचालन का क्षेत्र किसी राज्य की सीमाओं से आगे तक फैला हो, तो इन्हें बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत किया जाता है।
- UCBs का विनियमन: इसका विनियमन RBI और केंद्र/ राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। हालांकि, लघु सहकारी बैंकों का विनियमन नाबार्ड (NABARD)[24] और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
  - ये RBI के दो कानूनों, अर्थात् बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कानून (सहकारी समितियां) अधिनियम, 1955 के तहत विनियामकीय दायरे में आते हैं।
  - शहरी और बहु-राज्य सहकारी बैंक RBI की सीधी निगरानी में होते हैं।

हालांकि, UCBs, यूनिवर्सल बैंक (UNBs), लघु वित्त बैंक (SFBs) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के लिए विनियामकीय ढांचा अलग-अलग है-

3.1.2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks: RRBs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA)** से यह कहा है कि वह RRBs को वित्तीय रूप से संधारणीय[25] बनाने में सहायता करे।

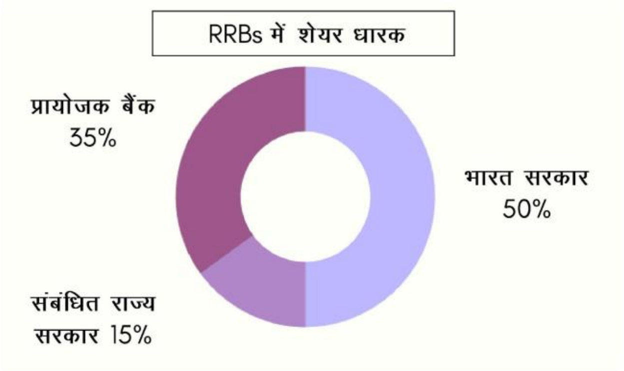

अन्य संबंधित तथ्य

- RRBs को वित्तीय रूप से संधारणीय बनाने के लिए सरकार ने **वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 के दौरान उन्हें 10,890 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड पूंजी उपलब्ध** कराने का फैसला किया है।
  - इस पूंजी में **केंद्र का हिस्सा 5,445 करोड़ रुपये** होगा। शेष राशि का योगदान **राज्यों और प्रायोजक बैंकों** (Sponsor Banks) की तरफ से किया जाएगा।

RRBs के बारे में

- **नरसिंहम वर्किंग ग्रुप (1975)** की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर, 1975 को RRBs की स्थापना हुई थी। इसके लिए **1975 में एक अध्यादेश जारी** किया गया था। इसके अगले वर्ष **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976** के तहत इसे और मजबूत किया गया था। इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है।

- **उद्देश्य:**
  - लघु और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों आदि को ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग व ऋण सुविधाएं प्रदान करना।

---

[24] राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/ National Bank for Agriculture and Rural Development

[25] Financially Sustainable

- इन बैंकों द्वारा निम्नलिखित अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं:
  - **पैरा-बैंकिंग सुविधाएं:** जैसे- लॉकर सुविधाएं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, आदि।
  - **सरकारी कार्यों का निष्पादन:** मनरेगा श्रमिकों के वेतन का वितरण, पेंशन का वितरण, आदि।

- **विशेषताएं:** ये **क्षेत्र-आधारित और ग्रामीण विकास के लिए** समर्पित बैंक हैं। इनमें **ग्राहक अनुभव के मामले में सहकारी बैंकों** तथा **वित्तीय संसाधनों को जुटाने के मामले में वाणिज्यिक बैंकों** की विशेषताएं शामिल हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार (Priority Sector Lending: PSL)

यह उन क्षेत्रकों को दिया जाने वाला ऋण है, जिन्हें देश की बुनियादी जरूरतों के विकास हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हें अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाती है।

RRBs का महत्व

ये बैंक **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक** के लिए निर्धारित 75 प्रतिशत की बजाय **81 प्रतिशत से अधिक** ऋण प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, इनके द्वारा प्रदत्त कुल ऋण में कृषि ऋण का हिस्सा **60 प्रतिशत** के आस-पास है। इस कारण इनकी भूमिका निम्नलिखित के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो जाती है:

- ये कमजोर वर्गों, विशेषकर लघु और सीमांत किसानों को साहूकारों से बचाने के लिए **संस्थागत ऋण देते हैं।**
- ये ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके **वित्तीय समावेशन** को बढ़ावा दे रहे हैं।
- ये **ग्रामीण आबादी का बैंकिंग सेवाओं में विश्वास बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं,** ताकि उनमें बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जा सके।
- ये सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को **आसान व प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करते हैं।**
- ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए ग्रामीण भारत में **रोजगार** को बढ़ावा देते हैं।

RRBs के समक्ष समस्याएं

- **वित्तीय व्यावहारिकता (Financial Viability):** RRBs की कई शाखाओं में परिचालन की लागत अधिक और व्यवसाय सीमित है। इस कारण इनका **रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA)** कम है।
  - रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) शब्द एक **वित्तीय अनुपात को संदर्भित** करता है। इससे यह पता चलता है कि **कोई कंपनी अपनी कुल परिसंपत्ति के संबंध में कितने लाभ की स्थिति** में है। यह गणना इस प्रकार की जाती है: **RoA = कुल परिसंपत्ति / निवल आय।**
- **सीमित पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Limited Capital Adequacy Ratio):** RRBs के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात **13%** रखा गया है, जो पूरा नहीं हो पाया है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात को **जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात {CRAR}**[26] के रूप में भी जाना जाता है।
  - पूंजी पर्याप्तता अनुपात किसी बैंक की उपलब्ध पूंजी की माप है। इसे **बैंक के जोखिम-भारित क्रेडिट एक्सपोजर के प्रतिशत के रूप में** व्यक्त किया जाता है।
- **विनियमन संबंधी विसंगतियां (Regulatory Discrepencies):** RRBs की निगरानी **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड/NABARD)** द्वारा की जाती है। हालांकि, इनकी वार्षिक योजनाओं और वित्त की निगरानी RBI एवं नाबार्ड दोनों करते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार और प्रायोजक बैंक का अपना नियंत्रण होता है।

3.1.3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (Non-Banking Financial Companies: NBFCs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राज्य के कानून **NBFCs** पर लागू नहीं होंगे और इस मामले में राज्य के कानूनों की जगह **RBI अधिनियम, 1934** ही मान्य होगा।

[26] Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio

VISION

NBFCs के बारे में

- NBFCs कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थाएं हैं। ये बैंकों के समान ही ऋण और अग्रिम जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं तथा शेयर और बांड की खरीद कर सकती हैं। परंतु इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है।

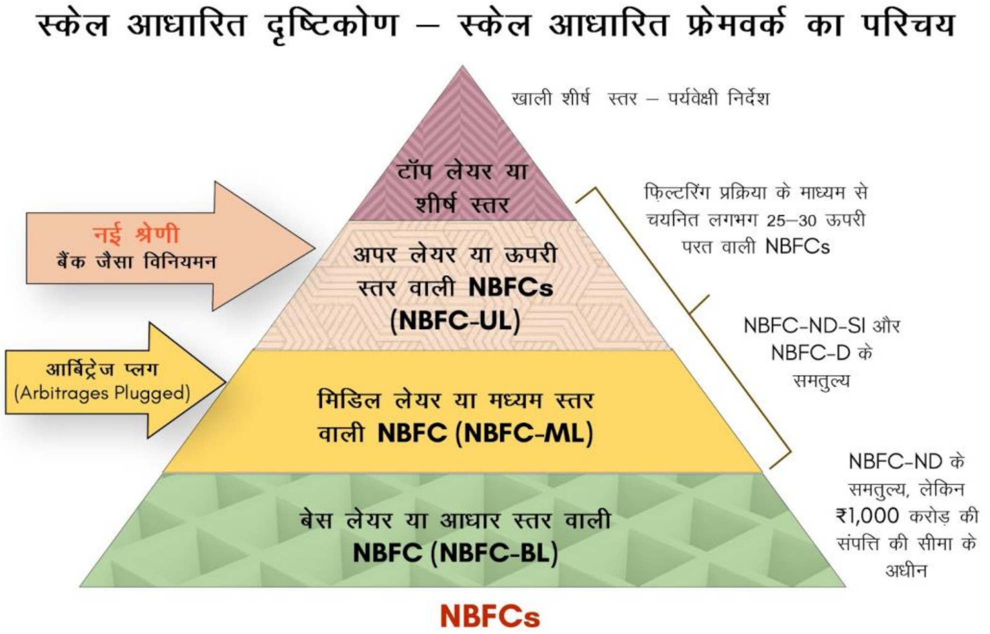

- हालांकि, उनकी गतिविधियां बैंकों के समान हैं, लेकिन कुछ मामलों में NBFCs और बैंकों में कुछ अंतर होता है। ये अंतर निम्नलिखित हैं:
  - ये मांग जमा (डिमांड डिपॉजिट्स) स्वीकार नहीं कर सकते।
  - ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं। ये स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकते हैं।
  - NBFCs में जमा राशि पर जमाकर्ताओं को जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- मुख्य रूप से **NBFCs** भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित और शासित होते हैं।
  - हालांकि, कुछ **NBFCs** को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड **(SEBI),** भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण **(IRDAI),** नेशनल हाउसिंग बैंक आदि द्वारा भी विनियमित किया जाता है।
- हाल ही में, **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) द्वारा उधार देने और डिस्क्लोजर के दिशा-निर्देशों को सख्त कर दिया है।** ये दिशा-निर्देश RBI के **स्केल आधारित विनियमों पर निर्मित किये गए हैं।** इन विनियमों में NBFCs को **3 स्तरों में विभाजित किया** गया है। (इन्फोग्राफिक देखें)।

दिशा-निर्देशों पर एक नज़र

- किसी भी संस्था में ऊपरी स्तर की NBFCs का **कुल एक्सपोज़र (ऋण) उनके पूंजी आधार के 20% से अधिक नहीं** होना चाहिए। हालांकि, बोर्ड अतिरिक्त 5% स्वीकृति प्रदान कर सकता है।
  - हालांकि, **अवसंरचना वित्त कंपनियों के मामले में,** एक संस्था के लिए **एक्सपोज़र की कुल सीमा 30%** होगी।
- **परस्पर संबद्ध संस्थाओं के समूह** के लिए, ऊपरी स्तर की NBFCs के लिए कुल एक्सपोज़र, पूंजी आधार के 25% तक सीमित होगा। अवसंरचना वित्त कंपनियों के मामले में यह 35% तक सीमित होगा।
- जब तक बोर्ड द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती है, तब तक **मध्य स्तर और ऊपरी स्तर** की NBFCs अपने **निदेशकों, CEO या निदेशकों के रिश्तेदारों को 5 करोड़ रुपये से अधिक उधार नहीं** देंगी।
- **रियल एस्टेट क्षेत्रक को तभी उधार दिया जा सकता है,** जब उधार लेने वाली संस्था ने **अपनी परियोजना के लिए सरकार या अन्य कानूनी संस्थाओं से पूर्व अनुमति** प्राप्त कर ली हो।

3.1.4. निधि नियम, 2014 में संशोधन (Amendment to Nidhi Rules, 2014)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने **'निधि' कंपनियों की संख्या में व्यापक वृद्धि** के मद्देनजर **निधि नियम, 2014 में संशोधन** किए हैं।

प्रमुख संशोधनों पर एक नज़र

इन संशोधनों का उद्देश्य इन कंपनियों के **शासन में सुधार** करना और **जनता के हितों की रक्षा** करना है।

- **निधि नियम में प्रमुख संशोधन:**
  - 10 लाख रुपये की शेयर पूंजी के साथ निधि के रूप में स्थापित किसी सार्वजनिक कंपनी को सबसे पहले स्वयं को **केंद्र सरकार से 'निधि' कंपनी के रूप में घोषित करवाना** होगा।
  - इससे **पहले, किसी कंपनी को ऐसी घोषणा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं** थी।
  - कंपनी के **प्रमोटर्स और निदेशकों को** नियमों में निर्धारित **मानदंडों को पूरा करना होगा।**
- **निधि कंपनी के बारे में**
  - ये गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के समान होती हैं। एक निधि कंपनी का गठन **उसके सदस्यों से धन उधार लेने और उधार देने के लिए** किया जाता है।
  - यह अपने **सदस्यों के बीच बचत की आदतों को विकसित करती है।** यह परस्पर लाभ के सिद्धांत पर कार्य करती है।
  - इसे **RBI से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती।** लेकिन, **कंपनी अधिनियम के तहत अनुमोदन की आवश्यकता** होती है।
  - **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय इसके परिचालन संबंधी मामलों को नियंत्रित करता है।** RBI को इसकी जमा स्वीकारने वाली गतिविधियों हेतु निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
  - इसे **चिट फंड, हायर-परचेज फाइनेंस, लीजिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस या सिक्योरिटीज** से जुड़े व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। यह अपने **सदस्यों के अतिरिक्त, किसी अन्य व्यक्ति से न तो नकद जमा स्वीकार कर सकती** है न ही **किसी अन्य व्यक्ति को** उधार दे सकती है।
  - निधि कंपनियों में **केवल व्यक्तिगत सदस्यों को ही शामिल होने की अनुमति** होती है।

3.1.5. वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (Financial Services Institution Bureau: FSIB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (ACC)[27] ने **वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) की स्थापना के लिए एक सरकारी प्रस्ताव को मंजूरी** दे दी है। यह ब्यूरो, **बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB)** का स्थान लेगा।

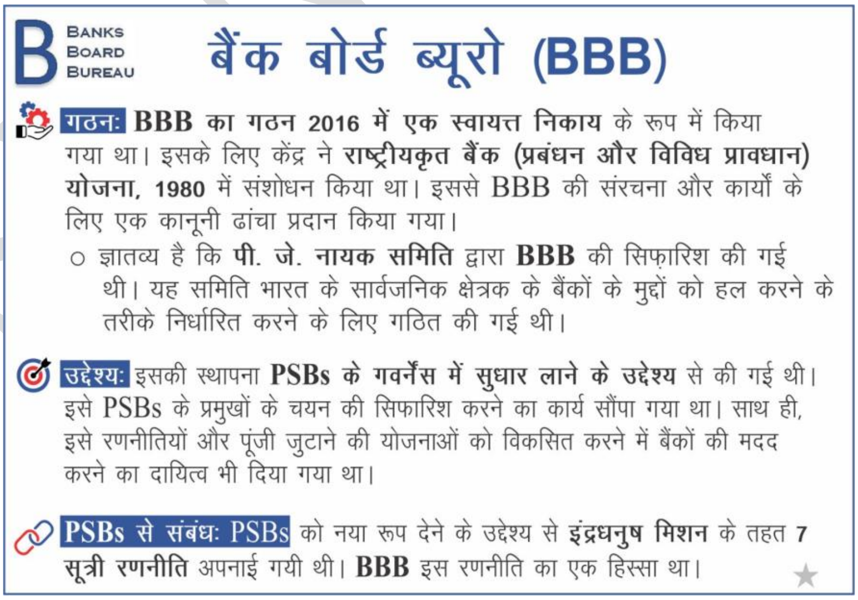

FSIB के बारे में

- FSIB की स्थापना **वित्त मंत्रालय** के **वित्तीय सेवा विभाग (DFS)**[28] के अंतर्गत की गई है। इसकी स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
  - वित्तीय सेवा संस्थानों {जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs), सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता, वित्तीय संस्थान आदि} के बोर्ड में **पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-कार्यकारी अध्यक्षों**[29] **के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना।**
  - इन संस्थानों में **कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कुछ अन्य मामलों पर सलाह देना।**
  - सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों में **कॉर्पोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा** देना।

---

[27] Appointments Committee of the Cabinet

[28] Department of Financial Services

[29] whole-time directors and non-executive chairpersons

© Vision IAS

- **FSIB के अन्य प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:**
    - सरकार को निदेशकों की **नियुक्तियों, स्थानांतरण या कार्यकाल के विस्तार** और उनकी सेवाओं की समाप्ति से संबंधित मामलों पर सलाह देना।
    - PSBs, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों के लिए **बोर्ड स्तर पर आवश्यक प्रबंधन संरचना पर सरकार को सलाह देना।**
    - PSBs, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों के **प्रदर्शन से संबंधित डेटा बैंक का निर्माण** करना।
    - PSBs, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों में पूर्णकालिक निदेशकों के लिए **आचार और आचरण संहिता के निर्माण एवं उन्हें लागू करने** हेतु सरकार को सलाह देना।
    - PSBs, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों को **व्यापार रणनीतियों को विकसित करने** और पूंजी जुटाने की योजना आदि के संदर्भ में मदद करना।
- **FSIB की संरचना:**
    - **FSIB के अध्यक्ष** को केंद्र सरकार द्वारा नामित (nominate) किया जाएगा, जो निम्नलिखित में से होगा:
        - बैंकिंग क्षेत्र या नियामक संस्थान से सेवानिवृत्त अधिकारी, या
        - वित्तीय क्षेत्र का पर्याप्त ज्ञान रखने वाला कोई प्रतिष्ठित व्यवसायी, या
        - बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रक में अनुभव के साथ-साथ लोक प्रशासन में कम-से-कम 25 वर्षों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति।
    - **पदेन सदस्य (Ex officio members):**
        - वित्तीय सेवा विभाग (DFS) का **सचिव,**
        - सार्वजनिक उद्यम विभाग का **सचिव,**
        - भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के **अध्यक्ष,** और
        - RBI का एक **डिप्टी गवर्नर।**
    - **सदस्य (अंशकालिक और गैर-सरकारी):**
        - सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संबंधित विषय-वस्तु का ज्ञान रखने वाले **3 व्यक्ति** (केंद्र सरकार द्वारा नामित); और
        - सार्वजनिक क्षेत्रक के बीमाकर्ता से संबंधित विषय-वस्तु का ज्ञान रखने वाले **3 व्यक्ति** (केंद्र सरकार द्वारा नामित)।

3.1.6. बैंकिंग प्रणाली में तरलता (Banking System Liquidity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मई 2019 से **अधिशेष (सरप्लस) की स्थिति** में रहने के बाद, **सितंबर 2022 में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में तरलता में कमी की स्थिति** आ गई है।

बैंकिंग प्रणाली में तरलता के बारे में और इसका महत्व

- **अर्थ: बैंकिंग प्रणाली में तरलता** से तात्पर्य आसानी से उपलब्ध

नकदी से है। बैंकों को इसकी आवश्यकता अल्पकालिक व्यापार और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए होती है।

- **अधिशेष बनाम घाटा (Surplus vs. Deficit):** किसी दिन, यदि बैंकिंग प्रणाली पर LAF के तहत RBI की निवल उधारी है, तो इसे बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी की अवस्था कहा जाता है। इस स्थिति के विपरीत यदि किसी दिन, बैंकिंग प्रणाली RBI के लिए एक निवल ऋणदाता है, तो बैंकिंग प्रणाली को तरलता की अधिशेष की अवस्था में होना कहा जाता है।

बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी के प्रभाव

- बैंक प्रायः तरलता की कमी को दूर करने के लिए **जमा राशि पर ब्याज की दर बढ़ाते हैं** या **अधिक ब्याज वाली विशेष जमा योजनाओं को बढ़ावा देते हैं।** इससे बैंकों के लाभ में कमी आती है।
- **मुद्रा बाजार दरों** में वृद्धि के कारण **उधार ली गई धनराशि की लागत बढ़ जाती है।** उदाहरण के लिए- तरलता की कमी की स्थितियों के कारण हाल ही में ट्रेजरी बिलों या टी-बिलों पर प्रतिफल में वृद्धि हुई है।

शब्दावली को जानें

- **टी–बिल (T-bill):** ये सरकार द्वारा जारी किए गए **अल्पकालिक ऋण लिखत** होते हैं। ये वर्तमान में तीन अवधियों– 91 दिन, 182 दिन और 364 दिनों के लिए जारी किए जाते हैं।

- **ऐसे परिदृश्य में RBI रेपो दर** में बदलाव कर सकता है। इससे बैंकों की **उधार देने की रेपो-संबद्ध दरों और निधियों की सीमांत लागत पर आधारित उधार देने की दर (MCLR) में वृद्धि होगी। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए ऋण की ब्याज दरें बढ़ जाएंगी।**
- **मांग में कमी**, जो आगे **आर्थिक गतिविधियों के संकुचन** का कारण बन सकती है।
- संवृद्धि हेतु उधार लेने की लागत को बनाए रखने के साथ-साथ अपनी मौद्रिक नीति को कठोर बनाए रखना **RBI के लिए कठिन होगा।**

3.2. परिसंपत्ति की गुणवत्ता और पुनर्गठन (Asset Quality and Restructuring)

3.2.1. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (Non-Performing Assets: NPAs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **"भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति, 2021-22"**[30] रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों का **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (Gross NPA) अनुपात 2017-18 में अपने शीर्ष (9%)** पर था, जो **घटकर सितंबर 2022 में 5% के स्तर पर** आ गया।

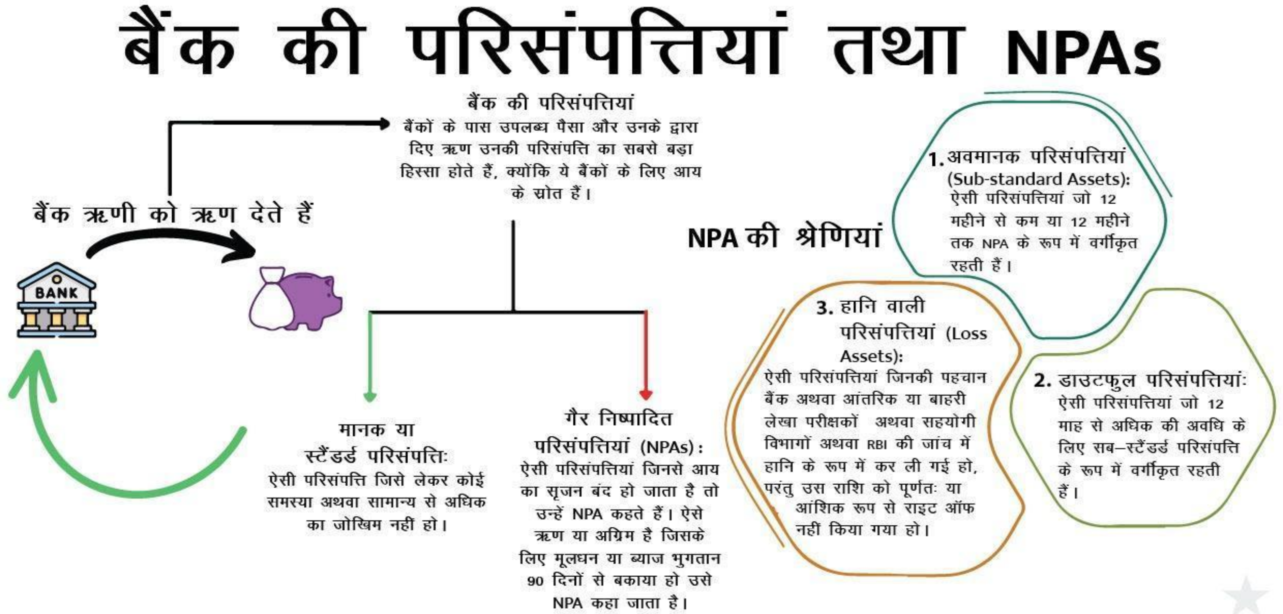

30 Report on Trend and Progress of Banking in India 2021-2022

NPAs के बारे में

- ऋण बैंकों की प्राथमिक परिसंपत्तियां हैं (इन्फोग्राफिक देखें)। अतिदेय (Overdue) मानदंडों के आधार पर अगर कोई ऋण या अग्रिम (Advance) जिसके लिए **मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों (एक-तिमाही) की अवधि से नहीं** किया गया है, तो उसे **NPA** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अतिदेय का अर्थ उस राशि से है, जो नियत तारीख के बाद भी बकाया रह जाता है।
- इसे आगे अलग-अलग रूपों में वर्गीकृत किया गया है (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - **कृषि ऋणों के लिए NPA के निर्धारण के मानदंड अलग हैं।** अल्प अवधि की फसलों के लिए **2 फसल मौसम** एवं लंबी अवधि की फसलों के लिए **1 फसल मौसम** बीत जाने के बाद भी अगर ऋण (किस्त/ ब्याज) का भुगतान नहीं किया गया है, तो उसे NPA माना जाता है।

संबंधित सुर्ख़ियां

एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (EASE) सुधार

- इन सुधारों को 2018 (EASE 1.0) में शुरू किया गया था। EASE सुधारों का निरिक्षण भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा किया जाता है।
- **नवीनतम EASE सुधार (EaseNext)** में दो प्रमुख पहलें शामिल हैं:
  - सामान्य PSBs सुधार एजेंडा के लिए **EASE 5.0** की शुरुआत की गई है। इसके तहत, PSBs **आधुनिक क्षमताओं** हेतु निवेश को जारी रखेंगें। साथ ही, वे ग्राहकों की परिवर्तनशील जरूरतों, बदलती प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक अपनाने की दिशा में भी प्रयास करेंगे।
  - बैंक की व्यावसायिक प्राथमिकताओं के आधार पर EASE 5.0 के अतिरिक्त **बैंक विशिष्ट तीन वर्षीय रणनीतिक रोडमैप** तैयार किया जाएगा। इसके तहत व्यवसाय बढ़ोतरी, लाभप्रदता, जोखिम, ग्राहक सेवा, परिचालन और क्षमता विकास आदि पर जोर दिया जाएगा।

इंटर-ऑपरेटेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स {Inter-operable Regulatory Sandbox (IoRS)}

- RBI ने IoRS के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) की घोषणा की है।
- SOP को फिनटेक पर **अंतर-विनियामक तकनीकी समूह (Inter-Regulatory Technical Group: IRTG)** ने तैयार किया है। IRTG की अध्यक्षता RBI का फिनटेक विभाग करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(SEBI),** भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण **(IRDAI),** अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण **(IFSCA),** पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण **(PFRDA) तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि** भी इसमें शामिल होते हैं।
  - यह एक से अधिक वित्तीय विनियामकों के दायरे में आने वाले **नए फिनटेक उत्पादों और सेवाओं** को विनियमित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- IoRS, एक ऐसा तंत्र है जो उन नवीन और हाइब्रिड वित्तीय उत्पादों/ सेवाओं के परीक्षण की सुविधा प्रदान करता है, जो एक से अधिक वित्तीय क्षेत्रक की विनियामिकीय परिधि में आते हैं।
- **फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं:**
  - **उत्पाद की प्रमुख विशेषता** विनियामक के प्रभाव को निर्धारित करेगी। जिस विनियामक के अधिकार क्षेत्र में ऐसी विशेषता होगी, वह **प्रधान विनियामक (PR)** होगा, जबकि **अन्य एसोसिएट विनियामक (AR)** होंगे।
  - **प्रमुख विशेषता दो तरह से तय की जाएगी:**
    - **मौजूदा उत्पादों, जैसे- ऋण, जमा आदि में वृद्धि** का प्रकार,
    - IoRS के तहत परीक्षण करने के लिए संस्था द्वारा **मांगी गई छूट** की संख्या।
  - **IFSCA** वैश्विक गतिविधि की महत्वाकांक्षा रखने वाले भारतीय फिनटेक और भारत में प्रवेश के इच्छुक विदेशी फिनटेक के लिए **प्रधान विनियामक** होगा।
  - **फिनटेक पर IRTG,** प्रधान विनियामक और एसोसिएट विनियामक के बीच किसी भी समन्वय संबंधी मुद्दे को हल करेगा।

3.2.2. वसूली और पुनर्गठन संबंधी उपाय (Recovery and Restructuring Measures)

3.2.2.1. ऋण वसूली अधिकरण (Debts Recovery Tribunals: DRTs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के मामलों को सुलझाने के लिए 3 ऋण वसूली अधिकरणों (DRTs) में विशेष पीठें गठित की हैं।

DRTs के बारे में

- **ऋणों की वसूली और शोधन अक्षमता (RDB अधिनियम), 1993** में मूल क्षेत्राधिकार वाले DRTs तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार वाले ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों (DRATs) की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- इन **अधिकरणों का उद्देश्य** बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों पर शीघ्र निर्णय देना तथा उनकी वसूली करवाना है।
- ये **वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी/ SARFAESI) अधिनियम, 2002** के तहत दायर मामलों की भी सुनवाई करते हैं।
    - **सरफेसी[31] अधिनियम** वित्तीय संस्थानों को ऋण के बदले गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को अपने नियंत्रण में लेने, अदालत के हस्तक्षेप के बिना बकाया राशि की वसूली के लिए उनका प्रबंधन करने या उनको बेचने की अनुमति देता है। इस प्रकार यह अधिनियम **वित्तीय संस्थानों को ऋण डिफॉल्टर से सुरक्षा** प्रदान करता है।
    - यह अधिनियम **पूरे देश में लागू है।** यह प्रतिभूति/ जमानत के रूप में वादा/ करार की गई सभी **चल या अचल** संपत्ति को कवर करता है।
    - **यदि कोई उधारकर्ता छह माह से अधिक समय तक अपने भुगतानों को चुकाने** में असफल रहता है तब इस अधिनियम को उसके खिलाफ लागू किया जा सकता है।
- वर्तमान में, **39 DRTs और 5 DRATs** देश भर में कार्य कर रहे हैं।

3.2.2.2. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (Asset Reconstruction Companies: ARCs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के मामलों को सुलझाने के लिए 3 ऋण वसूली अधिकरणों (DRTs) में विशेष पीठें गठित की हैं।

ARCs के बारे में

- इनका गठन **नरसिम्हम समिति-II** की सिफारिशों पर किया गया है। इन्हें गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के **समाधान के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण** प्रदान करने हेतु गठित किया गया है।
- ये **सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत** पंजीकृत कंपनियां हैं।
- इन्हें **RBI** गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के रूप में **विनियमित** करता है।
- **प्रमुख दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:**
    - **पात्र ARCs**: 1,000 करोड़ रुपये की **न्यूनतम निवल परिसंपत्ति वाली ARCs को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016** के तहत समाधान आवेदकों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है।
        - इससे पहले, **सरफेसी अधिनियम** ने ARCs को RBI की अनुमति के बिना प्रतिभूतिकरण करने या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के अलावा **अन्य कार्य करने से प्रतिबंधित** कर दिया था।
        - IBC, कंपनियों और व्यक्तियों के लिए **दिवाला समाधान हेतु एक समयबद्ध प्रक्रिया** प्रदान करता है।
    - ARC की स्थापना के लिए **न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को मौजूदा 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर चरणबद्ध तरीके से 300 करोड़ रुपये** किया गया है।
    - **कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों में बदलाव** किए गए हैं, जैसे- **लेखा परीक्षण समिति** का गठन करना, इसमें केवल गैर-कार्यकारी निदेशक ही शामिल होंगे।

संबंधित सुर्ख़ियां

नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) तथा **इंडिया डेट रेज़ोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL)**

- **बैड बैंक या NARCL** एक कॉर्पोरेट संरचना है। इसकी घोषणा वर्ष 2021 के बजट में की गई थी। यह बैंकों की जोखिम भारित परिसंपत्तियों को एक अलग इकाई में रखती है।

---

31 Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act: सरफेसी/ SARFAESI

© Vision IAS

- अनुमोदित संरचना के तहत बैड बैंक में शामिल होंगे
  - NARCL: गैर-निष्पादित परिसंपत्ति/बैड लोन खातों को प्राप्त करने और एकत्र करने के लिए,
    - NARCL में अधिकांश हिस्सेदारी: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (प्रायोजक के रूप में केनरा बैंक के साथ) की होती है।
  - भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड (IDRCL): प्रबंधन और मूल्यवर्धन के लिए तथा ऋण समाधान प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए।
    - IDRCL में अधिकांश हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के बैंकों की है।

3.3. मौद्रिक नीति (Monetary Policy)

3.3.1. भारत में मुद्रास्फीति (Inflation in India)

मुद्रास्फीति

यह क्या है?

मुद्रास्फीति एक मैक्रोस्कोपिक घटना है जो समय के साथ **अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि** को दर्शाती है।

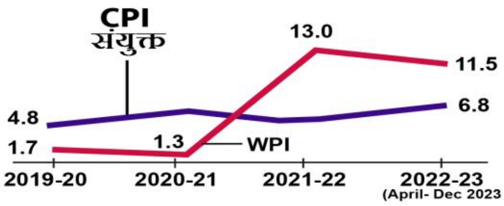

भारत में प्रमुख मुद्रास्फीति सूचकांक

WPI (थोक मूल्य सूचकांक)
थोक मूल्य सूचकांक बिक्री के प्रथम बिंदु पर अर्थव्यवस्था में कुल थोक बिक्री लेन-देन में संबंधित वस्तुओं के हिस्से पर आधारित होता है।
जारीकर्ता: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के **आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा।**

CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक)
इसे **खुदरा मुद्रास्फीति** के रूप में भी जाना जाता है। CPI आधारित मुद्रास्फीति खुदरा स्तर पर मूल्य परिवर्तनों को दर्शाती है।
जारीकर्ता: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)।

CFPI (उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक)
CFPI एक आधार वर्ष के संदर्भ में किसी दिए गए क्षेत्र में जनसंख्या समूह द्वारा उपभोग किए जाने वाले खाद्य उत्पादों की खुदरा कीमतों में परिवर्तन की एक माप है।
जारीकर्ता: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)। यह अखिल भारतीय आधार पर 2012 को आधार वर्ष मानते हुए मई 2014 से तीन श्रेणियों में जारी किया जाता है: **ग्रामीण, शहरी और संयुक्त।**

WPI और CPI आधारित मुद्रास्फीति में विचलन के लिए जिम्मेदार कारक

- **अवधारणात्मक अंतर**, यानी उद्देश्य और डिजाइन में अंतर के साथ CPI खुदरा स्तर पर मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि WPI थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है।
- सूचकांकों में विशिष्ट वस्तु-समूहों में शामिल **मदों और उनके भारांशों में परिवर्तन**। उदाहरण के लिए- CPI में, खाद्य और पेय पदार्थों का भारांश 45% से अधिक होता है, जबकि WPI में विनिर्मित उत्पादों का भारांश 64% से अधिक होता है।

उच्च मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव

- उच्च और स्थायी मुद्रास्फीति **नकारात्मक रिटर्न के कारण बचत को कम** करती है।
- यह **आय वितरण को और अधिक विकृत** करती है क्योंकि गरीब वर्ग अधिक नकदी अपने पास रखता है।
- यह **अर्थव्यवस्था की आवंटन दक्षता को प्रभावित** करके आर्थिक विकास को बाधित करती है।
- विनिमय दर के कमजोर होने के कारण **विदेशी मुद्रा उधारकर्ताओं के सामने वित्तीय अस्थिरता जोखिम** बढ़ जाता है।
- हेज के रूप में **स्वर्ण की बढ़ती मांग के कारण यह चालू खाता घाटा बढ़ा सकती है।**
- यह **मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिरता को कमजोर** करती है और बाहरी प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देती है।

3.3.2. मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत में औसत **हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-मुद्रास्फीति (CPI-मुद्रास्फीति)** लगातार तीन तिमाहियों तक 6% से ऊपर रही है। इसका कारण महामारी जनित लॉकडाउन, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि और यूक्रेन युद्ध से संबंधित आपूर्ति पक्ष को प्रभावित करने वाले झटके थे।

शब्दावली को जानें

- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक** (CPI): CPI के तहत किसी देश की खुदरा मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। इसे "मार्केट बास्केट" के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत घरेलू इस्तेमाल की वस्तुओं की खुदरा कीमतों में बदलाव को ट्रैक किया जाता है।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क के बारे में

- **समष्टि आर्थिक** और **वित्तीय स्थिरता** के लिए **मूल्य स्थिरता की स्थिति अत्यंत आवश्यक** होती है। इसलिए, **मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य** मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करना होता है।
- **मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क** के तहत, केंद्रीय बैंक एक निश्चित मुद्रास्फीति दर को लक्ष्य के रूप में निर्धारित करता है। इसके बाद केंद्रीय बैंक अपने देश में निर्धारित **मुद्रास्फीति लक्ष्य** को सुनिश्चित करने के लिए अपनी मौद्रिक नीति में आवश्यकतानुसार बदलाव करता रहता है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC)

- **संरचना:** इसमें कुल 6 सदस्य हैं– **RBI की ओर से 3 सदस्य** (अध्यक्ष– RBI गवर्नर) और **सरकार द्वारा नियुक्त 3 बाहरी सदस्य**।
- **निर्णय लेने की प्रक्रिया:** **प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होता है**। मतों में बराबरी के मामले में **RBI के गवर्नर के पास द्वितीय या निर्णायक मत** होता है।
- **बैठक:** MPC के लिए वर्ष में कम–से–कम **चार बार बैठक** करना अनिवार्य है।
- **गणपूर्ति (कोरम):** MPC की बैठक में कम–से–कम **चार सदस्य** उपस्थित होने चाहिए।

भारत में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क

- **उर्जित पटेल समिति (2014)** की सिफारिश के आधार पर, भारत सरकार और RBI द्वारा भी वर्ष 2015 में **मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौते**[32] पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- इसके बाद वर्ष 2016 में RBI अधिनियम, 1934 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के जरिए-
  - **मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण** को RBI की मौद्रिक नीति में **नॉमिनल एंकर** के रूप में शामिल किया गया (RBI अधिनियम की धारा 45ZA)।
    - **नॉमिनल एंकर (Nominal Anchor)** से आशय देश में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने संबंधी नीति या फ्रेमवर्क से है।
  - **मौद्रिक नीति समिति (MPC)**[33] को कानूनी और संस्थागत रूप प्रदान किया गया (धारा 45ZB)।
- MPC में **छह सदस्य** होते हैं। यह समिति संवृद्धि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए **मुद्रास्फीति लक्ष्य** को प्राप्त करने हेतु **नीतिगत दर (रेपो दर)** निर्धारित करती है।
  - रिज़र्व बैंक के परामर्श से **भारत सरकार प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य का निर्धारण करती है।**
  - वर्तमान में CPI मुद्रास्फीति लक्ष्य **4%** निर्धारित किया गया है। हालांकि, इसमें +/- 2% उतार-चढ़ाव की अनुमति है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान में भारत में CPI मुद्रास्फीति लक्ष्य को 2 से 6 % के बीच फिक्स किया गया है।

---

[32] Monetary Policy Framework Agreement

[33] Monetary Policy Committee

© Vision IAS

* **मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने में विफल होने पर क्या होगा:** यदि औसत मुद्रास्फीति **लगातार तीन तिमाहियों के लिए उच्च टॉलरेंस बैंड (अर्थात् 6%) से अधिक या निम्न टॉलरेंस बैंड (2%) से कम** रहती है, तो RBI केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट में निम्नलिखित के बारे में सूचित करेगा:
    * मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में **विफल रहने संबंधी कारणों के बारे में;**
    * बैंक द्वारा की जाने वाली **प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाइयों के बारे में;** तथा
    * उस **अनुमानित समय-अवधि** (जिसके भीतर प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाइयों के समय पर कार्यान्वयन से मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा) **के बारे में।**

नीतिगत रुख (Policy Stances) के अलग-अलग प्रकार

अकोमोडेटिव (उदार) स्टान्स	जब केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए **मुद्रा आपूर्ति का विस्तार** करने हेतु तैयार होता है। इसके तहत नीतिगत **ब्याज दरों में कटौती** का रुख अपनाया जाता है।
न्यूट्रल (तटस्थ) स्टान्स	जब केंद्रीय बैंक या तो **ब्याज दर में कटौती** कर सकता है या नीतिगत ब्याज दर बढ़ा सकता है। इसे आमतौर पर तब अपनाया जाता है, जब नीतिगत प्राथमिकता **मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास, दोनों समान रूप से** होती है।
हॉकिश (उग्र) स्टान्स	जब केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को कम रखने के लिए **मुद्रा आपूर्ति पर अंकुश लगाने हेतु** तैयार होता है। इस स्थिति में केंद्रीय बैंक नीतिगत ब्याज दर बढ़ा सकता है।
कैलिब्रेटेड (अंशशोधित) स्टान्स	यह अंशशोधित तरीके से ब्याज दर वृद्धि को दर्शाने के लिए एक अन्य शब्दावली है। इसमें RBI का रुख ब्याज दर वृद्धि की ओर झुका होता है लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक नीतिगत बैठक में ब्याज दर में वृद्धि हो।

3.3.3. मूल्य निगरानी केंद्र (Price Monitoring Centres: PMC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** ने भारत के सभी जिलों में महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए **मूल्य निगरानी केंद्र (PMC)** स्थापित करने का सुझाव दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

* केंद्र सरकार की कोशिश है कि **31 मार्च, 2023 तक देश भर में 750 PMCs** की स्थापना करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। इसके लिए राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।
* वर्तमान स्थिति के अनुसार, आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल व्यय का **50% राज्य सरकार द्वारा** और **50% केंद्र सरकार द्वारा वित्त-पोषित** किया जाएगा।

PT 365 - अर्थव्यवस्था

मूल्य निगरानी के लिए मौजूदा व्यवस्था

- **उपभोक्ता मामले विभाग** के तहत **मूल्य निगरानी प्रभाग** (PMD)[35] चयनित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।
    - PMD चयनित आवश्यक वस्तुओं की खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी करता है। साथ ही, यह दैनिक आधार पर चयनित आवश्यक वस्तुओं के **मौजूदा मूल्य (Spot price)** और **भविष्य की कीमतों** की निगरानी भी करता है। वेबसाइट पर कीमतों की सूचना को प्रतिदिन अपडेट किया जाता है।
    - संबंधित राज्य सरकारों के **राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग** रोजाना 22 आवश्यक खाद्य उत्पादों के बारे में **PMS ऐप** पर कीमतों की जानकारी देते हैं।
- देश भर में फैले 340 बाजार केंद्रों से लिए गए आंकड़ों के आधार पर **22 आवश्यक खाद्य सामग्रियों** की निगरानी की जाती है।

PMC के लाभ

- PMC के जरिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी की जाएगी और उन्हें केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। ऐसे में **मुद्रास्फीति को नियंत्रित** किया जा सकेगा।
- गुणवत्ता, मात्रा, मानक, परीक्षण और बेंचमार्क के मामले में **उपभोक्ता हितों की बेहतर सुरक्षा** की जाएगी। इन सेवाओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)[34], नेशनल टेस्ट हाउस (NTH), लीगल मेट्रोलॉजी और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का उपयोग किया जाएगा।
- **ई-दाखिल (E-Daakhil):** PMC के तेजी से कार्रवाई करने के कारण उपभोक्ता शिकायतों की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए इस पोर्टल का बेहतर उपयोग होगा।
- **बाजार हस्तक्षेप (Market intervention):** खुदरा मूल्यों की नियमित समीक्षा से बाजार को स्थिर करने हेतु बाजार हस्तक्षेप संबंधी रणनीतियों पर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। साथ ही, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वस्तुओं की कमी उपभोक्ताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करे।

- राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित केंद्रों द्वारा बताई गई कीमतों की सटीकता की जांच करने के लिए **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** और **नाफेड (NAFED)[36] की सेवाएं ली जाती हैं।**

3.3.4. स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit Facility: SDF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अपनी पहली **द्विमासिक नीति समीक्षा** (वित्तीय वर्ष 2023) में, **मौद्रिक नीति समिति (MPC)**[37] ने **स्थायी जमा सुविधा (SDF)** की शुरुआत की घोषणा की है। इसे **तरलता समायोजन सुविधा (LAF)**[38] वाली व्यवस्था में एक न्यूनतम दर (Floor rate) के रूप में प्रस्तुत किया है।

स्थायी जमा सुविधा (SDF) के बारे में

- SDF वस्तुतः **तरलता प्रबंधन का एक साधन है।** इसकी सहायता से अब RBI **बिना किसी जमानत या संपार्श्विक/सरकारी प्रतिभूतियों** के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) से तरलता को अवशोषित करता है। इसलिए, RBI अब प्रतिभूतियों को दिए बिना बैंकों से अधिशेष तरलता को कम कर सकता है।
    - इसे पहली बार वर्ष 2014 में **उर्जित पटेल समिति** ने तरलता के प्रबंधन के लिए एक उपकरण के रूप में अनुशंसित किया था। यह "मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित करने और मजबूत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति" थी।
- SDF उपाय को वर्ष 2018 में RBI अधिनियम, 1934 की धारा 17 में संशोधन के माध्यम से लाया गया था। इसके माध्यम से RBI को बिना किसी जमानत या संपार्श्विक के SDF को एक अतिरिक्त उपकरण के रूप में प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया था।
- वर्ष 2022 से SDF, **फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो (FRRR)** की जगह लेगा। ज्ञातव्य है कि **FRRR** वस्तुतः **LAF** कॉरिडोर की **न्यूनतम दर** है। इसके अतिरिक्त, इसकी ब्याज दर 3.75% होगी।

---

[34] Bureau of Indian Standards

[35] Price Monitoring Division

[36] National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.

[37] Monetary Policy Committee

[38] Liquidity Adjustment Facility

© Vision IAS

- SDF के तहत जमा-राशियां **RBI अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत नकद आरक्षित अनुपात (CRR)** को बनाए रखने के लिए पात्र नहीं होंगी। लेकिन वे **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अंतर्गत सांविधिक तरलता अनुपात (SLR)** को बनाए रखने के लिए पात्र परिसंपत्तियां होंगी।
- **SDF की आवश्यकता:** कोविड-19 के कारण भारत में **तरलता अधिशेष।**
- इसमें **तरलता प्रबंधन कार्यढांचे** के अंतर्गत अल्पकालिक या क्षणिक तरलता के साथ-साथ टिकाऊ तरलता का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग शामिल है। उदाहरण के लिए, लक्षित दीर्घकालिक रेपो संचालन (TLTRO)[39], खुले बाजार की संक्रियाएँ (OMO), SDF आदि।

तरलता प्रबंधन से संबंधित पारिभाषिक शब्दों में अंतर

पारिभाषिक शब्द (दर)	अर्थ	जमानत या सम्पार्श्विक	कार्य
रिवर्स रेपो दर	यह वह दर है जिस पर **RBI अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी अतिरिक्त निधियों** को उसके (RBI) पास रखने के लिए भुगतान करता है। (RBI के विवेकाधिकार पर उपलब्ध)	हां (RBI से बैंकों को)	बाजार से तरलता को अवशोषित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का साधन।
स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी	यह **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए अपनी अतिरिक्त निधियों को RBI के पास** रखने के लिए शुरू की गई एक नई सुविधा है। (यह बैंक के विवेकाधिकार पर उपलब्ध होती है)	नहीं	तरलता प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता का साधन
रेपो दर	यह **वह दर है जिस पर RBI अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उधार** देता है	हां (बैंकों से RBI को)	अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने का साधन
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या MSF (4.65%) *इसे MPC द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है	यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए **छोटी अवधि हेतु उधार लेने की व्यवस्था** है, जिसमें RBI से नकद की गंभीर कमी होने या परिसंपत्ति–देयता बेमेल होने पर एक दिन के लिए उधार लिया जा सकता है। इसकी अधिकतम सीमा बैंक की **कुल मांग और समय देयताओं के 2% तक** होती है।	हां (बैंकों से RBI को)	RBI से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सहायता करने के लिए उधार

संबंधित सुर्ख़ियां

विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (RRA 2.0)

- RRA 2.0 को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2021 में स्थापित किया था। इसने अपनी अनुशंसाओं के अंतिम सेट से जुड़ी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया है।
  - RRA 1.0 को 1999 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य RBI की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और विनियमन संबंधी निर्धारणों को सरल बनाना था।

RRA 2.0 का उद्देश्य:

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SSBs)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs)/शहरी सहकारी बैंकों (UCBs)/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) आदि जैसी विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करना।
- विनियमित संस्थाएं; **RBI अधिनियम (1934), बैंकिंग विनियमन अधिनियम (1949), भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (2007)** आदि के तहत RBI द्वारा विनियमित संस्थाएं हैं।

---
[39] Targeted Long-Term Repo Operations

3.4. बैंकिंग और मौद्रिक नीति से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं (Key Concepts on Banking and Monetary Policy)

प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (Counter-Cyclical Capital Buffer: CCCB)	• केंद्रीय बैंक **बेसल-III मानदंडों का पालन करते हुए** देश में बैंकों के लिए कुछ निश्चित पूंजी पर्याप्तता मानदंड (Capital adequacy norms) निर्धारित करते हैं। **CCCB ऐसे मानदंडों का एक भाग** होता है, जिसकी गणना बैंक की **जोखिम-भारित ऋण लेखा बही** (Risk-weighted loan book) **के एक निश्चित प्रतिशत** के रूप में की जाती है।
	  ○ RBI द्वारा वर्ष 2015 में CCCB की रूपरेखा तैयार की गयी थी।
	• **CCCB व्यवस्था के दो तरफ़ा उद्देश्य है:**
	  ○ यह बैंकों के लिए अच्छे समय **(लाभ की स्थिति के दौरान) में पूंजी का एक बफर बनाना अनिवार्य करता है।** इसका उपयोग बैंक कठिन समय के दौरान वास्तविक क्षेत्रक (real sector) में ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए कर सकते हैं।
	  ○ यह अत्यधिक ऋण वृद्धि के समय **बैंकिंग क्षेत्र को अंधाधुंध /अविवेकी रूप से उधार देने से रोकता है।** ऐसे ऋण से अक्सर प्रणालीगत जोखिम का निर्माण होता है।

बैंकएश्योरेंस (Bancassurance)	• बैंकएश्योरेंस **किसी बैंक और एक बीमा कंपनी के बीच एक व्यवस्था है। यह व्यवस्था बीमा कंपनी को अपने उत्पादों को बैंक के ग्राहकों को बेचने की अनुमति देती है।** • **बैंक** बीमा उत्पाद बेचकर **अतिरिक्त राजस्व अर्जित करते हैं तथा बीमा कंपनियां अपने उत्पादों की** बिक्री के लिए कार्यबल बढ़ाए बिना **अपने ग्राहक आधार का विस्तार करती हैं।**
ऋण-जमा अनुपात {Credit-Deposit (CD) Ratio}	• ऋण-जमा अनुपात यह दर्शाता है कि **बैंकों ने जमा के रूप में कितना धन जुटाया है तथा उसमें से कितना धन ऋण के रूप में वितरित किया है।** • कम ऋण-जमा अनुपात जमा वृद्धि की तुलना में **अपेक्षाकृत खराब क्रेडिट वृद्धि (अर्थात ऋण की मांग में कमी)** का संकेत देता है। इससे यह पता चलता है कि **बैंक अपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं** कर रहे हैं। • **उच्च ऋण-जमा अनुपात का अर्थ अपेक्षाकृत धीमी जमा वृद्धि के साथ ऋण की मजबूत मांग है।** यदि अनुपात एक निश्चित स्तर से ऊपर है, तो यह संसाधनों पर दबाव को दर्शाता है।

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा {Prompt Corrective Action (PCA) Framework}	• किसी बैंक द्वारा **जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR), निवल NPA और RoA पर विनियामक सीमाओं का उल्लंघन करने पर PCA फ्रेमवर्क** को लागू किया जाता है।
	• **PCA के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों में शामिल हैं:**
	  ○ लाभांश वितरण/लाभ के प्रेषण पर प्रतिबंध,
	  ○ घरेलू और/या विदेशी शाखा विस्तार पर प्रतिबंध,

ऋण माफी (Loan waive-off)	• ऋण माफी के तहत **ऋण खाते को पूरी तरह से रद्द** कर दिया जाता है। इसका अर्थ है कि **कर्जदार उस विशेष कर्ज को चुकाने से मुक्त हो जाता है।** • प्राकृतिक विपदाओं के समय किसानों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कर्ज माफी एक प्रकार की आर्थिक मदद है।
ऋण को बट्टे खाते में डालना (Loan write-off)	• कर्जदाता डिफॉल्ट ऋण / NPAs को अपनी **परिसंपत्ति से हटा देता है** और इस राशि को **हानि के रूप में** दर्शाता है। • कोई बैंक किसी ऋण को बट्टे खाते में तब डालता है, जब ऋणी अर्थात् उधारकर्ता उस ऋण का भुगतान नहीं करता है या उस ऋण की वसूली की बहुत कम संभावना होती है। • **ऋण को बट्टे खाते में डालना, कर्जदारों से कानूनी तरीकों से कर्ज की वसूली करने के बैंकों के अधिकार को नहीं छीनता है।** • **पिछले पांच वर्षों में बैंक बट्टे खाते में डाले गए ऋणों में से केवल 1,32,036 करोड़ रुपये ही वसूल कर पाए हैं।**
निधियों की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर (MCLR)	• MCLR को **भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2016** से प्रभावी किया था। **MCLR एक बैंक की न्यूनतम ब्याज दर को संदर्भित करती है। बैंक इस दर से नीचे** RBI द्वारा अनुमत कुछ मामलों को छोड़कर ऋण नहीं दे सकते हैं। • इस प्रकार, यह **बैंक के लिए एक आंतरिक मानदंड या संदर्भ दर** है। • **इसे चार घटकों के आधार पर परिकलित किया जाता है:** निधियों की सीमांत लागत, नकद आरक्षित अनुपात (CRR) का ऋणात्मक भार खाता, परिचालन की लागत और अवधि (tenor) प्रीमियम। • अवधि (tenor) से तात्पर्य बैंक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए शेष बचा समय है। • **लाभ: यह वित्तीय संस्थानों में उनकी ब्याज दरों का निर्धारण करने में पारदर्शिता लाती है।**

	• RBI के अनुसार, यह पूर्ववर्ती **आधार दर (Base rate) पद्धति की तुलना में अधिक प्रभावी** है।
वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR)	• **वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एक छमाही रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट भारतीय वित्तीय प्रणाली की वित्तीय स्थिरता के समक्ष मौजूद खतरों और उनका सामना करने की इसकी क्षमता को दर्शाती है। गौरतलब है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है।** • बैंकिंग प्रणाली **बिना पूंजीकरण के भी** व्यापक आर्थिक संकटों का सामना कर सकती है। **इसे निम्नलिखित कई संकेतकों द्वारा रेखांकित किया गया है:** ○ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) के **जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR)** नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। ○ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA)** अनुपात और निवल NPA अनुपात में गिरावट आई है। ○ **प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात (PCR)** में सुधार हुआ है।
रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना (Reserve bank-Integrated ombudsman Scheme)	• यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौजूदा निम्नलिखित **तीन लोकपाल योजनाओं** को एकीकृत करती है- ○ बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 ○ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए लोकपाल योजना, 2018; और ○ डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019. • इस योजना के अंतर्गत RBI के अधीन विनियमित संस्थाओं (बैंक/ NBFCs/ प्रणाली भागीदार) द्वारा प्रदान की जाने वाली **सेवाओं में कमी** से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का लागत-मुक्त समाधान प्रदान किया जाएगा। ऐसा समाधान तब किया जाएगा, जब ग्राहकों की शिकायतों का उनकी संतुष्टि तक हल नहीं किया गया है या विनियमित संस्थाएं 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देती हैं। • यह योजना **'सेवा में कमी'** को शिकायत दर्ज करने के आधार के रूप में परिभाषित करती है। साथ ही, अपवर्जनों (exclusions) की एक सूची भी निर्धारित करती है। ○ किसी भी भाषा में भौतिक और ई-मेल शिकायतों की प्राप्ति तथा प्रारंभिक प्रोसेसिंग के लिए **RBI की चंडीगढ़ शाखा में एक केंद्रीकृत रिसीप्ट और प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किया गया है।**
दक्ष (Daksh)	• दक्ष एक वेब-आधारित एंड-टू-एंड वर्कफ़्लो एप्लिकेशन है। इसके माध्यम से RBI, **बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) जैसी पर्यवेक्षित संस्थाओं में अनुपालन संस्कृति को और बेहतर बनाने** के उद्देश्य से अनुपालन अपेक्षाओं की निगरानी अधिक कुशलता से करेगा। • **उद्देश्य:** बैंकों, NBFCs आदि जैसी पर्यवेक्षित संस्थाओं (Supervised Entities: SEs) में अनुपालन संबंधी संस्कृति में और सुधार करना। • यह एप्लिकेशन एकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से **निर्बाध संचार, निरीक्षण योजना, निष्पादन, साइबर घटना रिपोर्टिंग और विश्लेषण** को भी सक्षम करेगा। यह प्लेटफॉर्म कभी भी-कहीं भी सुरक्षित पहुंच को सक्षम बनाएगा।
लघु वित्त बैंक (SFBs)	• लघु वित्त बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत **पंजीकृत पब्लिक लिमिटेड कंपनी** है। इन्हें **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के तहत लाइसेंस** प्रदान किया जाता है। ○ इन बैंकों की घोषणा **केंद्रीय बजट 2014-15 में** की गयी थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन बैंकों की स्थापना से संबंधित **दिशा-निर्देश नवंबर 2014** में जारी किए थे। • SFB की स्थापना का मुख्य उद्देश्य **वित्तीय समावेशन का विस्तार** करना है। ये मुख्य रूप से उन आबादी तक पहुंचना चाहते हैं, जहां तक **बैंकिंग सेवा नहीं** पहुंची है या कम पहुंची है। • उन्हें **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण** (priority sector lending: PSL) के रूप में वर्गीकृत पात्र क्षेत्रों को **75% ऋण देना आवश्यक है।** • लघु वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी **200 करोड़ रुपये** है।

	• SFBs की कुल **परिसंपत्ति 500 करोड़ रुपये** होने पर तीन वर्ष के भीतर उन्हें स्वयं को **सूचीबद्ध कराना अनिवार्य** है।
	• **लघु वित्त बैंक के समक्ष चुनौतियां:**
	  ○ उधार की उच्च लागत,
	  ○ पिछले वर्ष महामारी के बाद से ऋण वृद्धि में तेज गिरावट आदि।

खाता संग्राहक (अकाउंट एग्रीगेटर) प्रणाली	• खाता संग्राहक प्रणाली को वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। यह **भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित एक संस्थान (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - खाता संग्राहक लाइसेंस धारक)** की तरह है।
	• इस प्रणाली में कोई व्यक्ति एक वित्तीय संस्थान (जिसमें उसका खाता है) में सुरक्षित एवं डिजिटल रूप से अपनी जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर सकता है। साथ ही, इस जानकारी को खाता संग्राहक नेटवर्क में किसी अन्य विनियमित वित्तीय संस्थान के साथ साझा भी कर सकता है।
	
	• **खाता संग्राहक प्रणाली का महत्व**
	  ○ उपयोगकर्ता के सभी बैंक खातों का एक ही स्थान पर एक **समेकित डैशबोर्ड** होगा। इससे सभी बैंकिंग दस्तावेज़ एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाएंगे।
	  ○ भौतिक (कागजी) रूप में साझा किए गए खाते से संबंधित डेटा के दुरुपयोग की घटनाओं में कमी आएगी।
	  ○ चूंकि, केवल उपयोगकर्ता की सहमति के बाद ही डेटा साझा किया जाएगा, इसलिए **डेटा साझा करने का नियंत्रण उपयोगकर्ता के हाथों** में होगा।

लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (Cost Inflation Index: CII)	• **आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए CII को अधिसूचित किया है।** • **CII को प्रति वर्ष आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अधिसूचित किया जाता है।** इसके माध्यम से 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)' या CPI (शहरी) के आधार पर **मूल्यों का मुद्रास्फीति दर से मिलान किया जाता है।** 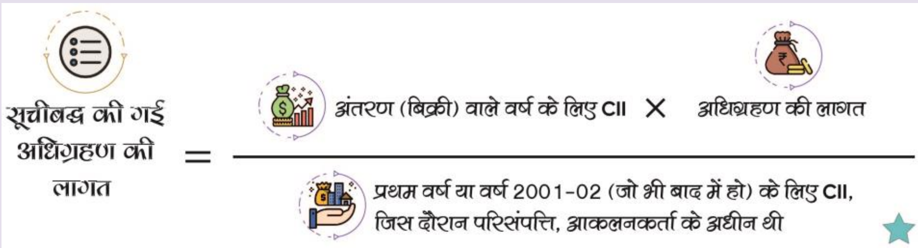 ○ CII = पिछले वर्ष के CPI से 75% औसत वृद्धि दर्ज की गई है। • इसका उपयोग करदाता मुद्रास्फीति के लिए समायोजन के बाद **पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाले 'दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ'** (LTCG) की गणना के लिए किया जाता है।

लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट (लिबोर) (London Interbank Offered Rate: LIBOR)	• लिबोर, **इंटरबैंक बाजार में असुरक्षित अल्पकालिक उधार** के लिए **'वैश्विक संदर्भ दर'** है।
	  ○ यह **अल्पकालिक ब्याज दरों के लिए एक मानदंड के रूप में** कार्य करता है। साथ ही, इसका उपयोग **'मुद्रा दर विनिमय'** (currency rate swaps) और **'बंधक'** (Mortgages) के लिए किया जाता है।
	  ○ इसे **'इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज' प्रशासित** करता है।

	○ इसकी गणना पांच मुद्राओं के लिए की जाती है: **स्विस फ्रैंक, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन और अमेरिकी डॉलर।** ○ यह **वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य का सूचक** है। इसके अलावा, यह केंद्रीय बैंकों की **आसन्न नीतिगत दरों के** प्रभावों का विश्लेषण करता है। ○ लिबोर के भारतीय समकक्ष को **'मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट'** (MIBOR) के रूप में जाना जाता है। इसकी गणना 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया' द्वारा की जाती है।
बॉण्ड यील्ड कर्व इनवर्सन (Bond yield curve inversion)	• यील्ड कर्व बॉण्ड से प्रतिफल की ग्राफिक रूप में प्रस्तुति है। सामान्य परिस्थितियों में, **जब कोई लंबी अवधि के लिए उधार** देता है, तो उसे **अधिक प्रतिफल प्राप्त** होती है। • हालांकि, ऐसा समय भी आता है, जब यह बॉण्ड यील्ड कर्व उलट (इनवर्टेड) जाता है। इस स्थिति में लघु अवधि वाले बॉण्ड लंबी अवधि वाले बॉण्ड की तुलना में अधिक प्रतिफल का भुगतान करते हैं। यह स्थिति संकेत देती है कि निवेशक **भविष्य में कमजोर संवृद्धि की उम्मीद** कर रहे हैं। • यह स्थिति **मंदी का संकेत** देती है।
यील्ड कर्व कंट्रोल (YCC)	• **बैंक ऑफ जापान की 'यील्ड कर्व कंट्रोल'** की नीति के कारण **जापानी येन** में और अधिक गिरावट दर्ज की गई है। • **यील्ड कंट्रोल कर्व को 'ब्याज दर उच्चतम सीमा'** भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य यील्ड कर्व के कुछ हिस्से के साथ ब्याज दरों को नियंत्रित करना है। • इसके अंतर्गत, एक **केंद्रीय बैंक दीर्घावधि ब्याज दर को लक्षित** करता है। इसके बाद इस **लक्षित दर को प्राप्त** करने के लिए आवश्यकतानुसार बॉण्ड का **क्रय या विक्रय** किया जाता है। • YCC **बॉण्ड की कीमतों** पर केंद्रित है। यह **क्वांटिटेटिव ईजिंग (QE)** और **अल्पकालिक ब्याज दर लक्ष्यों** से भिन्न है। YCC के तहत, अल्पकालिक ब्याज दरों को शून्य के करीब निर्धारित करके आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। • यह मंदी को रोकने या इसके प्रभाव को कम करने में मदद करता है
वैश्विक मुद्रास्फीतिजनित मंदी (Global Stagflation)	• मुद्रास्फीतिजनित मंदी **आर्थिक संवृद्धि दर में कमी और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी की स्थिति** को दर्शाती है। वैश्विक मुद्रास्फीतिजनित मंदी कई साधनों के माध्यम से घरेलू संवृद्धि और मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकती है। • विदेशी मांग में कमी, **निर्यात मांग तथा समग्र घरेलू मांग और आर्थिक संवृद्धि को कम** करती है। • वैश्विक कमोडिटी की उच्च कीमतें **प्रत्यक्ष और लागत-वृद्धि साधनों के माध्यम से घरेलू मुद्रास्फीति को बढ़ाती हैं।** साथ ही, समग्र मांग को कमजोर करके घरेलू संवृद्धि को भी कम करती हैं। • उच्च वैश्विक मुद्रास्फीति और वैश्विक ब्याज दरें पूंजी के प्रवाह को प्रभावित करती हैं। इससे **घरेलू मुद्रा पर दबाव बढ़ता** है।
रुपये के नोटों और सिक्कों के डिजाइन से संबंधित प्रावधान	• **करेंसी नोट** के डिजाइन में किसी भी बदलाव के लिए **RBI के केंद्रीय बोर्ड और केंद्र सरकार** की मंजूरी आवश्यक है। • **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934** के अनुसार, भारत में बैंक नोट जारी करने का **"एकमात्र अधिकार"** RBI के पास है। • **सिक्का अधिनियम, 2011** के अनुसार, अलग-अलग मूल्यवर्ग के **सिक्कों** को डिजाइन करने और उन्हें ढालने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है।
भारतीय राज्यों हेतु सांख्यिकीय हैंडबुक (Handbook Of Statistics on Indian States)	• इसे **2016 से भारतीय रिज़र्व बैंक प्रतिवर्ष** जारी कर रहा है। • **इसमें अलग-अलग राज्यों के लिए एक ही स्थान पर तुलना करने योग्य डेटा शामिल होते हैं। ये डेटा विविध आयामों (जैसे आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकीय) से संबंधित होते हैं। ये डेटा वर्ष 1951 से वर्ष 2021-**

	22 तक की अलग-अलग समयावधियों से ग्रहण किए गए हैं। • वर्तमान संस्करण में दो नए खंड स्वास्थ्य और पर्यावरण शामिल किए गए हैं।
कानूनी इकाई पहचानकर्ता {Legal Entity Identifier (LEI)}	• हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (USBs) के बड़े उधारकर्ताओं के लिए LEI पर दिशा-निर्देशों का विस्तार** किया है। • LEI एक **20 अक्षरों का अल्फा-न्यूमेरिक कोड है।** इसका वैश्विक **संदर्भ डेटा प्रणाली** बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रणाली **किसी भी क्षेत्राधिकार में प्रत्येक कानूनी इकाई (जो एक वित्तीय लेनदेन की पक्षकार है) की विशेष रूप से पहचान करती है।** • LEI, बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए **वित्तीय डेटा रिपोर्टिंग प्रणालियों की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार करता है।**

4. भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार (Payment Systems and Financial Markets)

4.1. भुगतान प्रणाली (Payment Systems)

4.1.1. भारतीय भुगतान प्रणाली (Indian Payment System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **"भुगतान विजन (Payments Vision) 2025"** नामक एक दस्तावेज जारी किया है। यह दस्तावेज वर्ष 2025 तक की अवधि के लिए भारतीय भुगतान प्रणाली पर RBI के विचार और उसके विज़न को प्रदर्शित करता है।

भारत में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का क्रम–विकास

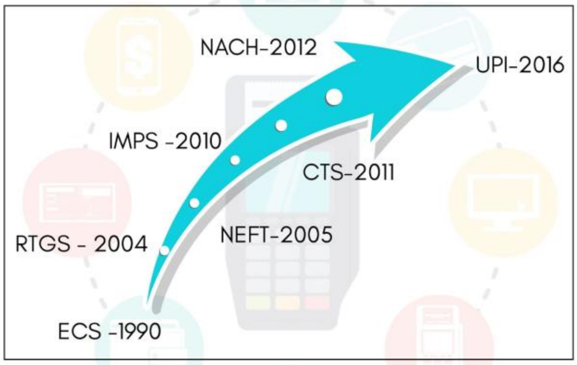

ECS - इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज;
RTGS - रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट;
NEFT - नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर;
IMPS - इमीडिएट पेमेंट सर्विस;
CTS - चेक ट्रंकेशन सिस्टम;
NACH - नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस;
UPI - यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस;

भारत में भुगतान प्रणाली

- **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के तहत RBI द्वारा इसका **विनियमन** और **पर्यवेक्षण किया जाता है।**
- **भुगतान प्रणाली का महत्व:** ये **आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता** और **वित्तीय समावेशन** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- भुगतान और अन्य वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण में बढ़ोतरी होने से, भारतीय भुगतान प्रणाली भी तीव्र गति से डिजिटल होती जा रही है। UPI, IMPS और PPI के रूप में होने वाले डिजिटल भुगतान में इसी अवधि के दौरान क्रमशः **104%, 39% और 13%** की CAGR[40] दर्ज की गई है।
    - साथ ही, कागजी लिखतों के उपयोग में उल्लेखनीय कमी आई है। मात्रा की दृष्टि से **कुल खुदरा भुगतान में इसकी हिस्सेदारी 3.83%** से घटकर **0.88%** हो गई है।

भुगतान विजन 2025

- भुगतान विजन 2021 के **चार गोलपोस्ट्स (प्रतिस्पर्धा, लागत, सुविधा और आत्मविश्वास) के आधार पर भुगतान विजन 2025** ने निम्नलिखित **पांच एंकर गोलपोस्ट निर्धारित किए हैं:**
    - पहुंच, ग्राहक केंद्रितता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल पैठ में बढ़ोतरी के लिए **अखंडता, समावेशन, नवाचार, संस्थागतकरण** और **अंतर्राष्ट्रीयकरण।**
- **मुख्य विषय: सभी के लिए, सभी जगह, सभी समय ई-भुगतान** (4ई)[41]
- **विजन:** प्रत्येक उपयोगकर्ता को **सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती** ई-भुगतान विकल्प प्रदान करना।

संबंधित सुर्ख़ियां

आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (Aadhaar-enabled Payment System: AePS)

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने AePS में एक नई सुरक्षा विशेषता को लागू किया है। इसके तहत **लाइवलीनेस ऑफ फिंगरप्रिंट** नामक विशेषता को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य फर्जी फिंगरप्रिंट का उपयोग करके धोखाधड़ी से पैसे निकालने के मामलों को रोकना है।

[40] Compound Annual Growth Rate/ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

[41] Core Theme: E-payments for everyone, everywhere, everytime (4Es)

- AePS, बैंक आधारित मॉडल है। इसके तहत पॉइंट ऑफ सेल (माइक्रो ए.टी.एम.) पर **ऑनलाइन इंटरऑपरेबल वित्तीय समावेशन लेन-देन** किया जाता है। यह कार्य आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी बैंक के **व्यवसाय प्रतिनिधि (Business Correspondent)** के माध्यम से किया जाता है।
- AePS सेवा **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)** प्रदान करता है।
- इसके तहत लेन-देन करने हेतु ग्राहक को **बैंक का नाम, आधार संख्या और फिंगरप्रिंट** की आवश्यक होती है।

4.1.2. भुगतान प्रणाली संबंधी अन्य घटनाक्रम (Other developments in Payment Systems)

भारतीय रिज़र्व बैंक-डिजिटल भुगतान सूचकांक {Reserve Bank of India - Digital Payments Index (RBI-DPI)}	• RBI-DPI ने मार्च 2021-मार्च 2022 के बीच महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रदर्शन किया है। इसने देश भर में **डिजिटल भुगतानों को तेजी से अपनाने और इसके विस्तार का संकेत** दिया है। • इसे 01 जनवरी, 2021 को लॉन्च किया गया था। इसका आधार वर्ष **मार्च 2018 है।** 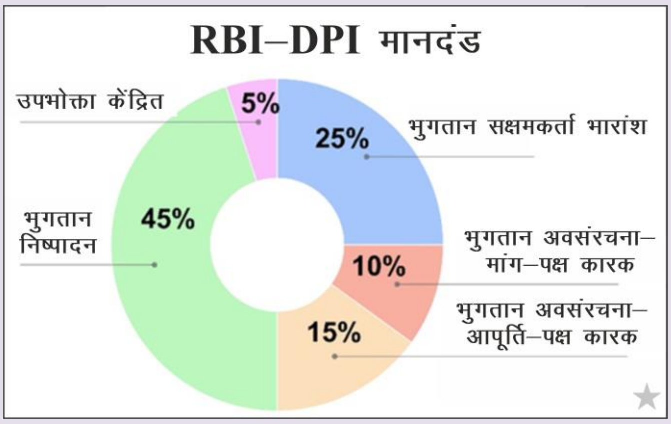 • **इसमें 5 व्यापक मानदंड शामिल हैं,** जो देश में अलग-अलग समय अवधि में डिजिटल भुगतान की गहनता और व्यापकता को मापने में सक्षम हैं।

भुगतान प्रणाली डेटा संग्रहण (Storage of Payment System Data: SPSD)	• **RBI ने वर्ष 2018 में निर्देश** जारी किए थे। **इन निर्देशों के अनुसार,** सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि उनके द्वारा संचालित **भुगतान प्रणालियों से संबंधित संपूर्ण डेटा केवल भारत में ही एक सिस्टम में संग्रहीत किया जाएगा।**
	  ○ इसमें **भुगतान प्रणाली प्रदाता** (भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत) तथा बैंक एवं भुगतान पारितंत्र की कोई अन्य इकाई (जो भारत में भुगतान सेवाएं प्रदान करती है) शामिल हैं।
	  ○ **CERT-In के पैनल में शामिल ऑडिटर सिस्टम का ऑडिट करता है।** इसके बाद डेटा को RBI की मंजूरी के बाद ही विदेशी विनियामक के साथ साझा किया जा सकता है।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (Bharat Bill Payment System: BBPS)	• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंक भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों (BBPOUs) के लिए न्यूनतम नेटवर्थ आवश्यकता को घटा दिया है। इसे 100 करोड़ रुपये से घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है। • BBPS का संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) करता है। यह RBI की अवधारणात्मक प्रणाली है। • **BBPS के उद्देश्य:** एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली को लागू करना है। यह प्रणाली एजेंटों के नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों को अंत:प्रचालनीय और सुगम बिल भुगतान सेवाएं (विद्युत, दूरसंचार, गैस इत्यादि) प्रदान करती है। साथ ही यह भुगतान के कई मोड सक्षम करती है और भुगतान की तत्काल पुष्टि प्रदान करती है। • इसमें एक **केंद्रीकृत ग्राहक शिकायत निवारण** तंत्र भी है। इसमें एक समान ग्राहक सुविधा शुल्क भी शामिल है।
मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR)	• MDR **बैंक को भुगतान की जाने वाली लागत है।** इसे एक व्यापारी अपने ग्राहकों से डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के बदले बैंक को चुकाता है। • इसे **लेन-देन की गई राशि के प्रतिशत** में व्यक्त किया जाता है।
वित्तीय आसूचना एकक- भारत (Financial Intelligence Unit India: FIU-IND)	• FIU-IND को वर्ष 2004 में **केंद्रीय, राष्ट्रीय एजेंसी** के रूप में स्थापित किया गया था। यह **संदिग्ध वित्तीय लेन-देनों से संबंधित जानकारी की** प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी FIUs से **प्राप्ति, प्रोसेसिंग, विश्लेषण और प्रसार** के लिए जिम्मेदार है। ○ यह एजेंसी वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली **आर्थिक खुफिया परिषद (EIC)** को रिपोर्ट करती है। • FIU-IND एग्मोंट ग्रुप का सदस्य है। यह ग्रुप 166 FIUs की एक संयुक्त संस्था है। • एग्मोंट ग्रुप **धन-शोधन, आतंकवाद के वित्त-पोषण आदि से निपटने** के लिए FIUs को सुरक्षित रूप से

	विशेषज्ञता और वित्तीय खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

4.2. फिनटेक (FinTech)

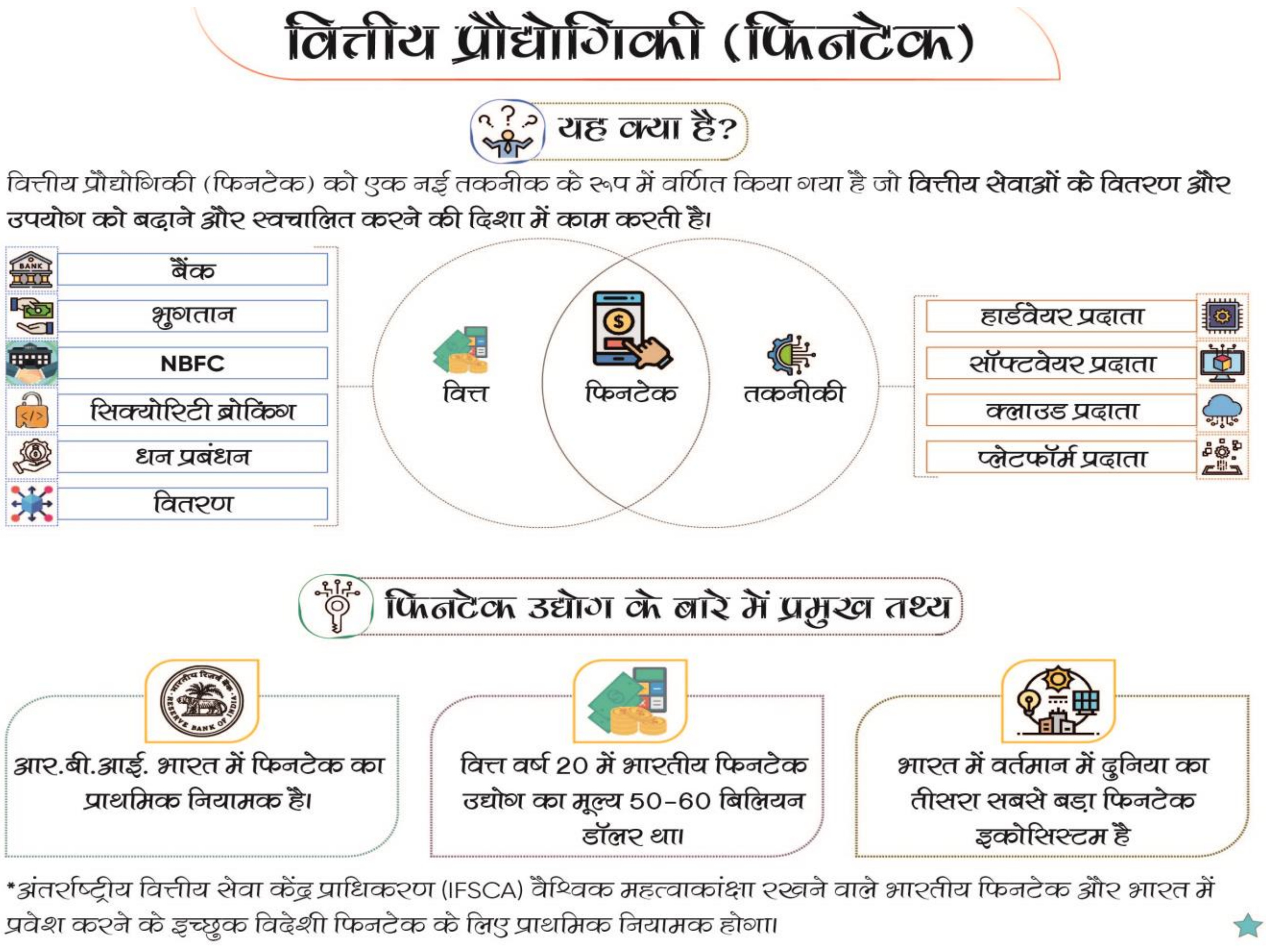

4.2.1. केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (Central Bank Digital Currency: CBDC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने **केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) पर एक पायलट प्रोजेक्ट** शुरू किया है। इस संबंध में CBDC पर एक **कॉन्सेप्ट नोट** भी जारी किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- कॉन्सेप्ट नोट का उद्देश्य **CBDCs के बारे में** सामान्य रूप से और **डिजिटल रुपये के पहले से तय किए गए फीचर्स के बारे में** विशेष रूप से जागरूकता पैदा करना है।
- इस नोट में **डिजिटल रुपये को "बैंक नोट" की परिभाषा में शामिल करने की बात कही गई है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 में संशोधन** करने का प्रस्ताव रखा गया है।

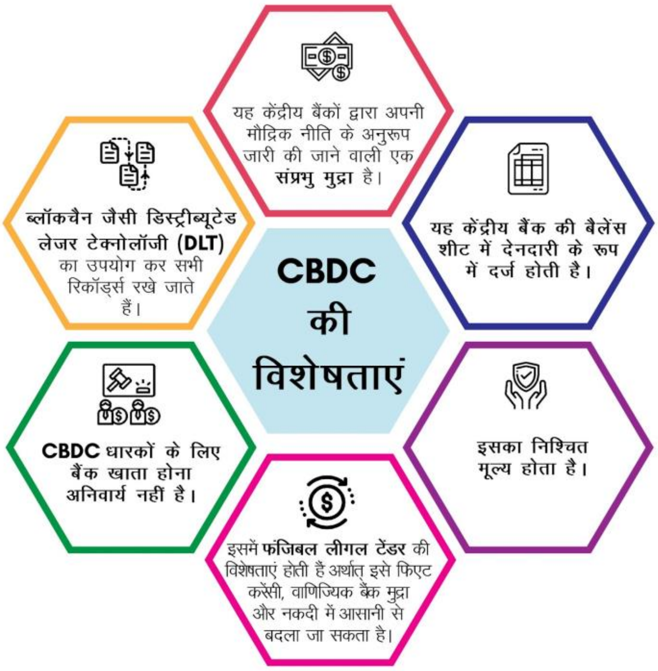

कॉन्सेप्ट नोट द्वारा प्रस्तावित डिजिटल रुपया

- कॉन्सेप्ट नोट के अनुसार, डिजिटल रुपये का डिजाइन परिस्थितियों और आवश्यकता के आधार पर तय किया जाएगा, ताकि यह वित्तीय एवं मौद्रिक स्थिरता के लक्ष्यों के अनुकूल हो।
- **तदनुसार-**
    - **CBDCs को दो रूपों में लाया जा सकता है:**
        - **CBDC-खुदरा:** यह संभवतः सभी निजी क्षेत्रक, गैर-वित्तीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होगी।
        - **CBDC-थोक:** यह सभी के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इसे वित्तीय संस्थानों के इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया जाएगा।
    - **ई-रुपी** को **'टोकन आधारित'** या **'खाता-आधारित'** बनाया जा सकता है।
        - **टोकन-आधारित** CBDC बैंक नोट्स की तरह **धारक विपत्र/लिखत (Bearer Instrument)** होगी। इसका आशय यह हुआ कि टोकन धारक को ही उसका स्वामी माना जाएगा।
        - **खाता-आधारित प्रणाली** के तहत CBDC के सभी धारकों के **बैलेंस और लेन-देन के रिकॉर्ड को रखना अनिवार्य होगा।**
    - **नियंत्रित गोपनीयता के सिद्धांत** का पालन किया जा सकता है। करेंसी के छोटे लेन-देन में गोपनीयता या अनामिता (बेनामी) बनाई रखी जा सकती है। वहीं बड़े लेन-देन के मामलों में इसे ट्रेसेबल बनाया जा सकता है अर्थात् करेंसी के स्रोत का पता लगाया जा सकता है। यह भौतिक नकदी से जुड़ी **अनामिता** के समान होगी।
    - **भारत में CBDC टू-टियर वाले इनडायरेक्ट मॉडल पर आधारित होगी** (विवरण के लिए

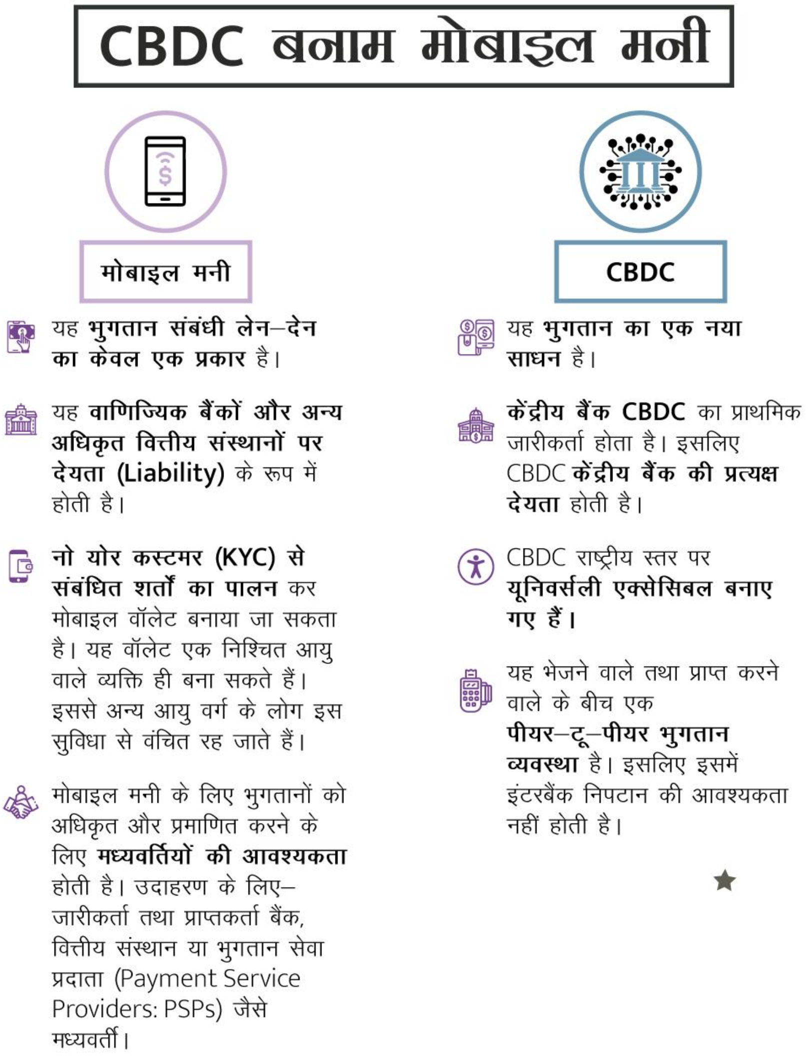

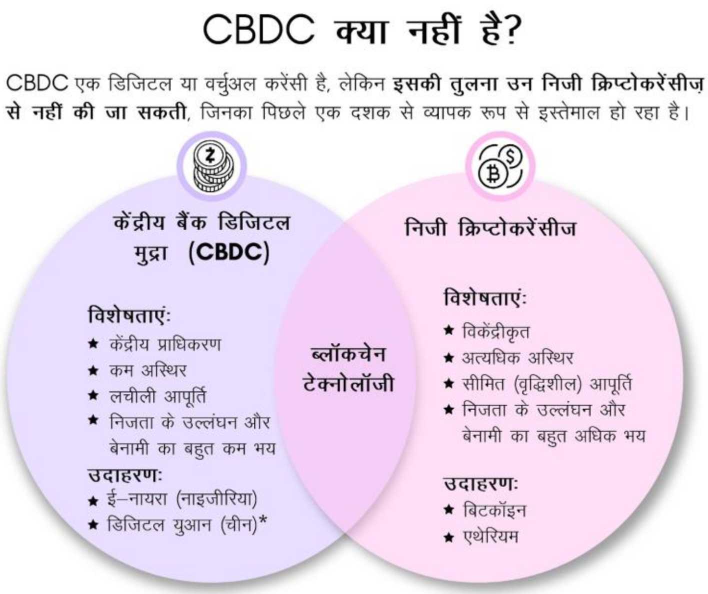

 © Vision IAS

इन्फोग्राफिक देखें)।

  - **CBDC गैर-लाभकारी होगी,** अर्थात् इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

CBDC के बारे में

- RBI के अनुसार, CBDC **केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी की गई एक वैध मुद्रा है।**
- इसे देश की **फिएट करेंसी (सरकार द्वारा जारी मुद्रा)** के तय मूल्य से जोड़ दिया जाता है। साथ ही यह बैंक नोट के मौजूदा भौतिक स्वरूप को डिजिटल रूप प्रदान करती है **(वित्त विधेयक 2022)।**

> **संबंधित सुर्खियां**
>
> **क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (CARF)**
>
> - **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने 'क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (CARF)' जारी किया।** CARF क्रिप्टो-एसेट्स में लेनदेन पर एक मानकीकृत तरीके से **कर-संबंधी सूचनाओं की रिपोर्टिंग** का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य इस तरह की सूचनाओं के स्वचालित रूप से आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।
>   - CARF का लक्ष्य **क्रिप्टोकरेंसी जैसी डिजिटल परिसंपत्ति का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय कर वंचना (Tax Evasion) की प्रवृत्ति से निपटना** है
> - इसमें ऐसे **एक्सचेंज, ब्रोकर और ATM ऑपरेटर** शामिल हैं, जो प्रासंगिक क्रिप्टो परिसंपत्तियों के बीच लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं।
> - CARF के तहत **व्यक्ति और संस्था, दोनों प्रकार के ग्राहकों की पहचान करने में उचित सतर्कता प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है।** इसी तरह की सतर्कता स्वयं की पहचान करने के लिए नियंत्रणकर्ता व्यक्तियों के मामले में भी आवश्यक की गई है।

- **RBI अधिनियम, 1934** के अनुसार, **केवल RBI** को भारत में **बैंक नोट जारी करने का अधिकार** है।
  - सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 के तहत केंद्र सरकार द्वारा केवल सिक्के और 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है।

4.2.2. टोकनाइजेशन (Tokenisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के **कार्ड-ऑन-फाइल (CoF) टोकनाइजेशन मानदंड** 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं।

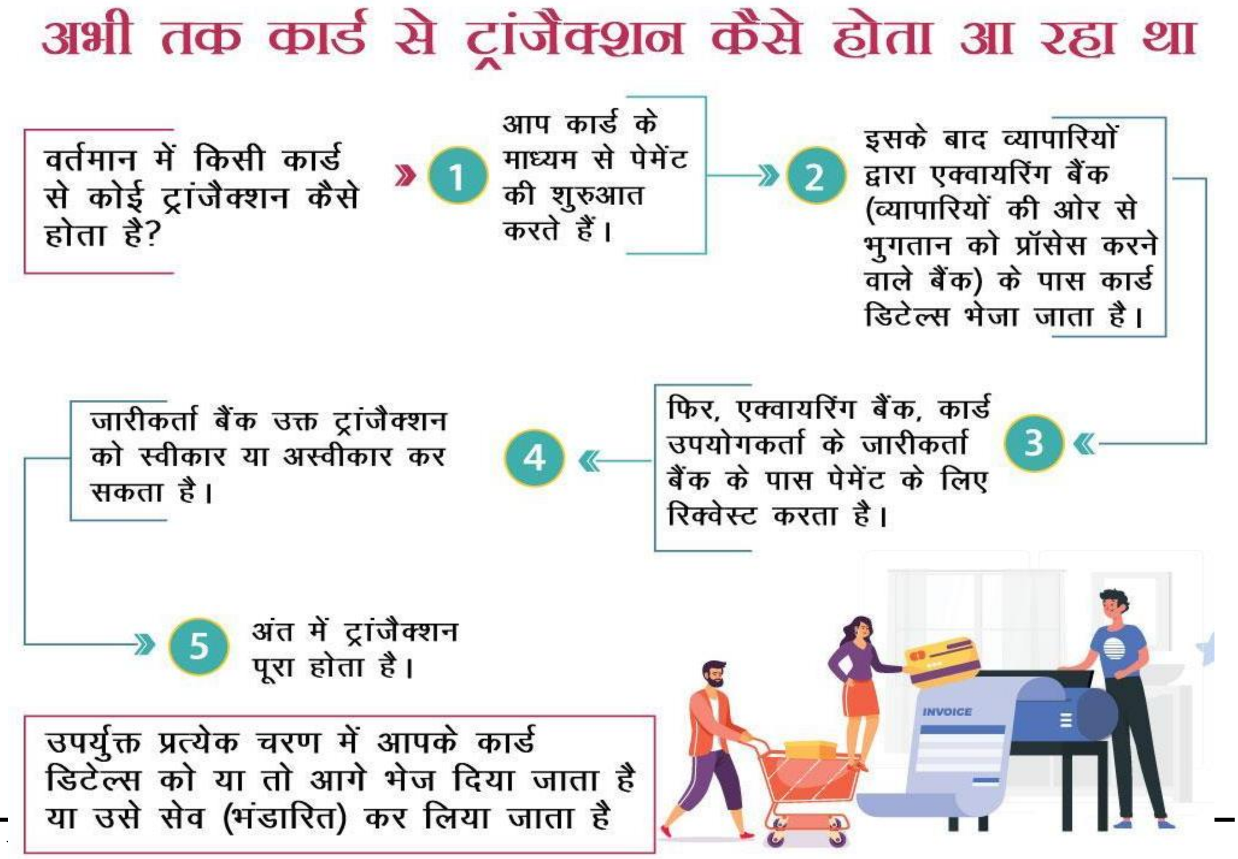

©

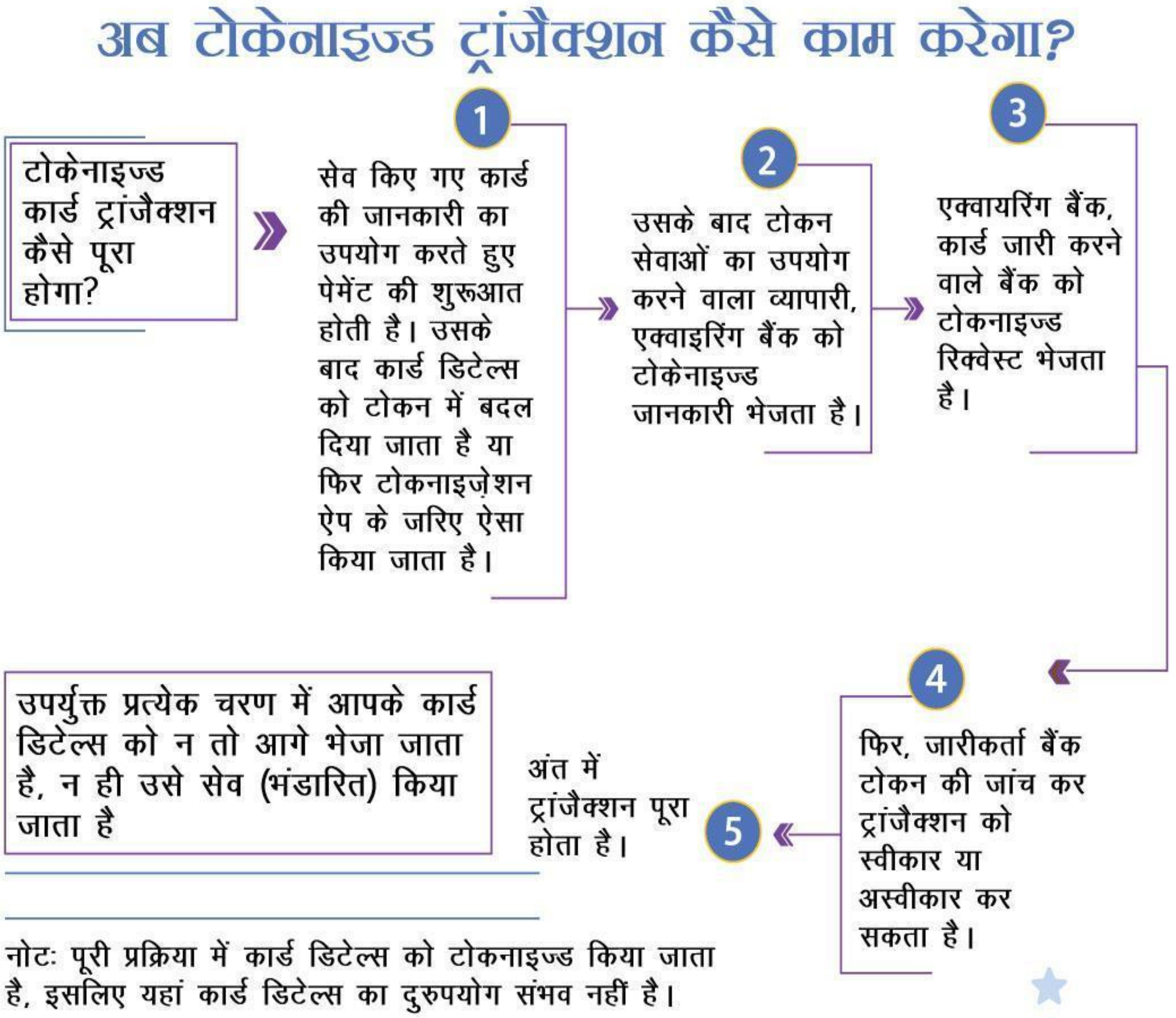

CoF टोकनाइजेशन के बारे में

- **टोकनाइजेशन** में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के पर्सनल डिटेल को एक यूनिक कोड यानी टोकन में बदल दिया जाता है। इसके माध्यम से कार्ड संबंधी संवेदनशील विवरण साझा किए बिना ही खरीदारी की जा सकती है।
    - **CoF आधारित लेन-देन** में कार्डधारक किसी ऑनलाइन मर्चेंट को अपने मास्टरकार्ड या वीजा के विवरण को स्टोर करने का अधिकार देता है। इस प्रकार मर्चेंट, कार्डधारक द्वारा की जाने वाली ऑनलाइन खरीद की रकम को स्टोर किए गए खाते (कार्ड) से काट लेता है।
    - काड्र्स, टोकन अनुरोधकर्ता (ऑनलाइन मर्चेंट) और आईडेंटिफाईड डिवाइस के लिए **अलग-अलग टोकन** होगा। दूसरे शब्दों में, यदि आप कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो आपको प्रत्येक कार्ड को हर मर्चेंट के पास टोकनाइज कराना होगा।
- टोकनाइजेशन की प्रक्रिया के तहत, ऑनलाइन भागीदार या व्यापारी को **ऑनलाइन लेन-देन की प्रक्रिया के लिए कार्ड नंबर, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू (CVV) कोड और एक्सपायरी डेट को स्टोर करने की अनुमति नहीं है।**
- टोकनाइजेशन और डी-टोकनाइजेशन (टोकन को वास्तविक कार्ड विवरण में बदलना) **केवल निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है-**
    - कार्ड जारी करने वाले बैंक द्वारा, या
    - वीजा/मास्टरकार्ड/रुपे कार्ड जारीकर्ताओं द्वारा, जिन्हें अधिकृत कार्ड नेटवर्क माना जाता है।
- 60-70% भारतीय कार्डधारकों को कवर करते हुए **10 करोड़ से अधिक टोकन पहले ही तैयार किए जा चुके हैं।**

© Vision IAS

4.2.3. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface: UPI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी UPI भुगतान को स्वीकार करने वाले देशों में शामिल हो गया है। इससे पहले भूटान, नेपाल और सिंगापुर जैसे देश UPI भुगतान को स्वीकार कर चुके हैं।

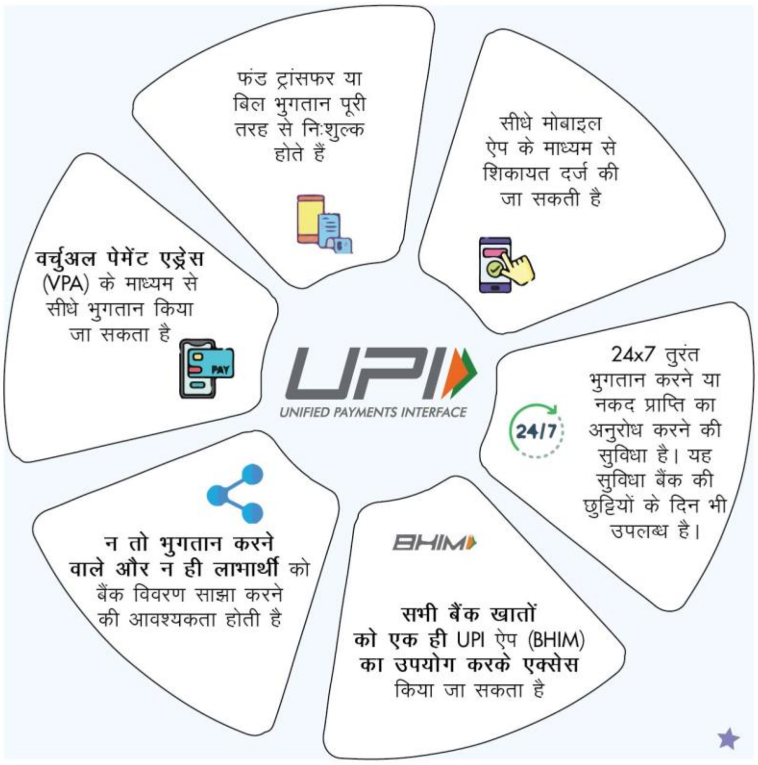

UPI और इसकी विशेषताएं

- UPI एक **तत्काल रियल टाइम भुगतान प्रणाली है**। इसे **अंतर-बैंक लेनदेन** की सुविधा के लिए NPCI द्वारा विकसित किया गया है।
- यह विश्व स्तर पर **सबसे सफल रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली** है। यह **व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) तथा व्यक्ति से व्यापारी (P2M) लेनदेन** में सुगमता और सुरक्षा प्रदान करती है।

NPCI के बारे में

- NPCI, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) की एक पहल है। इसकी स्थापना **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के प्रावधानों के तहत की गयी है। इसका उद्देश्य भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना निर्मित करना है।
- **यह निम्नलिखित का संचालन करता है:**
  - **रुपे/RuPay** (स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान प्रणाली),
  - **IMPS** (इमीडिएट पेमेंट सर्विस),
  - **NACH** (नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस),
  - **ABPS** (आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम),
  - **NFS** (नेशनल फाइनेंशियल स्विच),
  - **भारत बिल पेमेंट सिस्टम** आदि।
- 2020 में, NPCI ने **थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स (TPAPs)** के लिए UPI के माध्यम से किए जाने वाले लेन-देन की समग्र मात्रा पर **30% वॉल्यूम कैप** लगाने का निर्देश जारी किया था। **वॉल्यूम कैप के संदर्भ में इस समय-सीमा को बढ़ाकर दिसंबर, 2024** कर दिया गया है।

शब्दावली को जानें

- **BHIM:** BHIM (भारत इंटरफेस फॉर मनी) मोबाइल फोन के माध्यम से तेज, सुरक्षित, विश्वसनीय कैशलेस भुगतान सक्षम करता है। यह NPCI द्वारा संचालित और विकसित है।
  - इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। **BHIM देश में वित्तीय समावेशन** को बढ़ावा देता है और **समाज को डिजिटल रूप से सशक्त** बनाता है।
- **TPAPs:** ये ऐसे 'स्टैंडअलोन एप्लिकेशन' या ऐसे एप्लिकेशन को संदर्भित करते हैं जो मौजूदा मूल प्रोग्राम/ सिस्टम में अतिरिक्त कार्यक्षमता (Functionality) को जोड़ते हैं।
  - इसके उदाहरणों में Amazon Pay, Google Pay, CRED, Bajaj Finserv जैसे एप्लिकेशन शामिल हैं।

4.2.4. डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (Digital Banking Units: DBUs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (DBUs) राष्ट्र को समर्पित की हैं। यह डिजिटल बैंकिंग के लाभों को देश के कोने-कोने में पहुंचाने के सरकार प्रयासों का हिस्सा है।

डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (DBUs)

DBU क्या है?

एक DBU **विशिष्ट फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट या हब होता है।** इसमें **डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश** करने के लिए एक न्यूनतम डिजिटल बुनियाद ढांचा स्थापित किया जाता है। यह ढांचा मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को भी डिजिटल रूप देने में सक्षम होता है।

सेवाओं के लिए साधन

स्वयं सेवा क्षेत्र (Self-service Zone): यहां ग्राहक ATM, कैश डिपॉजिट मशीन एवं इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हैं, पासबुक को प्रिंट कर सकते हैं तथा बिल और करों आदि का भुगतान कर सकते हैं।	**डिजिटल सहायता क्षेत्र (Digital Assistance Zone):** यह ग्राहकों को बचत खाता खोलने, चालू खाता खोलने जैसी कई सेवाओं को शुरू करने में सहायता करता है।

DBUs की अन्य विशेषताएं

ग्राहकों को **लागत प्रभावी/सुगम पहुंच** प्रदान करने में सहायक	बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के मामले में **डिजिटल अनुभव को और बढ़ाने में सहायक**	**प्रभावी, कागज रहित, सुरक्षित और कनेक्टेड** बैंकिंग माहौल उपलब्ध कराने में सहायक	**अधिकतर सेवाएं वर्ष भर व चौबीसों घंटे सेल्फ-सर्विस मोड में उपलब्ध**

डिजिटल बैंकों के संदर्भ में तीन प्रमुख मॉडल

नियो बैंक	पारंपरिक बैंकों की स्वायत्त इकाईयां	समग्र रूप से संचालित होने वाले (लाइसेंस प्राप्त) बैंक
• नियो बैंक (या नए जमाने के बैंक), केवल ऑनलाइन संचालित होने वाली ऐसी वित्तीय तकनीकी कंपनियां हैं जो वर्तमान लाइसेंसधारी बैंकों के साथ साझेदारी करके जमा, कार्ड और भुगतान इत्यादि जैसी विशिष्ट बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं। • उदाहरण के लिए- ओपन टेक्नोलॉजीस, रेजरपेएक्स, डेव इत्यादि।	• ये इकाईयाँ मूल रूप से **पारंपरिक बैंकों की नए जमाने के बैंकिंग गतिविधियों को संपन्न करती हैं जो स्वायत्त रूप से कार्य करती हैं** और स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले नियो बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। • **उदाहरण के लिए**- 811 (कोटक महिंद्रा बैंक) और योनो (भारतीय स्टेट बैंक)	• ये **स्वतंत्र डिजिटल बैंक हैं** जो बैंकिंग विनियामकों द्वारा पूरी तरह से विनियमित होते हैं तथा अपने ब्रांड और तुलन पत्र (बैलेंस शीट) पर कार्य करते हैं। • **उदाहरण के लिए**- स्टारलिंग, वीबैंक, ककाओ, मोन्जो, N26 आदि।

अन्य संबंधित तथ्य

- RBI के दिशा-निर्देशों के आधार पर देश भर में 75 DBUs स्थापित किए गए हैं। इन्हें **सरकार, RBI, इंडियन बैंक एसोसिएशन और इसके सहभागी बैंकों की एक संयुक्त पहल के रूप में स्थापित किया गया है।**

© Vision IAS

- DBUs की स्थापना उन सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs)[42] के द्वारा की जा सकती है, जिनके पास डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव है। हालांकि **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक** और **लोकल एरिया बैंक** DBUs की स्थापना के लिए पात्र नहीं हैं।
  - उदाहरण के लिए- 75 DBUs स्थापित करने वाले बैंकों में 11 सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक, 12 निजी क्षेत्रक के बैंक और एक लघु वित्त बैंक शामिल है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, **RBI से अनुमति लिए बिना भी टियर-1 से लेकर टियर-6 केंद्रों/ शहरों में DBUs खोल सकते हैं।** ऐसा वे तभी कर सकते हैं जब उन्हें किसी कारणवश विशेष रूप से प्रतिबंधित न किया गया हो।

4.2.5. डिजिटल ऋण (Digital Lending)

सुर्ख़ियों में क्यों?

डिजिटल ऋण पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देश 1 दिसंबर, 2022 से प्रभावी हो गए हैं।

डिजिटल ऋण के बारे में

- **ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित संस्थाओं पर लागू होंगे:**
  - **वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, NBFCs जैसी विनियमित संस्थाएं (REs),** और
  - उपर्युक्त संस्थाओं से जुड़ी **ऋण सेवा प्रदाता संस्थाएं (LSPs)**, जो अलग-अलग प्रकार की अनुमत ऋण सुविधा सेवाएं प्रदान करती हैं।
- **उद्देश्य:** इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से डिजिटल लेंडिंग मानदंडों को सख्त कर दिया है। **ये दिशा-निर्देश उपभोक्ताओं को निम्नलिखित से संरक्षण प्रदान करेंगे:**
  - डेटा गोपनीयता के उल्लंघन से,
  - अनुचित व्यावसायिक आचरण से,
  - अत्यधिक ब्याज दरों की वसूली से, और
  - फिनटेक कंपनियों द्वारा ऋण वसूली के लिए अपनाए जाने वाले अनैतिक तरीकों से।

दिशा-निर्देशों की आवश्यकता क्यों?

- **अवैध रूप से ऋण देने वाले ऐप की संख्या में वृद्धि।**
- **डेटा गोपनीयता को लेकर चिंता:** फिनटेक NBFC[43] ऋणदाता **वैकल्पिक क्रेडिट मॉडल** बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वे ग्राहकों की खरीदारी और खर्च करने के पैटर्न के विश्लेषण हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स आदि तकनीकों को अपना रहे हैं।
- **गैर-विनियमित संस्थाएं:** ऋण देने में भाग लेने वाली गैर-विनियमित संस्थाएं और "अभी खरीदें बाद में भुगतान करें (BNPL)[44]" जैसे ऋण प्रदान कर रही हैं। ऐसे लेन-देन की रिपोर्ट क्रेडिट ब्यूरो को नहीं दी जाती है, क्योंकि वे 'क्रेडिट' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।

---

[42] Scheduled Commercial Banks

[43] Non-Banking Financial Company/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

- BNPL पॉइंट ऑफ़ सेल का एक रूप है जहां उपभोक्ताओं/ खरीदारों को भुगतान करने के लिए आमतौर पर 15-30 दिन की ब्याज मुक्त अवधि प्रदान की जाती है।
- **क्रिप्टो ऋण में वृद्धि:** ऋण देने वाले **DeFi[45] प्लेटफॉर्म** क्रिप्टो एसेट्स का उपयोग करके ऋण देने और ऋण लेने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये किसी भी विनियामकीय ढांचे की अनुपस्थिति में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

मुख्य प्रावधान

मानदंड	दिशा-निर्देश
ग्राहक सुरक्षा और आचरण संबंधी आवश्यकताएं (Customer Protection and Conduct requirements)	• **ऋण देना, सर्विसिंग और पुनर्भुगतान:** सभी ऋण सर्विसिंग, **पुनर्भुगतान** आदि ऋणी (उधारकर्ता) द्वारा सीधे विनियमित संस्थाओं (REs)[46] के बैंक खाते में संपन्न किए जाएंगे। इसमें किसी तीसरे पक्ष के **पास-थ्रू अकाउंट/ पूल अकाउंट** को शामिल नहीं किया जाएगा। • **क्रेडिट सीमा:** ऋणी की स्पष्ट सहमति के बिना क्रेडिट सीमा में कोई भी स्वचालित वृद्धि नहीं हो सकती है। • **ऋणी के लिए प्रकटीकरण:** REs सभी डिजिटल उत्पादों से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट से पहले ऋणी को एक **महत्वपूर्ण तथ्य विवरण (KFS)**[47] प्रदान करेंगे। ○ KFS में डिजिटल ऋणों से संबंधित सभी लागत (All-inclusive Cost) का विवरण शामिल होता है। इसमें वार्षिक प्रतिशत दर (APR)[48], वसूली तंत्र, नामित शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण, कूलिंग-ऑफ/ लॉक-अप पीरियड आदि का विवरण होता है। • **शिकायत निवारण:** REs यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके और उनके द्वारा नियुक्त LSPs के पास एक नोडल शिकायत निवारण अधिकारी हो। इस अधिकारी का कार्य फिनटेक/ डिजिटल ऋण संबंधी शिकायतों/ ऋणी द्वारा उठाए गए मुद्दों से निपटना होगा। • बैंक द्वारा 30 दिनों के भीतर ऋणी की शिकायत का समाधान करना होगा। समाधान नहीं होने की स्थिति में, ऋणी RBI की एकीकृत लोकपाल योजना[49] के तहत CMS[50] पोर्टल पर शिकायत कर सकेंगे।

प्रौद्योगिकी और डेटा संबंधी आवश्यकताएं (Technology and Data Requirement)	• **डेटा का संग्रह, उपयोग और किसी तीसरे पक्ष के साथ डेटा साझाकरण:** डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (DLAs)[51] द्वारा डेटा का संग्रह आवश्यकता-आधारित होना चाहिए। साथ ही, यह ऑडिट ट्रेल वाले ऋणी की पूर्व और स्पष्ट सहमति के साथ किया जाना चाहिए।
	• **डेटा का भंडारण:** REs यह सुनिश्चित करेंगे कि:
	  ○ REs से संबद्ध LSPs/ DLAs कुछ बुनियादी न्यूनतम डेटा को छोड़कर ऋणी की व्यक्तिगत जानकारी को भंडारित न करें। उदाहरण के लिए- नाम, पता, ग्राहक का कॉन्टैक्ट डिटेल आदि।
	  ○ DLAs से जुड़े सिस्टम में कोई बायोमेट्रिक डेटा भंडारित/ एकत्रित नहीं किया जाए।
	  ○ संपूर्ण डेटा केवल भारत के भीतर स्थित सर्वरों में भंडारित हो।
	  ○ ऋणी को ग्राहक डेटा के भंडारण के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
	• **व्यापक गोपनीयता नीति:** REs डेटा गोपनीयता और ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।
	• **प्रौद्योगिकी मानक:** REs यह सुनिश्चित करेंगे कि वे और उनसे संबद्ध LSPs भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों द्वारा निर्धारित साइबर सुरक्षा पर अलग-अलग प्रौद्योगिकी मानकों/ आवश्यकताओं का अनुपालन करें।

[44] Buy Now Pay Later

[45] Decentralized Finance/ विकेंद्रीकृत वित्त

[46] Regulated Entities

[47] Key Fact Statement

[48] Annual Percentage Rate

[49] Integrated Ombudsman Scheme

[50] Complaint Management System/ शिकायत प्रबंधन प्रणाली

[51] Digital Lending Apps

© Vision IAS

विनियामकीय ढांचा (Regulatory Framework)	• **ऋणों की रिपोर्टिंग:** REs को यह सुनिश्चित करना होगा कि DLAs के माध्यम से दिए गए किसी भी ऋण की सूचना क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ (CICs) को दी जाए, भले ही इसकी प्रकृति या अवधि कुछ भी हो। • 'BNPL' मॉडल के जरिए ऋण देने की सूचना भी CICs को दी जानी चाहिए। • **कूलिंग ऑफ/ लॉक-अप पीरियड:** एक ऋणी को कूलिंग ऑफ पीरियड (RE के बोर्ड द्वारा निर्धारित) के दौरान बिना किसी दंड के मूलधन और आनुपातिक APR का भुगतान करके डिजिटल ऋण से बाहर निकलने का एक स्पष्ट विकल्प दिया जाएगा। • **LSPs के संबंध में उचित सावधानी और अन्य आवश्यकताएं:** REs को डिजिटल ऋण देने के लिए LSP के साथ साझेदारी करने से पहले उचित सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही, उनके द्वारा नियुक्त LSP के आचरण की आवधिक समीक्षा भी की जानी चाहिए।

4.3. वित्तीय बाजार (Financial Markets)

4.3.1. क्रेडिट रेटिंग (Credit Rating)

सुर्ख़ियों में क्यों?

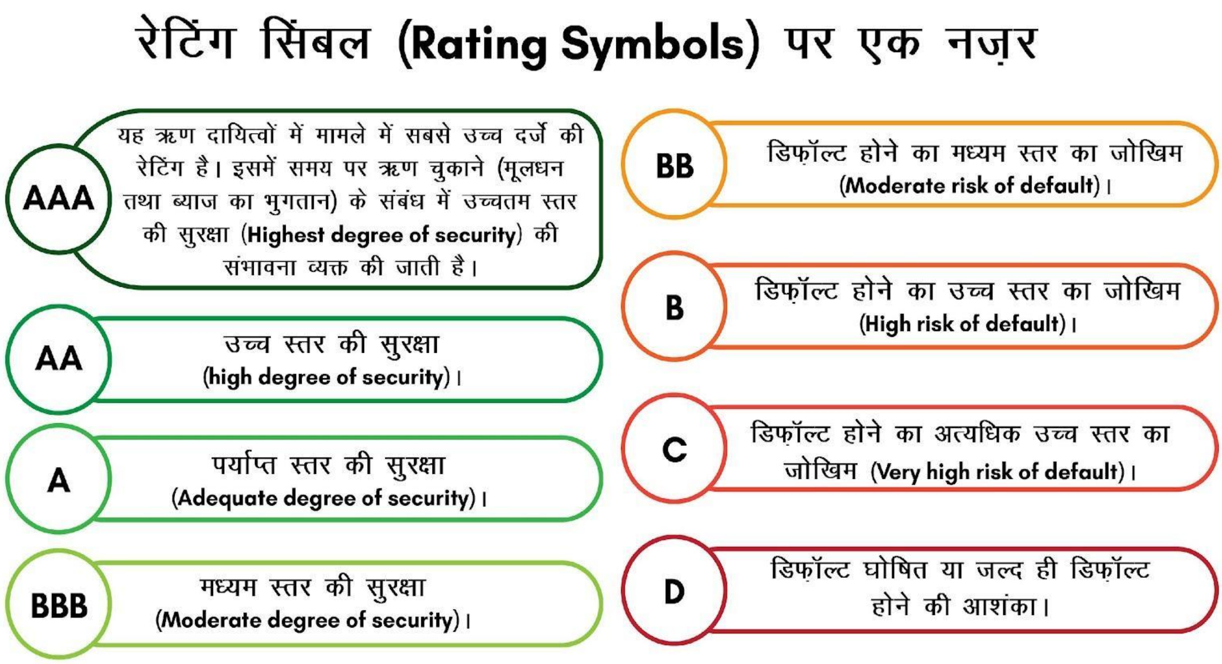

सेबी (SEBI) ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRAs) द्वारा उपयोग किए जाने वाले रेटिंग स्केल के मानकीकरण से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदु:**
  - इसमें जारीकर्ता रेटिंग (Issuer Rating) या कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग के लिए **प्रतीकों और उनकी परिभाषाओं का मानकीकरण किया गया है।**
    - **रेटिंग प्रतीकों** (AAA, AA, A, BBB, BB, B, C और D) के उपसर्ग (Prefix) के रूप में CRAs का पहला नाम प्रयोग किया जाना चाहिए।
    - CRAs **तुलनात्मक स्थिति को दर्शाने के लिए AA से C** तक की **श्रेणियों** के भीतर **मोडीफायर्स (+ या -) का उपयोग** कर सकते हैं।

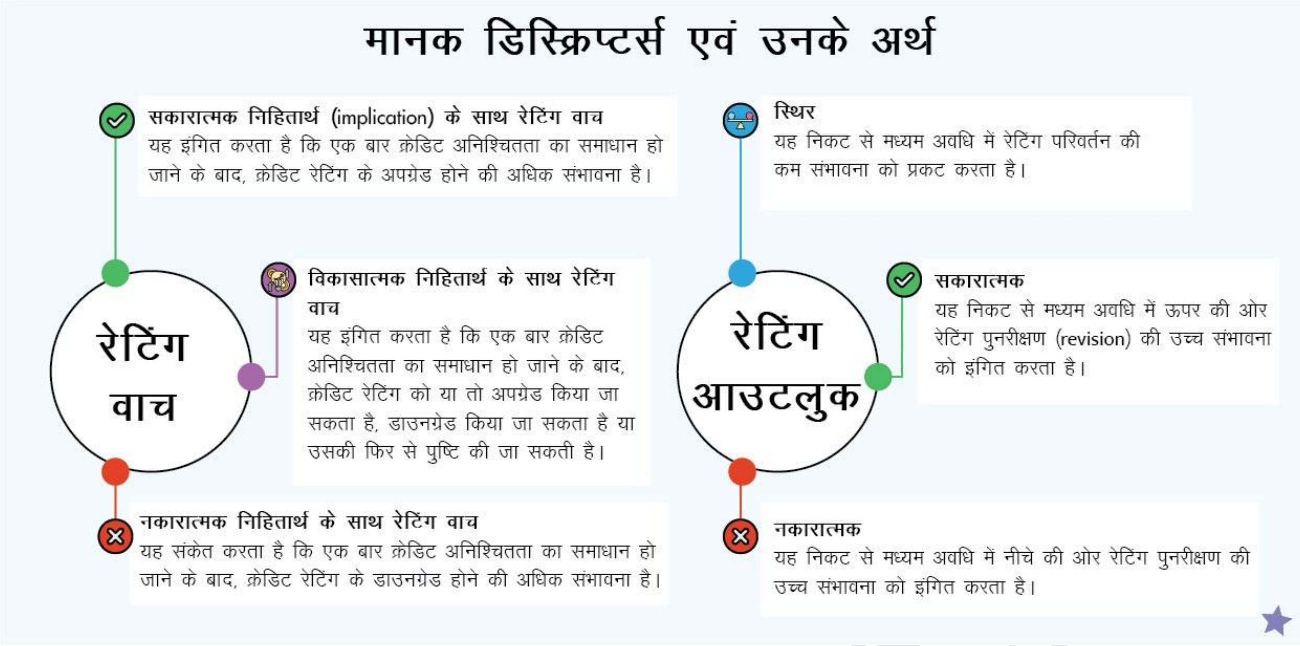

इसमें रेटिंग वॉच और रेटिंग आउटलुक के लिए मानक डिस्क्रिप्टर दिए गए हैं।

- **रेटिंग वॉच (Rating Watch):** यह **लघु अवधि में रेटिंग के घटने या बढ़ने** की अपेक्षित दिशा पर **CRAs के दृष्टिकोण** को बताता है।
- **रेटिंग आउटलुक (Rating Outlook):** यह **लघु से मध्यम अवधि में रेटिंग के घटने या बढ़ने** की अपेक्षित दिशा पर **CRAs के दृष्टिकोण को** बताता है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में

- **किसी इकाई (सरकार, व्यवसाय या व्यक्ति) द्वारा अपने वित्तीय दायित्वों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्णतः निभाने की क्षमता और इच्छा के बारे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की राय को क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है।**
  - क्रेडिट रेटिंग किसी देनदार द्वारा भुगतान में डिफ़ॉल्ट की संभावनाओं को भी दर्शाती है।
  - **क्रेडिट रेटिंग के उपयोगकर्ता-** क्रेडिट रेटिंग का उपयोग निवेशक, मध्यस्थ, जैसे- निवेश बैंक, ऋण जारीकर्ता और व्यवसाय एवं कॉर्पोरेशन करते हैं।
- **क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां किसी इकाई की गुणात्मक और मात्रात्मक विशेषताओं का विश्लेषण करके देनदार की क्रेडिट रेटिंग** का मूल्यांकन करती हैं।
  - वर्तमान में, तीन ऐसी प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, जो समग्र रेटिंग बाजार के 85% हिस्से को नियंत्रित करती हैं। ये हैं: **मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज, स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (S&P)** और **फिच ग्रुप।**

- **क्रेडिट रेटिंग के प्रकार:** निवेश ग्रेड रेटिंग का अर्थ है कि निवेश के लिए मज़बूत स्थिति है, जबकि **स्पेक्युलेटिव ग्रेड निवेश** के लिए उच्च जोखिम को दर्शाता है।

4.3.2. सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchange: SSE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सेबी (SEBI)[52] ने SSEs का उपयोग करके धन जुटाने वाले सामाजिक उद्यमों (Social Enterprises: SE) के लिए नियमों को अधिसूचित करने के बाद एक **फ्रेमवर्क** जारी किया है।

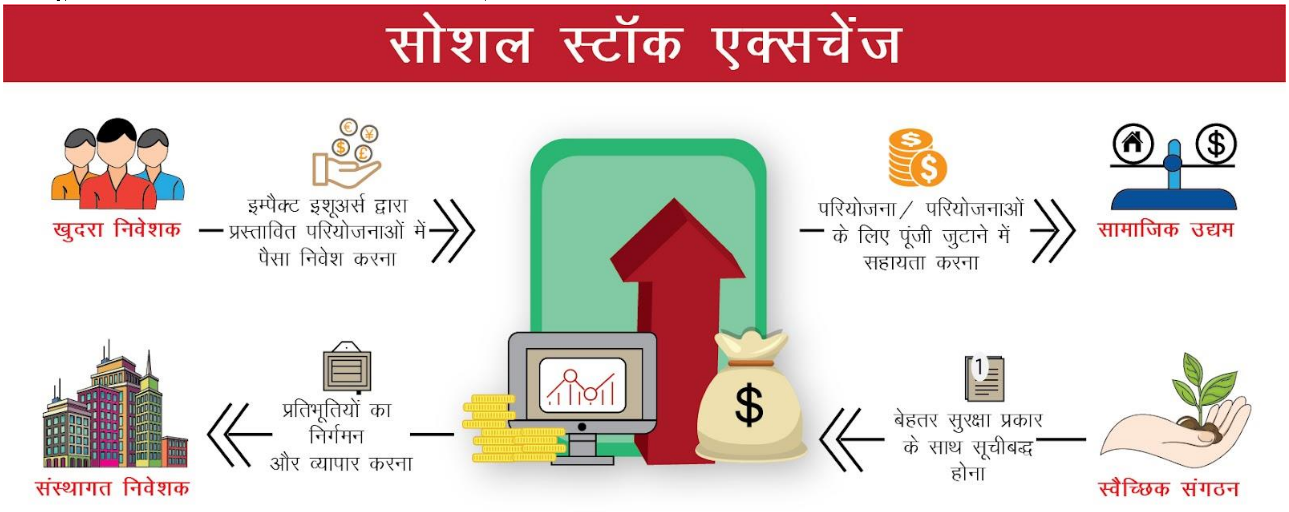

SSE के बारे में

- SSE एक **नई अवधारणा** है। वित्त मंत्री ने **वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में पहली बार** इसका उल्लेख किया था।
- यह निवेशकों को सामाजिक उद्यमों के शेयर खरीदने की अनुमति देता है, जिसकी एक आधिकारिक एक्सचेंज द्वारा जांच की गई हो।
    - सामाजिक उद्यम कंपनियां **लाभांश का भुगतान नहीं करती हैं और वे नॉन-प्रॉफिट आधार पर काम करती हैं। इन्हें सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए स्थापित किया जाता है।**
    - **SSEs के शेयरों के लिए BSE और NSE को सेबी की मंजूरी मिल गई है।**
- **कुछ सर्वाधिक प्रतिष्ठित SSEs हैं:** यूनाइटेड किंगडम (सोशल स्टॉक एक्सचेंज), कनाडा (सोशल वेंचर कनेक्शन), दक्षिण अफ्रीका (साउथ अफ्रीकन सोशल इनवेस्टमेंट एक्सचेंज), सिंगापुर (इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज) आदि।

इस फ्रेमवर्क के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- इन नियमों के तहत ऐसे **गैर-लाभकारी संगठनों (NPOs)** और **सामाजिक उद्यमों** को SSE में भाग लेने के लिए पात्र माना गया, जिनका प्राथमिक लक्ष्य **सामाजिक कार्य और समाज को लाभ पहुंचाना** है।
    - इसके तहत **16 व्यापक सामाजिक गतिविधियों की अनुमति** दी गई है। इनमें भुखमरी, गरीबी व कुपोषण का उन्मूलन; LGBTQIA+ से संबंधित मुद्दे आदि शामिल हैं।
- NPOs को एक **धर्मार्थ संस्था के रूप में पंजीकृत** होना चाहिए। पंजीकरण प्रमाण-पत्र **अनिवार्य रूप से अगले 12 महीनों के लिए वैध** होना चाहिए।
    - NPO **कम-से-कम तीन वर्ष पुराना** होना चाहिए।
- SSE के माध्यम से धन जुटाने वाले सामाजिक उद्यमों को **'एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट'** प्रस्तुत करनी होगी। यह रिपोर्ट प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

---

[52] Securities and Exchange Board of India/ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

- **'जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स'** के माध्यम से फंड जुटाने वाले NPOs को अपने **विजन, लक्षित समुदाय** आदि के बारे में बताना होगा।

4.3.3. सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड्स (Sovereign Green Bonds: SGrB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने **भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड की रूपरेखा को अंतिम रूप** दे दिया है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इस श्रेणी के तहत **16,000 करोड़ रुपये** के बॉण्ड जारी करने का लक्ष्य तय किया है।

सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड्स के बारे में

- **ग्रीन बॉण्ड** एक प्रकार की डेब्ट सिक्योरिटी होती है। इसे जलवायु और/ या पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मक योगदान देने वाली परियोजनाओं के लिए धन जुटाने या उनके लिए पुनर्वित्त उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया जाता है। गौरतलब है कि डेब्ट सिक्योरिटी वह ऋण होता है, जिसे मेच्योरिटी से पहले बाज़ार में दो पक्षों के बीच खरीदा या बेचा जा सकता है।
- **ग्रीन बॉण्ड और साधारण बॉण्ड के बीच महत्वपूर्ण अंतर** यह है कि ग्रीन बॉण्ड के तहत जुटाए गए धन का उपयोग केवल उन पहलों का समर्थन करने के लिए किया जाता है जो:
  - पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव उत्पन्न करती हैं या,
  - जिनमें सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु लाभ निहित होते हैं। इन परियोजनाओं में ग्रीन कंस्ट्रक्शन या हरित निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा जैसी परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं।
- **SGrB:** जब इन बॉण्ड्स पर **सॉवरेन बॉण्ड जारीकर्ता या सरकार द्वारा मूलधन एवं ब्याज के भुगतान की गारंटी** दी जाती है, **तब इन्हें सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड कहा जाता** है।

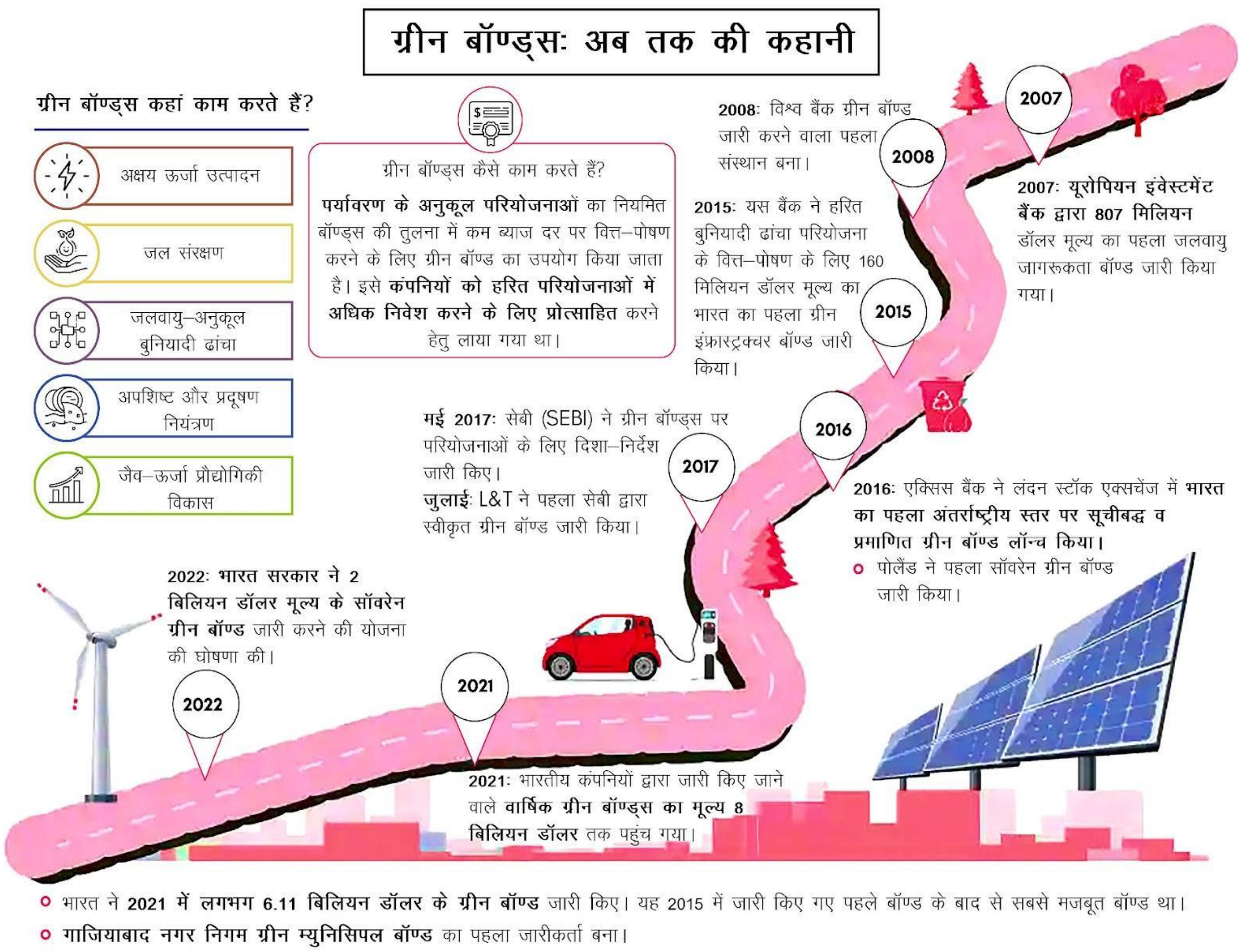

© Vision IAS

फ्रेमवर्क की प्रमुख विशेषताएं

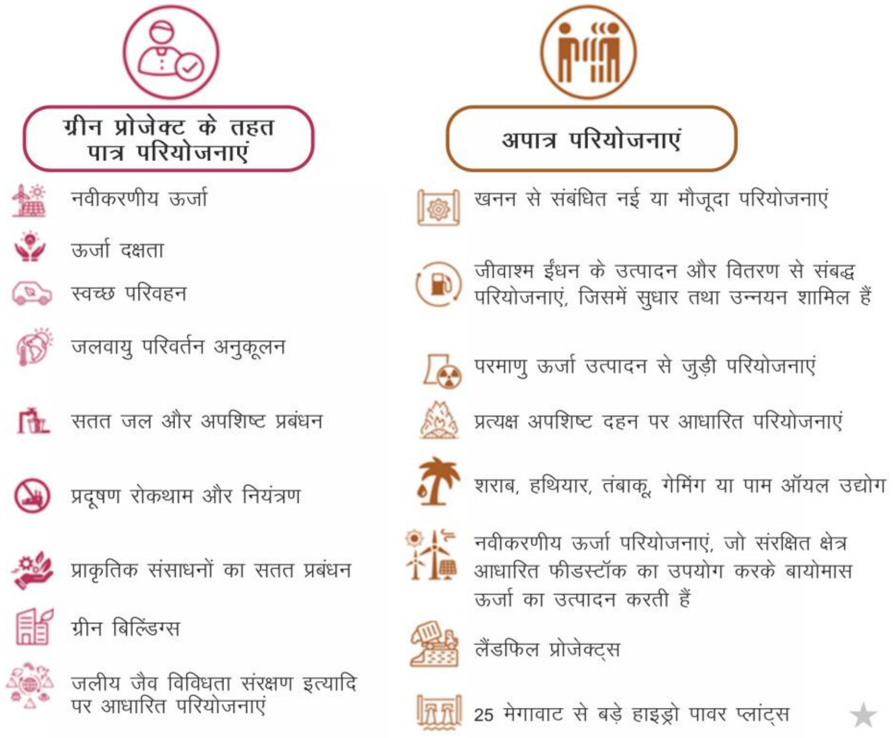

- **इस फ्रेमवर्क के तहत 'ग्रीन प्रोजेक्ट' उन्हीं परियोजनाओं को कहा जाता है, जो निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होती हैं:**
    - वह ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करती हो।
    - वह कार्बन और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती हो।
    - वह जलवायु लचीलापन और/ या अनुकूलन को बढ़ावा देती हो।
    - वह सतत विकास लक्ष्य (SDG) सिद्धांतों के अनुसार प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता में सुधार करती हो तथा उसे प्रोत्साहित करती हो।
- **ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी (GFWC)** वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर परियोजनाओं के चयन और मूल्यांकन में मदद करेगी।
- SGrB के तहत जुटाए गए धन को **भारत की संचित निधि (CFI)**[53] **में जमा** किया जाएगा। इस धन का उपयोग पात्र हरित परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए किया जाएगा।
    - **पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट सेल** SGrB के तहत जुटाए गए धन की निगरानी करेगी।
- इसके अंतर्गत **पात्र परियोजनाएं** (इन्फोग्राफिक देखें) पूंजीकरण या पुनः पूंजीकरण के लिए **सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड द्वारा जुटाए गए धन का उपयोग कर** सकेंगी।

सुर्ख़ियों में रहें अन्य प्रकार के बॉण्ड्स

- **फिक्स्ड रेट बॉण्ड:** ऐसे बॉण्ड की **पूरी अवधि के दौरान ब्याज दर निश्चित** होती है।
- **फ्लोटिंग रेट बॉण्ड:** वर्तमान बाजार संदर्भ दर के अनुसार **ब्याज दर घटती-बढ़ती (कूपन दर)** रहती है।
- **शून्य ब्याज दर बॉण्ड:** इसमें निवेशकों को कोई नियमित ब्याज प्राप्त नहीं होता है। इसमें जारीकर्ता बॉण्ड धारकों को केवल मूलधन का भुगतान करते हैं।
- **मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉण्ड (Inflation-indexed bonds):** इसमें कूपन भुगतान को मुद्रास्फीति के साथ समायोजित किया जाता है। इसके लिए भुगतानों को कुछ मुद्रास्फीति संकेतकों (जैसे CPI or WPI) से जोड़ा जाता है।
- **ब्लू बॉण्ड:** ब्लू बॉण्ड **ऋण लिखत (instrument)** का एक नया रूप है। **इसे स्वस्थ महासागरों और नीली अर्थव्यवस्थाओं के लिए निवेश का समर्थन करने हेतु जारी किया जाएगा।**
    - नीली अर्थव्यवस्था आर्थिक संवृद्धि, बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए समुद्री संसाधनों का संधारणीय उपयोग है।
- **रुपया मूल्यवर्ग के बॉण्ड या मसाला बॉण्ड: मसाला बॉण्ड एक** ऐसा शब्द है, जिसका उपयोग एक **वित्तीय साधन** के रूप में किया जाता है। इसके माध्यम **से भारतीय संस्थाएं** विदेशी बाजारों से **रुपये** मूल्यवर्ग में **धन जुटा सकती हैं।**
    - यह बॉण्ड **जारीकर्ताओं को मुद्रा जोखिम से बचाने** और इसकी बजाय इन बॉण्ड्स को खरीदने वाले **निवेशकों को जोखिम हस्तांतरित करने का एक प्रयास है।**
    - **RBI ने वर्ष 2015 में, भारतीय संस्थाओं** को विदेशों में रुपये मूल्य वर्ग वाले बॉण्ड जारी करने की **अनुमति प्रदान की थी।**

[53] Consolidated Fund of India

4.3.4. वित्तीय क्षेत्रक से संबंधित संस्थान और प्रणालियां (Institutions and Systems in the Financial Sector)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)

मुख्यालय मुंबई

उत्पत्ति: इसे भारत सरकार के **एक संकल्प के माध्यम से** 1988 में स्थापित किया गया था।

यह **भारतीय पूंजी बाजार की नियामक संस्था है।** यह 1992 में **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम,** 1992 के माध्यम से एक **सांविधिक निकाय** बन गया।

- 2015 में, SEBI **में फॉरवर्ड मार्केट कमिशन का विलय करके** SEBI **को कमोडिटी मार्केट के विनियमन का कार्य** भी सौंप दिया गया था।

उद्देश्य

- प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना;
- प्रतिभूति/शेयर बाजार के विकास को बढ़ावा देना; और
- प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

- SEBI **वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।**
- इसे **तीन मुख्य शक्तियाँ प्राप्त हैं: संरक्षणात्मक, विकासात्मक और नियमाकीय** कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए **अर्ध-न्यायिक, अर्ध-कार्यकारी और अर्ध-विधायी** शक्तियां।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (The Investor Education and Protection Fund Authority: IEPFA)	• इसे **भारत सरकार ने वर्ष 2016 में स्थापित** किया था। इसकी स्थापना **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तत्वावधान** में की गई है। • **IEPFA प्राधिकरण को निम्नलिखित जिम्मेदारी सौंपी गई है:** ○ **निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (IEPFA)** का प्रशासन करना, ○ निवेशकों को शेयरों, दावा न किए गए लाभांशों, **परिपक्व जमा/डिबेंचर आदि की वापसी करना,** ○ निवेशकों के बीच **जागरूकता को बढ़ावा देना** और निवेशकों के हितों की रक्षा करना इत्यादि।
स्कोर्स (SCORES)	• **स्कोर्स/SCORES वस्तुतः सेबी शिकायत निवारण प्रणाली है।** यह एक **वेब आधारित केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली** है। इसे प्रतिभूति बाजार से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए बनाया गया था। यह मुख्य रूप से सूचीबद्ध कंपनियों और पंजीकृत मध्यस्थों के खिलाफ शिकायतों से संबंधित है। • इस प्रणाली को **वर्ष 2011 में शुरू** किया गया था। **वर्ष 2018 से** शिकायत दर्ज करने के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है।
इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX)	• **गांधीनगर में भारत का पहला IBX** लॉन्च किया गया। इसका शुभारम्भ **'गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी' (गिफ्ट सिटी/GIFT CITY) के 'अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र'** (IFSC) में किया गया है। • **उद्देश्य:** देश में सोने का मानक मूल्य निर्धारित करना और छोटे **सर्राफा विक्रेताओं और ज्वैलर्स** के लिए कीमती धातु में व्यापार करना आसान बनाना।
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL)	• CDSL **सरकार द्वारा पंजीकृत एक शेयर डिपॉजिटरी है।** इसकी **स्थापना 1999 में** की गई थी। सरकारी स्वामित्व वाली **नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL)** इसकी समकक्ष है। • CDSL को **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (BSE) ने प्रमुख बैंकों के साथ संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया था। ये बैंक हैं-** भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ○ **यह उपभोक्ताओं को शेयरों को अभौतिक (Dematerialised) रूप में स्टोर करने में मदद करती है।** • यह **बाजार अवसंरचना में शामिल** एक संस्थान (Market Infrastructure Institution: MIIs) है। इसे **पूंजी**

 © Vision IAS

	बाजार संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ○ MIIs ऐसे संस्थान हैं, जो **व्यापार, निपटान और रिकॉर्ड रखने की बुनियादी सुविधाएं** प्रदान करते हैं।
फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL)	• FBIL का गठन वर्ष 2014 में **कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी** के रूप में किया गया था। यह **फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FIMMDA), फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FEDAI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) के संयुक्त स्वामित्व** वाली कंपनी है। • यह भारत में **मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा से संबंधित बेंचमार्क विकसित तथा शासित** करती है। ○ उदाहरण के लिए- **मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट (MIBOR), मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑफर रेट (MIFOR)** आदि। • इन बेंचमार्क्स का इस्तेमाल वित्तीय अनुबंधों के **मूल्य निर्धारण, निपटान और मूल्यांकन** के उद्देश्य से किया जाता है। ये **वित्तीय बाजारों की मूल्य अखंडता** के प्रमुख चालक हैं।
प्रतिभूति आयोगों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन(International Organization of Securities Commissions : IOSCO)	• इसे **1983 में स्थापित** किया गया था। IOSCO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय स्पेन की राजधानी **मैड्रिड में है।** • यह संगठन प्रतिभूति क्षेत्र के लिए वैश्विक मानक निर्धारक के रूप में दुनिया के **प्रतिभूति विनियामकों को एक मंच पर** लाता है। • यह वैश्विक विनियामक सुधार एजेंडा पर **G-20 और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB)** के साथ कार्य करता है। • भारत से, सेबी **IOSCO** का एक सामान्य सदस्य है; ○ **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** (IFSCA) एक सहयोगी (एसोसिएट) सदस्य है; और ○ **बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)** और ○ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसके संबद्ध (एफिलिएट) सदस्य हैं।

4.3.5. वित्तीय क्षेत्रक से संबंधित अन्य अवधारणाएं (Other Concepts in The Financial Sector)

नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड (NDF) बाजार	• नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड (NDF) एक **विदेशी मुद्रा विनिमय अनुबंध** है। इसके तहत, दो पक्ष **भविष्य में किसी तिथि को प्रचलित हाजिर दर (spot rate) के लिए मुद्राओं के विनिमय** हेतु सहमत होते हैं। • इसके अंतर्गत, एक **निश्चित तय तिथि पर और एक परिभाषित वायदा दर (forward rate) पर किसी सहमत राशि** के लिए एक NDF निर्धारित किया जाता है। • परिपक्वता पर, **वायदा दर की तुलना उस दिन की संदर्भित दर से** की जाती है। ○ पूर्व-सहमत वायदा दर और नियत दर के बीच के अंतर को **अमेरिकी डॉलर जैसी परिवर्तनीय मुद्रा** में निर्धारित किया जाता है।
पैसिव फंड्स (Passive Funds)	• पैसिव फंड ऐसे निवेश साधन हैं, जो **बाजार सूचकांक या विशिष्ट बाजार खंड** को दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETFs) और इंडेक्स फंड। ○ एक एक्टिव फंड के विपरीत, **पैसिव फंड में फंड मैनेजर स्वीकार की जा रही प्रतिभूतियों पर निर्णय नहीं लेता है।** ○ यह आमतौर पर **निवेश करने के लिए** एक्टिव फंड्स की तुलना में **पैसिव फंड्स को किफायती बनाता है।** एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर को निवेश करने के अवसरों पर शोध और विश्लेषण करने में समय बिताने की आवश्यकता होती है।
हाइब्रिड प्रतिभूतियां (Hybrid Securities)	• **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)** ने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक **20 सदस्यीय समिति** का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष **के. वी कामथ** हैं। • यह समिति **हाइब्रिड प्रतिभूतियों के प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों के विकास तथा विनियमन से** संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। • **उद्देश्य:** हाइब्रिड प्रतिभूतियों के विकास को बढ़ावा देना, इनके निर्गमन को सुगम बनाना और घरेलू एवं वैश्विक पूंजी को आकर्षित करना। • हाइब्रिड प्रतिभूतियां **निवेश के साधन** हैं। **ये दो या दो से अधिक विभिन्न वित्तीय साधनों को जोड़ते हैं।** इनमें सामान्यत: **इक्विटी** और **बॉण्ड (ऋण)** जैसी विशेषताएं होती हैं।

	○ उदाहरण के लिए, अवसंरचना निवेश न्यास (InvITs), रियल एस्टेट निवेश न्यास (REITs), प्रेफर्ड स्टॉक्स आदि।
पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी	• इसे आधिकारिक तौर पर **शेयरधारक अधिकार योजना** के रूप में जाना जाता है। यह **मौजूदा शेयरधारकों को किसी कंपनी में छूट पर अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति** प्रदान करती है। • यह दूसरे पक्ष के लिए खरीदारी को महंगा बना देती है। इससे उसके स्वामित्व संबंधी हित प्रभावी रूप से सीमित हो जाते हैं।
एंकर निवेशक	• एंकर निवेशकों को कॉर्नरस्टोन निवेशकों के रूप में भी जाना जाता है। ये योग्यता प्राप्त संस्थागत क्रेता होते हैं, जो बड़ी मात्रा में शेयर खरीदते हैं। उदाहरण के लिए म्यूचुअल फंड, विदेशी संस्थागत निवेशक, बैंक, भविष्य निधि आदि। ○ इन्हें कंपनी के IPO से पूर्व शेयरों के आवंटन की गारंटी दी जाती है। यह आवंटन योग्य संस्थागत निवेशकों के पूल के 60% तक होता है। इससे कंपनी को अन्य निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलती है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs)	• इनविट्स म्यूचुअल फंड के समान एक सामूहिक निवेश योजना है। यह अवसंरचना में व्यक्तिगत/ संस्थागत निवेशकों से छोटी मात्रा में धन के प्रत्यक्ष निवेश को सक्षम बनाता है। इसमें रिटर्न के रूप में छोटी आय प्राप्त होती है। • इसे सेबी (अवसंरचना निवेश ट्रस्ट्स) विनियम, 2014 द्वारा विनियमित किया जाता है। ○ **InvITs,** रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट **(REITs)** के समान हैं।,REITs **सूचीबद्ध संस्थाएं** हैं। ये आय सृजन के लिए **भवनों/संपत्तियों का स्वामित्व, संचालन और प्रबंधन** करती हैं।
फॉरवर्ड प्रीमियम	• **फॉरवर्ड प्रीमियम** दर भारतीय और अमेरिकी बॉण्ड के बीच मौजूद ब्याज दर के अंतर को दर्शाती है। ○ यह एक **ऐसी स्थिति है, जिसमें किसी मुद्रा के लिए आगामी या अपेक्षित भविष्य की कीमत हाजिर कीमत (वर्तमान मूल्य) से अधिक** होती है। ○ इसका विदेशी मुद्रा बाजारों में व्यापार करते समय संकेतक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
इनसाइडर ट्रेडिंग	• सेबी ने **फ्रंट-रनिंग को बाजार में हेरफेर करने वाली प्रथा और इनसाइडर ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत** किया है। साथ ही, इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल कई फंड हाउसों को दंडित भी किया है। • इनसाइडर ट्रेडिंग से तात्पर्य **'अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना'** (UPSI) रखते हुए सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली **कंपनी की प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने की प्रथा'** से है। ○ UPSI में **वित्तीय परिणाम, लाभांश घोषणा, बायबैक घोषणाएं, विस्तार योजनाएं, विलय/समामेलन, शेयर बिक्री आदि** शामिल हैं। • हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि **केवल मूल्य-संवेदनशील जानकारी रखना और उसके आधार पर व्यापार करना इनसाइडर ट्रेडिंग को सिद्ध करने** के लिए पर्याप्त नहीं है।
फ्रंट रनिंग	• फ्रंट-रनिंग एक बाजार कदाचार है, **जहां एक डीलर या व्यापारी या फंड मैनेजर (जो शेयर खरीद के आगामी बड़े ऑर्डर्स के बारे में जानता है) अग्रिम तौर पर थोक में वही शेयर खरीद लेता है।** ○ इस तरह की थोक खरीद शेयर की कीमत को बढ़ाती है। • **भारत में यह अवैध है।**
वाणिज्यिक विपत्र (Commercial Paper: CP)	• CP कंपनियों द्वारा जारी किया जाने वाला एक **अल्पकालिक ऋण साधन** है। इसका इस्तेमाल आम तौर पर **एक वर्ष तक की अवधि हेतु धन जुटाने** के लिए किया जाता है। ○ यह एक **असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन** है। इसे **वचन-पत्र** के रूप में जारी किया जाता है। • **इसे अंकित मूल्य पर छूट के साथ प्रस्तुत किया जाता है।**
पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स)	• पी-नोट्स (PNs) **वित्तीय साधन** हैं। इन्हें **पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक (FII)** एक विदेशी निवेशक को जारी करता है। इनकी सहायता से **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी/SEBI) के तहत पंजीकृत हुए बिना भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया जा सकता है।** • पी-नोट्स के तहत निवेशक की जानकारी प्रकट करने की अनिवार्यता नही होती है। इसकी यही विशेषता इसे **उन संस्थाओं के लिए आकर्षक बनाती है,** जो पी-नोट्स का इस्तेमाल करके **फंड की राउंड ट्रिपिंग** की कोशिश करते हैं।
वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) और वेंचर कैपिटल फंड (VCFs)	• **वैकल्पिक निवेश कोष (AIF)** का अर्थ भारत में स्थापित या निगमित ऐसा कोई भी फंड है, जो एक **निजी रूप से जमा निवेश साधन** है। ये निवेश के लिए बड़े निवेशकों (चाहे भारतीय हों या विदेशी) से धन जुटाते हैं। • **वेंचर कैपिटल फंड (VCFs)** एक प्रकार का AIF है। यह एक ऐसा निवेश कोष है, जो स्टार्ट-अप तथा लघु और मध्यम आकार के उद्यमों को पूंजी प्रदान करने के इच्छुक **अलग-अलग निवेशकों से फंड** जुटाता है।

प्रभावोत्पादक निवेश (Impact Investing)	• यह निवेश की एक ऐसी रणनीति है जिसका उद्देश्य वित्तीय लाभ के साथ-साथ **विशिष्ट लाभकारी सामाजिक अथवा पर्यावरणीय प्रभाव पैदा करना है।** • प्रभावोत्पादक निवेश का पालन करने वाले निवेशक, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता या समग्र रूप से समाज की सकारात्मक सेवा करने के कर्तव्य का ध्यान रखते हैं। **प्रभावोत्पादक निवेश के कुछ उदाहरण:** ○ **एजुकेट गर्ल्स डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉण्ड (DIB):** 'एजुकेट गर्ल्स DIB', शिक्षा के लिए दुनिया का पहला डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉण्ड है। इसे राजस्थान में एक प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है।

4.4. बीमा क्षेत्रक (Insurance Sector)

4.4.1. नए बीमा नियम (New Insurance Rules)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने देश में बीमा कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के छः बीमा नियमों को अधिसूचित किया है। भारत में बीमा कवरेज 6.3% के वैश्विक औसत की तुलना में केवल 4.2% ही है।

शब्दावली को जानें

- **बीमा पैठ (Insurance Penetration):** यह किसी वर्ष में कुल बीमा प्रीमियम और GDP के अनुपात को संदर्भित करता है।
- **बीमा घनत्व (Insurance Density):** यह जनसंख्या के सापेक्ष बीमा प्रीमियम के अनुपात को संदर्भित करता है। बीमा प्रीमियम प्रति व्यक्ति के आधार पर और अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है। प्रति व्यक्ति बीमा प्रीमियम का स्तर किसी देश में बीमा क्षेत्रक के विकास के स्तर को दर्शाता है।

IRDAI के बारे में

- वर्ष 2001 से IRDAI का **मुख्यालय हैदराबाद** में है। इसका मुख्यालय पहले **दिल्ली** में था। यह एक **स्वायत्त विनियामक निकाय है।** इसकी स्थापना 1999 में IRDAI अधिनियम, 1999 के माध्यम से **मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट** की अनुशंसा पर गई थी।
  - इसका उद्देश्य **पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना** है।
  - यह बीमा व पुनर्बीमा उद्योग का प्रबंधन और विनियमन करता है। साथ ही, बीमा एवं पुनर्बीमा कंपनियों तथा मध्यस्थों का पंजीकरण करता है और/ या उन्हें लाइसेंस भी प्रदान करता है।

नए नियमों के बारे में

- इसके तहत एक **कॉर्पोरेट एजेंट (CA) अब 9 बीमाकर्ताओं (पहले 3) के साथ और बीमा विपणन कंपनियां (IMF) 6 बीमाकर्ताओं (पहले 2)** के साथ करार कर सकते हैं।
- **रेगुलेटरी सैंडबॉक्स (RS) की परीक्षण अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर अधिकतम 36 महीने** कर दिया गया है।

शब्दावली को जानें

- **विनियामक सैंडबॉक्स (RS):** RS एक नियंत्रित / विनियामक परिवेश में नए उत्पादों या सेवाओं के लाइव परीक्षण को संदर्भित करता है।

- **अन्य प्रकार की पूंजी** जुटाने के लिए **IRDAI से पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता समाप्त** कर दी गई है।
  - इनमें **अधीनस्थ ऋण और/या अधिमान्य (Preference) शेयर** शामिल हैं।
- **अपॉइंटेड एक्चुअरी (AA) के लिए अनुभव और योग्यता संबंधी आवश्यकताओं** को लचीला बनाया गया है।
- शोधन-क्षमता (Solvency) की स्थिति का आकलन करने के लिए राज्य/केंद्र सरकार के बकाया प्रीमियम पर विचार करने की अवधि को **180 दिनों से बढ़ाकर 365 दिन** कर दिया गया है।
- **ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस** को बढ़ावा देने के लिए किसी बीमा कंपनी की स्थापना करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।

संबंधित सुर्खियां

“यूज एंड फाइल” प्रक्रिया

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 'यूज एंड फाइल' प्रक्रिया का विस्तार किया है। इसके तहत **जीवन बीमाकर्ताओं को पूर्व अनुमोदन के बिना नए उत्पादों को लॉन्च करने के लिए अधिकृत** किया गया है।
    - ध्यातव्य है कि IRDAI ने पूर्व में भी **स्वास्थ्य बीमा उत्पादों** के साथ-साथ **सामान्य बीमा कवर** में भी इसी प्रकार की **छूट प्रदान की थी।**
- **अपेक्षित लाभ:** उभरते बाजार की आवश्यकताओं के लिए अधिक तीव्र अनुक्रिया, पॉलिसी धारकों के लिए अधिक विकल्प, और भारत में बीमा व्यवसाय के विस्तार को बढ़ाना (वित्त वर्ष 2011 में यह 4.2% था)।

सूक्ष्म बीमा (Micro insurance)

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने एक दर्जन से अधिक कम लागत वाले "सूक्ष्म बीमा" मॉड्यूल का सुझाव दिया है।
- **सूक्ष्म बीमा के बारे में:**
    - इसका उद्देश्य कम आय वाले लोगों को किफायती बीमा उत्पाद उपलब्ध करवाना है।
    - उद्देश्य: कमाने वाले की मृत्यु, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भुगतान, नष्ट हुए घरों और व्यवसायों का पुनर्निर्माण आदि जैसे सामान्य जोखिमों से निपटने के लिए लोगों को सशक्त करना।

भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI)

मुख्यालय हैदराबाद

उत्पत्ति: **इसकी स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर** 1999 में IRDAI अधिनियम, 1999 के तहत की गई थी। इसे बीमा व्यवसाय और पुनर्बीमा व्यवसाय के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था।

उद्देश्य:

- **पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना और उनके साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करना।**
- **बीमा उद्योग का त्वरित और व्यवस्थित विकास** करना।
- वास्तविक दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना, बीमा धोखाधड़ी और अन्य कदाचारों को रोकना और प्रभावी **शिकायत निवारण तंत्र** स्थापित करना।
- बीमा आदि से निपटने वाले वित्तीय **बाजारों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और व्यवस्थित आचरण को बढ़ावा** देना।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:

- IRDAI **वित्त मंत्रालय के अधीन** कार्य करता है।
- यह बीमा, पुनर्बीमा कंपनियों और बिचौलियों को लाइसेंस देने और/ या पंजीकरण करने के साथ–साथ भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योग का प्रबंधन और विनियमन करता है।
- **IRDAI की संरचना:** यह 10 सदस्यीय टीम है जिसमें एक अध्यक्ष, पाँच पूर्णकालिक सदस्य और चार अंशकालिक सदस्य हैं।

4.5. पेंशन क्षेत्रक (Pension Sector)

4.5.1. भारत में पेंशन प्रणाली (Pension System in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **पुरानी पेंशन योजना (OPS)**[54] बनाम **नई पेंशन योजना (NPS)**[55] पर मौजूदा चर्चा के कारण पेंशन सुधारों से संबंधित बहस तेज हो गई है।

---

[54] Old Pension Scheme

[55] New Pension Scheme

© Vision IAS

NPS और OPS में अंतर

अंतर का आधार	NPS	OPS
प्रकृति	NPS एक **अंशदायी पेंशन** (Contribution pension) प्रणाली है, जहां कर्मचारी अपने रोजगार के वर्षों के दौरान NPS में अंशदान करते हैं।	OPS एक **सुपरिभाषित लाभ योजना** है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके **अंतिम आहरित वेतन** (Last drawn salary) के आधार पर पेंशन प्रदान की जाती है।
पात्रता	18 से 70 वर्ष के बीच के **सभी भारतीय नागरिक** इस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं।	**केवल सरकारी कर्मचारी ही** इसका लाभ उठा सकते हैं।
जोखिम	इसमें जोखिम शामिल है, क्योंकि NPS के जरिए एकत्रित धनराशि को **बाजार से जुड़ी प्रतिभूतियों में निवेश** किया जाता है।	**कोई जोखिम शामिल नहीं** है।
कर लाभ	**इसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C** के तहत **1,50,000** रुपये तक और 80CCD (1B) **के तहत 50,000 रुपये** तक का वार्षिक निवेश **कर-कटौती योग्य** (Tax-deductible) है। अर्थात्, ऐसे निवेश पर कर छूट का लाभ उठाया जा सकता है।	इसके तहत कर्मचारियों के लिए **कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं** है।
सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाली पेंशन की राशि	इसके तहत पेंशन निधि से आहरित 60% राशि को **कर-मुक्त** रखा गया है, जबकि शेष राशि कर के अधीन है और ऐनुइटीज़ में निवेश के रूप में रहती है।	इसके तहत **अंतिम आहरित वेतन का 50% निश्चित मासिक पेंशन के रूप में प्रदान** किया जाता है।

भारतीय पेंशन प्रणाली

- भारतीय पेंशन प्रणाली **अत्यधिक जटिल** है। इस मामले में कई विकल्प उपलब्ध हैं जिससे यह **अत्यधिक बिखरी** हुई है। उदाहरण के लिए-
  - भारत में वर्तमान **सार्वजनिक पेंशन** प्रणाली के तहत पुराने सिविल सेवकों के लिए **OPS** और नए कर्मियों के लिए 1 जनवरी, `2004 से OPS की जगह **NPS** को लागू किया गया है।
    - सशस्त्र बलों (Armed forces) के कर्मियों को NPS के तहत शामिल **नहीं** किया गया है और अभी भी उन्हें OPS का लाभ मिलता है।
  - **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)**[56] द्वारा संगठित क्षेत्रक के कर्मचारियों के लिए भी **कर्मचारी पेंशन योजना (EPS)**[57] की सुविधा प्रदान की जाती है।
  - उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ **सामजिक पेंशन योजनाओं** को भी कार्यान्वित किया जाता है, जैसे-
    - **अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री वय वंदन योजना (PMVVY),**
    - **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)**[58] आदि।
  - **कई संगठनों द्वारा भी पेंशन योजनाएं** शुरू की गई हैं, जैसे- **LIC की सरल पेंशन** आदि।

[56] Employees' Provident Fund Organisation

[57] Employee Pension Scheme

[58] Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme

NPS को क्यों लागू किया गया?

वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा (OASIS)[59] **परियोजना** की रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित कारणों से 2004 में NPS को शुरू किया गया था:

- सरकार की पेंशन देनदारी बढ़ती जा रही थी लेकिन भुगतान के लिए वृद्धि वाली कोई निधि (Corpus) उपलब्ध नहीं थी।
- OPS को जारी रखना आर्थिक बोझ बनता जा रहा था क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही थी और इसके साथ पेंशन देनदारियां भी बढ़ने लगी थी।

शब्दावली को जानें

- **वार्षिकियां (Annuities)**: ये ऐसे वित्तीय साधन हैं जो ब्याज अर्जित करते हैं और पूर्व निर्धारित अवधि में एक गारंटीकृत आय प्रदान करते हैं।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)

मुख्यालय: नई दिल्ली

उत्पत्ति: इसे वृद्धावस्था में सामाजिक और आय सुरक्षा (OASIS) रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से 2003 में स्थापित किया गया था।

- यह 2013 में पारित और 2014 में अधिसूचित पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम के माध्यम से एक **सांविधिक निकाय** बन गया।

विजन: एक संगठित पेंशन प्रणाली के प्रचार और विकास के लिए एक आदर्श नियामक बनना।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:

- PFRDA **वित्त मंत्रालय के तहत** काम करता है।
- PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और किसी भी अन्य अधिनियमन द्वारा विनियमित नहीं की गई किसी भी अन्य पेंशन योजना को विनियमित करता है। **उदाहरण के लिए**– यह **अटल पेंशन योजना** का संचालन करता है।
- **PFRDA की संरचना:** इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम छः सदस्य होते हैं, जिनमें से कम–से–कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

59 Old Age Social and Income Security

5. बाह्य क्षेत्रक (External Sector)

5.1. व्यापार (Trade)

5.1.1. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण (Internationalization of Rupee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने विदेश व्यापार नीति (FTP)[60] में कुछ बदलाव किए हैं। सरकार ने **निर्यात को बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रुपये में भुगतान करने की अनुमति दी** है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में

- **पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता (CAC)[61] के विषय पर गठित तारापोर समिति** के अनुसार, **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा** ऐसी मुद्रा है जिसका उपयोग व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिए किया जाता है।

मुद्रा – अंतर्राष्ट्रीय कार्य

कार्य	सरकारों के लिए	निजी क्षेत्रक के लिए
मूल्य संचय (Store of Value)	अंतर्राष्ट्रीय रिज़र्व	मुद्रा प्रतिस्थापन (Currency Substitution)
लेन–देन का माध्यम (Medium of Exchange)	विदेशी लेन–देन संबंधी हस्तक्षेप के लिए व्हीकल करेंसी (अर्थात् जिसे अन्य देश भी विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हों)	व्यापार और वित्तीय लेन–देन के लिए इनवॉइसिंग प्रक्रिया हेतु
यूनिट ऑफ़ अकाउंट	किसी अन्य देश की मुद्रा के बदले स्थानीय मुद्रा की विनिमय दर के निर्धारण हेतु	व्यापार और वित्तीय लेन–देन को व्यक्त करने हेतु

- रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, विश्व भर में रुपये की स्वीकृति (विश्वसनीयता) को बढ़ाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कुछ गतिविधियों को शामिल किया जाता है।
- इसे **पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता (FCAC)[62]** को अपनाने के रूप में भी समझा जा सकता है। इसका अर्थ है - सभी स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों को विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों में बदलने और इसी तरह विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों में बदलने की स्वतंत्रता।
  - वर्तमान में, भारत में **आंशिक** रूप से **पूंजी खाता परिवर्तनीयता** और **पूर्ण** रूप से **चालू खाता परिवर्तनीयता**[63] को मंजूरी दी गई है।
  - **चालू खाता परिवर्तनीयता** का अर्थ है- आयात-निर्यात संबंधी चालू खाते में दर्ज मुद्रा को किसी विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने तथा विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता और क्षमता।
- भारत में अंतर्राष्ट्रीयकरण लेन-देन का व्यापक ढांचा FEMA के तहत शासित है।

शब्दावली को जानें

- **भुगतान संतुलन (BOP)** एक विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष के दौरान एक देश के निवासियों के दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ **वस्तु, सेवाओं और संपत्तियों में लेन-देन को रिकॉर्ड** करता है।
- **पूंजी खाता** एक निर्दिष्ट समय, आमतौर पर एक वर्ष के दौरान सभी अंतर्राष्ट्रीय खरीद और मुद्रा, स्टॉक, बॉण्ड आदि की बिक्री को रिकॉर्ड करता है।

60 Foreign Trade Policy

61 Capital Account Convertibility

62 Full Current Account Convertibility

63 Current Account Convertibility

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए किए गए अन्य उपाय

रुपये में सीमा–पार उधार की अनुमति

वर्ष 2014 से रुपये मूल्यवर्ग के बॉण्ड और मसाला बॉण्ड की शुरुआत की गई है। भारतीय कॉरपोरेट को विदेशों में रुपये मूल्यवर्ग के बॉण्ड जारी करने की अनुमति दी गई है।

रुपये में व्यापार निपटान

जुलाई 2022 में सबसे बड़ा कदम उठाया गया था। RBI ने **विशेष वोस्ट्रो खातों** के माध्यम से रुपये में व्यापार निपटान की अनुमति देने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क जारी किया था

करेंसी स्वैप (मुद्रा विनिमय)

रुपये के **अंतर्राष्ट्रीयकरण** को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 से संयुक्त अरब अमीरात तथा सार्क सदस्य देशों सहित अन्य देशों के साथ **करेंसी स्वैप से संबंधित 23 समझौतों पर सहमति** बनी है।

अन्य उपाय

- **एशियन क्लीयरिंग यूनियन में क्षेत्रीय व्यापार निपटान** के लिए घरेलू मुद्राओं के उपयोग की संभावनाओं की खोज की जा रही है।
- **घरेलू रुपया ब्याज दरों और मुद्रा बाजारों को विदेशी रुपया बाजारों से जोड़ने** के लिए अनुकूल स्थिति बनाई जा रही है।
- **प्राथमिक डीलरों** को बाजार तरलता में सुधार के लिए विदेशी मुद्रा बाजारों में बाजार निर्माताओं के रूप में **कार्य करने की अनुमति** दी जा रही है।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ

- व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा पर निर्भरता में कमी आएगी। इसके फलस्वरूप भुगतान संतुलन (BoP) की स्थिरता के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को पर्याप्त स्तर पर बनाए रखने की आवश्यकता में कमी आएगी।
- यह **विभेदक ब्याज दर (IRD)**[64] द्वारा अर्थव्यवस्था पर विदेशी मुद्रा द्वारा थोपी गई लागत को भी कम कर सकता है।
  - दो देशों की मुद्राओं के बीच ब्याज दरों में अंतर को **विभेदक ब्याज दर (IRD)** कहा जाता है।
- इससे विदेशी मुद्रा पर निर्भरता में कमी आएगी। परिणामस्वरूप **विदेशों में घटने वाली घटनाओं (External Shocks)** के हमारी अर्थव्यवस्था पर **पड़ने वाले प्रभाव में भी कमी** आएगी।
- यह विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में आने वाले उतार-चढ़ाव पर निर्भरता को समाप्त कर देगा। इससे व्यवसाय करने की लागत में कमी आएगी। साथ ही, यह भारतीय व्यवसायों की वैश्विक वृद्धि में सहायता करके, **भारतीय कंपनियों के लिए मुद्रा संबंधी जोखिम को समाप्त करने में सहायक** हो सकता है।
- इससे **भारत का वैश्विक कद और सम्मान बढ़ेगा।** साथ ही, भारतीय व्यवसायों की सौदेबाजी की शक्ति में भी वृद्धि होगी।

भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान (International Trade Settlement: ITS) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देश

- इनवॉयसिंग व्यवस्था के तहत आयात तथा निर्यात बिल में **आयात-निर्यात की राशि को रुपये में दर्ज (इनवॉइस)** किया जा सकता है। हालांकि, दो व्यापार सहयोगी देशों की मुद्राओं के बीच **विनिमय दर** को बाजार द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा।
- आयातक और निर्यातक भारतीय रुपये में दर्ज प्राप्तियों तथा भुगतान के लिए अब अपने **विशेष वोस्ट्रो खातों**[65] का उपयोग कर सकते हैं। ये खाते भागीदार देश के कॉरस्पोंडेंट बैंक के साथ जुड़े होते हैं। इन मामलों में भी **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA)[66], 1999** के प्रावधान लागू होंगे।

[64] Interest Rate Differential

[65] Special Vostro Accounts

- **वोस्ट्रो खाता (लैटिन भाषा में वोस्ट्रो का अर्थ होता है आपका):** यह कॉरेस्पोंडेंट बैंक में किसी अन्य बैंक की ओर से खोला गया खाता होता है। उदाहरण के लिए, **HSBC वोस्ट्रो खाते को भारत में भारतीय स्टेट बैंक (SBI)** प्रबंधित करता है।
    - खाते का एक और प्रकार है, उदाहरण के लिए- **नोस्ट्रो खाता (लैटिन भाषा में नोस्ट्रो का अर्थ होता है हमारा):** यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए दो बैंकों के बीच खाते का एक अन्य सेट है।

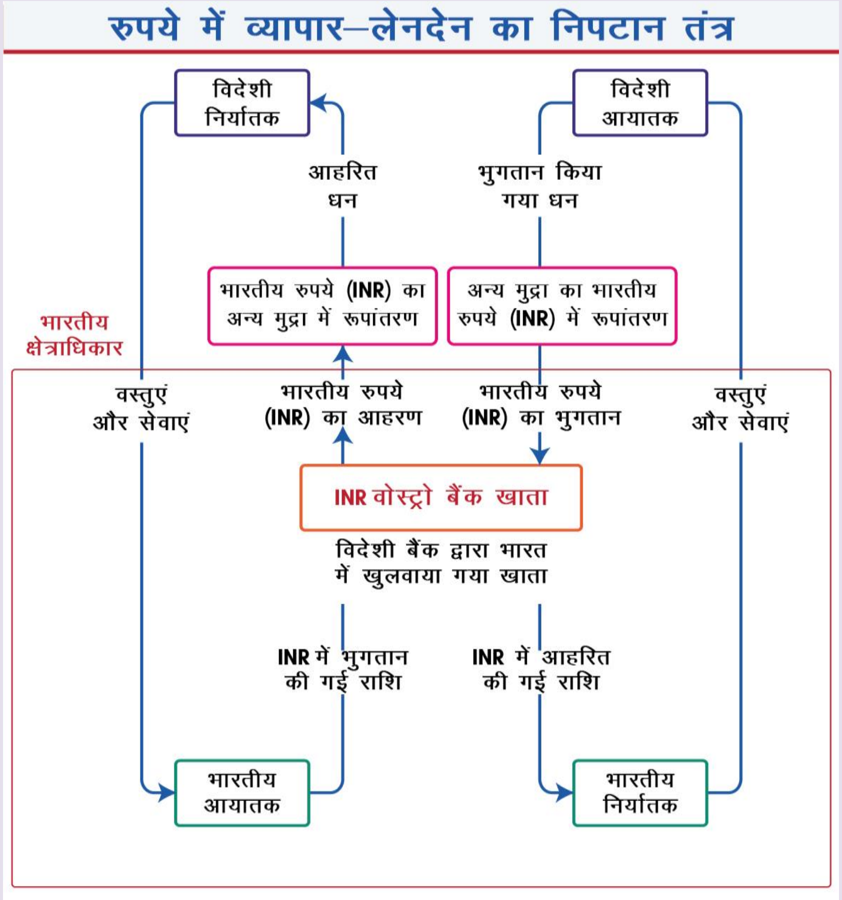

- वोस्ट्रो खाता के तहत भारतीय आयातक इन खातों में अपने **आयात के लिए भारतीय रुपये (INR)** में भुगतान कर सकते हैं।
- इसके साथ ही-
    - बैंक गारंटी देने,
    - निर्यात से प्राप्त होने वाली राशियों को सेट-ऑफ (समंजन) करने,
    - निर्यात के लिए विदेशी आयातकों से अग्रिम राशि लेने,
    - अतिरिक्त राशि का उपयोग करने, तथा
    - अनुमोदन प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण आदि से संबंधित कार्यकलापों को भी **FEMA के तहत कवर किया जाएगा।**

5.1.2. विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization: WTO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, WTO का **12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (Ministerial Conference: MC)** आयोजित किया गया।

WTO: इसकी संरचना और 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के निष्कर्ष

- WTO एकमात्र **वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटता है।**
- इसमें **164 सदस्य (यूरोपीय संघ सहित) और 23 पर्यवेक्षक सरकारें (जैसे- ईरान, इराक, भूटान, आदि) हैं।**
- विश्व व्यापार संगठन की संरचना में सर्वोच्च प्राधिकार **मंत्रिस्तरीय सम्मेलन** का है।
    - इसमें विश्व व्यापार संगठन के **सभी सदस्यों के प्रतिनिधि** शामिल होते हैं।
    - मंत्रिस्तरीय सम्मेलन किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत **सभी मामलों पर निर्णय** ले सकता है।

[66] Foreign Exchange Management Act

एजेंडा	12वें MC के निष्कर्ष
मात्स्यिकी (फिशरीज) (Fisheries)	• **गैर-कानूनी, गैर-सूचित और गैर-विनियमित** (Illegal Unreported and Unregulated: IUU) तरीके से मत्स्यन गतिविधियों पर **निगरानी** रखी जाएगी। • **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) या क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठन (RFMOs)** से बाहर के क्षेत्रों में मत्स्यन के लिए कोई **सब्सिडी प्रदान नहीं** की जाएगी।
कोविड के टीकों पर बौद्धिक संपदा (IP) छूट (IP waiver on Covid vaccines)	• कोई देश किसी अन्य देश में पेटेंट किए गए टीकों के **उत्पादन की अनुमति** दे सकता है। इसके लिए किसी सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही, ऐसे टीकों के निर्यात की कोई सीमा नहीं होगी।
ई-कॉमर्स अधिस्थगन पर (On e-Commerce moratorium)	• विश्व व्यापार संगठन के सदस्य अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13) या मार्च 2024, जो भी पहले हो, तक **इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर शुल्क लगाने पर रोक को जारी रखने** के एक अस्थाई समझौते पर पहुंचे हैं। ○ विश्व व्यापार संगठन के सदस्य वर्ष **1998 से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क नहीं लगाने पर सहमत** हुए थे। उसके बाद के सभी मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में इस रोक को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।
खाद्य सुरक्षा (Food Security)	• अन्य देशों में खाद्य सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम की खरीद पर **कोई निर्यात प्रतिबंध नहीं** लगाया जाएगा। हालांकि, **घरेलू खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता** दी जाएगी।

WTO से संबंधित अन्य घटनाक्रम

पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग प्रोग्राम (PSHP) का संचालन {Operation of Public Stockholding Programmes (PSHP)}	• भारत ने खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम से संबंधित **"ग्रुप कंसल्टेशन फॉर्मेट"** का विरोध किया है। गौरतलब है कि **ग्रुप कंसल्टेशन फॉर्मेट** विकसित और विकासशील देशों के 10 सदस्यीय एक समूह ने प्रस्तावित किया है। इसमें यू.एस.ए., ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, थाईलैंड आदि देश शामिल हैं। • कुछ प्रकार के **सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमों (PSHP) को व्यापार को विकृत करने वाला** माना जाता है, जैसे- सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर किसानों से अनाज की खरीद। इसे समर्थन मूल्य या प्रशासित मूल्य के रूप में जाना जाता है। भारत में इसे **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** कहा जाता है। ○ इस तरह की समर्थन प्रणाली से निपटने के लिए विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने **बाली मंत्रिस्तरीय बैठक में "पीस क्लॉज (शांति खंड)"** का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ○ इस समूह में विकसित और विकासशील देशों के साथ-साथ खाद्य आयातक एवं खाद्य निर्यातक देश भी शामिल हैं। **बाली मंत्रिस्तरीय बैठक (2013) के तहत परामर्श के लिए ऐसे किसी भी प्रारूप का प्रावधान नहीं** किया गया था। **पीस क्लॉज़** • पीस क्लॉज़ प्रावधान, किसी विकासशील देश द्वारा **सब्सिडी सीमा के उल्लंघन की दशा में** विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देशों को विवाद निपटान मंच पर उसके कदम को **चुनौती देने से रोकता है।** • अपनी गरीब आबादी की घरेलू खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारत ने WTO के **पीस क्लॉज़ के प्रावधान का तीसरी बार** उपयोग किया है। यह कदम धान उत्पादक किसानों को दिए जाने वाले घरेलू समर्थन की 10% सीमा को पार करने के बाद उठाया गया है। ○ **भारत 2020 में पीस क्लॉज़ का आश्रय लेने वाला पहला देश बना** था। इसका कारण यह था कि वर्ष 2018-19 में चावल के लिए सब्सिडी निर्धारित सीमा को पार कर की गई थी।
सरकारी खरीद समझौता {Government Procurement Agreement (GPA)}	• भारत ने WTO के सरकारी खरीद समझौता (GPA) में शामिल होने की किसी भी योजना से इनकार किया है। सरकारी खरीद समझौता (GPA) विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को सरकारों को वस्तुएं और सेवाएं बेचने के लिए पारस्परिक रूप से अपने बाजार खोलने की अनुमति देता है। ○ **GPA एक बहुपक्षीय (Plurilateral) समझौता है।** इसका अर्थ है कि इसमें WTO के कुछ सदस्य

© Vision IAS

	शामिल हैं लेकिन सभी सदस्य नहीं। इसमें 21 पक्षकार शामिल हैं। इसमें WTO के 48 सदस्यों को शामिल करते हुए, यूरोपीय संघ और इसके 27 सदस्य देशों को एक पक्षकार के रूप में गिना जाता है।
गुड्स ट्रेड बैरोमीटर (Goods Trade Barometer)	• **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नवीनतम गुड्स ट्रेड बैरोमीटर सूचकांक** में यह आशंका व्यक्त की गई है कि 2022 की शेष अवधि और 2023 में **व्यापार की वृद्धि धीमी** रह सकती है। ○ **WTO का गुड्स ट्रेड बैरोमीटर सूचकांक** विश्व व्यापार के लिए **एक समग्र अग्रणी संकेतक** है। यह हालिया रुझानों के सापेक्ष वाणिज्यिक पण्य व्यापार पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। • इसका **बेसलाइन मान 100** है। इसके तहत **100 से अधिक का मान व्यापार में वृद्धि** का संकेत देता है, जबकि **100 से नीचे का मान व्यापार में गिरावट** का संकेत देता है।

5.1.3. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Marine Products Export Development Authority: MPEDA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, MPEDA की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA)

उत्पत्ति: इसे 1972 में **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** के अधीन एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इसे **समुद्री उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित** करने वाली एक नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है।

- 1961 में स्थापित **समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद** का MPEDA में विलय कर दिया गया है।

विनियामकीय शक्तियां: इसे **समुद्री उत्पादों के निर्यात को विनियमित** करने का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही, इसे **भारतीय संधारणीय और गुणवत्तापूर्ण समुद्री खाद्य निर्यात** को सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक उपायों को अपनाने हेतु भी अधिकार प्रदान किए गए हैं।

भारत का समुद्री उद्योग: भारत **विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक** देश है। वर्ष 2022 में **समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़कर 7.74 बिलियन अमेरीकी डॉलर** हो गया।

MPEDA के कार्यों/दायित्वों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **समुद्री खाद्य के निर्यात में आने वाले अवरोधों की पहचान करके सुधारात्मक उपायों को अपनाना।**
- **समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों,** फिशिंग वेसल, पूर्व-प्रसंस्करण केंद्रों का **पंजीकरण** करना।
- **बाज़ार संबंधी गतिविधियों** जैसे उपभोक्ता-विक्रेता की मीटिंग, संभावित बाजारों में प्रतिनिधियों के दौरे आयोजित करवाना आदि।
- राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर (RGCA) के माध्यम से जलीय कृषि की वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए **अनुसंधान और विकास को बढ़ावा** देना।
- निम्नलिखित संस्थानों के माध्यम से क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना:
  - **संधारणीय जलीय कृषि के लिए राष्ट्रीय केंद्र (National Centre for Sustainable Aquaculture):** यह जमीनी स्तर पर **क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से गरीब ग्रामीण जलीय किसानों को सशक्त** बनाने में मदद करता है।
  - **मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन और संधारणीय मत्स्यपालन के लिए नेटवर्क (Network for Fish Quality Management and Sustainable Fishing: NetFish)**- यह समुद्री संरक्षण, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग और अन्य घटकों के सन्दर्भ में मछुआरों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- वर्ष 2004 से MPEDA, **राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (NRCP)**[67] को क्रियान्वयित कर रहा है। यह यूरोपीय संघ को समुद्री उत्पाद का निर्यात करने के लिए जीवाणुरोधी/पशु चिकित्सा औषधीय उत्पादों और पर्यावरण संदूषकों जैसे पदार्थों के अवशेषों की निगरानी करता है।

---

[67] National Residue Control Plan

5.2. निवेश (Investment)

5.2.1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investments: FDI)

भारत में FDI

FDI का आशय भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा **इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स** के माध्यम से भारतीय कंपनियों में किए जाने वाले निवेश से है।

- **गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में**
- सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के इशू के बाद की पेड अप इक्विटी कैपिटल के **10 प्रतिशत तक या उससे अधिक** फुली डाइल्यूटेड बेसिस पर किए गए निवेश को भी FDI समझा जाता है

FDI मार्ग

स्वचालित मार्ग (Automatic Route): स्वचालित मार्ग के तहत FDI के लिए **सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति** की आवश्यकता नहीं होती है। इस मार्ग के माध्यम से FEMA **20 के विनियम 16** में निर्धारित सभी गतिविधियों / क्षेत्रकों में FDI की अनुमति है।

सरकारी मार्ग (Government Route): उन गतिविधियों में FDI के लिए सरकार की **पूर्व अनुमति** अनिवार्य है जो **स्वचालित मार्ग** के तहत नहीं आती हैं।

FDI पर प्रतिबंध

निम्नलिखित 9 क्षेत्रकों में FDI पर प्रतिबंध है (हालांकि, इनमें से प्रत्येक क्षेत्रक में कुछ छूट है)

लॉटरी	गैंबलिंग	चिट फंड
निधि कंपनियां	रियल स्टेट	कृषि क्षेत्रक से संबद्ध कुछ भाग
मल्टी-ब्रांड रिटेल कारोबार	ऐसे क्षेत्रक जो निजी क्षेत्र के लिए खुले नहीं हैं	तंबाकू विनिर्माण आदि

भारत में FDI की स्थिति

प्रवृत्ति
- FDI की वृद्धि दर में गिरावट
- FDI बहिर्वाह में वृद्धि
- FDI वाले शीर्ष देशों में मॉरीशस और केमैन द्वीप जैसे टैक्स हैवन देशों का वर्चस्व है

क्षेत्रक
केवल पांच क्षेत्रकों को कुल FDI का 62% चला जाता है। ये हैं-
- कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
- सेवा क्षेत्रक
- ऑटोमोबाइल उद्योग
- ट्रेडिंग
- निर्माण

राज्य
कुल FDI का 78% हिस्सा केवल तीन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेश प्राप्त करते हैं। ये हैं-
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- दिल्ली

भारत के लिए FDI के मुख्य स्रोत
- सिंगापुर
- मॉरीशस
- UAE
- USA

FDI पर सकारात्मक प्रभाव
- उचित ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस माहौल
- स्थानीय आबादी में कौशल, सस्ता श्रम
- बाजार की प्रकृति और आकार
- क्षेत्रीय निर्यात के लिए क्षमता
- प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता
- मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिरता
- मजबूत संस्थान

FDI से लाभ
- उत्पादन और उपभोग में वृद्धि से आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा
- रोजगार सृजन
- ज्ञान, कौशल और तकनीक का हस्तांतरण
- अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता को बढ़ावा
- विदेशी मुद्रा भंडार और घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि
- कर राजस्व में वृद्धि
- सरकार के व्यय में वृद्धि

© Vision IAS

5.2.2. विदेशी निवेश से संबंधित अन्य घटनाक्रम (Other Developments Related to Foreign Investment)

विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (Foreign Investment Facilitation Portal: FIFP)	• विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) को बंद करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद से **विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP) ने अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं।** FIPB को वर्ष 2017 में बंद किया गया था। • यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** द्वारा प्रशासित है। • यह अनुमोदन मार्ग के माध्यम से **आवेदनों की सिंगल विंडो स्वीकृति** की सुविधा प्रदान करता है।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2022 {Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) (Amendment) Rules, 2022}	• नए नियम **जीवन बीमा निगम (LIC) और ऐसे अन्य कॉरपोरेट निकायों में 20 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करते हैं।** ○ वर्तमान में, सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए विदेशी निवेश की सीमा 20 प्रतिशत है।** • **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा/FEMA), 1999** का कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय करता है। यह अधिनियम विदेशी व्यापार एवं भुगतान की सुविधा तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के प्रबंधन के लिए विदेशी मुद्रा से संबंधित कानूनों को समेकित व संशोधित करता है। ○ इसने **विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) को प्रतिस्थापित किया है। इसका विस्तार भारत के संपूर्ण राज्य-क्षेत्र पर है।**
संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन {United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)}	• UNCTAD ने **विश्व निवेश रिपोर्ट** प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत **वर्ष 2021 में शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्तकर्ताओं** में एक स्थान की बढ़त प्राप्त करते हुए **7वें** स्थान पर पहुंच गया है। ○ **संयुक्त राज्य अमेरिका** 367 बिलियन डॉलर की FDI के साथ **शीर्ष प्राप्तकर्ता** बना हुआ है। इसके बाद **चीन और हांगकांग** का स्थान है। • UNCTAD का मुख्यालय: **जिनेवा** में स्थित है। **इसे 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा** ने स्थापित किया था। यह एक स्थायी प्रकृति का अंतरसरकारी निकाय है। ○ इसके **सदस्य देशों की संख्या 195** है। यह **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह** का हिस्सा है। ○ UNCTAD **द्वारा प्रकाशित अन्य प्रमुख रिपोर्ट्स: व्यापार और विकास रिपोर्ट, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट** आदि। • UNCTAD हर साल **व्यापार और विकास रिपोर्ट** भी जारी करता है।

5.3. विनिमय दर में उतार-चढ़ाव (Exchange Rate Dynamics)

5.3.1. भारतीय रुपये में गिरावट (Indian Rupee Depreciation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI ने ऋण बाजार में **विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB)**[68] और **NRI जमा** से संबंधित मानदंडों में ढील दी है। इसका उद्देश्य **भारतीय रुपये में गिरावट को रोकना** और **विदेशी मुद्रा अंतर्वाह (Inflow) को बढ़ावा देना है।**

शब्दावली को जानें

• **बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB):** यह अनिवासी उधारदाताओं से प्राप्त वाणिज्यिक ऋणों को संदर्भित करता है।

[68] External Commercial Borrowing

विनिमय दर (Exchange rate) और इसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में

- मुद्रा विनिमय का आशय एक मुद्रा को दूसरे मुद्रा में बदलने से है। जिस दर पर दो मुद्राओं की अदला-बदली होती है उसे विनिमय दर कहते हैं।
- कहीं-कहीं विनिमय दर **स्थिर** होती है। इसे केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अधिकांश देशों में विनिमय दर **अस्थायी (फ्लोटिंग)** होती है। यह मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है।
- अस्थायी/फ्लोटिंग/लचीली विनिमय दर अलग-अलग कारकों के आधार पर **विदेशी मुद्रा बाजार** या **विदेशी मुद्रा** द्वारा निर्धारित होती है (चित्र देखें)।
- भारत में पहले **स्थिर विनिमय दर व्यवस्था** थी। यह व्यवस्था प्रचलित **ब्रेटन वुड्स सिस्टम** के अनुरूप थी। हालांकि, **मार्च 1993** से मुद्रा बाजार में विनिमय दर का प्रबंधन **बाजार द्वारा निर्धारित** होता है। दूसरे शब्दों में, भारत में अब अस्थायी/फ्लोटिंग/लचीली विनिमय दर व्यवस्था विद्यमान है।
  - इसके चलते, **RBI और केंद्र सरकार** का भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में केवल सीमित हस्तक्षेप रह गया है।

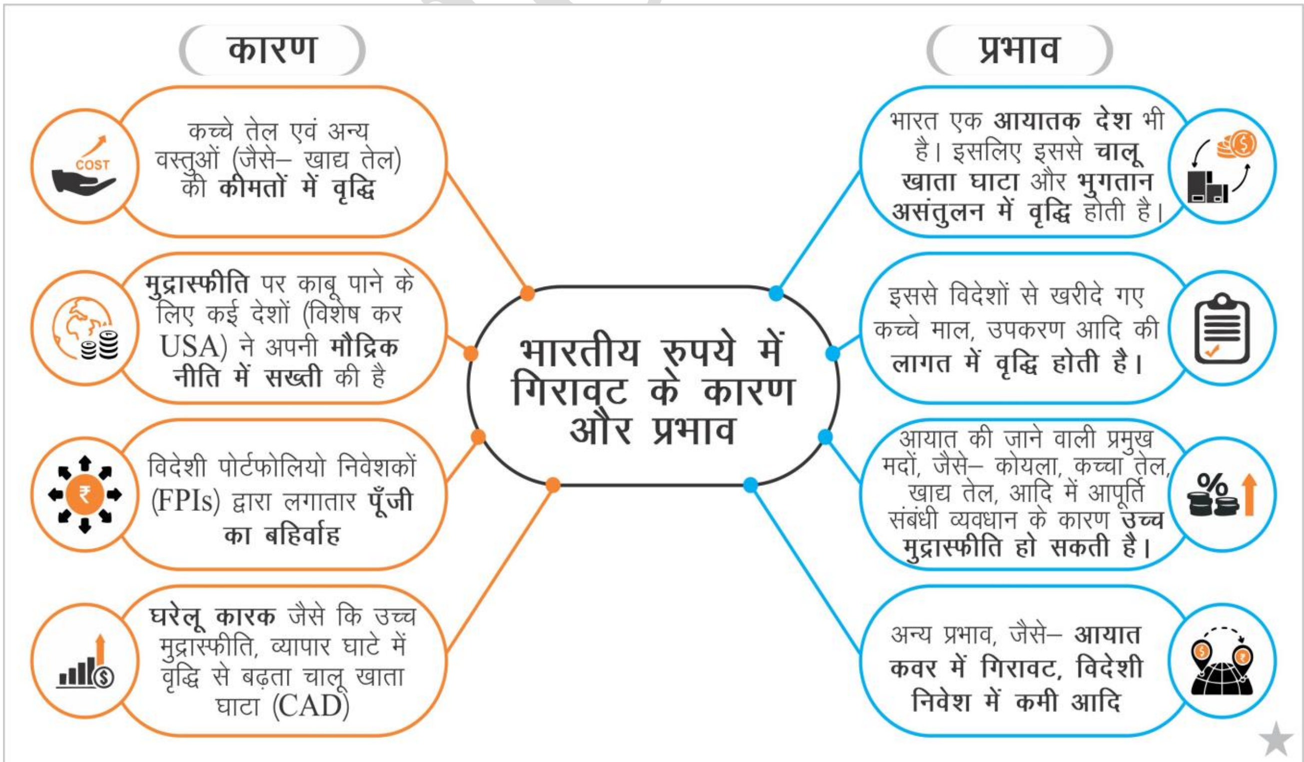

© Vision IAS

5.3.2. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उतार-चढ़ाव (India's Forex Dynamics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

डॉलर के निरंतर मजबूत होने के कारण, भारत का **विदेशी मुद्रा भंडार** कम होकर 2022 में 532.66 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। यह पिछले दो वर्षों का निम्नतम स्तर है। इससे भारत का आयात कवरेज एक वर्ष के चरम कवरेज से घटकर 8-9 महीने रह गया है।

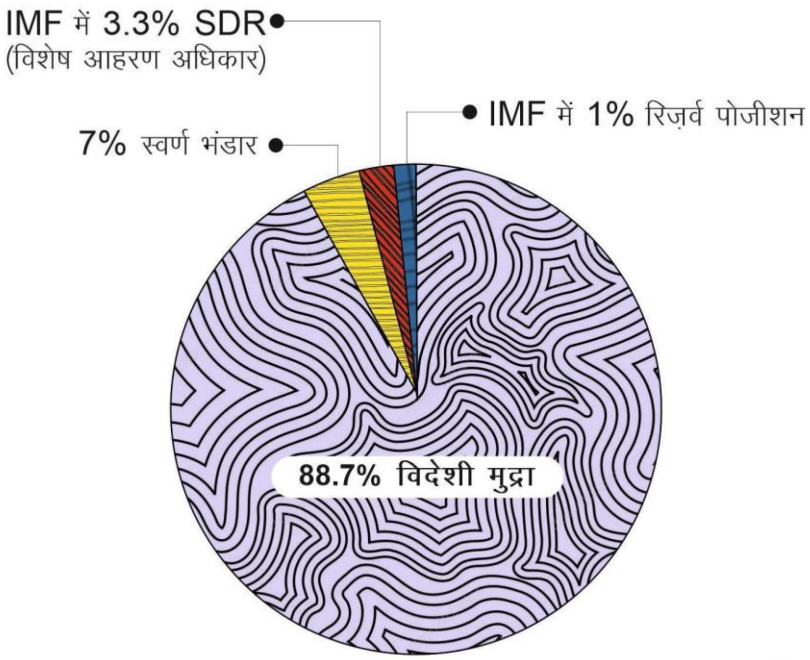

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हिस्सा

विदेशी मुद्रा भंडार: इसकी संरचना और प्रबंधन

- विदेशी मुद्रा भंडार अथवा **फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व** को **फॉरेक्स रिज़र्व** के रूप में भी जाना जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार वस्तुतः केंद्रीय बैंक (भारत में RBI) द्वारा विदेशी मुद्राओं आदि के रूप में रखी गई परिसंपत्तियां हैं।
- विदेशी मुद्रा भंडार में **विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (FCA)**[69] का हिस्सा सर्वाधिक होता है। इसके अतिरिक्त, इसमें अन्य चीजें भी शामिल होती हैं, जैसे- बॉण्ड्स, ट्रेजरी बिल, स्वर्ण भंडार, IMF में विशेष आहरण अधिकार (SDRs)[70] आदि।
  - **अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन** और **चीनी युआन** आदि कुछ अन्य विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं।
- **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक** है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन **RBI** द्वारा निम्नलिखित अधिनियम के तहत किया जाता है:
  - **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934;** और
  - **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999**

विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

- यह **विनिमय दर** और **मौद्रिक नीतियों में विश्वास को बढ़ाने एवं उसे बनाए रखने में सहायक** होता है। इसकी सहायता से राष्ट्रीय मुद्रा (रुपये) के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण रखा जाता है।
- विदेशी पूंजी प्रवाह में अचानक पैदा हुए किसी भी व्यवधान (तरलता संकट) के समय विदेशी मुद्रा के माध्यम से ही बाह्य दायित्वों को पूरा किया जाता है। इस प्रकार यह **निवेशकों का विश्वास हासिल करने में** सहायक होता है।
- यह **सरकार** को उसकी विदेशी मुद्रा की जरूरतों और बाह्य ऋण दायित्वों को पूरा करने में **सहायक** होता है।
- यह घरेलू वित्तीय प्रणाली के आघातों या किसी अन्य राष्ट्रीय आपदा/आपात स्थिति का सामना करने के लिए **आरक्षित निधि बनाए रखने में सहायक होता है।**

विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट होने के कारण

- **विदेशी मुद्रा में कमी:** RBI के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट में से 67% गिरावट, डॉलर आधारित आस्तियों और अमेरिकी बॉण्ड्स के सापेक्ष गैर-डॉलर आधारित आस्तियों के मूल्य में आई कमी के कारण है।
  - उदाहरण के लिए- **डॉलर इंडेक्स** 0.67 प्रतिशत बढ़कर 113.94 हो गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले **यूरो** और **येन** दो दशक के निचले स्तर पर आ गए हैं। गौरतलब है कि डॉलर इंडेक्स छह मुद्राओं की बास्केट की तुलना में **अमेरिकी डॉलर (ग्रीनबैक)** की मजबूती का आकलन करता है।

[69] Foreign Currency Assets

[70] Special Drawing Rights

- **विदेशी मुद्रा भंडार में RBI का हस्तक्षेप:** RBI ने **भारतीय रुपये (INR) की अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए** विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया है।
- **उच्च पूंजी बहिर्वाह (आउटफ्लो):** अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए दरों में कई बार वृद्धि (विशेषकर US फेडरल रिज़र्व द्वारा) की गई। दरों में हुई इस वृद्धि की वजह से भारत जैसे उभरते बाजारों को पूंजी पलायन का सामना करना पड़ रहा है। यह पूंजी US और ऐसे ही अन्य सुरक्षित बाजार की तलाश में भारत से बाहर जा रही है।
- **दुनिया में बिगड़ते हालात:** रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते भू-राजनीतिक जोखिमों में वृद्धि हुई है।

संबंधित सुर्ख़ियां

- **वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल** के अनुसार, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने वर्ष 2022 की **तीसरी तिमाही** में रिकॉर्ड स्तर पर सोने की खरीदारी की है।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक **वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान ज्ञात खरीदारों में तीसरा सबसे बड़ा खरीदार** है। इसने अपने स्वर्ण भंडार में 17.5 टन सोने की बढ़ोतरी की है।
- **इस प्रवृत्ति के कारण**
  - **आर्थिक अनिश्चितता:** वर्तमान में **उच्च मुद्रास्फीति का दबाव बढ़** रहा है। साथ ही, **वैश्विक संवृद्धि को लेकर भी अनिश्चितता बनी** हुई है। ऐसे समय में, सोने का उपयोग बिना किसी चूक (डिफ़ॉल्ट) जोखिम के **मुद्रास्फीति से बचने के लिए एक साधन** के रूप में किया जा सकता है।
  - **डॉलर के अधिमूल्यन (Appreciation)** के कारण देश के **समग्र भंडार में इसका भारांश** बढ़ जाता है।
- **सोने के आयात का प्रभाव: चालू खाता घाटे में बढ़ोतरी** होती है।

5.4. वैश्विक संस्थान (Global Institutions)

5.4.1. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund: IMF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति (IMFC)[71] को संबोधित किया। इस दौरान वित्त मंत्री कहा कि IMF को उभरते और निम्न-आय वाले देशों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए।

[71] International Monetary and Financial Committee

© Vision IAS

IMFC के बारे में

- IMFC अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय प्रणाली के पर्यवेक्षण और प्रबंधन पर **IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सलाह देती है और रिपोर्ट करती है।** इसमें अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली को बाधित कर सकने वाली घटनाओं को उजागर भी किया जाता है।
- **IMFC में 24 सदस्य (भारत सहित)** हैं। इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं:
  - इसमें केंद्रीय बैंक के गवर्नर, मंत्री या समान रैंक के अन्य व्यक्ति शामिल होते हैं, और
  - इसमें आम तौर पर IMF सदस्यों (वर्तमान में, 190 देश) के गवर्नरों में से चुने गए व्यक्ति शामिल होते हैं।
- IMFC के पास निर्णय लेने की कोई औपचारिक शक्तियां नहीं हैं। यह व्यावहारिक रूप से IMF के कार्यों और नीतियों को रणनीतिक दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- IMFC का आमतौर पर साल में दो बार बैठक होता है।
- **बोर्ड ऑफ गवर्नर्स** (IMF की निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय) को **दो मंत्रिस्तरीय समितियों, यथा- IMFC** और **डेवलपमेंट कमिटी** द्वारा सलाह दी जाती है।

संबंधित सुर्ख़ियां

विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights: SDR)

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने **SDR** का मूल्यांकन करने वाली मुद्राओं की समीक्षा में **अमेरिकी डॉलर और चीनी युआन के भारांश में वृद्धि की है।**
- SDR एक **अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति** है। इसे **IMF ने 1969** में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के रूप में निर्मित किया था।
- इसका मूल्य पांच मुद्राओं के एक बास्केट पर आधारित है: **अमेरिकी डॉलर (उच्चतम भारांश), यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग (सबसे कम भारांश)।**
- इसे IMF के सदस्य देशों को इस संगठन में उनके सापेक्ष हिस्से के अनुपात में आवंटित किया जाता है।

5.4.2. विश्व बैंक समूह (World Bank Group)

WORLD BANK GROUP विश्व बैंक समूह

मुख्यालय: वाशिंगटन डी.सी., यू.एस.ए.

उत्पत्ति: यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष** (IMF) के साथ जुलाई 1944 में न्यू हैमशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में **"संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन"** में की गई थी। IMF और **विश्व बैंक** को **ब्रेटन वुड्स ट्विन्स** के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में, विश्व बैंक में निम्नलिखित पांच संगठन शामिल हैं:

- **अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक** (IBRD): इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। यह मध्यम-आय और ऋण-योग्य निम्न-आय वाले देशों को उधार देता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ** (IDA): इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। यह सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान देता है। IBRD **और** IDA **मिलकर विश्व बैंक बनाते हैं।**
- **अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम** (IFC): इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। यह सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है जो विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित है।
- **बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी** (MIGA): इसे 1988 में स्थापित किया गया था। यह एजेंसी आर्थिक संवृद्धि लाने और गरीबी कम करने आदि के लिए विकासशील देशों में FDI को बढ़ावा देती है।
- **निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र** (ICSID): इसे 1966 में स्थापित किया गया था। यह निवेश विवादों के समाधान और मध्यस्थता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करता है।

उद्देश्य: अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना और साझा समृद्धि को बढ़ावा देना।

सदस्यता: IBRD: 189, IDA: 174, IFC: 186, MIGA: 182 और ICSID: 158 सदस्य देश

भारत ICSID को छोड़कर सभी विश्व बैंक संगठनों का सदस्य है

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:

- **प्रमुख प्रकाशन:** वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस

5.5. बाह्य क्षेत्रक से संबंधित मुख्य अवधारणाएं और जानकारी (Key Concepts and Information on External Sector)

डंपिंग-रोधी शुल्क (Anti-Dumping Duty)	• भारत ने चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया से **एक विशेष प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर के आयात को लेकर डंपिंग-रोधी** जांच शुरू की है। • डंपिंग-रोधी शुल्क एक **संरक्षणवादी शुल्क** होता है। यह घरेलू सरकार द्वारा **विदेशी आयात पर लगाया जाता** है। सरकार इसे तब लगाती है, जब आयात की कीमत उचित बाजार मूल्य (या डंपिंग) से कम प्रतीत होती है। • सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और इसके 1995 के नियमों के तहत डंपिंग एक अनुचित व्यापार प्रथा है। ये भारत में डंपिंग-रोधी शुल्क के लिए कानूनी आधार प्रदान करते हैं। • **व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR),** वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा के रूप में, डंपिंग-रोधी जांच करता है।
भारत के लिए कॉम्पिटिटिवनेस रोडमैप (India's Competitiveness Roadmap)	• प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)[72] ने **"द कॉम्पेटिटिवनेस रोडमैप फॉर इंडिया@100"** जारी किया है। यह रोडमैप EAC-PM द्वारा, **इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पेटिटिवनेस** के सहयोग से जारी किया गया है। • वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की भारत की क्षमता को संभव करने वाला कोई भी समष्टि-चर (Macro-Variable) भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। • किसी देश की प्रतिस्पर्धात्मकता उस देश की **समग्र उत्पादकता के इर्द-गिर्द केंद्रित होती है।** उत्पादकता से आशय **मूल्य सृजन हेतु देश की परिसंपत्ति और उपलब्ध श्रम शक्ति को जुटाने संबंधी प्रभावकारिता से है।**
विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, 2022 (World Competitiveness Index 2022)	• विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक को **इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट डेवलपमेंट** (IMD) जारी करता है। भारत ने **एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तीव्र वृद्धि दर्ज की है।** इसमें भारत, **43वें स्थान से छह स्थान के सुधार के साथ 37वें** स्थान पर पहुंच गया है। भारत की रैंकिंग में यह सुधार **मुख्यतः बेहतर आर्थिक प्रदर्शन** के कारण संभव हुआ है। • **नोट:** यह विश्व आर्थिक मंच की **'वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट'** से भिन्न है।
उत्पत्ति के नियम {Rules of Origin (ROO)}	• केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा है कि **सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 (CAROTAR) तथा FTA के तहत उत्पत्ति के नियम (ROO) के प्रावधानों के बीच विवाद के मामले में** FTA या इसके ROO से संबंधित प्रावधान लागू होंगे। ○ FTA **शून्य या रियायती** आधारभूत सीमा शुल्क दर पर अधिकांश **वस्तुओं के आयात की अनुमति** देता है। • CAROTAR का उद्देश्य **FTA के माध्यम से** भारत को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क वंचन को रोकना है। ○ CAROTAR नियमों के तहत, आयातकों को FTA के तहत शुल्क रियायत का दावा करने के लिए मूल देश से वस्तु में **35% मूल्य वर्धन** का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। ○ **न्यूनतम जानकारी की एक सूची** (जो आयातक के पास होना आवश्यक है) भी प्रस्तुत की जाती है। **उत्पत्ति के नियम (ROO) के बारे में**

[72] The Economic Advisory Council to the Prime Minister

© Vision IAS

	• ROO किसी देश में **आयातित उत्पाद की उत्पत्ति वाले राष्ट्र का निर्धारण** करने के लिए निर्धारित मानदंड हैं। • इसके तहत जिस देश ने भारत के साथ FTA किया है, वह **किसी तीसरे देश की वस्तु को केवल अपना लेबल लगाकर** भारतीय बाजार में नहीं उतार सकता सकती है। • उसे भारत को निर्यात करने के लिए उस उत्पाद में एक निर्धारित **मूल्य वर्धन** करना होगा।
निर्यात-आयात बैंक {Export Import (Exim) Bank}	• भारत सरकार द्वारा एक्जिम बैंक की **स्थापना भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के तहत** की गयी है। • यह विदेशी वित्तीय संस्थानों, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और विदेशी संस्थाओं को लाइन ऑफ़ क्रेडिट प्रदान करता है। • **उद्देश्य:** इससे उन देशों में **खरीदारों को आस्थगित ऋण शर्तों पर भारत से विकासात्मक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात** करने में मदद मिलती है।
निर्यात/NIRYAT (राष्ट्रीय आयात-निर्यात वार्षिक व्यापार विश्लेषण रिकॉर्ड) पोर्टल {NIRYAT (National Import-Export Record for Yearly Analysis of Trade) portal}	• यह भारत के विदेश व्यापार से संबंधित आवश्यक **सभी जानकारी के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म** के रूप में कार्य करेगा। ○ यह **सभी हितधारकों को रियल टाइम डेटा** प्रदान करके बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा। • इस पोर्टल पर विश्व के **200 से अधिक देशों** को निर्यात किए जाने वाले **30 से अधिक वस्तु समूहों** से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। ○ इस पर आने वाले समय में **जिलेवार निर्यात** से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध होगी।
इंडियन बिजनेस पोर्टल (Indian Business Portal: IBP)	• **यह निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए एक ऑनलाइन वैश्विक व्यापार केंद्र है।** ○ यह बिजनेस टू बिजनेस (B2B) डिजिटल मार्केटप्लेस है। इसका उद्देश्य है: ▪ **लघु व मध्यम उद्यमों (SMEs), निर्यातकों, कारीगरों और किसानों को अपने उत्पादों के लिए नवीन बाजारों की पहचान करने तथा विश्व स्तर पर अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए सशक्त करना है।** ○ 'मेड इन इंडिया' उत्पादों के अधिक से अधिक निर्यात को प्रोत्साहित करना। ○ **इसे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन ने विकसित किया है।**
भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक 'मुद्रा और वित्त' संबंधी रिपोर्ट {RBI's report on Currency and Finance (RCF)}	• इस रिपोर्ट की थीम **"रिवाइव और रिकंस्ट्रक्ट"** है। यह रिपोर्ट मध्यम अवधि के लिए **6.5-8.5% की स्थिर आर्थिक संवृद्धि** हेतु एक रणनीति प्रदान करती है। • **वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपनी वार्षिक 'मुद्रा और वित्त' संबंधी रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:** ○ भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के नुकसान से **उबरने में 12 वर्ष** से अधिक समय लग सकता है। ○ **सार्वजनिक क्षेत्र** के बैंकों में पूंजी के समावेश से इन **बैंकों के पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात** (CRAR) को सुधारने में मदद मिली है। ○ **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARC)** के माध्यम से वसूल की गई राशि हाल के वर्षों में कम हो गयी थी। हालांकि, यह सुधरकर वर्ष 2020-21 में 41 प्रतिशत हो गयी थी।
रिवर्स करेंसी वॉर	• संयुक्त राज्य अमेरिका में **ब्याज दरें बढ़ाने से डॉलर की तुलना में अन्य मुद्राएं कमजोर** हुई हैं। ○ अधिकतर, देश अपने निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए स्वयं ऐसा करते हैं। इसे **मुद्रा युद्ध** (currency war) के रूप में जाना जाता है। • हालांकि, डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्रा के कमजोर होने से **कच्चे तेल का आयात भी महंगा** हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप, देश अब यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि उनकी **मुद्रा का डॉलर के मुकाबले बहुत अधिक मूल्यह्रास न हो।** ○ इसे **रिवर्स करेंसी वॉर** कहा जा रहा है।
ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट {Overseas Direct Investment (ODI)}	• जानकार निवेशक उदारीकृत प्रेषण सुविधा (LRS) के साथ विदेशों में क्रिप्टोकरेंसी पर दांव लगाने के लिए ODI मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। • **ODI, भारत के बाहर** एक संयुक्त उद्यम (JV) या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) में **स्वचालित मार्ग या अनुमोदन मार्ग के तहत किया गया एक निवेश है।** ○ भारतीय पक्षकारों को ऐसी विदेशी इकाइयों में निवेश करने की अनुमति नहीं है, जो: ▪ रियल एस्टेट व्यापार गतिविधि में संलग्न हैं तथा

	▪ भारतीय रुपये से जुड़े वित्तीय उत्पादों की पेशकश करते हैं। • **पात्रता-** कंपनी: संसद के अधिनियम के तहत निर्मित निकाय; भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत साझेदारी फर्म; सीमित देयता भागीदारी (LLP) अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत LLP तथा उदारीकृत प्रेषण सुविधा (LRS) के तहत निवासी व्यक्ति।
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation: IFC)	• अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) ने **6 बिलियन डॉलर का वैश्विक खाद्य सुरक्षा मंच** लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य खाद्य संकट से निपटने के लिए **निजी क्षेत्र की क्षमता को मजबूत करना और खाद्य उत्पादन में मदद** करना है। ○ यह मंच **वैश्विक खाद्य प्रणाली के लचीलेपन में सुधार** लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही, इसके जलवायु और पारिस्थितिक फुटप्रिंट को भी कम करने का प्रयास करेगा। • IFC को **1956** में स्थापित किया गया था। यह **विश्व बैंक समूह** का सदस्य है। • मुख्यालय: **वाशिंगटन डीसी।** • यह उभरते बाजारों में निजी क्षेत्र पर केंद्रित **सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है।** यह विश्व बैंक के दोहरे लक्ष्यों **(अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना और साझा समृद्धि को बढ़ावा देना)** की प्राप्ति में उसका समर्थन करता है। • **IFC की अन्य शाखाओं में शामिल हैं:** अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD); अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (IDA); बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA); तथा अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समाधान केंद्र (ICSID) या वाशिंगटन कन्वेंशन। • भारत उपर्युक्त में से **ICSID को छोड़कर** सभी का सदस्य है।

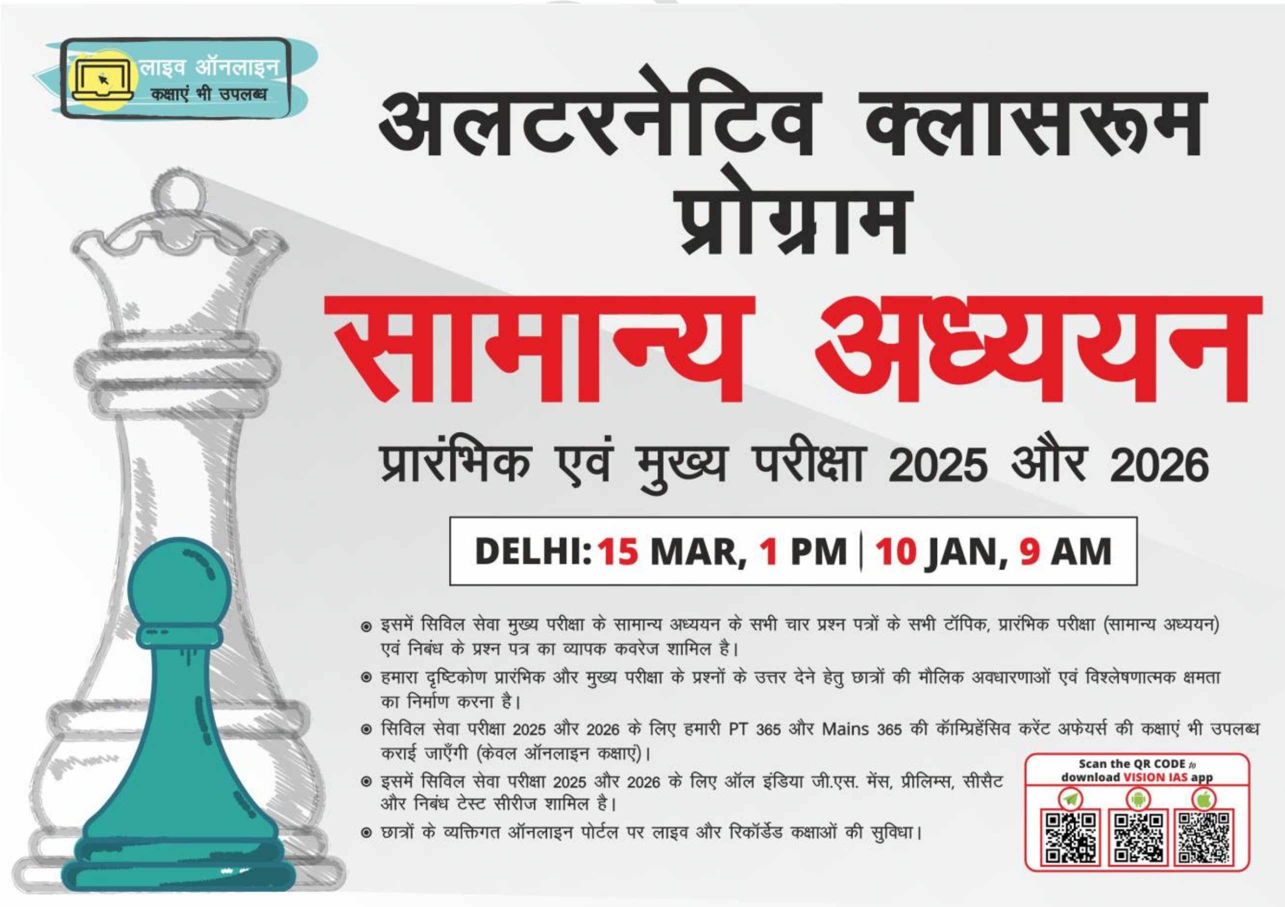

6. नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता (Innovation, Skill Development And Entrepreneurship)

6.1. नवाचार (Innovation)

6.1.1. वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global Innovation Index: GII)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत को **वैश्विक नवाचार सूचकांक** (GII)[73] 2022 में **40वां स्थान** प्राप्त हुआ है। इसे पहले GII 2021 में भारत 46वें स्थान पर था।

GII के बारे में

- इस सूचकांक को 2007 में शुरू किया गया था। GII नवाचार की वैश्विक स्थिति को ट्रैक करता है और प्रति वर्ष राष्ट्रों के नवाचार प्रदर्शन के लिए उन्हें रैंकिंग प्रदान करता है।
- वर्तमान में, इसे **WIPO** द्वारा **पोर्टुलन्स इंस्टिट्यूट,** अलग-अलग कॉर्पोरेट भागीदारों (जैसे- **भारतीय उद्योग परिसंघ**) और अकादमिक नेटवर्क के सदस्यों के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है।
    - विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)[74] वर्ष 2011 में इसमें शामिल हुआ था।

[73] Global Innovation Index

[74] World Intellectual Property Organization

- **GII 2022 की थीम:** “नवाचार-संचालित विकास का भविष्य क्या है?” (What is the future of innovation-driven growth)।
- **GII 2022 के परिणाम:** इसमें निम्नलिखित दो उप-सूचकांकों के आधार पर 132 देशों को नवाचार प्रदर्शन के लिए रैंकिंग प्रदान की गयी है:
    - इनोवेशन इनपुट सब-इंडेक्स, और
    - इनोवेशन आउटपुट सब-इंडेक्स (इंफोग्राफिक देखें)।
- **GII 2022 के शीर्ष 5 देश:** स्विट्ज़रलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड।
- **भारत:** भारत **40वें** स्थान पर है। **वर्ष 2015** से भारत की रैंकिंग में **41 स्थानों** का सुधार हुआ है। **क्षेत्र** और **आय समूह** के आधार पर, भारत **मध्य और दक्षिणी एशिया** में तथा **निम्न-मध्यम आय वाले देशों** में **शीर्ष** पर है।
    - भारत, **GII के भीतर ICT[75] सेवा निर्यात संकेतक** में **पहले** स्थान पर बना हुआ है।
    - **GII के भीतर अन्य संकेतकों के आधार पर भारत की स्थिति:**
        - मात्रा के आधार पर **उद्यम पूंजी (Venture Capital)** प्राप्तकर्ताओं में - 6ठी रैंक,
        - स्टार्ट-अप्स और स्केल-अप के लिए वित्त के मामले में - 8वीं रैंक,
        - विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक के मामले में - 11वीं रैंक,
        - श्रम उत्पादकता में वृद्धि के मामले में - 12वीं रैंक, और
        - घरेलू उद्योग के विविधीकरण के मामले में - 14वीं रैंक।
    - इसके अलावा, भारत से, **बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई** और **चेन्नई** दुनिया के सबसे बड़े शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स में शामिल हैं।

IAS

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)

WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड)

उत्पत्ति: यह **संयुक्त राष्ट्र** की विशिष्ट एजेंसी है। इसकी स्थापना **1967** में हुई थी। इसका मुख्य कार्य **“दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और बौद्धिक संपदा के संरक्षण को बढ़ावा देना”** है।

सदस्यता: वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है।

सदस्य है

भूमिका: यह कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू कराता है।

बौद्धिक संपदा के वर्गीकरण के लिए WIPO की संधियां

समझौता	वर्गीकरण	क्षेत्र
द नीस (Nice) एग्रीमेंट (1957)	नीस क्लासिफिकेशन	ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क (सेवा चिन्ह) के लिए पंजीकरण
लोकार्नो समझौता (1968)	लोकार्नो क्लासिफिकेशन	औद्योगिक डिजाइन
स्ट्रासबर्ग समझौते (1971)	अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण	प्रौद्योगिकी के अलग–अलग क्षेत्रों के अनुसार पेटेंट और यूटिलिटी मॉडल
वियना समझौता (1973)	वियना वर्गीकरण	उन चिन्हों के लिए एक वर्गीकरण (वियना वर्गीकरण) का प्रावधान करता है जिनमें आलंकारिक तत्व होते हैं।

संबंधित सुर्ख़ियां

नीति आयोग और इंस्टिट्यूट फॉर कॉम्पेटिटिवनेस ने **भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण** तैयार किया है।

[75] सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी/Information and Communications Technology

© Vision IAS

- यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। इससे उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है।
- **सूचकांक के तीसरे संस्करण के मुख्य निष्कर्ष**
- सूचकांक **7 स्तंभों में वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) के फ्रेमवर्क को** अपनाता है (इन्फोग्राफिक्स देखें)। **सूचकांक के 7 स्तंभों में शामिल हैं:**
    - **'सक्षम बनाने वाले' (Enabler)' पांच स्तंभ** इनपुट का मापन करते हैं। ये इनपुट नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जरूरी हैं।
    - **'प्रदर्शन' (Performance) से जुड़े दो स्तंभ आउटपुट** को मापते हैं। ये आउटपुट राष्ट्र के लिए **'ज्ञान के सृजन और प्रतिस्पर्धात्मकता' से जुड़े लाभों** को दर्शाते हैं।

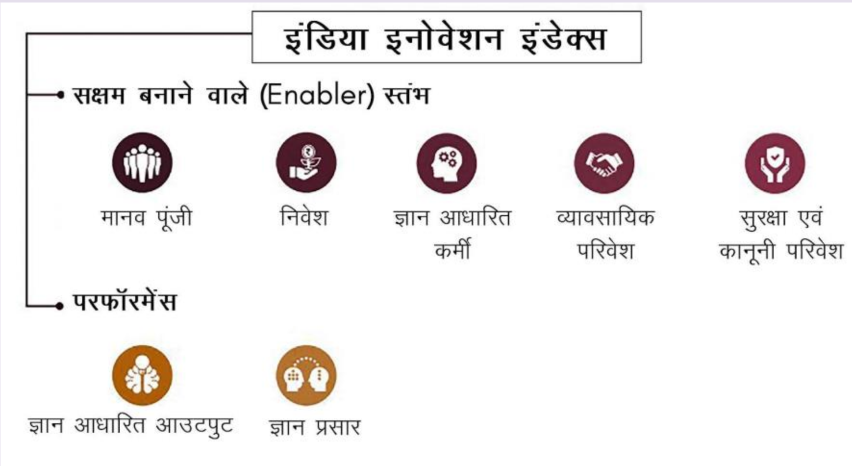

- **अलग-अलग श्रेणियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले राज्य हैं:**
    - प्रमुख राज्य: **कर्नाटक,**
    - पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य: **मणिपुर** तथा
    - केंद्र शासित प्रदेश और सिटी-स्टेट: **चंडीगढ़।**

6.1.2. भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था {Intellectual Property Rights (IPR) Regime in India}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने **भारत की IPR व्यवस्था पर एक रिपोर्ट** जारी की है।

IPR के बारे में

- **IPR** वस्तुतः व्यक्तियों को उनकी बौद्धिक रचनाओं के एवज में दिया गया एक अधिकार है। यह किसी रचनाकार को **एक निश्चित अवधि के लिए उसकी रचना के उपयोग पर विशेष अधिकार देता है।**
    - इस तरह की सुरक्षा **कॉपीराइट, भौगोलिक संकेतक (GI), पेटेंट, ट्रेडमार्क** आदि के रूप में प्रदान की जाती है।

- **'ट्रिप्स (TRIPS)'**[76], वैश्विक स्तर पर IPR के मामले में और उसे सुरक्षा देने में सबसे व्यापक बहुपक्षीय समझौता है। **ट्रिप्स** वस्तुतः **पेरिस कन्वेंशन** और **बर्न कन्वेंशन** के साथ ताल-मेल बिठाए हुए है।
    - ज्ञातव्य है कि **पेरिस कन्वेंशन** औद्योगिक संपत्ति (पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन आदि) और
    - **बर्न कन्वेंशन** साहित्यिक एवं कलात्मक कार्यों (कॉपीराइट आदि) के संरक्षण के लिए है।

[76] Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/ बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलू

भारत की IPR व्यवस्था

- यू.एस. चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने कुछ समय पहले "अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2022" प्रकाशित किया था। इस सूचकांक में भारत **55 देशों में से 43वें स्थान** पर है। यह IPR संबंधी गवर्नेंस के मामले में भारत में विद्यमान फ्रेमवर्क पर आधारित है (इन्फोग्राफिक देखें)।

भारत में IPR व्यवस्था की गवर्नेंस के लिए ढांचा

IPR के कुछ प्रकार	विधायी ढांचा	प्रशासनिक ढांचा
पेटेंट	भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 (2005 में संशोधित)	पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक (CGPDTM)
डिजाइन	डिजाइन अधिनियम, 2000	
ट्रेडमार्क	ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999	
कॉपीराइट	कॉपीराइट अधिनियम, 1957	रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट
जैव विविधता	जैव विविधता अधिनियम, 2002	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
भौगोलिक संकेतक (GI)	वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री (GIR)
ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड	सेमीकंडक्टर एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन अधिनियम, 2000	सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री (SCILDR)
पौधों की किस्में और किसान	पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001	कृषि विभाग

6.1.3. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (National Intellectual Property Awareness Mission: NIPAM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

NIPAM, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक **फ्लैगशिप कार्यक्रम** है। इसके तहत बौद्धिक संपदा (IP) के मामले में जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। हाल ही में, **NIPAM** ने 1 मिलियन छात्रों को **IP जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य हासिल** कर लिया है।

NIPAM का कार्यान्वयन

- इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन **पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक कार्यालय (CGPDTM)**[77] के **बौद्धिक संपदा कार्यालय** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

NIPAM के उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य **1 मिलियन विद्यार्थियों को बौद्धिक संपदा और उसके अधिकारों से संबंधित जागरूकता प्रदान करना** है।
- इसका उद्देश्य **कक्षा 8 से 12वीं तक के छात्रों में रचनात्मकता और नवाचार की भावना पैदा करना** है।

---

[77] The Office of the Patents, Designs and Trademarks

© Vision IAS

- इस मिशन का लक्ष्य **कॉलेज/विश्वविद्यालयों के छात्रों को उनकी रचनाओं को नवोन्मेषी बनाने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रेरित** करना है।
- इस मिशन का उद्देश्य पुनः संरचित दृष्टिकोण के माध्यम से **समाज के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित** करना है। इसके लिए **अटल इनोवेशन मिशन (AIM), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) तथा अन्य के सहयोग से** IP कार्यालय के मौजूदा संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **बौद्धिक संपदा संबंधी जागरूकता पैदा करके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा** करना है।

6.2. कौशल विकास (Skill Development)

भारत में कौशल की स्थिति पर एक नज़र

कुशल कार्यबल की स्थिति- इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023*

भारत का **रोजगार योग्य कार्यबल 46.2% से बढ़कर 50.3%** हो गया है।

52.8% महिला कार्यबल रोजगार योग्य है, जो रोजगार योग्य पुरुषों के 47.2% से **अधिक है।**

उच्चतम रोजगार योग्यता वाले राज्य

1st उत्तर प्रदेश
2nd महाराष्ट्र
3rd दिल्ली
4th आंध्र प्रदेश
5th राजस्थान
6th कर्नाटक
7th तेलंगाना
8th पंजाब
9th ओडिशा
10th हरियाणा

संस्थान

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत-

- राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA)
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)
- सेक्टर स्किल काउंसिल (SSCs) आदि।

नीति

- **राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति,** 2015

योजनाएं और पहलें

- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) और प्रधान मंत्री युवा योजना (PM-YUVA)।
  – प्रोजेक्ट ऑन रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लीनिंग (RPL)- PMKVY का एक घटक।
- अंतर्राष्ट्रीय मानक मांग के अनुसार कौशल प्रदान करने के लिए एन.एस.डी.सी. इंटरनेशनल (NSDCI) द्वारा वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (SIIC) का विकास किया गया है।
- विश्व आर्थिक मंच ने 2030 तक 1 अरब लोगों को बेहतर शिक्षा, कौशल और आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए **फंडिंग ऑफ रिस्किलिंग रेवोल्यूशन इनिशिएटिव** नामक एक पहल शुरू की है।
- उभरती हुई और भविष्य की प्रौद्योगिकियों में कौशल प्रदान करने, पुनः कौशल सिखाने और कौशल को बेहतर करने के लिए डिजिटल कौशल कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय, कौशल मंत्रालय और संबद्ध NSDCs, कौशल भारत कार्यक्रम (प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन), AICTE और 100 से अधिक प्रौद्योगिकी कॉर्पोरेट/ विनिर्माण फर्मों को शामिल किया गया है।
- प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा भारत स्किल्स फोरम ITI के प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षकों और उद्योग के लिए एक डिजिटल ज्ञान-साझाकरण मंच के रूप में स्थापित किया गया है।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों (हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, MIT आदि) को शामिल करके कौशल भारत मिशन के तहत, वैश्विक कौशल सहयोग स्थापित किया गया है।

* **'इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023' व्हीबॉक्स द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और अन्य के साथ साझेदारी में जारी की गई है।**

6.2.1. निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पहल (निपुण) {National Initiative for Promotion of Upskilling of Nirman workers (NIPUN)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने 1,00,000 निर्माण (कंस्ट्रक्शन) श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का नाम **"निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पहल (निपुण)"** है।

अन्य संबंधित तथ्य

- प्रोजेक्ट निपुण, **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)** के तहत एक पहल है। ज्ञातव्य है कि DAY-NULM उक्त मंत्रालय की प्रमुख योजना है।
- इसका कार्यान्वयन **तीन भागों** में किया जाएगा:
  - निर्माण स्थलों पर **पूर्व शिक्षण मान्यता (Recognition of Prior Learning: RPL)** के माध्यम से प्रशिक्षण;
  - नलसाजी (प्लंबिंग) और बुनियादी ढांचा क्षेत्र कौशल परामर्श परिषद (SSC) द्वारा **नए कौशल** के माध्यम से प्रशिक्षण; तथा
  - उद्योगों, बिल्डरों और ठेकेदारों के माध्यम से **अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट।**
- पाठ्यक्रम **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)** के अनुरूप हैं और मान्यता प्राप्त और संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों में प्रदान किए जाएंगे।
  - NSQF एक **राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा और योग्यता-आधारित फ्रेमवर्क** है। यह व्यक्तियों को वांछित योग्यता स्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC),** इसका कार्यान्वयन भागीदार है। साथ ही, यह समग्र रूप से प्रशिक्षण देने, निगरानी और उम्मीदवार की ट्रैकिंग के लिए जिम्मेदार होगा।
  - NSDC के साथ **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** है। इसके तहत 2022 तक **15 करोड़ भारतीयों को कुशल बनाने के लिए** निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करने की योजना है।
- प्रशिक्षुओं को **कौशल बीमा** प्रदान किया जाएगा। इसके तहत 2 लाख रुपये के मूल्य तक के तीन साल के दुर्घटना बीमा, आवश्यक डिजिटल कौशल जैसे कैशलेस लेनदेन और भीम ऐप, उद्यमिता के बारे में आरंभिक कोर्स आदि प्रदान किए जाएंगे।

6.3. उद्यमशीलता (Entrepreneurship)

6.3.1. भारत में यूनिकॉर्न (Unicorns in India)

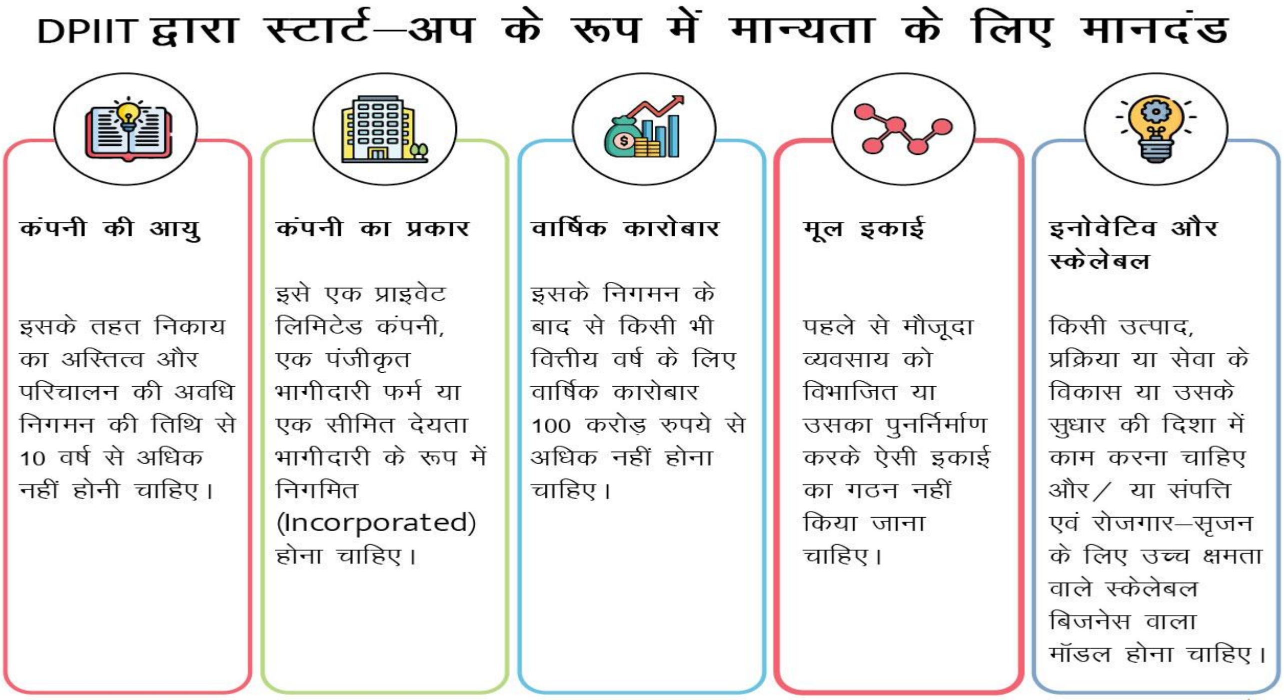

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत में अब **100 यूनिकॉर्न** ऐसे हैं, जिनकी **कुल परिसंपत्ति 25 लाख करोड़ रुपये से अधिक** हो गयी है।

भारत में यूनीकॉर्न और स्टार्ट-अप

- यूनिकॉर्न शब्द का उपयोग निजी स्वामित्व वाली ऐसी किसी भी कंपनी का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसका **कुल मूल्य एक बिलियन डॉलर को पार कर गया है।**
  - वैश्विक स्तर पर, यूनिकॉर्न की कुल संख्या के मामले में **भारत** यू.एस.ए. और चीन के बाद **तीसरे स्थान** पर है।
- स्टार्ट-अप किसी एक उत्पाद या सेवा पर केंद्रित कंपनियां या उपक्रम हैं। इसके संस्थापक इसी केंद्रित उत्पाद या सेवा को बाजार में लाना चाहते हैं।
  - इन कंपनियों के पास पूरी तरह से विकसित बिजनेस मॉडल नहीं होता है। साथ ही, व्यवसाय के अगले चरण में जाने के लिए इनके पास पर्याप्त पूंजी की कमी होती है।
  - इनके वित्त के प्रमुख स्रोत हैं: वेंचर कैपिटलिस्ट, क्राउडफंडिंग तथा ऋण।
  - स्टार्ट-अप्स को मान्यता देने के लिए DPIIT में **5 मापदंड** निर्धारित किए हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।

स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहलें

- **स्टार्ट-अप इंडिया पहल** के साथ-साथ स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड योजना आरंभ की गई है।
- **उत्पाद नवोन्मेष, विकास तथा संवृद्धि कार्यक्रम के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्टार्ट-अप एक्सेलेरेटर (समृद्ध/SAMRIDH)** योजना की शुरुआत की गई है।
- फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्ट-अप्स (FFS) को स्टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत शुरू किया गया था। यह भारतीय स्टार्ट-अप प्रणाली के लिए घरेलू पूंजी जुटाने पर केंद्रित है। इसकी घोषणा 10,000 करोड़ रुपये के आरंभिक कोष के साथ की गई थी।
  - भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) में **पंजीकृत AIFs** को FFS के तहत **सहायता** प्रदान की जाती है। ये बदले में स्टार्ट-अप्स में निवेश करते हैं।
  - **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI),** FFS की कार्यान्वियन एजेंसी है
- उत्कृष्ट स्टार्ट-अप और तंत्र को संभव बनाने वालों को पहचानने तथा उन्हें पुरस्कृत करने के लिए **राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार** आरंभ किया गया है।
- **स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS)** 2021 में शुरू की गई थी। इसके तहत पात्र **इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से** DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह वित्तीय सहायता अवधारणा के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए प्रदान की जाती है।

संबंधित सुर्ख़ियां

राज्यों के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की रैंकिंग

- इसे DPIIT ने 2018 में आरम्भ किया था। इस रैंकिंग प्रक्रिया का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके **स्टार्ट-अप परिवेश के विकास में सहायता** करना है। साथ ही, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की **सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना** भी इसके उद्देश्य में शामिल है।
- 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को **7 व्यापक सुधार क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार** पर रैंकिंग प्रदान की गई है। इनमें प्रमुख क्षेत्र हैं:
  - संस्थागत समर्थन;
  - नवोन्मेष और उद्यमिता को बढ़ावा देना;
  - बाजार तक पहुंच;
  - वित्त-पोषण सहायता;
  - मेंटरशिप समर्थन आदि।
- **प्रतिभागियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:**
  - सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता (Best performers),
  - शीर्ष प्रदर्शनकर्ता (Top performers),
  - नेतृत्वकर्ता (Leaders),
  - आकांक्षी नेतृत्वकर्ता (Aspiring leaders), और
  - उभरते स्टार्ट-अप परिवेश (Emerging start-up ecosystems)।
- AIFs **एक ट्रस्ट, एक कंपनी, एक कॉर्पोरेट निकाय या एक सीमित देयता भागीदारी** के रूप में **निजी रूप से जुटाए गए निवेश कोष** हैं। ये निवेश

भारतीय या विदेशी किसी भी स्रोत से जुटाए जा सकते हैं।
- **फैमिली ट्रस्ट, कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट और ग्रेच्युटी ट्रस्ट** को AIFs में शामिल नहीं किया जाता है।

6.3.2. गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल {Government e-Marketplace (GeM) portal}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने GeM के **कार्यादेश (Mandate) का विस्तार** करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह विस्तार **सहकारी समितियों को GeM पोर्टल पर खरीद में सक्षम बनाने** के लिए किया जा रहा है। यह कदम **सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय करना सुगम** बनाएगा।

GeM के बारे में

- इसे **सरकारी खरीदारों के लिए एक खुला और पारदर्शी खरीद प्लेटफॉर्म बनाने के लिए** 2016 में लॉन्च किया गया था।
  - इसे **नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न (NeGD)** के तकनीकी समर्थन के साथ **आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय** ने विकसित किया है। NeGD इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है।
- यह अलग-अलग **सरकारी विभागों/ संगठनों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ सहकारी संगठनों** को आवश्यक सामान्य उपयोग की **वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी** में सुविधा प्रदान करता है।
  - निजी खरीदार इस प्लेटफॉर्म पर **खरीदारी नहीं सकते हैं,** लेकिन वे पोर्टल के माध्यम से सरकारी संस्थाओं को **उत्पाद बेच सकते हैं।**
- सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के अधिदेश के अनुसार **सभी मंत्रालय या विभाग** GeM पर उपलब्ध सभी वस्तुओं और सेवाओं की GeM पोर्टल के माध्यम से ही खरीद करेंगे।
  - इसका प्रबंधन **GeM स्पेशल पर्पज व्हीकल** करता है। यह **100% सरकारी स्वामित्व** वाली कंपनी है। यह कंपनी अधिनियम की **धारा 8** के तहत पंजीकृत कंपनी है।
- सरकारी उपयोगकर्ताओं द्वारा GeM के माध्यम से खरीदारी को **वित्त मंत्रालय ने प्राधिकृत और अनिवार्य** बना दिया है।

6.4. नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं और जानकारी (Key Concepts and Information on Innovation, Skill development and Entrepreneurship)

गिग वर्कर्स (Gig Workers)	• नीति आयोग ने **"इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी"** नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया था। ○ इसके तहत **RAISE फ्रेमवर्क का उपयोग करके सामाजिक सुरक्षा संहिता** को लागू करते हुए **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करने** का सुझाव दिया गया है। 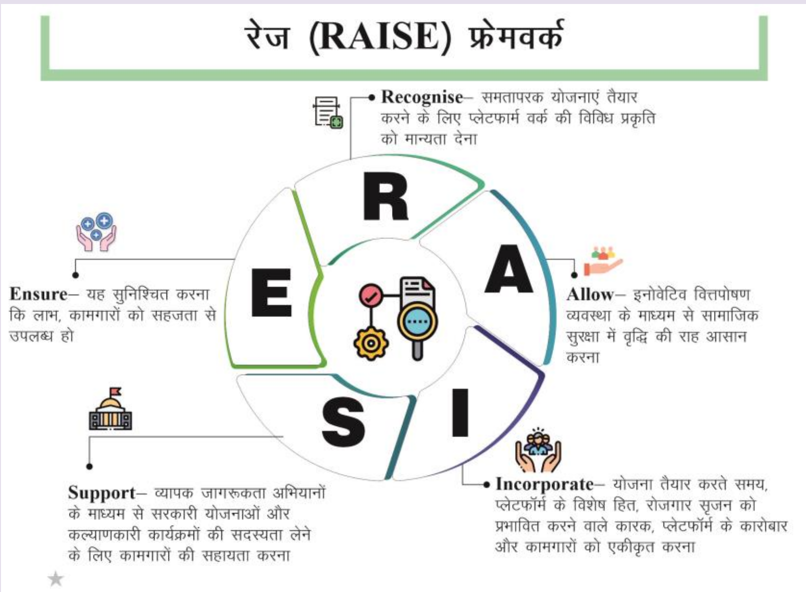 • **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** के अनुसार, गिग वर्कर एक ऐसा व्यक्ति है जो नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों की पारंपरिक व्यवस्था के बाहर काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी किसी गतिविधियों से आय अर्जित करता है।

© Vision IAS

उत्पादकता (Productivity)	• हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स द्वारा **भारतीय उत्पादकता रिपोर्ट (IPR)**[78] जारी की गई है। ○ **रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में उत्पादकता काफी कम है।** • उत्पादन प्रक्रिया में **वस्तुओं व सेवाओं के आउटपुट** और **इनपुट का अनुपात** उत्पादकता कहलाती है। इनपुट में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मानव के साथ-साथ अन्य कारकों को भी शामिल किया जाता है। • इसे **श्रम उत्पादकता या कुल कारक उत्पादकता (TFP)**[79] **के रूप में मापा** जा सकता है।
टाइम बैंकिंग (Time banking)	• **टाइम बैंक महिलाओं के बीच सहकारिता के आधार पर समय-साझा** करने की व्यवस्था पर केन्द्रित है। इसमें एक घंटा एकमुश्त क्रेडिट के बराबर होता है, भले ही निष्पादित सेवा या प्रत्येक व्यक्ति का कौशल या लैंगिक स्तर कुछ भी हो। ○ टाइम बैंकिंग को **परित्याग किए गए समय के संदर्भ में एक अवैतनिक गतिविधि की अवसर लागत के रूप** में देखा जा सकता है। ○ सेवा के आदान-प्रदान के प्रत्येक घंटे के लिए, **सेवा प्रदाता को एक टाइम क्रेडिट प्राप्त होता है** तथा **लाभार्थी द्वारा एक टाइम क्रेडिट का भुगतान किया जाता है।**
राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) पोर्टल {National Career Service (NCS) Portal}	• यह **श्रम और रोजगार मंत्रालय** का एक पोर्टल है। इसे **वर्ष 2015 में लॉन्च** किया गया था। यह एक **रोजगार प्लेटफ़ॉर्म** है। यह अलग-अलग प्रकार की रोजगार सेवाएं प्रदान करता है। ○ इसका उद्देश्य **रोजगार चाहने वाले योग्य उम्मीदवारों को उपयुक्त रोजगार खोजने के लिए संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने में मदद** करना है। • NCS करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन और करियर कौशल प्रशिक्षण के जरिए **उम्मीदवारों के व्यक्तित्व में भी सुधार** लाता है। • **NCS और ई-श्रम के बीच लिंकेज** का कार्य इस वर्ष पूर्ण हो गया है।
अटल न्यू इंडिया चैलेंज (Atal New India Challenge - ANIC)	• अटल नवाचार मिशन (AIM) ने अपने **अटल न्यू इंडिया चैलेंज (ANIC) कार्यक्रम के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों का शुभारंभ** किया है। इन चुनौतियों के माध्यम से जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के समाधान का प्रयास किया जाएगा। • ANIC, **नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (AIM) का एक प्रमुख कार्यक्रम है।** ○ इसका उद्देश्य उन प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचारों की **तलाश, चयन, समर्थन और पोषण** करना है, जो राष्ट्रीय महत्व तथा सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों को हल कर सकें। ○ इसका उद्देश्य व्यावसायीकरण के वैली ऑफ़ डेथ चरण को संबोधित करना है। यह नवोन्मेषकों को टेस्टिंग, पायलटिंग और बाजार निर्माण के लिए संसाधनों तक पहुंच से जुड़े जोखिमों का समाधान प्राप्त करने में समर्थन प्रदान करेगा। • यह **अनुदान-आधारित तंत्र** के माध्यम से **₹1 करोड़** तक की धनराशि प्रदान करता है। यह निम्नलिखित के लिए उपलब्ध है: ○ **कंपनी अधिनियम** के तहत निगमित कोई भी **भारतीय कंपनी।** ○ **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा** मान्यता प्राप्त **स्टार्ट-अप के रूप में पंजीकृत** कोई भी कंपनी।
SETU/सेतु (सपोर्टिंग इंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग) {SETU (Supporting Entrepreneurs in Transformation and Upskilling)}	• वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने **सेतु पहल** आरंभ की है। यह पहल **भारत के स्टार्ट-अप्स को अमेरिका स्थित निवेशकों और स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के लीडर्स को वित्त पोषण, बाजार पहुंच आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में मेंटरशिप व सहायता के साथ जोड़ने** के लिए शुरू की गई है। ○ **सेतु** को अमेरिका में स्थित उन मार्गदर्शकों के लिए **भौगोलिक बाधाओं को समाप्त** करने हेतु डिज़ाइन किया गया है, जो भारत में उद्यमिता और सनराइज स्टार्ट-अप में निवेश करने के इच्छुक हैं। • स्टार्ट-अप इंडिया पहल **MAARG/मार्ग (मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलिएशन एंड ग्रोथ) कार्यक्रम** के तहत मेंटरशिप पोर्टल के माध्यम से हितधारकों के मध्य इस अंतर्क्रिया का समर्थन किया जाएगा। यह पोर्टल भारत में स्टार्ट-अप्स के लिए सिंगल-स्टॉप समाधान खोजकर्ता है।
मार्ग/ MAARG (Mentorship, Advisory, Assistance, Resilience and	• मार्ग/ MAARG - मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेसिलिएंस एंड ग्रोथ का संक्षिप्त रूप है। यह पोर्टल अलग-अलग क्षेत्रों, कार्यों, चरणों, भौगोलिक क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के स्टार्ट-अप्स के लिए **मेंटरशिप की सुविधा** प्रदान करता है। • **पोर्टल के उद्देश्य:** ○ **स्टार्ट-अप्स को क्षेत्र केंद्रित मार्गदर्शन,** शुरुआती समर्थन और सहायता प्रदान करना। ○ **मेंटर (मार्गदर्शन करने वाला)-मेंटी (मार्गदर्शन प्राप्तकर्ता) संलग्नता** की समय पर ट्रैकिंग के लिए **कुशल मेंटरशिप** और एक तंत्र की सुविधा प्रदान करना।

[78] Indian Productivity Report

[79] Total Factor Productivity

Growth) पोर्टल	○ **इसमें अनुकूलित किए जाने योग्य मेंटरशिप प्रोग्राम,** योगदान देने वाले मेंटर्स को मान्यता देना आदि शामिल हैं।
गोइंग ऑनलाइन ऐज लीडर्स (GOAL) कार्यक्रम	• हाल ही में, **जनजातीय कार्य मंत्रालय** ने GOAL कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। • **GOAL कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय और फेसबुक इंडिया** की संयुक्त पहल है। इसका लक्ष्य डिजिटल मोड के माध्यम से जनजातीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना है। • इसका उद्देश्य **जनजातीय समुदायों** के 10 लाख **युवाओं** को **डिजिटल रूप से सक्षम बनाना** और **डिजिटल प्रौद्योगिकी** का उपयोग करके उनके लिए अवसर खोलना है। • **यह स्वयं सहायता समूहों** और **भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED)** से जुड़े परिवारों के लिए उनके उत्पादों की वैश्विक स्तर तक पहुंच बनाने हेतु **एक मंच तैयार करेगा।**
ग्रामीण उद्यमी परियोजना {Grameen Udyami Project (GUP)}	• मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार ने **'ग्रामीण उद्यमी परियोजना' (GUP) का दूसरा चरण** आरंभ किया है। • यह परियोजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम' (NSDC) द्वारा वित्त पोषित है। इसका उद्देश्य **जनजातीय समुदायों** के समावेशी और सतत विकास के लिए **कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।** ○ यह परियोजना **छह राज्यों**- महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है। ○ इसे **'सांसद परिषद योजना'** के तहत लागू किया जा रहा है। • **इस परियोजना के** तहत प्रशिक्षण, **रोजगार की भूमिकाओं** (जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लंबिंग, फार्म मशीनीकरण आदि) में आयोजित किया जाता है।

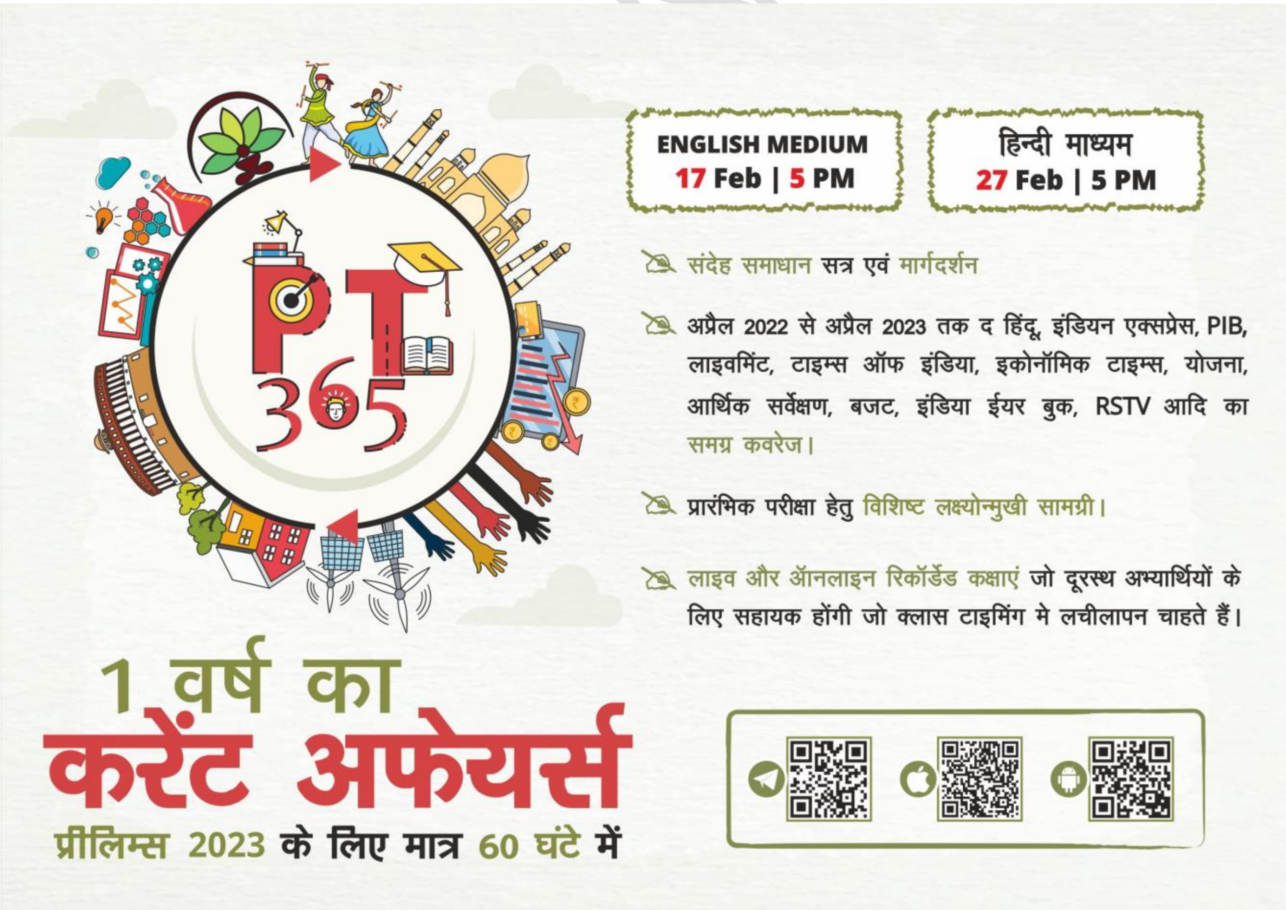

7. कृषि (Agriculture)

7.1. कृषि संबंधी आदान/इनपुट्स (Agricultural Inputs)

7.1.1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price: MSP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)[80] ने 2023-24 के लिए रबी फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को अपनी मंजूरी दे दी है।

MSP के बारे में

- यह एक **मूल्य समर्थन तंत्र** है। यह किसानों को उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक **सुरक्षा जाल के रूप में कार्य** करता है।
    - **MSP प्रणाली को गेहूं के लिए 1966-67 में आरंभ किया गया था। बाद में इसमें अन्य आवश्यक खाद्य फसलों को शामिल करते हुए इसका विस्तार किया गया।** इन खाद्यान्नों को बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)[81] के माध्यम से सब्सिडीकृत दरों पर गरीबों को बेचा जाने लगा।
    - MSP आधारित खरीद प्रणाली का उद्देश्य किसानों को कई अवांछित कारकों, जैसे- मानसून, जानकारी के अभाव आदि के कारण फसलों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाना है।

MSPs कैसे निर्धारित किया जाता है?

जब कोई किसान फसल उगाता है तो उसे कुछ उत्पादन लागत उठानी पड़ती है। इनमें से कुछ लागतें स्पष्ट, अप्रत्यक्ष या अवैतनिक होती हैं। CACP द्वारा निम्नलिखित लागतों के आधार पर MSP को निर्धारित किया जाता है:

1. **A2**: इसके तहत किसानों द्वारा बीज, उर्वरक, रसायनों, श्रम, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए सभी नकद और अन्य व्यय को शामिल किया जाता है।
2. **A2+FL**: इसके अंतर्गत वास्तविक लागत और अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक निर्धारित मूल्य शामिल किया जाता है।
3. **C2**: इसमें 'A2+FL' में किसान की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को शामिल किया जाता है।

सरकार A2+FL को उत्पादन लागत मानती है।

---

[80] Cabinet Committee on Economic Affairs

[81] Public Distribution System

- MSP को **कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)**[82] **की सिफारिशों के आधार पर वर्ष में दो बार तय** किया जाता है। इसके बाद CCEA द्वारा इसे स्वीकृति दी जाती है। CACP भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।
- CACP **किसान द्वारा किए गए खर्चों के आधार पर MSP** को निर्धारित करता है (इन्फोग्राफिक्स देखें)।
  - अंतिम **MSP के निर्धारण में किए गए व्यय (A2) और पारिवारिक श्रम (FL)**[83] **की लागत को शामिल किया जाता है।**
  - इसमें एक अलग **लागत विधि (C2) पर विचार** करने की मांग की जा रही है।
  - **राष्ट्रीय किसान आयोग (स्वामीनाथन समिति)** ने भी सिफारिश की थी कि **MSP को भारित औसत उत्पादन लागत से कम-से-कम 50% अधिक निर्धारित किया जाना चाहिए।**

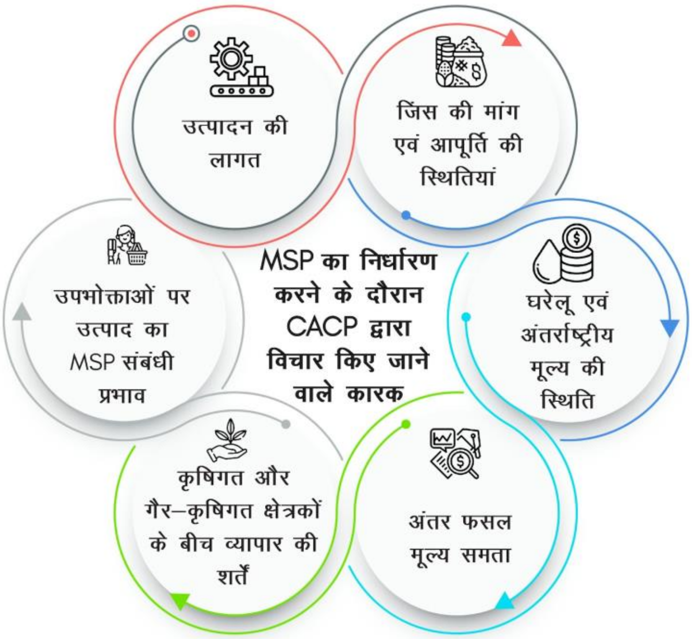

संबंधित सुर्ख़ियां

मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilization Fund: PSF)

- **PSF को 2014-15** में कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (DAC&FW) के तहत **स्थापित किया** गया था।
- **इस कोष का महत्व:** इसके तहत एक **रणनीतिक बफर** बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। इससे आवश्यकता पड़ने पर बाजार में दाल, प्याज और आलू जैसी कमोडिटी की आपूर्ति की जा सकगी।
  - इससे **कीमतों के उतार-चढ़ाव** में कमी आएगी, तथा
  - इससे **जमाखोरी और सौदेबाजी से संबंधित गतिविधियों में भी कमी आएगी।**
- यह **किसानों/ किसान संघों से खेत/मंडी पर ही प्रत्यक्ष खरीद को बढ़ावा देता है।**

7.1.2. नैनो यूरिया (Nano-Urea)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कलोल स्थित **इफको (IFFCO)** के **नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र** ने नैनो यूरिया विकसित किया है।

नैनो यूरिया की विशेषताएं

- नैनो यूरिया एक **पेटेंट प्राप्त रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक** है। इसमें **20-50 नैनोमीटर के नैनो नाइट्रोजन कण** होते हैं।
- **नैनो यूरिया की पोषक तत्व उपयोग क्षमता 80% से अधिक है।** इसके विपरीत, पारंपरिक दानेदार यूरिया की यह क्षमता केवल 30-50% ही है।

  - नैनो यूरिया की पोषक तत्व उपयोग क्षमता अधिक इसलिए है, क्योंकि **नैनो यूरिया में सतह-द्रव्यमान अनुपात** (Surface-mass ratios) अधिक होता है। यह विशेषता पौधों को पोषक तत्वों की नियंत्रित उपलब्धता में मदद करती है।
- यह **फसल उत्पादकता को 8% तक बढ़ाता है।**

[82] Commission for Agricultural Costs and Prices

[83] Family Labour

© Vision IAS

- **पारंपरिक यूरिया से नाइट्रोजन निम्नलिखित कारणों से व्यर्थ हो जाता है:**
  - **निक्षालन (Leaching):** इससे मिट्टी और जल निकाय दूषित हो जाते हैं।
  - **वाष्पीकरण:** वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण और वैश्विक तापवृद्धि को बढ़ावा मिलता है।
- नैनो-यूरिया, पारंपरिक यूरिया के उत्पादन में वृद्धि के साथ, 2025 तक यूरिया आयात को खत्म करने में भारत की मदद कर सकता है।

संबंधित सुर्ख़ियां

सरकार का लक्ष्य 2023 में नैनो-DAP, SSP-यूरिया मिश्रण को लॉन्च करना है

- **नैनो-डाइमोनियम फॉस्फेट (नैनो-DAP) और सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) तथा यूरिया का मिश्रण** इस क्षेत्रक की आयात निर्भरता को कम करने में मदद करेगा।
- **डाई-अमोनियम फॉस्फेट** को लोकप्रिय रूप से DAP के रूप में जाना जाता है। यह भारत में काफी प्रचलित उर्वरक है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होते हैं जो प्राथमिक मैक्रो-पोषक तत्व हैं। भारत इसकी अधिकांश मात्रा का आयात करता है।
- DAP के बाद SSP सबसे प्रचलित फास्फेटिक उर्वरक है, क्योंकि इसमें कई सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ पादपों के लिए **3 प्रमुख पोषक तत्व, जैसे- फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम शामिल होते हैं।** यह भारत में उपलब्ध है।

7.2. फसली कृषि (Crop Cultivation)

7.2.1. अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (IYM) 2023 {International Year of Millets (IYM) 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने **वर्ष 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष'** के रूप में घोषित किया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में **मोटे अनाज के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता** फैलाना है।

मोटे अनाज और उनके महत्व के बारे में

- **मोटे अनाजों** को प्रोटीन, विटामिन-A, आयरन और आयोडीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्वों की प्रचुरता के कारण **पोषक-अनाज या सुपरफूड** के रूप में भी जाना जाता है। ये छोटे दाने वाले अनाजों के एक विविध परिवार (Poaceae family) का सदस्य हैं।
  - भारत ने **2018** को **मोटे अनाज के राष्ट्रीय वर्ष** के रूप में मनाया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को IYM के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव दिया था।
- इन्हें मुख्यतः **समशीतोष्ण, उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क क्षेत्रों में कम उत्पादक भूमि** पर उपजाया जाता है। मनुष्यों द्वारा इनका उपयोग अनाज वाली फसलों / खाद्यान्न और चारे के रूप में किया जाता है।
  - भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज की **प्रमुख फसलें हैं: बाजरा, ज्वार (सोरघम), और फिंगर मिलेट (मंडुआ/रागी)।** इनमें **बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन** होता है।

- ○ **प्रमुख उत्पादक: राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा।**
- **भारत में उत्पादन: कुल मिलाकर, एशिया के उत्पादन का 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% हिस्सा भारत में उत्पादित होता है।**
  - ○ भारत वैश्विक मोटे अनाज के व्यापार में पांचवें स्थान पर है, लेकिन यह घरेलू उत्पादन का 1% से भी कम है।
- ये कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में लाभकारी हैं।
- **अन्य विशेषताएं:** सूखा प्रतिरोधी; छोटा वर्धन काल (Short growing period); कार्बन कैप्चर करने और जलवायु अनुकूलन में सहायता करने की क्षमता; और आदिवासियों की कृषि पद्धति के साथ पारंपरिक जुड़ाव, जैसे- कर्नाटक रागी हब्बा (महोत्सव)।

मोटे अनाज के लिए भारत में आरंभ की गई पहलें

- **नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP), इंडिया** ने एशिया और अफ्रीका में मोटे अनाज को मुख्यधारा में लाने के लिए **"मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस"** पहल शुरू की है।
- **मोटे अनाज को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित** किया गया है। इसे **पोषण अभियान** के तहत शामिल किया गया है।
- APEDA[84] ने **वित्त वर्ष 2026 तक 2,000 करोड़ रुपये मूल्य के मोटे अनाज के निर्यात की योजना** बनाई है। इसे **कम-से-कम 100 देशों को मूल्य वर्धित और प्रसंस्कृत जैविक मोटे अनाज के उत्पादों का निर्यात करके** हासिल किया जाएगा।

> **एपीडा (APEDA)**
>
> **संबद्ध कानून:** यह एक सांविधिक संस्था है। इसे **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985** के तहत स्थापित किया गया था।
>
> **मंत्रालय:** यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
>
> **भूमिका:** एपीडा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता में सुधार कर रहा है।

7.2.2. चावल/ धान की खेती (Rice/ Paddy Acreage)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उत्तर भारत के अग्रणी चावल उत्पादक क्षेत्रों (यू.पी., बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल) में **मानसूनी वर्षा के कम होने से 15 जुलाई, 2022 तक धान का उपज** पिछले वर्ष (समय अवधि: जून से मध्य जुलाई) की तुलना में **17.4% कम** था।

भारत में धान की खेती

- **जलवायु परिस्थितियां:** धान एक खरीफ फसल है। इसकी खेती के लिए **उच्च तापमान** (फसल के पूरे जीवन काल में 21ºC-37ºC), **उच्च आर्द्रता, लंबे समय तक धूप** और **सिंचाई/ वर्षा जल** (100 से.मी. से ऊपर) की सुनिश्चित आपूर्ति की आवश्यकता होती है।
  - ○ **जलोढ़ मृदा** में इसकी सबसे अच्छी वृद्धि होती है। यह मृदा खेतों में पानी को रोके रखने में सहायक होती है।
- **भारत में उत्पादन:** चीन के बाद **भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश** है।
  - ○ भारत दुनिया में **चावल का सबसे बड़ा निर्यातक** (40% से अधिक की वैश्विक हिस्सेदारी) भी है। इस प्रकार उत्पादन में थोड़ी बहुत कमी होने के बाद भी भारत चावल का आयात शायद ही करता है।
- **धान की खेती की अन्य पद्धतियां: प्रतिरोपण (Transplantation), ड्रिलिंग पद्धति, डायरेक्ट-सीडेड पद्धति, श्री पद्धति या सिस्टम ऑफ़ राइस इंटेंसीफिकेशन (SRI)।**
  - ○ श्री पद्धति वस्तुतः धान के पौधों, मृदा, जल और पोषक तत्वों के प्रबंधन में बदलाव लाकर विशेष रूप से अधिक जड़ वृद्धि को प्राप्त करके सिंचित चावल की उत्पादकता बढ़ाने की एक पद्धति है।

सुर्ख़ियों में रही चावल की किस्में

बासमती चावल (Basmati Rice)	• **भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान** ने बासमती चावल की नई किस्में विकसित की हैं। ये किस्में: ○ **धान के दो सामान्य रोगों** (एक जीवाणु और एक कवक संबंधी) तथा **शाकनाशियों के विरुद्ध प्रतिरोधी** हैं; ○ **35% तक जल संरक्षित कर सकती हैं,** क्योंकि धान की फसल की वृद्धि के लिए चावल की प्रत्यक्ष बीजरोपण

[84] Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority/ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

© Vision IAS

	(DSR) विधि का उपयोग किया जाता है। • **ऐसे राज्य, जिन्हें बासमती के लिए भौगोलिक संकेतक दर्जा प्राप्त है:** जम्मू और कश्मीर (चुनिंदा जिले), हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) और उत्तराखंड।
चीन ने बारहमासी चावल की किस्म का विकास किया (China develops perennial rice varieties)	• **चीन ने PR23 नामक चावल की किस्म** विकसित की है। इसे हर साल रोपने की जरूरत नहीं है। मजबूत जड़ों वाले इसके पौधे प्रत्येक कटाई के बाद स्वतः तेजी से उग आते हैं। यह किस्म **चार वर्षों में लगातार आठ उपज** दे सकती है। • **चिंताएं:** नियमित तौर पर उगाए जाने वाली चावल की किस्मों की तुलना में **बारहमासी किस्म की खेती के लिए** एक से अधिक बार शाकनाशी उपाय करने की जरुरत पड़ती है। जब बारहमासी किस्म किसी वजह से उपज नहीं दे पाती है, तो इसे फिर से बोने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ते हैं।

काला नमक चावल (Kalanamak rice)	• **भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI)** ने काला नमक चावल की **दो बौनी किस्मों** को सफलतापूर्वक विकसित किया है। इनका नाम है- **पूसा नरेंद्र काला नमक 1638** और **पूसा नरेंद्र काला नमक 1652**
	• ये किस्में **लॉजिंग की समस्या का समाधान करती** हैं।
	  ○ लॉजिंग: खेत में अत्यधिक जलभराव व तेज हवा के कारण तने के टूटने से फसल का झुक जाना या गिर जाना है।
	• **काला नमक चावल को बुद्ध चावल के रूप में भी जाना** जाता है। **काला नमक एक सुगंधित,** एक असामान्य काले भूसी के साथ बेहतरीन और छोटे दाने वाले चावलों में से एक है।
	  ○ यह **आयरन और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर** है। **चावल की यह किस्म अल्जाइमर को रोकने में भी मदद** कर सकती है।
	  ○ **वर्ष 2013 में इसे भौगोलिक संकेतक (GI) दर्जा प्रदान** किया गया था।

DRR धान 60 (DRR Dhan 60)	• **भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान** के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म विकसित की है। इसमें सामान्य से **लगभग 30% तक कम फास्फोरस की आवश्यकता होगी।**
	• **DRR धान 60** देश में **कम फास्फोरस आवश्यकता** वाली चावल की पहली किस्म है।
	  ○ **DRR धान 66, DRR धान 65 और WGL-1487** चावल की अन्य किस्में हैं, जो समान लाभ प्रदान करती हैं।
	• **फास्फोरस** एक प्रमुख **सूक्ष्म पोषक** तत्व है। यह कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा भंडारण और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है।
	  ○ यह पौधों में **जड़ के विकास** में तेजी लाने में मदद करता है। साथ ही, **यह अधिक नाइट्रोजन ग्रहण** की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे **अधिक प्रोटीन युक्त उपज प्राप्त** होती है।

7.2.3. भारत में गन्ने का उत्पादन (Sugarcane Production in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत 2021-22 में दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया। इसके बाद ब्राजील का स्थान है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत, दुनिया में चीनी के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में भी उभरा है। इसने लगभग 40,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

गन्ने की खेती के लिए जलवायु परिस्थितियां //Climatic conditions for Sugarcane..

- इसकी खेती के लिए 21°C से 27°C के बीच के औसत तापमान के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है।
- गन्ने की खेती के लिए 75-150 से.मी. की वर्षा अनुकूल मानी जाती है।
- इसे नमी बनाए रखने वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। गहरी प्रचुर दोमट मिट्टी इसकी वृद्धि के लिए आदर्श मानी जाती है।

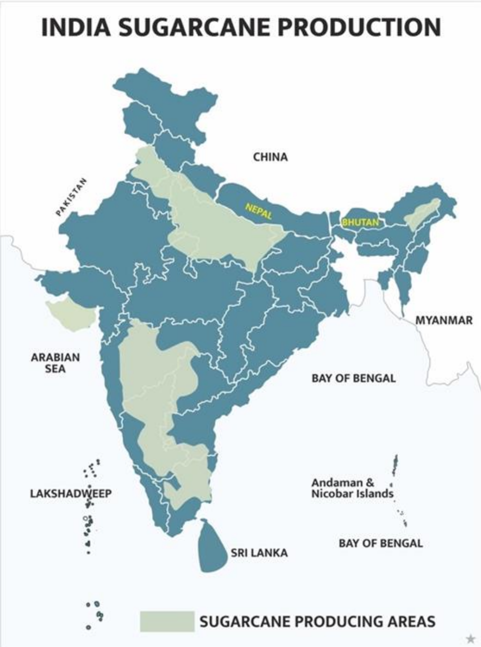

PT 365 - अर्थव्यवस्था

गन्ना उत्पादन में राज्य स्तरीय बदलाव (2011-2020)

- **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार,** उत्तर भारत के छह गन्ना उत्पादक राज्यों ने वर्ष 2011-2020 के बीच अपने **गन्ना उत्पादन मूल्य में 42 प्रतिशत** की वृद्धि दर्ज की है। इसी अवधि के दौरान दक्षिण के पांच गन्ना उत्पादक राज्यों के उत्पादन मूल्य में **32.4 प्रतिशत की गिरावट आई** है।
- हालांकि, इस अवधि में दक्षिण भारत के पाँच राज्यों में गन्ने के समग्र उत्पादन मूल्य में गिरावट आई है। इनमें **आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र** शामिल हैं।
    - **इन राज्यों में, महाराष्ट्र ने पांच साल के अंतराल के बाद भारत के शीर्ष चीनी उत्पादक के रूप में अपना स्थान फिर से हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है।**
- **उत्तर प्रदेश में गिरावट क्यों?**
    - **इथेनॉल उत्पादन** के लिए गन्ने का अत्यधिक उपयोग।
    - पूर्वी उत्तर प्रदेश के **निचले इलाकों में अतिवृष्टि और जलभराव** से फसल को नुकसान।
    - अधिकांश क्षेत्र में गन्ने के **एक ही किस्म अर्थात् Co-0238 की खेती** की जाती है, जिससे यह **रेड रॉट फंगल डिजीज** से ग्रसित हो जाता है।

7.2.4. कपास की खेती (Cotton Cultivation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने कुछ प्रकार की जीनोम-संशोधित फसलों को आनुवंशिक रूप से संशोधित या जी.एम. फसलों पर लागू **कठोर विनियमों से छूट** दी है। इससे ऐसी फसलों पर आगे अनुसंधान एवं विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

फसलों के आनुवंशिक संशोधन (GM) के बारे में

- GM एक ऐसी तकनीक है, जिसमें किसी जीव के **जीनोम में DNA का प्रवेश** कराया जाता है।
- **GM की श्रेणियां: संशोधन (एडिट) की प्रकृति के आधार पर, इस प्रक्रिया को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:**
    - साइट डायरेक्टेड न्यूक्लीज (SDN)-1,
    - SDN-2 और
    - SDN-3

GM फसलों के विनियमन में हाल में दी गयी छूट

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने SDN1 और SDN2 जीनोम संपादित पौधों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 से छूट दी है। यह छूट खतरनाक सूक्ष्मजीवों या आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग या आयात या निर्यात तथा भंडारण नियम, 1989 के मामले में दी गई है।
    - SDN1 और SDN2 में **बाह्य (विदेशी) आनुवंशिक सामग्री शामिल नहीं** होती है। साथ ही, अंतिम उत्पाद पारंपरिक नस्ल वाली फसल किस्मों से अलग नहीं होता है।
    - दूसरी ओर, SDN3 प्रक्रिया में **बाह्य उत्पत्ति के बड़े DNA तत्वों या पूर्ण लम्बाई के जीनों का प्रवेश** कराया जाता है, जो इसे GMO (अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव) विकास के समान बनाता है।

- **विनियमन: जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC)** भारत में किसी भी GM सामग्री की मंजूरी के लिए विनियामक संस्था है। यह **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** के तहत एक **वैधानिक निकाय** है।
- **BT कपास (BG-1 और BG-2):** यह देश में वाणिज्यिक खेती के लिए GEAC द्वारा अनुमति प्राप्त **एकमात्र GM फसल** है।

© Vision IAS

- हरियाणा सरकार ने BG-2 RRF का फील्ड ट्रायल करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जारी किया है। यह बीटी कपास की एक **शाकनाशी सहिष्णु** और **कीट प्रतिरोधी किस्म** है।
- BG-2 RRF **अमेरिकी बोलवर्म** जैसे विनाशक **कीटों के हमले से सुरक्षा** प्रदान कर सकता है।

कपास की फसल के बारे में:

- यह **खरीफ** की फसल है। यह **दक्कन के पठार** की काली कपासी मिट्टी में अच्छी तरह से उत्पादित होती है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है।
- **जलवायु परिस्थितियां:**
  - **वार्षिक तापमान आवश्यकता:** 20-28 डिग्री सेल्सियस,
  - **वर्षा:** 55-110 से.मी.,
  - **न्यूनतम 180 पालारहित दिवस।**
- **कपास उत्पादक राज्य:** महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश।
- **भारत में कपास की सभी चार प्रजातियां उगाई जाती हैं। ये चार प्रजातियां हैं:**
  - गॉसिपियम आर्बोरियम (एशियाई कपास),
  - हर्बेसम (एशियाई कपास),
  - जी.बारबडेंस (मिस्र की कपास) और
  - जी. हिर्सुटम (अमेरिकी उच्चभूमि कपास)।

शब्दावली को जानें

भूरा कपास (ब्राउन कॉटन)

- भूरा कपास (कंडू) **देशी कपास की एक स्थानीय (कर्नाटक) किस्म है।** यह अपने प्राकृतिक भूरे रंग के कारण लोकप्रिय है।
- भूरा कपास **वर्षा पर निर्भर कपास की एक किस्म है। दक्षिण भारत का पर्यावरण इसके लिए उपयुक्त है।**
- प्राकृतिक रूप से उगने वाले **भूरे रंग के कपास कीट और सूखा प्रतिरोधी** होते हैं।
- भूरे कपास के मामले में **रंगाई की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती** है, अर्थात् इसमें **डाई का प्रयोग सीमित** होता है तथा **जल का कम उपयोग** होता है। साथ ही, **अपशिष्ट जल कम मात्रा में उत्पन्न** होता है तथा रसायनों की कम खपत होती है।
- इसका फैब्रिक **गैर–एलर्जी** प्रकृति का होता है। साथ ही, इसमें **सूर्य से आने वाली पराबैंगनी (UV) किरणों से सुरक्षा** प्रदान करने का विशेष गुण भी है।

संबंधित सुर्ख़ियां

पिंक बॉलवर्म (PBW)

- हाल ही में **पंजाब और हरियाणा में कपास फसल चक्र के आरंभिक चरण में PBW संक्रमण** की सूचना प्राप्त हुई है।
- पिंक बॉलवर्म (पेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला) एक कीट है। इसे **कपास के कीट के रूप में जाना जाता है।** ऐसा माना जाता है कि यह **पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र का स्थानिक** जीव है।
- **वयस्क मादा PBW, कॉटन बॉल्स पर अंडे** देती है। अंडों में निकले नये **लार्वा बीजों को खाते** हैं और कपास के रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे **उपज और गुणवत्ता** कम हो जाती है।
- PBW प्रथम पीढ़ी के **ट्रांसजेनिक बीटी कपास** व कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध प्रदर्शित करता है।

GM सरसों DMH 11

- हाल ही में, सरकार ने GM सरसों DMH 11 के **पर्यावरणीय रिलीज को मंजूरी** दी थी।
- GM सरसों DMH 11 का विकास **बार्नेज-बारस्टार प्रणाली** के माध्यम से किया गया है। यह हाइब्रिड बीजों की एक उत्पादन प्रणाली है। इसका उपयोग **स्व-परागित (self-pollinated) फसलों** में किया जाता है। इससे **फसल की उपज और इसके अनुकूलन में वृद्धि** होती है। इस प्रक्रिया को **हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस** (vigour or heterosis) के रूप में जाना जाता है।
  - इसमें **बैसिलस एमाइलोलिक्विफेन्स** नामक मृदा में पाए जाने वाले जीवाणुओं से अलग किए गए दो बाहरी जीन शामिल हैं।
- इसे दिल्ली विश्वविद्यालय के **सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स (CGMCP)** ने विकसित किया है। इसे सरसों की पूर्वी यूरोपीय किस्म **'अर्ली हीरा-2' म्यूटेंट (बारस्टार)** और भारतीय किस्म **'वरुण' (बार्नेज लाइन)** के मध्य क्रॉस ब्रीडिंग से विकसित किया गया है।
- **धारा मस्टर्ड हाइब्रिड-11 (DMH-11) ने राष्ट्रीय 'चेक' (वरुण) की तुलना में लगभग 28% अधिक और क्षेत्रीय 'चेक्स' (RL1359) से 37% ज्यादा उपज** प्रदान की है।
  - **'चेक्स' किसी क्षेत्र में सरसों की किस्मों** का सूचक है। आमतौर पर, नई किस्मों की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने से पहले यह साबित करना होता है कि यह पुरानी किस्म से अधिक उपज देती है।
- यह किस्म **खेती के लिए तथा भोजन और चारे के लिए भी सुरक्षित** है जिसमें गैर-ट्रांसजेनिक फसलों की ओर **मधुमक्खियों का समान आकर्षण** देखा गया है।

7.2.5. जूट की खेती (Jute Cultivation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारत का जूट उत्पादन **वर्ष 2021-22 में घटकर 1.77 मिलियन टन** रह गया है। वर्ष 2011-12 में 2.03 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में **जूट की खेती के तहत औसत क्षेत्र में भी गिरावट** दर्ज की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **भारत दुनिया में कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान है।**
- **निर्यात के मामले में, भारत का हिस्सा वैश्विक जूट निर्यात का सिर्फ 7% है जबकि बांग्लादेश का हिस्सा लगभग 75% है।**

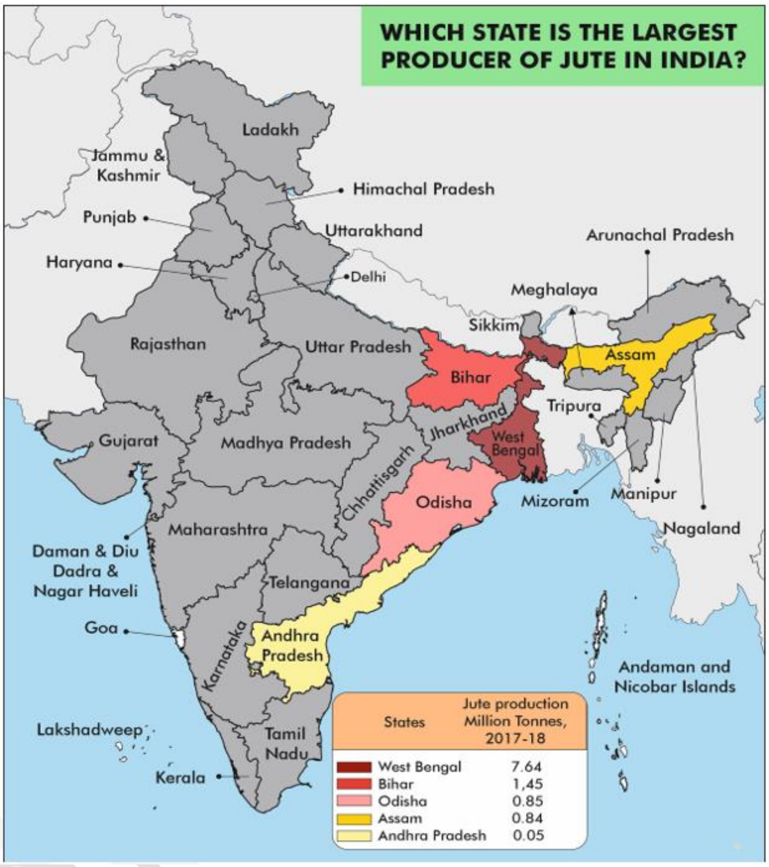

जूट और जूट उद्योग के बारे में

- जूट एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इसे **'सुनहरा रेशा'** (Golden Fibre) भी कहा जाता है। यह एक **लंबा, मुलायम और चमकदार प्राकृतिक रेशा** है। इसका उपयोग वस्त्र क्षेत्र में कई तरह से किया जाता है।
- **उत्पादन के क्षेत्र:** जूट मुख्य रूप से **पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय तथा त्रिपुरा में उगाया जाता है।**
- **जलवायु परिस्थितियां:**जूट की फसल को **24 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान के साथ आर्द्र जलवायु** की आवश्यकता होती है।
    - **गंगा डेल्टा अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और अनुकूल तापमान (25-30 डिग्री सेल्सियस) के कारण जूट की खेती के लिए उत्कृष्ट है।**
    - **न्यूनतम आवश्यक वर्षा 1,000 मि.मी. है।**

NATIONAL JUTE BOARD

राष्ट्रीय जूट बोर्ड

मुख्यालय कोलकाता

उत्पत्ति: यह **राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008** के तहत स्थापित एक **सांविधिक निकाय** है।

विजन और मिशन: भारत को दुनिया में **जूट उद्योगों के मामले में अग्रणी बनाना।**

- उत्कृष्टता प्राप्त करना जो भारतीय जूट उद्योग को **किफायती कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाले जूट के सामान का उत्पादन** करने में सक्षम बनाएगी।
- जूट उत्पादों के उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर **घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाना।**
- जूट आदि के नए और अभिनव उपयोगों का पता लगाने के लिए विभिन्न **अनुसंधान और विकास कार्यक्रम** संचालित करना।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:

- **यह वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।**
- **वस्त्र मंत्रालय के प्रभारी सचिव बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं।**

जूट उद्योग के लिए किये गए उपाय

- **जूट के थैलों/ बोरियों में अनिवार्य पैकेजिंग:** वर्तमान में, 100% खाद्यान्न और न्यूनतम 20% चीनी **जूट की बोरियों में पैक करना अनिवार्य** किया गया है।

© Vision IAS

- **गोल्डन फाइबर क्रांति** शुरू की गई है।
- जूट उत्पादों की प्रामाणिकता के लिए **जूट मार्क इंडिया लोगो** जारी किया गया है।
    - प्रत्येक **जूट मार्क लेबल** का एक **विशिष्ट 'क्यू.आर. कोड'** होगा और इसे स्कैन करके ग्राहक विनिर्माता के बारे में जान सकते हैं। इससे घरेलू बाजार और भारत के निर्यात को मजबूती मिलेगी।
- प्रमाणित बीजों का उपयोग करने और वैज्ञानिक तकनीक अपनाने के लिए **जूट-ICARE** की शुरुआत की गई है।
- **जूट स्मार्ट:** जूट की बोरी की खरीद के लिए स्मार्ट प्लेटफॉर्म।

7.2.6. कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 का मसौदा {Draft Coffee (Promotion and Development) Bill, 2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने **कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022** का मसौदा प्रस्तुत किया है। पारित होने के बाद यह विधेयक 80 साल पुराने **कॉफी अधिनियम, 1942** की जगह लेगा।

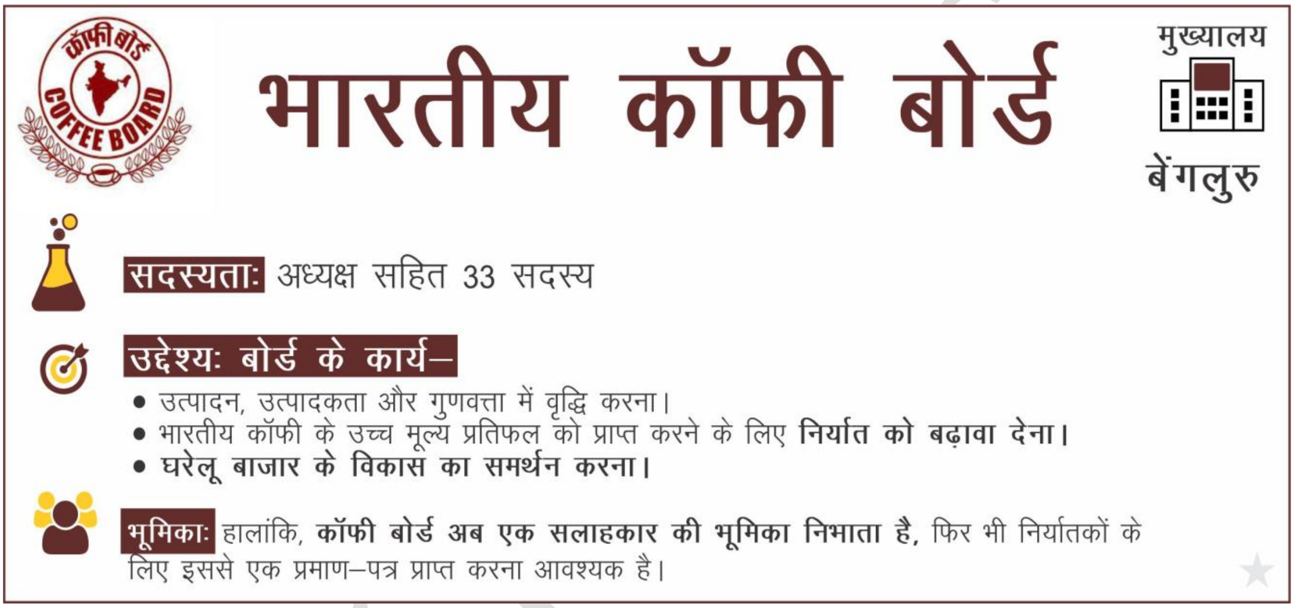

भारत में कॉफी: परिचय और कॉफी के विकास के लिए आवश्यक स्थितियां

- भारत में कॉफी की खेती की शुरुआत **1600 ईस्वी** के दौरान हुई थी, जब **पवित्र संत बाबा बूदन ने यमन से कॉफी बीन्स लाकर उसे कर्नाटक की चंद्रगिरि पहाड़ियों में उगाया था।**
    - **अंग्रेजों ने 18वीं शताब्दी** के दौरान कॉफी के **वाणिज्यिक बागान** शुरू किए थे।
- भारत में दो प्रकार की कॉफी का उत्पादन होता है: **अरेबिका** और **रोबस्टा।**
    - **अरेबिका का बाजार मूल्य उच्च है।** इसके विपरीत, **रोबस्टा प्रमुख रूप से पैदा** की जाने वाली कॉफी है, जिसका कुल उत्पादन में 72% भाग है।
- भारत दुनिया का **एकमात्र ऐसा देश है, जहां कॉफी की पूरी खेती छाया में की जाती है और हाथ से चुनकर धूप में सुखाया जाता है।**
    - **छायादार वृक्ष** ढलान वाले इलाकों में **मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, गहरी परतों से पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करके मिट्टी को उर्वर बनाते हैं।** ये तापमान में होने वाले मौसमी उतार-चढ़ाव से कॉफी की रक्षा करते हैं तथा विविध वनस्पतियों और जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं।

कॉफी अधिनियम, 1942 के बारे में

- इसे **द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अधिनियमित** किया गया था। इसका उद्देश्य युद्ध से बुरी तरह प्रभावित भारतीय कॉफी उद्योग को सहायता प्रदान करना था।
- इस अधिनियम के माध्यम से **कॉफी बोर्ड की स्थापना** की गई थी। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

भारत का कॉफी प्रोफ़ाइल

मुख्य तथ्य

- 2022–23 में भारत का कॉफी उत्पादन अनुमानित रूप से **15% बढ़ गया**
- **कर्नाटक सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक (70%) राज्य है।** इसके बाद **केरल** (23%) और **तमिलनाडु** (6%) का स्थान है
- भारत में उत्पादित कॉफी का **65–70 प्रतिशत निर्यात** किया जाता है। इस प्रकार यह मुख्य रूप से निर्यातित मद है।

कॉफी के अलग–अलग प्रकारों के बीच अंतर और वितरण क्षेत्र

मुख्य कारक	अरेबिका कॉफी	रोबस्टा कॉफी
मृदा	गहरी, उपजाऊ, जैविक पदार्थों से समृद्ध, अच्छी तरह से सूखी हुई और थोड़ी अम्लीय	गहरी, उपजाऊ, जैविक पदार्थों से समृद्ध, अच्छी तरह से सूखी हुई और थोड़ी अम्लीय
ढलान	हल्की से मध्यम ढलान	हल्की ढलान से लेकर पर्याप्त रूप से समतल क्षेत्र
ऊंचाई	1,000–1,500 मीटर	500–1,000 मीटर
तापमान	15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तथा शांत व स्थिर मौसम	20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तथा गर्म व आर्द्र मौसम
सापेक्षिक आर्द्रता	70–80%	80–90%
वार्षिक वर्षा	1,600–2,500 मि.मी.	1,000–2,000 मि.मी.

भौगोलिक संकेत (GI) टैग वाली भारतीय कॉफी की किस्में

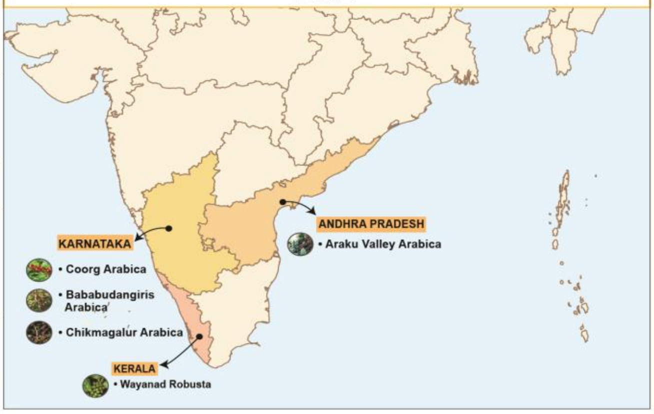

7.2.7. तंबाकू की खेती (Tobacco Cultivation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पहली बार, आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (A.P. MARKFED) ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 120 टन तंबाकू का निर्यात किया है। यह कदम निम्न श्रेणी की किस्मों हेतु खरीदार खोजने के लिए संघर्ष कर रहे किसानों को राहत देने के लिए उठाया गया है।

तंबाकू बोर्ड

मुख्यालय: गुंटूर, आंध्र प्रदेश

उत्पत्ति: इसका गठन **1 जनवरी, 1976 को तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा (4) के तहत तंबाकू उत्पादकों, व्यापारियों और निर्यातकों को सुविधा** प्रदान करने के लिए एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था।

उद्देश्य: तंबाकू उत्पादकों और भारतीय तंबाकू उद्योग के समग्र विकास के लिए प्रयास करना।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:

- यह **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** के तहत कार्य करता है।
- बोर्ड का प्राथमिक कार्य **तंबाकू और उसके संबद्ध उत्पादों की सभी किस्मों के निर्यात को बढ़ावा** देना है।
- इसके कार्यों में **फ्लू क्योर्ड वर्जिनिया (FCV) तंबाकू का** उत्पादन, वितरण (घरेलू खपत और निर्यात के लिए) और विनियमन भी शामिल है।

भारत में तंबाकू की खेती

- देश में लगभग **4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में** तंबाकू की खेती होती है। विश्व स्तर पर, यह कुल तंबाकू उत्पादन का **9%** है।
  - भारत विश्व में चीन के बाद **तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** देश है। भारत विश्व में ब्राजील के बाद **दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक** देश भी है।

© Vision IAS

* **तंबाकू की खेती के लिए जलवायु स्थितियां:**
    * मूल रूप से तंबाकू एक **अर्ध-उष्णकटिबंधीय** फसल है। हालांकि, इसे **उष्णकटिबंधीय क्षेत्र** में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है।
    * इसकी फसल की वृद्धि के लिए **100 से 120 दिनों तक पाला रहित जलवायु** और **80°F के औसत तापमान** की आवश्यकता होती है।
    * अच्छी तरह से वितरित **88 से 125 मिलीमीटर प्रति माह वर्षा** की जरूरत होती है।
    * फसल वृद्धि के दौरान तंबाकू **तेज हवा और तूफान सहन नहीं** कर सकता।
    * इसकी खेती के लिए **हल्की से मध्यम दोमट मिट्टी** की जरुरत होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम तथा पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और आयरन अधिक मात्रा में होते हैं।
* **तंबाकू उत्पादक प्रमुख राज्य हैं:** गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि।

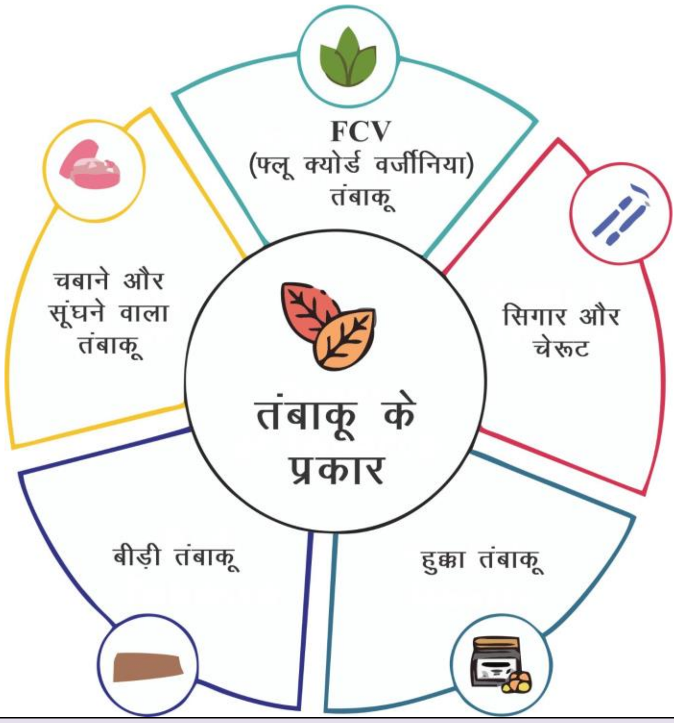

संबंधित सुर्ख़ियां

रबर बोर्ड और भारत में रबड़ बागान

* रबड़ बोर्ड एक **वैधानिक संगठन** है। इसे रबड़ अधिनियम, 1947 के तहत गठित किया गया है। इसने 75 पूरे किए हैं।
    * यह बोर्ड **{मुख्यालय:** कोट्टायम (केरल)**}** **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
* बोर्ड का **अध्यक्ष केंद्र सरकार नियुक्त** करती है। वर्तमान में इसमें अध्यक्ष सहित 29 सदस्य हैं। ये प्राकृतिक रबड़ उद्योग के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।\
* **कार्य:** रबड़ उद्योग का विकास; वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान का संचालन; बागानों में कार्यरत श्रमिकों का कल्याण; रबर से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना आदि।
* हाल ही में, रबर बोर्ड ने रबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाजार mRube का अपडेटेड संस्करण पेश किया है। यह जुलाई 2022 में व्यापार के लिए जारी हो गया था।

भारत में रबड़ बागान

* **लैटेराइट या दोमट मिट्टी** में उगाए जाने वाले **रबड़ बागान के लिए 2,000-4,500 मि.मी. की वार्षिक वर्षा और उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता** होती है।
* **न्यूनतम और अधिकतम तापमान 25-34 डिग्री सेल्सियस के बीच** होना चाहिए तथा **सापेक्ष आर्द्रता 80%** होनी चाहिए।
* **प्रमुख उत्पादक: केरल** (सबसे बड़ा उत्पादक) और **तमिलनाडु** में 81% उत्पादन होता है।
    * **अन्य उत्पादक:** त्रिपुरा, असम, मेघालय, ओडिशा आदि।
* **प्राकृतिक रबड़ के उपयोग:** चिकित्सा उपकरणों, सर्जिकल दस्ताने, विमान और कार के टायर, पैसिफायर आदि में।

7.3. संबद्ध क्षेत्रक (Allied Sector)

7.3.1. भारत का डेयरी क्षेत्रक (India's Dairy Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट (IDF WDS), 2022** आयोजित किया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

* इसका पहला संस्करण **1974** में आयोजित किया गया था (भारत में यह दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है)।
* यह उद्योगपतियों, किसानों और नीति नियोजकों आदि सहित **वैश्विक तथा भारतीय डेयरी हितधारकों का एक समूह** है।

भारत का डेयरी क्षेत्रक

डेयरी क्षेत्रक के बारे में

यह अकेली **सबसे बड़ी कृषि से संबद्ध कमोडिटी है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5%** का योगदान देती है।

विश्व में **गोवंशीय पशुओं की सर्वाधिक आबादी के साथ भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है।**

वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 23% है। यहां वार्षिक तौर पर 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है।

भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले 5 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य-प्रदेश, गुजरात और आंध्रप्रदेश

महत्वपूर्ण संस्थान

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के बारे में

- NDDB शुरू में **सोसायटी अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में** पंजीकृत था।
- बाद में, **संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987** द्वारा तत्कालीन **भारतीय डेयरी निगम** के साथ इसका विलय कर दिया गया।

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI)

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI), **करनाल (हरियाणा) अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इसे वर्ष 1923** में स्थापित किया गया था।
- **यह शिक्षण, अनुसंधान और शिक्षा विस्तार** के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है। साथ ही, यह **अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों** पर मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित है:
  - **डेयरी पशुओं का उत्पादन और प्रबंधन,**
  - **दुग्ध प्रसंस्करण की उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और उपकरणों** का नवाचार करना, तथा
  - डेयरी को एक **आत्मनिर्भर व लाभदायक व्यवसाय** बनाना।

इस क्षेत्रक के लिए महत्वपूर्ण पहलें

- डेयरी क्षेत्र अवसंरचना के निर्माण और उसे मजबूती प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम** को शुरू किया गया था।
- पशु-पालक किसानों के लिए **किसान क्रेडिट कार्ड।**
- **मोजरेला चीज के निर्माण** के लिए खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग को PLI **योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन** प्रदान किया गया है।
- पुराने हो चुके चिलिंग (द्रुतशीतन) और प्रसंस्करण संयंत्रों को बदलने तथा मूल्य-वर्धित उत्पादों के संयंत्र लगाने के लिए **डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि** स्थापित की गई है।
- **मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण** को बढ़ाने के लिए **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि** स्थापित की गई है।

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार (NGRA)

- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों (NGRA) की घोषणा की है।
- NGRA, पशुधन और डेयरी क्षेत्र के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। यह पशुधन और डेयरी क्षेत्रक में कार्यरत सभी व्यक्तियों को मान्यता देता है एवं उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं।
- ये पुरस्कार राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रदान किए जाते हैं। यह मिशन स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण से संबंधित है।

संबंधित सुर्ख़ियां

मृदा (MRIDA) लिमिटेड

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने खाद प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की सहायक कंपनी **मृदा (MRIDA) लिमिटेड** का गठन किया है। यह **NDDB की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी** है, जो देश भर में खाद प्रबंधन पहल के क्षेत्र में कार्य करेगी।

MRIDA और खाद प्रबंधन (MM) के बारे में

- यह एक असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसकी स्थापना 1 जुलाई, 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई है।
  - यह डेयरी संयंत्रों के लिए **खाद मूल्य श्रृंखला तथा बायोगैस आधारित CNG और बायोगैस आधारित ऊर्जा उत्पादन संयंत्र** स्थापित करेगी।
- खाद प्रबंधन वह प्रक्रिया है, जिसमें **पशुओं का गोबर** प्राप्त कर उसे **संग्रहित** किया जाता है। तत्पश्चात् उसे **उपचारित करके उपयोग** में लाया जाता है।
- NDDB ने गोबर आधारित जैविक उर्वरकों को सामान्य पहचान दिलाने के लिए **"सुधन (SuDhan)" नामक एक ट्रेडमार्क** पंजीकृत किया है।

© Vision IAS

7.4. खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing)

7.4.1. भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक (Food Processing Sector in India)

भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक

खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है?

खाद्य प्रसंस्करण (Food processing): कृषि उत्पादों को खाने-पीने लायक खाद्य पदार्थों में बदलने या किसी खाद्य पदार्थ का मूल्य वर्धन कर उसे दूसरे खाद्य पदार्थ में बदलने को खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण की दो उप-श्रेणियां हैं

- **विनिर्माण प्रक्रिया:** इसके तहत उत्पाद के भौतिक गुणों को खाद्य उत्पादों में रूपांतरित कर दिया जाता है, जिनका वाणिज्यिक मूल्य भी होता है।
- **मूल्य वर्धित प्रक्रियाएं:** इसके तहत निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल हैं:
  - ➜उत्पाद की शेल्फ लाइफ में वृद्धि करना;
  - ➜उत्पाद को संरक्षित रखने वाला आवरण प्रदान करना;
  - ➜उत्पाद को सीधे उपभोग के लायक बनाना; आदि।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक की स्थिति

- दुनिया के सबसे बड़े खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रकों में से एक है।
- पिछले वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक लगभग **11.18% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है।**
- विश्व में **मसालों के उत्पादन और निर्यात के मामले** में भारत का पहला स्थान है।
- भारत **दूध, दाल और जूट के उत्पादन में प्रथम; फलों और सब्जियों के उत्पादन में द्वितीय; अनाज के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है** (भारत सरकार, 2019)।

महत्वपूर्ण पहलें

- इन्हें "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के तहत प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में निर्धारित करना।
- **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLISFPI)**

7.5. कृषि विपणन और उद्यमशीलता (Agricultural Marketing and Entrepreneurship)

7.5.1. एशियन पाम ऑयल एलायंस (Asian Palm Oil Alliance: APOA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

APOA का गठन **दक्षिण एशिया में पाम ऑयल के पांच बड़े आयातक देशों के शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघों** ने किया है। ये पांच देश हैं: **भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल।**

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत का **सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (SEA) इसके सचिवालय का प्रबंधन** करेगा।
- APOA के गठन के पीछे मुख्य उद्देश्य **सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता को मजबूत करना और आयात को सतत बनाए** रखना है। **APOA निम्नलिखित कार्य करेगा:**

- **पाम ऑयल** की नकारात्मक छवि को बदलने में सहायता करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि इसे **उच्च गुणवत्ता वाले, किफायती और स्वस्थ वनस्पति तेल** के रूप में मान्यता दिलाई जाए।
- **पाम ऑयल के उपभोग वाले देशों के आर्थिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा** करेगा। साथ ही, सदस्य देशों में इसकी खपत बढ़ाएगा।

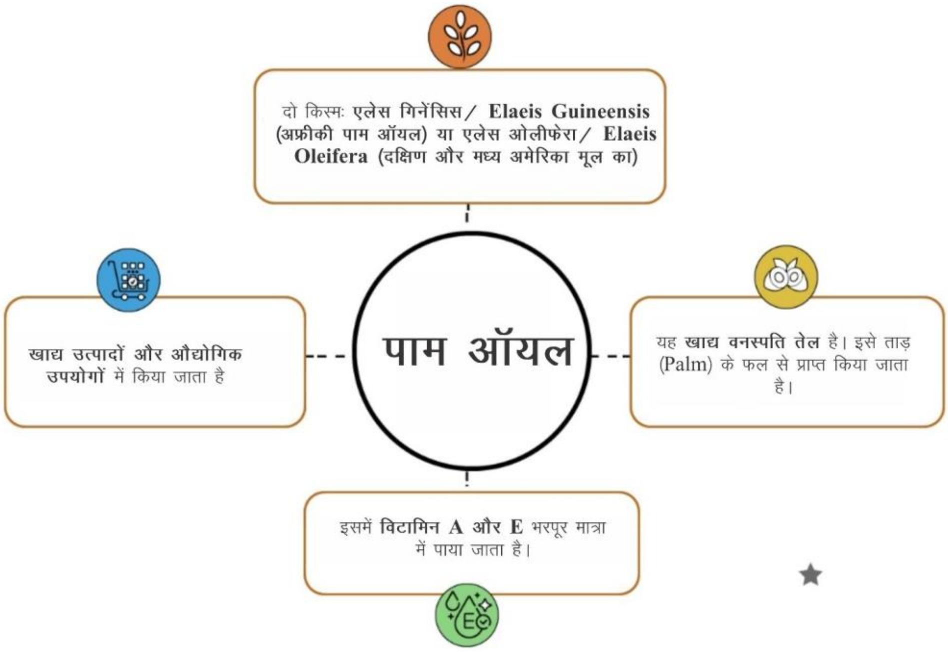

- **इंडोनेशिया पाम ऑयल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है।**
- **भारत दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक है** और मांग में इसकी हिस्सेदारी लगभग **15% (13-14 मिलियन टन) है।** इसमें पाम ऑयल का हिस्सा 8-9 मिलियन टन है और **इंडोनेशिया** भारत के लिए पाम ऑयल का शीर्ष आपूर्तिकर्ता है।

7.5.2. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (Primary Agricultural Credit Societies: PACS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहकारी डेयरी सम्मेलन, 2022 के उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री ने कहा कि देश की सभी पंचायतों में पैक्स की स्थापना की जाएगी।

PACS के बारे में

- पैक्स को **सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत** किया गया है। **ये अपने सदस्यों को निम्नलिखित सुविधाएं** प्रदान करती हैं।
  - **नकद या घटक वस्तु के रूप में इनपुट सुविधाएं;**
  - **किराये पर कृषि उपकरण;**
  - **भंडारण की सुविधा आदि।**
- पैक्स देश में **अल्पकालिक सहकारी ऋण (STCC) की त्रि-स्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर** अपनी भूमिका निभाती हैं। लगभग 13 करोड़ किसान इनके सदस्य के रूप में शामिल हैं।
  - त्रि-स्तरीय व्यवस्था में अन्य दो स्तर हैं- राज्य स्तर पर **'राज्य सहकारी बैंक'** और जिला स्तर पर **'जिला केंद्रीय सहकारी बैंक'।**
  - **पैक्स, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे से बाहर हैं।** इस कारण ये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं हैं।
- हाल ही में, कैबिनेट समिति ने पैक्स की **दक्षता बढ़ाने तथा उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से पैक्स के कम्प्यूटरीकरण** को स्वीकृति प्रदान की है।

7.5.3. कोडेक्स एलेमेंट्रिस कमीशन (Codex Alimentarius Commission: CAC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स (CCSCH)** ने **जायफल, केसर और मिर्च (काली मिर्च तथा लाल शिमला मिर्च)** के लिए **गुणवत्ता मानदंडों की सिफारिश** की है। साथ ही, समिति ने इन मानकों को 'कोडेक्स एलेमेंट्रिस कमीशन'

कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स (CCSCH) के बारे में

- यह CAC के अंतर्गत एक समिति है। इसका उद्देश्य **मसालों तथा खाने में इस्तेमाल होने वाली जड़ी-बूटियों के लिए विश्वव्यापी मानकों का विकास एवं विस्तार करना है।**
- **CCSCH की अध्यक्षता भारत द्वारा की जाती है।**

© Vision IAS

(CAC) के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा है।

कोडेक्स एलेमेंट्रिस और कोडेक्स एलेमेंट्रिस कमीशन (CAC)

- **कोडेक्स एलेमेंट्रिस** अंतर्राष्ट्रीय **खाद्य मानक, दिशा-निर्देश और व्यवहार संहिताओं का संग्रह** है। ये संहिताएं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार की सुरक्षा, गुणवत्ता और निष्पक्षता में योगदान करती हैं।
    - ये खाद्य मानक, दिशा-निर्देश और संहिताएं **उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने और व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने में** मदद करती हैं।
- **कोडेक्स एलेमेंट्रिस कमीशन (CAC)** खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और WHO के संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों के लिए उत्तरदायी निकाय है।
    - इस आयोग की सदस्यता अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों में रुचि रखने वाले FAO और WHO के सभी सदस्य राष्ट्रों तथा सहयोगी सदस्यों के लिए खुली है। भारत इसका सदस्य है।
- आयोग का सत्र **प्रतिवर्ष** नियमित रूप से **जिनेवा और रोम** में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। यह आयोग **संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाओं में कार्य** करता है।

7.6. कृषि से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं और जानकारी (Key Concepts and Information on Agriculture)

11वीं कृषि संगणना (2021-2022) {11th Agriculture Census (2021-2022)}	• **केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने 11वीं कृषि संगणना (2021-2022) का शुभारंभ किया।** • भारत की कृषि संगणना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से वर्ष 1970-71 से आयोजित की जा रही है। यह संगणना **संयुक्त राष्ट्र कृषि एवं खाद्य संगठन (FAO) के 'वैश्विक कृषि संगणना कार्यक्रम'** के तहत की जाती है। यह संगणना **प्रत्येक 5 वर्षों** में की जाती है। • यह अलग-अलग संकेतकों पर **जानकारी का मुख्य स्रोत है। इन संकेतकों में निम्नलिखित शामिल हैं:** ○ खेती के अधीन **भू-जोत की प्रकृति** और उनका आकार, ○ वर्ग के अनुसार **भू-जोत का वितरण,** ○ भूमि उपयोग संबंधी **आंकड़े,** ○ **काश्तकारी** और ○ **फसल पैटर्न।** • 11वीं संगणना के दौरान **पहली बार स्मार्टफोन और टैबलेट का उपयोग करते हुए डेटा संग्रहण** किया जाएगा।
ऑर्फन फसलें (Orphan crops)	• **उपेक्षित और अल्प-उपयोग (NUS)** वाली फसलों को **ऑर्फन फसलें** कहा जाता है। • वे भोजन और औद्योगिक उपयोग के संपूर्ण स्पेक्ट्रम को कवर करती हैं। इनमें शामिल हैं- **अनाज, फल और मेवे, सब्जी एवं दलहन फसलें, जड़ और कंद फसलें, तिलहन, स्टार्च व चीनी, फाइबर, लेटेक्स, कई प्रकार के रंग (डाई)** आदि।
कमोडिटी मार्केट आउटलुक (Commodities Market Outlook)	• यह **विश्व बैंक** द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट है। **इसके प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:** ○ पिछले दो वर्षों में **ऊर्जा मूल्यों** में वृद्धि हुई है। यह बढ़ोतरी **1973 के तेल संकट के बाद सबसे बड़ी वृद्धि रही है।** ○ **खाद्य वस्तुओं और उर्वरकों के लिए मूल्य वृद्धि वर्ष 2008 के बाद से सर्वाधिक** रही है। ○ **युद्ध के कारण** वैश्विक खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि **कम-से-कम वर्ष 2024 के अंत तक** जारी रहने की संभावना है।
नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को सहनीय बनाने के लिए जल-विभाजक क्षेत्र का कायाकल्प" (रिवार्ड/REWARD) परियोजना {Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience through Innovative Development (REWARD) Project}	• रिवार्ड परियोजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय के **भूमि संसाधन विभाग** ने फरवरी 2022 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया था। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: ○ चयनित वाटरशेड क्षेत्रों में संसाधनों के कुशल विकास को बढ़ावा देना, ○ राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मानव पूंजी में निवेश करना, तथा ○ वैज्ञानिक और तकनीकी भागीदारों के नेटवर्क विकसित करना। • **संभावित लाभ:** यह परियोजना जल संभर या जल-विभाजक क्षेत्र (वाटरशेड) प्रबंधन के बेहतर तौर-तरीकों को अपनाने में मदद करेगी। साथ ही, इससे जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों की सहनीयता को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, अधिक उत्पादन व बेहतर आय को भी बढ़ावा मिलेगा।
खाद्य और कृषि संगठन (FAO)	• FFPI **खाद्य वस्तुओं की एक बास्केट की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन** की माप प्रदर्शित करता है।

का खाद्य मूल्य सूचकांक (FFPI) {Food and Agriculture Organization (FAO) Food Price Index (FFPI)}	○ इसका आधार वर्ष 2014-2016 है। इसमें **पांच कमोडिटी समूह** (अनाज, चीनी, मांस, वनस्पति तेल और डेयरी) के **मूल्य सूचकांकों** का औसत शामिल है। इस औसत में प्रत्येक समूह के **औसत निर्यात हिस्सों का भारांश दिया गया है।** • FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह **विश्व से भुखमरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।**
कृषि-निर्णय समर्थन प्रणाली {Krishi-Decision Support System (Krishi-DSS)}	• कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय एक निर्णय समर्थन प्रणाली, कृषि-डी.एस.एस. विकसित कर रहा है। ○ इस प्रणाली को अंतरिक्ष विभाग के **रडार इमेजिंग सैटेलाइट (RISAT-1) तथा विज़ुअलाइज़ेशन ऑफ़ अर्थ ऑब्जरवेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम (वेदास/ VEDAS)** का उपयोग करके विकसित किया जाएगा। ○ **RISAT-1,** सुदूर संवेदन उपग्रह की एक नई श्रेणी है। यह **कृषि, जैव संसाधन, पर्यावरण, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन** के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने में उपयोगी है। ○ **वेदास** मुख्य रूप से भारतीय अंतरिक्ष आधारित संवेदनों का उपयोग करके **भूमि से प्राप्त जानकारी के उपयोग के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म (डेटा, बुनियादी ढांचा और मार्गदर्शन)** प्रदान करेगा। • कृषि क्षेत्र में भू-स्थानिक तकनीकों और संबंधित डेटाबेस का इस्तेमाल सभी हितधारकों की साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करेगा।
खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence for Khadi: CoEK)	• **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय** ने CoEK की परिकल्पना की है। इसका उद्देश्य **खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) को समर्थन** प्रदान करना है। इसे **राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान** के सहयोग से परिकल्पित किया गया है। ○ इसका उद्देश्य युवाओं और वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाना है। • इस **उत्कृष्टता केंद्र को एक "हब एंड स्पोक मॉडल" के रूप में स्थापित किया गया है।** इसमें **दिल्ली 'हब'** तथा बेंगलुरु, गांधीनगर, कोलकाता और शिलॉन्ग 'स्पोक्स' हैं। • खादी के वस्त्र की **कताई और बुनाई हाथ** से ही की जाती है। • **खादी मार्क विनियम, 2013 के तहत KVIC** संस्थानों या लोगों को **"खादी मार्क टैग और लेबल"** जारी करता है। इसके माध्यम से, खादी और खादी के उत्पादों को बेचने तथा उनका व्यापार या उत्पादन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। • **KVIC के बारे में:** ○ KVIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। ○ यह भारत में खादी और ग्रामोद्योग के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है।
ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन-रोडमैप 2022-2030 (Blue Transformation Roadmap 2022-30)	• **संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने 'ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन-रोडमैप 2022-2030' जारी किया है।** • यह रोडमैप मत्स्यपालन समिति (COFI)[85] के **'संधारणीय मत्स्यपालन और जलीय कृषि के लिए घोषणा-पत्र 2021'** के अनुरूप है। ○ यह **FAO परिषद की एक सहायक संस्था** है। इसकी स्थापना **1965** में की गई थी। • यह **एकमात्र वैश्विक अंतर-सरकारी मंच** है, जहां FAO के सदस्य मत्स्य पालन और जलीय कृषि से संबंधित **मुद्दों एवं चुनौतियों की समीक्षा** तथा उन पर विचार करने के लिए बैठक करते हैं।
जैविक आधार (Organic Aadhaar)	• **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP)** के तहत जैविक कृषि में संलग्न किसानों के लिए **जैविक आधार** शुरू करने पर विचार कर रहा है। • यह जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया के लिए किसानों की पहचान निर्धारित करने के विचार पर आधारित है। यह **व्यक्तिगत आधार और विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN)** पर आधारित होगा। ○ ULPIN देश के **प्रत्येक भूखंड के लिए 14 अंकों की पहचान संख्या है।**
फसल बीमा (Crop Insurance)	• कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने **सी. एस. मूर्ति के नेतृत्व में 2 समितियों का गठन** किया है। इन समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य **तकनीक-आधारित फसल उपज अनुमान** और **मौसम संबंधी डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर के मानकीकरण तथा सुधार** का कार्यान्वयन करना है। • इस समिति को प्रस्तावित **वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS)** के निर्माण में मदद करने का कार्य भी सौंपा गया है। WINDS के तहत पूरे देश में **ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन्स (AWS) और ऑटोमेटिक रेन गेज (ARG)** का कार्यान्वयन किया जाएगा।

[85] Committee on Fisheries

© Vision IAS

कृतज्ञ 3.0 (KRITAGYA 3.0)	• यह **'फसल सुधार के लिए त्वरित प्रजनन' को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर का हैकथॉन है।** इसका उद्देश्य भारत में फसल उत्पादन में समग्र संधारणीयता और लचीलापन सुनिश्चित करना है। ○ यह कार्यक्रम **छात्रों/ संकायों/ उद्यमियों/ नवप्रवर्तनकर्ताओं** व अन्य लोगों को फसल सुधार के लिए नवाचार को बढ़ावा देने हेतु अभिनव दृष्टिकोण व प्रौद्योगिकी समाधान प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। ○ इस तरह की पहल से देश में **प्रौद्योगिकी सक्षम समाधानों को अधिक से अधिक अपनाने** को बढ़ावा मिलेगा। ○ इसका आयोजन **'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद' (ICAR) अपनी 'राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना' (NAHEP)** के तहत फसल विज्ञान प्रभाग के सहयोग से कर रहा है।
ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) {e-NAM (National Agriculture Market)}	• कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ई-नाम (e-NAM) के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (POPs) लॉन्च किया है। ○ POPs किसानों को उनके **राज्य की सीमाओं के बाहर अपनी उपज बेचने की सुविधा** प्रदान करेगा। ○ इससे किसानों की कई बाजारों, खरीदारों और सेवा प्रदाताओं तक **डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ेगी। साथ ही, व्यापार लेनदेन में पारदर्शिता भी आएगी।** • ई-नाम को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। यह एक **अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल** है। यह कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने हेतु मौजूदा कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) मंडियों को जोड़ता है। ○ **लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC), ई-नाम को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है।** SFAC कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
कृषि निवेश पोर्टल (Agriculture Investment Portal)	• केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने एकीकृत **'कृषि निवेश पोर्टल'** का उद्घाटन किया है। • यह कृषि-निवेशकों के लिए एक **केंद्रीकृत वन स्टॉप पोर्टल** होगा। इस पोर्टल की मदद से कृषि-निवेशक कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों से जुड़े अलग-अलग विभागों द्वारा कार्यान्वित **कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे।** • **इस पोर्टल के निम्नलिखित उद्देश्य है:** ○ **निवेश को बढ़ावा** देना, ○ निवेशकों के लिए **आरंभिक समर्थन प्रक्रिया को आसान** बनाना, ○ **कृषि में सभी उप-क्षेत्रकों की क्षमता का दोहन** करना आदि। • **निवेश प्रोत्साहन के लिए प्रमुख क्षेत्रकों में** कृषि मशीनरी, बीज, उर्वरक, कृषि रसायन, परिशुद्ध कृषि, लॉजिस्टिक्स, भंडारण और शीत श्रृंखला आदि शामिल हैं।

8. उद्योग और संबद्ध घटनाक्रम (Industry and Associated Developments)

8.1. खनन (Mining)

8.1.1. जिला खनिज प्रतिष्ठान (District Mineral Foundation: DMF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र ने DMF फंड के उपयोग के मानदंडों को कठोर करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उनका उपयोग स्पष्ट रूप से बताए गए उद्देश्यों के लिए किया जाए। ये उद्देश्य खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के पुनर्विकास से संबंधित हैं।

DMF में हालिया संशोधन

- मार्च 2020 में, सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनमें सुझाव दिया गया था कि 30% तक धनराशि का उपयोग कोविड-19 से संबंधित व्यय के लिए किया जा सकता है।
- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021**[86] के अनुसार, केंद्र सरकार फंड की संरचना और उपयोग के संबंध में भी निर्देश दे सकती है, जबकि राज्य सरकारें DMF के गठन और कार्यों को निर्धारित करना जारी रखेंगी।
  - MMDR **अधिनियम देश में खानों और खनिजों (कोयला तथा लिग्नाइट सहित) को विनियमित करने वाला** प्रमुख कानून है।
- वर्ष 2021 में सरकार ने आदेश जारी किया था कि राज्य सरकार या किसी राज्य स्तरीय एजेंसी द्वारा राज्य स्तर पर DMF फंड में से किसी भी खर्च को स्वीकृत या अनुमोदित नहीं किया जाएगा।

प्रमुख दिशा-निर्देश

- जिला खनिज प्रतिष्ठानों को एक **पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना (perspective plan) तैयार** करनी होगी। इस योजना के तहत खनन संबंधी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इस विकास कार्य को पूरा करने के लिए रॉयल्टी के एक प्रतिशत के रूप में खननकर्ताओं के योगदान से प्राप्त फंड का उपयोग किया जाएगा।
- यह परिप्रेक्ष्य योजना **विश्वविद्यालयों या प्रसिद्ध संगठनों के माध्यम से आधारभूत या आरंभिक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार** की जाएगी।
- **ग्राम सभा या स्थानीय निकाय** आवश्यकता आकलन रिपोर्ट तैयार करने में सहायता कर सकते हैं।
- **DMFs पांच वर्षों के लिए एक रणनीति तैयार करेंगे और उसे परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल किया जाएगा। यह रणनीति** आधारभूत सर्वेक्षणों के ज़रिए चिन्हित निष्कर्षों और अंतरालों के आधार पर तैयार की जाएगी।

DMF के बारे में

- **MMDR अधिनियम, 2015** सभी राज्यों को **खनन से प्रभावित प्रत्येक क्षेत्र में जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF)** स्थापित करने का निर्देश देता है।
  - इसके तहत **खनन वाले हर जिले में DMF का गठन** किया जाता है।
  - खनन कंपनियां **DMF को वर्ष 2015 से पहले के पट्टों के लिए रॉयल्टी राशि के 30%** का भुगतान करेंगी। **वर्ष 2015 के बाद नीलामी के ज़रिए दिए गए पट्टों के लिए उन्हें 10%** का भुगतान करना पड़ता है।
  - इस प्रकार एकत्रित की गई धनराशि का **प्रबंधन गैर-लाभकारी ट्रस्टों** द्वारा किया जाएगा। **इस धनराशि का उपयोग** आदिवासी और वनवासी समुदायों सहित **खनन से प्रभावित आबादी के कल्याण** के लिए किया जाएगा।
  - प्रत्येक **जिले का एक अलग ट्रस्ट होगा।**
- यह **एक विशेष फंड है, जो किसी विशेष योजना या कार्य क्षेत्र से जुड़ा नहीं है।** इसके अलावा यह प्रत्येक **वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर भी व्यपगत (Lapse) नहीं** होता है। दूसरे शब्दों में, फंड से जो पैसा खर्च नहीं हो पाता है उसे अगले साल के लिए फंड में ही रखा जाता है।
  - **अप्रयुक्त धन वर्षों तक जमा** रखा जा सकता है।

MMDR यानी खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015

- इस कानून के जरिये **MMDR अधिनियम, 1957** में संशोधन किया गया था। इसका उद्देश्य **भारत में खनन क्षेत्र को विनियमित करना है। साथ ही,**

[86] MMDR Amendment Act, 2021

VISION

© Vision IAS

यह खनन कार्यों के लिए खनन पट्टे प्राप्त करने और प्रदान करने की आवश्यकता को निर्धारित करता है।
- यह एक **जिला खनिज प्रतिष्ठान** (राज्य सरकार द्वारा सृजित) और एक **राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट** (केंद्र सरकार द्वारा निर्मित) के गठन का प्रावधान करता है।
- इसके जरिये खनन लाइसेंस की एक नई श्रेणी बनायी गयी है - **पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा (prospecting license-cum-mining lease)**। यह पूर्वेक्षण कार्यों के लिए दी जाने वाली दो-चरण की छूट है। इसके बाद खनन कार्य होता है।

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (National Mineral Exploration Trust: NMET)
- इसका गठन **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 9C** के तहत किया गया है।
  - यह एक **गैर-लाभकारी स्वायत्त निकाय** है।
  - इसका उद्देश्य **सामरिक और दुर्लभ खनिजों पर विशेष बल देने के साथ क्षेत्रीय एवं विस्तृत अन्वेषण के उद्देश्य से प्राप्त धन** का उपयोग करना है।
  - खनन पट्टा या पूर्वेक्षण (Prospecting)-लाइसेंस-सह-खनन पट्टा धारक को **भुगतान की गई रॉयल्टी के 2% के बराबर राशि का NMET को भुगतान** करना होगा। यह भुगतान **MMDR अधिनियम की दूसरी अनुसूची के तहत उपबंधों** के अनुसार होगा।

8.1.2. भारत में स्वर्ण खनन (Gold Mining in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बिहार सरकार ने राज्य के **जमुई जिले** में देश के **सबसे बड़े स्वर्ण भंडार** की खोज के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया है। जमुई में लगभग **222.88 मिलियन टन सोने का भंडार** मौजूद है।

भारत में स्वर्ण खनन को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय
- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957[87] में संशोधन किए गए हैं:**
  - **वर्ष 2015: नीलामी के माध्यम से खनिज रियायत देने की नई व्यवस्था** प्रस्तुत की गई थी। इसका उद्देश्य खनिज संपदा के आवंटन में पारदर्शिता और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करना था।
  - **वर्ष 2020:** राज्य सरकारों को पट्टे की अवधि की समाप्ति से पहले खनिज ब्लॉक्स की नीलामी के लिए अग्रिम कार्रवाई करने की अनुमति दी गई थी। इसका उद्देश्य **खनन कार्यों की निर्बाध निरंतरता को सुगम बनाना था।**
  - **वर्ष 2021:** स्वर्ण सहित विभिन्न खनिजों के 500 खनन ब्लॉक्स की पारदर्शी नीलामी को सक्षम बनाया गया था।
- **राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति NMEP[88], 2016:** इस नीति का उद्देश्य गैर-ईंधन एवं गैर-कोयला खनन अन्वेषण को प्रोत्साहित करना है। ऐसा निजी कंपनियों को ई-नीलामी के माध्यम से आयोजित पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देकर किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019:** इस नीति ने सरल, पारदर्शी और जवाबदेह प्रक्रियाओं तथा स्पष्ट समय-सीमा के साथ अधिक

क्या आप जानते हैं?

भारत में स्वर्ण का खनन **प्रथम सहस्राब्दी ई.पू.** से हो रहा है। स्वर्ण खनन में **बीसवीं शताब्दी** तक कोलार गोल्ड फील्ड का प्रभुत्व था।

[87] Mines and Minerals (Development and Regulation) Act (or MMDR Act), 1957

[88] National Minerals Exploration Policy

सुव्यवस्थित परमिट प्रदान करने की विधि प्रदान की है। यह नीति अन्वेषण को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।

- **खनिज (खनिज सामग्री के साक्ष्य) नियम, 2015**[89]: इन नियमों को वर्ष 2021 में संशोधित किया गया था। यह संशोधन स्वर्ण सहित गहराई में स्थित खनिजों के खनन के लिए समग्र लाइसेंस प्रदान करने हेतु किया गया था।
- **स्वचालित मार्ग के तहत 100 फीसदी FDI की अनुमति दी गई है।**

सोने के संबंध में अन्य घटनाक्रम या तथ्य

विश्व स्वर्ण परिषद (World Gold Council: WGC)	• WGC ने **"गोल्ड रिफाइनिंग एंड रीसाइक्लिंग"** नामक रिपोर्ट जारी की है। ○ WGC की स्थापना **विपणन, अनुसंधान और लॉबिंग के माध्यम से सोने के उपयोग एवं मांग को बढ़ावा** देने के लिए की गयी थी। ○ इसका मुख्यालय **लंदन, यूनाइटेड किंगडम** में स्थित है। • **रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:** ○ भारत विश्व में **चौथा सबसे बड़ा पुनर्चक्रणकर्ता (Recycler)** है और भारत द्वारा **वर्ष 2021 में 75 टन सोने** का पुनर्चक्रण किया गया था। ○ वर्ष 2021 में **भारत की सोने की रिफाइनिंग क्षमता में 1,500 टन (500%) की वृद्धि** हुई है। ○ इस सूची में शीर्ष स्थान **चीन** का है। इसके बाद **इटली और यू.एस.ए.** का स्थान है।
कोलार फील्ड (Kolar Fields)	• **केंद्र सरकार ने कर्नाटक के कोलार क्षेत्र** में स्वर्ण खनन को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ○ हालांकि, यहां खनन को पहले रोक दिया गया था, क्योंकि निष्कर्षण का कोई लाभ नहीं मिल रहा था। • एक आधिकारिक अनुमान के अनुसार, **कोलार गोल्ड फील्ड्स (KGF) में खनिजों के खनन से 30,000 करोड़ रुपये के राजस्व उत्पन्न होने की संभावना** है। यहां **सोना तथा पैलेडियम और रोडियम** जैसे खनिजों का भंडार है। • KGF **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड (BGML)** द्वारा संचालित है। यह 3,000 मीटर की गहराई में पर **दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदानों में से एक है।**
अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण (Second Phase of Mandatory Hallmarking)	• दूसरे चरण में भारतीय मानक IS 1417 में उल्लिखित **सोने के आभूषणों/ कलाकृतियों के लिए तीन अतिरिक्त कैरेट- 20, 23 और 24 को शामिल** किया जाएगा। इसके अलावा, इस चरण में 32 नए जिलों को अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत शामिल किया जायेगा। यह **स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण कलाकृतियों की हॉलमार्किंग (संशोधन) आदेश, 2022** के माध्यम से लागू होगा। ○ इससे पहले, **गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2021** के माध्यम से **14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों/ कलाकृतियों पर** इसे अनिवार्य किया गया था। • **हॉलमार्किंग** कीमती धातु की वस्तुओं में कीमती धातु की मात्रा का **सटीक निर्धारण और उस वस्तु पर मुद्रण** को कहते हैं। ○ हॉलमार्किंग योजना को **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)** संचालित करता है। हॉलमार्क में **3 चिन्ह** होते हैं (इन्फोग्राफिक देखें)। • **कैरेट के बारे में:** ○ कैरेट **सोने की शुद्धता का मापन** है। यह **आभूषण में विशुद्ध सोने की मात्रा** को (1 कैरेट = 0.2 ग्राम) को इंगित करता है। उदाहरण के लिए: **24 कैरेट का अर्थ है 100% सोना। 18 कैरेट में 75% सोना** होता है और शेष मिश्र धातुएं होती हैं।

8.2. भारत में इस्पात उद्योग (Steel Industry in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने **अगले 9 से 10 वर्षों** में कच्चे इस्पात उत्पादन की वार्षिक क्षमता को **दोगुना कर 300 मिलियन टन** करने का लक्ष्य रखा है। **मौजूदा उत्पादन क्षमता 154 मिलियन टन** प्रतिवर्ष है।

[89] Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015

© Vision IAS

भारत में इस्पात उद्योग

इस्पात क्षेत्रक के बारे में

भारत **विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** देश है।	**विश्व में लौह अयस्क का 5वां सबसे बड़ा भंडार** भारत में है। यह इस्पात का शुद्ध-. निर्यातक है।	**कोकिंग कोल की मांग** मुख्यतः **आयात के माध्यम** से पूरी की जाती है।	**भारत का प्रति व्यक्ति इस्पात उपभोग निम्न है** (यह वैश्विक औसत का एक-. तिहाई है)	**इस्पात अ-विनियमित क्षेत्रक (De-regulated sector)** है।	भारतीय इस्पात क्षेत्रक में **स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति** है।

इस्पात के कुछ प्रकार

स्पेशियलिटी स्टील

- स्पेशियलिटी स्टील इस्पात निर्माण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त **मूल्य वर्धित उत्पाद** है।
- इसमें स्पेशियलिटी स्टील की पांच **श्रेणियां शामिल हैं- कोटेड/ प्लेटेड इस्पात उत्पाद, उच्च शक्ति/ घिसाव रोधी इस्पात, स्पेशियलिटी रेलिंग, मिश्र धातु इस्पात उत्पाद, इस्पात के तार और इलेक्ट्रिकल स्टील।**

ग्रीन स्टील (हरित इस्पात)

- ग्रीन स्टील **सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट** उत्पन्न करने वाला इस्पात होता है।
- इस्पात बनाने की प्रक्रिया में शुद्ध लौह धातु की प्राप्ति हेतु लौह अयस्क से ऑक्सीजन को पृथक करने की आवश्यकता होती है। ग्रीन स्टील उत्पादन प्रक्रिया में, जीवाश्म ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

स्टील स्क्रैप

- यह **इस्पात विनिर्माण में एक वैकल्पिक कच्चा माल** है। यह आंशिक रूप से **ब्लास्ट फर्नेस में** और पूर्णतः **इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में या इंडक्शन फर्नेस रूट** में इस्तेमाल हो सकता है।

स्टील स्लैग*

- स्टील स्लैग, इस्पात विनिर्माण के दौरान निकलने वाला एक उप-उत्पाद है। यह इस्पात निर्माण भट्टियों में पिघले हुए स्टील को अशुद्धियों से अलग करने के दौरान उत्पन्न होता है।
- स्लैग एक पिघले हुए तरल के रूप में होता है। यह सिलिकेट और ऑक्साइड का एक जटिल मिश्रण होता है। यह ठंडा होने पर जम जाता है।
- उपयोगः मृदा की अम्लीयता को ठीक करने के कारण कृषि क्षेत्रक में और परिवहन, निर्माण, सीमेंट उत्पादन आदि में।

*सीमा सड़क संगठन (BRO) की 'परियोजना अरुणांक' (अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर) के लिए **प्रसंस्कृत स्टील स्लैग रेलवे रैक को हरी झंडी दिखाकर** टाटा स्टील जमशेदपुर से रवाना किया गया है। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CRRI), टाटा स्टील तथा BRO की एक संयुक्त पहल है।

पिग आयरन**

- **पिग आयरन को 'कच्चा लोहा' (Crude iron) भी कहा जाता है।** इसका **उत्पादन लौह अयस्क या इल्मेनाइट को प्रगलित (Smelting)** करके किया जाता है।
  - प्रगलन, **निष्कर्षण धातु विज्ञान** (Extractive metallurgy) का एक रूप है। प्रगलन का उपयोग **धातु के अयस्क से धातु का उत्पादन करने के लिए किया** जाता है।
- पिग आयरन में **सिलिका, मैंगनीज, सल्फर, फास्फोरस, टाइटेनियम** और अन्य सूक्ष्म तत्वों के साथ बहुत **अधिक कार्बन सामग्री** (3.5-4.5%) होती है।
  - उच्च कार्बन सामग्री इसे नाजुक बनाती है। इस कारण कुछ सीमित अनुप्रयोगों को छोड़कर **इसका प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल नहीं** किया जा सकता। इसे **इस्पात, पिटवाँ लोहा, मिश्र धातु आदि का**

****रूस** वित्त वर्ष 2022-23 की अप्रैल-सितंबर अवधि के दौरान भारत को पिग आयरन का **निर्यात करने वाले देशों में सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर उभरा** है।

8.3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम {Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने MSMEs पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs)

MSMEs क्या होते हैं?

वर्गीकरण	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
विनिर्माण एवं सेवाएं	निवेश < 1 करोड़ रूपये और टर्नओवर < 5 करोड़ रूपये	निवेश < 10 करोड़ रूपये और टर्नओवर < 50 करोड़ रूपये	निवेश < 50 करोड़ रूपये और टर्नओवर < 250 करोड़ रूपये

भारत में MSME की स्थिति

सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान	निर्यात में 48% से अधिक का योगदान	विनिर्माण में 45% से अधिक का योगदान	11.1 करोड़ रोजगार सृजित	देश में लगभग 6.34 करोड़ MSME हैं

MSME क्षेत्रक के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई पहलें

आत्मनिर्भर भारत फंड {Self-Reliant India (SRI) Fund}	• SRI फंड ने **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के वित्त-पोषण के लिए 5,000 करोड़ रुपये** की प्रतिबद्धता प्रकट की है।
	• SRI फंड **सेबी द्वारा पंजीकृत द्वितीय श्रेणी का वैकल्पिक निवेश कोष** (AIF) है। इसे सरकार ने **MSMEs को विकास पूंजी प्रदान करने के लिए वर्ष 2020** में लॉन्च किया था।
	  ○ यह **NSIC वेंचर कैपिटल फंड द्वारा संचालित है। SBICAP वेंचर्स इसका निवेश प्रबंधक** है।
	• यह **मदर-फंड और डॉटर-फंड संरचना के माध्यम से संचालित** होता है।
	  ○ एक **मदर फंड** के रूप में यह डॉटर फंड के **कुल कोष में 20% तक** का योगदान करता है और **डॉटर-फंड शेष 80% पूंजी बाहरी स्रोतों से** जुटाता है।

साइंटिफिक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग मेंटेनेंस एंड नेटवर्क्स (SRIMAN/ श्रीमान) दिशा-निर्देश (Scientific Research Infrastructure Sharing Maintenance and Networks, 2022)	• श्रीमान दिशा-निर्देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जारी किए हैं। ये सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास अवसंरचना तक बेहतर पहुंच तथा साझाकरण के लिए जारी किये गए हैं।
	  ○ इसमें नेटवर्किंग और क्लस्टर दृष्टिकोण शामिल है। ये अतिरेक को कम करने और उपकरणों की अधिक विविधता प्राप्त करने के लिए क्लस्टर सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फ़ैसिलिटी (CCIF) निर्मित करते हैं।
	  ○ CCIF उद्योगों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों MSMEs और स्टार्ट-अप्स के साथ भी गठबंधन करेगा।

उद्यम पोर्टल (Udyam Portal)	• 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय' के '**उद्यम पोर्टल**' पर पंजीकृत MSMEs की संख्या **एक करोड़** के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गई है। • इसे **वर्ष 2020** में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य मंत्रालय की योजनाओं का लाभ उठाने और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए MSMEs के '**स्वैच्छिक पंजीकरण**' को बढ़ावा देना है। ○ यह पूरी तरह से डिजिटलीकृत है। इस पर पंजीकृत MSME को एक '**उद्यम पंजीकरण**'

© Vision IAS

	प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। ○ इसे **आयकर और वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या (GSTIN) प्रणाली** के डेटाबेस के साथ एकीकृत किया गया है।
राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (National Board of MSME: NBMSME)	• NBMSME एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006** के तहत की गई है। • यह **MSMEs के संवर्धन और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच** करता है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा भी करता है। • यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण एवं सेवा उद्यमों, महिला उद्यमों, केंद्रीय मंत्रालयों आदि के संघों सहित सभी वर्गों /खंडों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।
व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली {Trade receivables discounting system (TReDS)}	• वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को TReDS मंच पर पंजीकृत होने का निर्देश दिया है। • TReDS एक **इलेक्ट्रॉनिक मंच** है। यह कई वित्तदाताओं के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के व्यापार प्राप्यों के वित्त-पोषण / बट्टे की सुविधा प्रदान करता है। • यह MSMEs के इनवॉइस को **अपलोड करने, स्वीकार करने, बट्टा देने, व्यापार करने और उनके निपटान** के लिए एक मंच है।
इंडियन बिजनेस पोर्टल (Indian Business Portal: IBP)	• **यह निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए एक ऑनलाइन वैश्विक व्यापार केंद्र है।** ○ यह बिजनेस टू बिजनेस (B2B) डिजिटल मार्केटप्लेस है। इसका उद्देश्य है: ▪ **लघु व मध्यम उद्यमों (SMEs), निर्यातकों, कारीगरों और किसानों को अपने उत्पादों के लिए नवीन बाजारों की पहचान करने तथा विश्व स्तर पर अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए सशक्त करना।** ○ **इसे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन ने विकसित किया है।**

8.4. भारत में अर्धचालक उद्योग (Semiconductor Industry in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सरकार के 76,000 करोड़ रुपये के अर्धचालक या सेमीकंडक्टर मिशन के संचालन तथा मार्गदर्शन के लिए एक **सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की है।**

सेमीकंडक्टर या अर्धचालक के बारे में

- अर्धचालक को ऐसी सामग्री के रूप में परिभाषित किया जा सकता है **जिसमें विद्युत प्रवाह की एक छोटी मात्रा का संचालन करने की विशेषताएं और क्षमता होती है।**
  - ○ डायोड, ट्रांजिस्टर जैसे **बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक घटकों** और कई प्रकाश वोल्टीय सेलों (Photovoltaic Cells) में **अर्धचालक सामग्री होती है।**

- अर्धचालक उपकरण की **विद्युत चालकता को या तो** स्थायी या गतिशील रूप से विस्तार से **नियंत्रित किया जा सकता है।**
- अर्धचालक की बुनियादी आवश्यकता यह होती है कि यह **न तो विद्युत का बहुत अच्छा चालक होना चाहिए और न ही विद्युत का बहुत बुरा चालक** होना चाहिए।

भारत में अर्धचालक विनिर्माण हेतु पहल

- **सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम (भारत में अर्धचालक और डिस्प्ले विनिर्माण पारितंत्र के विकास हेतु कार्यक्रम):** सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम[90] का उद्देश्य अर्धचालक, डिस्प्ले विनिर्माण और डिज़ाइन पारितंत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत **चार योजनाएं** शुरू की गई हैं-
  - **भारत में अर्धचालक निर्माण सुविधा** की स्थापना की योजना,
  - भारत में **डिस्प्ले निर्माण सुविधा** की स्थापना की योजना,
  - **भारत में संयुक्त अर्धचालक/सिलिकॉन फोटोनिक्स/संवेदक निर्माण और अर्धचालक असेंबली, परीक्षण, चिह्नांकन और पैकेजिंग (ATMP)[91] या OSAT सुविधाओं की स्थापना की योजना।**
  - **डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन (DLI) योजना** (चिप डिजाइन अवसंरचना सहायता, उत्पाद डिजाइन और परिनियोजन से जुड़ा प्रोत्साहन।)
- **भारत अर्धचालक मिशन (India Semiconductor Mission : ISM):** डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर एक स्वतंत्र व्यवसाय प्रभाग के रूप में इसकी स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य अर्धचालक और डिस्प्ले विनिर्माण सुविधाओं तथा अर्धचालक डिजाइन पारितंत्र को विकसित करने के लिए भारत की दीर्घकालिक रणनीतियों का संचालन करना है।
  - यह योजनाओं के **कुशल, सुसंगत और सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।**
- **विदेशी पूंजी को आकर्षित करना:** सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक के लिए **स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत FDI की अनुमति दी है।**

संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (Modified Special Incentive Package Scheme: M-SIPS): अर्धचालक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, 2017-18 के केंद्रीय बजट में M-SIPS और इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट फंड (EDF) जैसी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए आवंटन में वृद्धि की गई।

सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए आरंभ की गई अन्य पहलें

भारत में सेमीकंडक्टर्स का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम कार्यक्रम (Programme For Development of Semiconductors And Display Manufacturing Ecosystem In India)	**संशोधित कार्यक्रम के जरिए एक समान वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इसके तहत:** • **भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाइयों की स्थापना की योजना** के तहत सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए परियोजना लागत का **50% वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी। • **डिस्प्ले फैब्रिकेशन** स्थापित करने की योजना के तहत परियोजना लागत के **50 प्रतिशत की समानता के आधार पर वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी। • भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/ सिलिकॉन फोटोनिक्स/ सेंसर फैब्रिकेशन और सेमीकंडक्टर ATMP/ OSAT सुविधाओं की स्थापना के लिए योजना के तहत **पूंजीगत व्यय के 50% की वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी। **लक्ष्य: भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण के निवेश में तेजी** लाना।
लचीली आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain Resilience: RSC)	• **भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी 'वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य' (joint statement) को अपनाया है।** यह वक्तव्य **"आपूर्ति श्रृंखला मंत्रिस्तरीय मंच 2022"** के आयोजन के दौरान अपनाया गया है। • इस मंच की **भारत, US और यूरोपीय संघ सहित 18 अर्थवव्यस्थाएं** भागीदार हैं। इस साझेदारी मंच ने सामूहिक व दीर्घकालिक लचीली आपूर्ति श्रृंखला (RSC) के निर्माण के लिए चार सूत्री रोडमैप जारी किया है। इसका उद्देश्य आपूर्ति निर्भरता और सुभेद्यता से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से निपटना है।

[90] Semicon India Program

[91] Assembly, Testing, Marking and Packaging

	• भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI)** शुरू की है। यह पहल हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने में मदद करेगी।
पूर्वोत्तर क्षमता निर्माण (NECB) 2.0 परियोजना शुरू की गई {Northeast Capacity Building (NECB) 2.0 project launched}	• **वित्त पोषण:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। • **उद्देश्य:** उत्तर-पूर्व के नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का समग्र उत्थान करना। इस उद्देश्य को समाज के विभिन्न वर्गों के कुल 1.665 लाख नागरिकों को आवश्यक आई.टी. शिक्षा और कौशल प्रदान करके एक स्मार्ट तंत्र बनाकर प्राप्त किया जाएगा। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) के अगरतला, आइजोल, गंगटोक, गुवाहाटी, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा और शिलांग में स्थित केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है।

8.5. तकनीकी वस्त्र (Technical textiles: TT)

संबंधित सुर्ख़ियां

मानव निर्मित फाइबर (Manmade Fibres: MMFs)

- मानव निर्मित फाइबर (MMF) **पॉलिमर या कच्चे माल के लघु अणुओं (मुख्य रूप से पेट्रोलियम-आधारित रसायनों) के संयोजन** से निर्मित होते हैं, उदाहरण के लिए- विस्कॉस, पॉलिएस्टर, नायलॉन आदि।
    - प्राकृतिक फाइबर प्राकृतिक स्रोतों, जैसे- पादपों, प्राणियों और खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं जो मानव के लिए उपलब्ध हैं, उदाहरण के लिए- कपास, जूट, रेशम।
- **कच्चा माल:** प्यूरीफाइड टेरेफथलिक एसिड (PTA) और मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल (MEG) मूल्य श्रृंखला में फाइबर तथा फिलामेंट के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले बुनियादी कच्चे माल हैं।
- MMF, तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए आधार हैं।

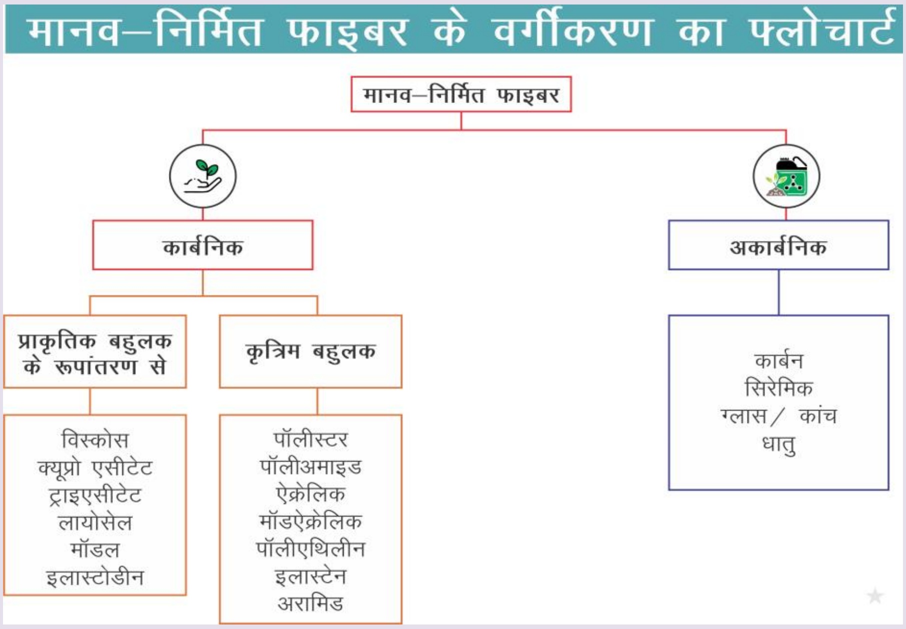

8.6. औषध उद्योग और चिकित्सा उपकरण (Pharmaceutical Industry and Medical Devices)

8.6.1. भारत में चिकित्सा उपकरण उद्योग (Medical Devices Industry in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **"चिकित्सा उपकरण: विनियम और नियंत्रण[92]"** रिपोर्ट राज्य सभा में पेश की गई थी।

भारत में चिकित्सा उपकरण उद्योग

- **भारत में, चिकित्सा उपकरणों को पांच प्रमुख खंडों में विभाजित किया गया है (इन्फोग्राफिक देखें)।**
- **भारत में चिकित्सा उपकरणों की चार श्रेणियों {A (कम जोखिम), B (कम मध्यम जोखिम), C (मध्यम उच्च जोखिम) और D (उच्च जोखिम)} का विनिर्माण होता है।**
    - अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों (C और D) की विनिर्माण मूल्य श्रृंखला का नेतृत्व बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिसके कारण आयात निर्भरता 90% से अधिक है।
    - दूसरी ओर, श्रेणी A और B, जो तकनीकी रूप से अपेक्षाकृत कम उन्नत हैं, बड़े पैमाने पर घरेलू विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जाते हैं।

92 Medical Devices: Regulations and Control

© Vision IAS

भारत में चिकित्सा उपकरणों का विनियमन	चिकित्सा उपकरण क्षेत्रक के लिए सरकार की पहलें
• भारत में **चिकित्सा उपकरण उद्योग** को मुख्य रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) द्वारा **CDSCO** (केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन) के जरिए एक विनियामकीय ढांचे के तहत शासित (Govern) किया जाता है। ○ **फार्मास्युटिकल विभाग** (रसायन और उर्वरक मंत्रालय) इसके प्रमोशन, उत्पादन और विनिर्माण संबंधी कार्यों से निपटता है। ○ वर्तमान में, चिकित्सा उपकरणों को **ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940** के तहत 'ड्रग्स' के रूप में विनियमित किया जाता है। • MoH&FW द्वारा अधिसूचित **चिकित्सा उपकरण नियम, 2017** के जरिए विनियामकीय ढांचे को तैयार किया गया है। • **भारत में चिकित्सा उपकरणों पर निम्नलिखित विनियामकीय प्राधिकरणों का अधिकार क्षेत्र है:** ○ CDSO, राज्य ड्रग लाइसेंसिंग प्राधिकरण (जिसे राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण या SLA भी कहा जाता है), नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA), फार्मास्युटिकल विभाग (DoP)। • **श्रेणी C और D** वाले चिकित्सा उपकरणों को CDSCO द्वारा विनियमित किया जाता है जबकि **श्रेणी A और B** के चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण संबंधित SLA द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ○ चिकित्सा उपकरणों की सभी श्रेणियों की बिक्री और वितरण SLA द्वारा विनियमित होते हैं।	• **चिकित्सा उपकरण क्षेत्रक में 100% FDI की अनुमति है।** • **चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना शुरू की गई है।** ○ **चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना** अधिसूचित की गई है। ○ **विनिर्माण क्षमताओं और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने के लिए फार्मास्युटिकल हेतु PLI योजना।** **"औषधि, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक-2022" का मसौदा** • यह मसौदा चिकित्सा उपकरणों को एक अलग इकाई के रूप में विनियमित करने पर केंद्रित है। • यह मौजूदा "औषधि प्रौद्योगिकी सलाहकार बोर्ड" की तर्ज पर एक "चिकित्सा उपकरण प्रौद्योगिकी सलाहकार बोर्ड" के गठन का प्रावधान करता है। • यह राज्यों और केंद्रीय स्तर पर औषध प्रयोगशालाओं की तर्ज पर चिकित्सा उपकरण परीक्षण केंद्र प्रस्तावित करता है। • दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के नैदानिक परीक्षण के लिए **'केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण'** की अनुमति आवश्यक होगी।

8.6.2. बल्क ड्रग पार्क (Bulk Drug Park: BDP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

औषध विभाग ने बल्क ड्रग पार्क योजना के तहत **तीन राज्यों - हिमाचल प्रदेश, गुजरात** और **आंध्र प्रदेश - में तीन बल्क ड्रग पार्क (BDPs) के निर्माण को 'सैद्धांतिक' मंजूरी** दी है।

बल्क ड्रग और बल्क ड्रग पार्क

- वर्ष 2020 में, **चीन APIs का दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माता** था। उसके बाद **अमेरिका और भारत** का स्थान था।
  - **भारत तीसरा सबसे बड़ा औषध उद्योग (मात्रा के हिसाब से) भी है। इसके बावजूद कई भारतीय कंपनियां विशेष रूप से चीन से बल्क ड्रग के आयात पर निर्भर हैं।**

शब्दावली को जानें

- **बल्क ड्रग: इसे एक सक्रिय दवा सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredient: API) भी कहा जाता है। यह किसी ड्रग या दवा का मुख्य घटक होता है, जो उसे वांछित चिकित्सकीय प्रभाव प्रदान करता है या इच्छित फार्माकोलॉजिकल गतिविधि शुरू करता है।**

- **BDP सक्रिय औषध सामग्री और दवा मध्यवर्ती के अनन्य निर्माण के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाओं से युक्त एक निर्धारित भूखंड है।**
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को **प्रति BDP 1000 करोड़ रुपये (अधिकतम) तक का सहायता अनुदान** प्रदान करेगी।
- **अन्य पहलें:**
  - **चीन पर निर्भरता संबंधी जोखिम को कम करने हेतु चाइना प्लस वन रणनीति।**
  - मुख्य प्रारंभिक सामग्री (Key Starting Materials)/ औषध मध्यवर्ती और **APIs** के घरेलू विनिर्माण के लिए **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना** शुरू की गई है।

8.7. भारत में खिलौना क्षेत्रक (Toy Sector in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मेक इन इंडिया पहल से खिलौना क्षेत्रक में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। पिछले तीन वर्षों में **खिलौनों के आयात में 70% की कमी** आई है। दूसरी ओर भारत से **खिलौनों के निर्यात में 61% की वृद्धि** हुई है। भारत में खिलौनों का आयात 371 मिलियन अमेरिकी डॉलर (वित्त वर्ष 2018-19) से घटकर **110 मिलियन अमेरिकी डॉलर** (वित्त वर्ष 2021-22) हो गया है।

भारत में खिलौना क्षेत्रक के बारे में

- भारतीय खिलौना क्षेत्रक बिखरा हुआ है, जिसमें से 90% बाजार असंगठित है। साथ ही, 4,000 से अधिक खिलौना उद्योग इकाइयां MSMEs क्षेत्रक से संबद्ध हैं।
- वर्तमान खिलौना बाजार लगभग **1.5 अरब डॉलर** का है। यह **वैश्विक खिलौना बाजार का केवल 0.5%** है।
- 5% के वैश्विक औसत के मुकाबले घरेलू खिलौनों की मांग 10-15% की दर से बढ़ने की संभावना है।

© Vision IAS

खिलौनों के लिए मेक इन इंडिया क्यों?

- **अत्यधिक आयात: भारत में बिकने वाले लगभग 85-90% खिलौने चीन में बनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन के खिलौने सस्ते होते हैं।**
- **आयातित खिलौनों की खराब गुणवत्ता:** भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला था कि 67% आयातित खिलौने परीक्षण में विफल रहे हैं। इससे स्थानीय स्तर पर सुरक्षित खिलौनों का उत्पादन करने के प्रभावपूर्ण प्रयास को बढ़ावा मिल रहा है।
- स्थानीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर, युवाओं में कौशल विकास को प्रोत्साहित करके और पारंपरिक खिलौना उद्योगों को पुनर्जीवित करके **स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।**

संबंधित सुर्ख़ियां

खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2020

- इस आदेश के जरिए खिलौनों को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणन संबंधी अनिवार्यता के तहत लाया गया है।
- खिलौनों से जुड़े **कुल 10 भारतीय मानक प्रकाशित** किए गए हैं। इनमें से **7 मानक** "खिलौनों की सुरक्षा" पर **गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO)** का हिस्सा हैं।
- QCO यह अनिवार्य बनाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खिलौने सुरक्षा के 7 भारतीय मानकों के अनुरूप हों। साथ ही, BIS से लाइसेंस के तहत उनमें एक मानक चिह्न (आईएसआई का निशान) हो। यह सरकारी दिशा-निर्देश 1 जनवरी 2021 से लागू हुआ है।

8.8. औद्योगिक क्षेत्रक से संबंधित अन्य घटनाक्रम (Other Developments in the Industrial Sector)

8.8.1. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business: EoDB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय वित्त मंत्री ने **बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) 2020** के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की **5वीं मूल्यांकन रिपोर्ट** जारी की है।

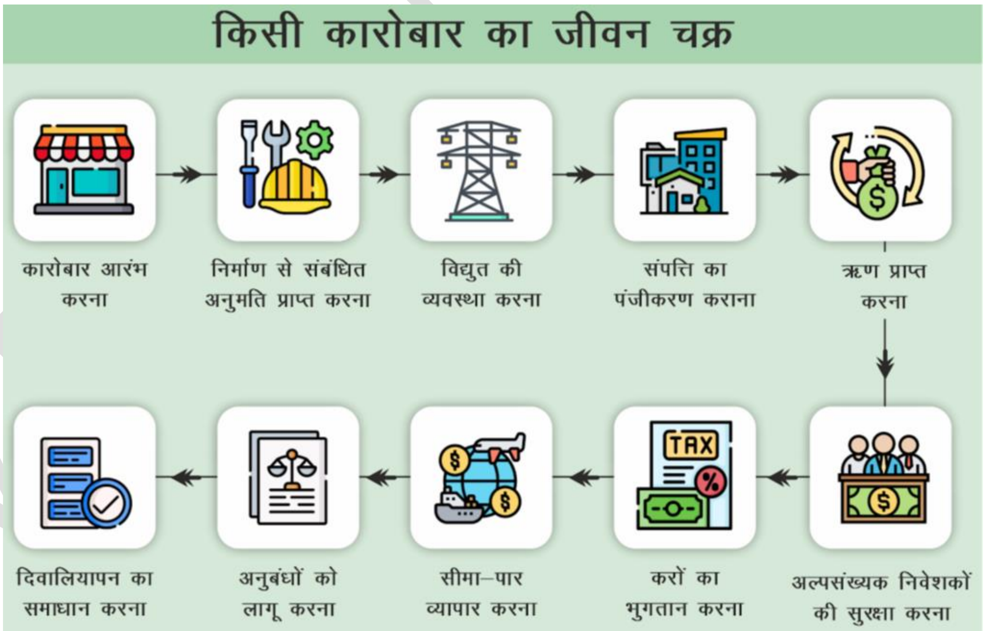

अन्य संबंधित तथ्य

- BRAP को **वर्ष 2014** से ही **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)**[93] द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश भर में **EoDB सुधारों** को आगे बढ़ाना है।
- इसने **301 सुधार बिंदुओं** के आधार पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को वर्गीकृत किया है। इसमें **15 व्यावसायिक नियामक क्षेत्रों**[94] को कवर किया गया है। यह वर्गीकरण निम्नलिखित श्रेणियों के तहत किया गया है- **शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले, लक्ष्य हासिल करने वाले, आकांक्षी** और **उभरते हुए व्यापारिक इकोसिस्टम।**
  - इसमें **सूचना तक पहुंच, सिंगल विंडो सिस्टम, श्रम, क्षेत्रीय सुधार, व्यवसाय के जीवन चक्र से संबंधित सुधार** जैसे क्षेत्रक शामिल हैं।

[93] Department for Promotion of Industry and Internal Trade

[94] Business Regulatory Areas

- **BRAP का उद्देश्य: निवेशकों का विश्वास बढ़ाना, व्यापार अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना** और राज्यों के बीच **स्वस्थ प्रतिस्पर्धा** शुरू करके देश भर में **ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा** देना।

ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) के बारे में

- यह किसी देश के **कारोबारी माहौल** का संकेतक है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि व्यापार नियामक परिवेश और आर्थिक परिणामों के बीच एक **सकारात्मक सह-संबंध** होता है।
  - **विश्व बैंक** ने **वर्ष 2002** में EoDB रैंकिंग के माध्यम से इसका प्रचार शुरू किया था। हालांकि, **डेटा संबंधी अनियमितताओं** के कारण **वर्ष 2021** में इसे बंद कर दिया गया।
  - EoDB 2020 में **भारत** 63वें स्थान पर था।
- इसका उद्देश्य किसी व्यवसाय के जीवन चक्र को सरल बनाकर **मौजूदा नियमों को सुव्यवस्थित** करना है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य एक **निवेशक-अनुकूल इकोसिस्टम** बनाना भी है, जैसे-
  - अनावश्यक विनियमों/ प्रक्रियाओं को **सरल और पारदर्शी नियमों** से बदलना।
  - व्यवसाय के **संपत्ति संबंधी अधिकारों का संरक्षण, आदि।**

8.8.2. प्रतिस्पर्धा कानून और बिग टेक कंपनियां (Competition Law and Big Technology Companies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने **"बिग टेक कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाएं[95]"** शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश की है। साथ ही, समिति ने टेक कंपनियों के लिए एक **डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम** तथा **आचार संहिता** के निर्माण की भी सिफारिश की है।

प्रतिस्पर्धा: अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इसका आशय, प्रकार और भूमिका

- **प्रतिस्पर्धा** "एक ऐसी बाजार स्थिति है, जिसमें फर्म या विक्रेता किसी विशेष **व्यावसायिक उद्देश्य** को प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रूप से खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं।"
  - ऐसा **मुनाफा कमाने, वस्तुओं की बिक्री करने और/ या बाजार हिस्सेदारी प्राप्त करने** के उद्देश्य से किया जाता है।
- **बाजार संरचना** के आधार पर, अर्थशास्त्रियों ने **मुख्य रूप से चार प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं की पहचान की है (इंफोग्राफिक देखें)।**

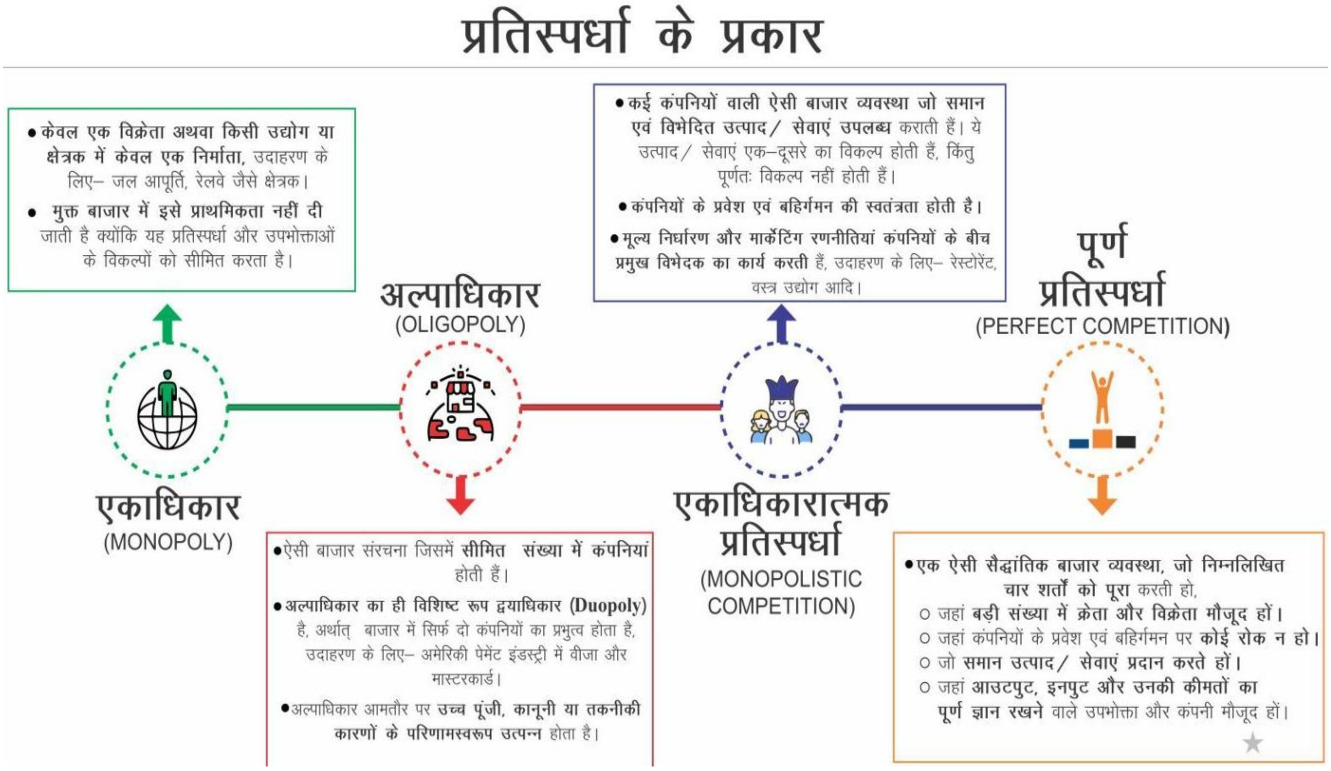

95 Anti-competitive practices by Big Tech companies

© Vision IAS

समिति ने निम्नलिखित 10 प्रकार की प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं की पहचान की है जिनका अक्सर बिग टेक कंपनियों द्वारा प्रयोग किया जाता है:

क्रम संख्या	प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाएं	विवरण
1.	एंटी-स्टीयरिंग प्रावधान (Anti-Steering Provisions)	प्रमुख रूप से **'ऐप स्टोर्स'** (गूगल और एप्पल ऐप स्टोर) से जुड़े ऐप पब्लिशर्स अपने **बिजनेस यूजर्स** (ऐप यूजर्स) को प्लेटफॉर्म पर दिए जाने वाले लाभों के अलावा अन्य लाभों के बारे में बताने तथा भुगतान के लिए **अन्य विकल्पों** के उपयोग से रोकते हैं।
2.	प्लेटफॉर्म न्यूट्रैलिटी / सेल्फ प्रिफरेंसिंग (Platform Neutrality/ Self-Preferencing)	आमतौर पर **'मार्केटप्लेस'** से जुड़े कुछ प्लेटफॉर्म अपने उत्पादों को ही प्राथमिकता देते हैं, जैसे- गूगल द्वारा प्ले स्टोर पर गूगल पे को प्राथमिकता देना।
3.	एडजेसेंसी/ बिल्डिंग और टाइंग (Adjacency/ Building and Tying)	इसमें डिजिटल फर्म लोगों को **संबंधित सेवाएं खरीदने के लिए मजबूर** करती हैं। उदाहरण के लिए- फ़ूड डिलीवरी ऐप द्वारा रेस्टोरेंट के लिए यह अनिवार्य करना कि वे उक्त प्लेटफ़ॉर्म की डिलीवरी सेवाओं का उपयोग करें।
4.	डेटा उपयोग (गैर-सार्वजनिक डेटा का उपयोग) {Data Usage (use of non-public data)}	डिजिटल फर्मों द्वारा **डेटा का एकतरफा उपयोग** करना, विशेष रूप से **डेटा के विशाल भंडार वाले** प्रमुख प्लेटफॉर्म से डेटा को प्रोसेस करना। उदाहरण के लिए- स्विगी और जोमैटो अपने यूजर्स के पिछले ऑर्डर से जुड़े डेटा (Purchase data) का उपयोग कर उन्हें ऐसे विकल्प देते हैं जिससे अन्य अभिकर्ताओं का प्रवेश बाधित होता है।
5.	विलय और अधिग्रहण (Mergers and Acquisitions)	**"अनुचित अधिग्रहण (Killer acquisitions)"** डिजिटल बाजारों में बार-बार घटित होने वाला एक मुद्दा है। इसमें **बिग टेक अत्यधिक मूल्य वाले स्टार्ट-अप का अधिग्रहण** कर लेती हैं या उन्हें खरीद लेती हैं। यह स्थिति छोटी फर्मों को एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ने से रोकती हैं। उदाहरण के लिए- फेसबुक द्वारा व्हाट्सएप का अधिग्रहण।
6.	मूल्य निर्धारण/ भारी छूट (Pricing/ Deep Discounting)	यह प्रमुख रूप से **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल (बिक्री)** से संबंधित है। होटल बुकिंग, फ़ूड डिलीवरी जैसे क्षेत्रों में बड़े प्लेटफ़ॉर्म द्वारा भारी छूट अर्थात् डीप डिस्काउंट का उपयोग किया जाता है। यह अंतिम मूल्य पर सेवा प्रदाताओं के नियंत्रण और ऑफ़लाइन अभिकर्ताओं की प्रतिस्पर्धा क्षमता को सीमित करता है, जैसे- अमेज़न, फ्लिपकार्ट।
7.	विशिष्ट अनुबंध (Exclusive Tie-ups)	**एक ब्रांड के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के विशेष अनुबंध, अन्य प्लेटफ़ॉर्म के साथ-साथ** ब्रिक-एंड-मोर्टार सेलर्स (Brick-and-Mortar Sellers) के व्यवसाय को भी बाधित करते हैं। इसी तरह, अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर वस्तुओं को कम दरों पर बेचने से रोकने के लिए बड़े प्लेटफ़ॉर्म **मूल्य समता उपबंध (Price Parity Clause)** का उपयोग करते हैं। • मूल्य समता उपबंध के तहत आपूर्तिकर्ता अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर या अपनी स्वयं की वेबसाइट्स पर कम कीमतों पर वस्तुओं को उपलब्ध न कराने के लिए बाध्य होते हैं।
8.	सर्च एंड रैंकिंग प्रिफरेंसिंग (Search and Ranking Preferencing)	यूज़र सर्च से संबंधित परिणामों को दिखाते समय **प्रायोजित उत्पादों (Sponsored products)** को प्राथमिकता दी जाती है। इस दौरान सर्च रिजल्ट को पक्षपात रहित तरीके से नहीं दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए- अमेजन और फ्लिपकार्ट द्वारा **प्रेफरेंशियल लिस्टिंग** करना।
9.	थर्ड-पार्टी एप्लिकेशंस को प्रतिबंधित करना (Restricting Third-Party Applications)	डिजिटल बाजारों में **गेटकीपर्स की उपस्थिति, थर्ड-पार्टी एप्लिकेशंस के इंस्टॉलेशन या ऑपरेशन को प्रतिबंधित** करती है। उदाहरण के लिए- **ऐप्पल का ऐप स्टोर** एकमात्र चैनल है जो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े उपभोक्ताओं को अपने ऐप वितरित करता है।
10.	विज्ञापन नीतियां (Advertising Policies)	डिजिटल विज्ञापन बाजार को **हितों के टकराव और सेल्फ प्रिफरेंसिंग** से जुड़े मुद्दों का सामना करना पड़ता है। ऐसा **ऐड-टेक सप्लाई चेन के सभी स्तरों पर** प्लेटफ़ॉर्म के **ऑपरेशनल** होने की स्थिति में होता है।

इस संबंध में भारत में कानूनी ढांचा और इससे जुड़े मुद्दे

- **निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा** देने और **बनाए रखने** के लिए भारत सरकार ने "प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002" को लागू किया है। इसे **प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए लागू किया गया है।**
- इस अधिनियम के **प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन**[96] के लिए **CCI**[97] की स्थापना की गई है। गौरतलब है कि CCI को 2009 में स्थापित किया गया था।
  - CCI **उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा** करता है। यह भारत के बाजारों में अन्य प्रतिभागियों के लिए **व्यापार करने की स्वतंत्रता** सुनिश्चित करता है।
  - हाल ही में, श्री इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति ने नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत थीं।
- **राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (NCLAT)**[98] का गठन **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत CCI के निर्देशों, आदेशों या निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने और उनका निपटान करने के लिए एक **अपीलीय अधिकरण** के रूप में किया गया है।

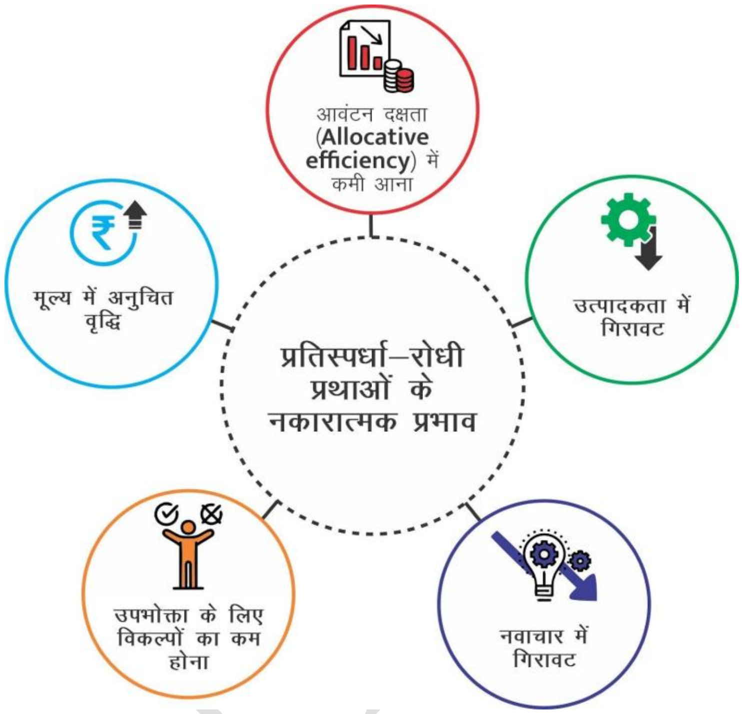

  - हालांकि, यह एक **एक्स-पोस्ट एप्रोच** पर कार्य करता है। दूसरे शब्दों में, यह प्रतिस्पर्धा-रोधी घटना के घटित होने के बाद निर्णय सुनाता है।
  - दूसरी ओर, **बढ़ती आर्थिक गतिविधियों** के कारण डिजिटल बाजार में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण **बिग टेक कंपनियां** अन्य प्रतिस्पर्धियों बहुत पहले अपूरणीय क्षति (Irreparable harm) पहुंचा देती हैं। इसे रोकने के लिए एक्स-पोस्ट एप्रोच पर किए जाने वाले प्रयास अपनी देरी के कारण अप्रभावी रह जाते हैं।

8.9. उद्योग संबंधी प्रमुख अवधारणाएं और अन्य जानकारी (Key Concepts and Information on Industry)

प्रमुख उद्योगों का सूचकांक (Index of Core industries)	• **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)** में शामिल वस्तुओं के भारांश के 40.27% वाले आठ प्रमुख उद्योगों ने **वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 10.4% की वृद्धि** दर्ज की। • **ICI निम्नलिखित चयनित आठ प्रमुख उद्योगों में उत्पादन के संयुक्त और अलग-अलग प्रदर्शन को मापता है।** ○ पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद (28.04%); ○ विद्युत (19.85%); ○ इस्पात (17.92%); ○ कोयला (10.33%); ○ कच्चा तेल (8.98%); ○ प्राकृतिक गैस (6.88%); ○ सीमेंट (5.37%) तथा ○ उर्वरक (2.63%)

[96] Administration, implementation, and enforcement

[97] Competition Commission of India/ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

[98] National Company Law Appellate Tribunal

	• इन उद्योगों का **भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।** साथ ही, ये अन्य उद्योगों को भी **महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।**
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority: NPPA)	• NPPA, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग (DoP) का संबद्ध कार्यालय है। • NPPA का **गठन 1997** में किया गया था। यह **दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए एक स्वतंत्र विनियामक** के रूप में कार्य करता है। **इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित है:** ○ **औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (DPCO) के प्रावधानों को लागू करना।** ○ **दवाओं की उपलब्धता की निगरानी करना,** उनकी कमी की पहचान करना और उपचारात्मक कदम उठाना। ○ **बल्क ड्रग्स और फॉर्मूलेशन के लिए** उत्पादन, निर्यात एवं आयात आदि से जुड़े **डेटा का रखरखाव** करना। • इसके **रजत जयंती समारोह** के **अवसर पर निम्नलिखित पहलों का भी शुभारंभ किया गया है:** ○ **इंटीग्रेटेड फार्मास्युटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 को लॉन्च किया गया है।** यह प्रणाली DPCO, 2013 के तहत अधिदेशित विभिन्न प्रपत्रों को जमा करने के लिए सिंगल विंडो की सुविधा प्रदान करेगी। ○ इसके अलावा, अपडेटेड फीचर्स के साथ **'फार्मा सही दाम 2.0' ऐप** को लॉन्च किया गया है। यह ऐप उपभोक्ता शिकायत प्रबंधन प्रणाली के साथ **स्पीच रिकग्निशन की सुविधा से युक्त** है।
भारतीय भेषज संहिता आयोग (Indian Pharmacopoeia Commission: IPC)	• केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने **भारतीय भेषज संहिता आयोग (IPC)** के सम्मेलन की अध्यक्षता की है। सम्मेलन में उन्होंने IP के **9वें संस्करण** का विमोचन किया है। ○ IPC एक **स्वायत्त संस्था** है। यह वर्ष 2009 से पूर्ण रूप से परिचालन में है। यह भारत में दवाओं के **मानकों को निर्धारित और नियमित रूप से अपडेट** करने का कार्य करता है। • **IP एक आधिकारिक पुस्तक** है। इसमें **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की दूसरी अनुसूची के तहत दवाओं के लिए मानक** शामिल हैं। • IP भारत में उत्पादित और/ या विपणन की जाने वाली दवाओं के लिए आधिकारिक मानकों को निर्धारित करती है। इस प्रकार यह दवाओं की गुणवत्ता के नियंत्रण और आश्वासन में योगदान देती है। • ये मानक **आधिकारिक और वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय हैं।**

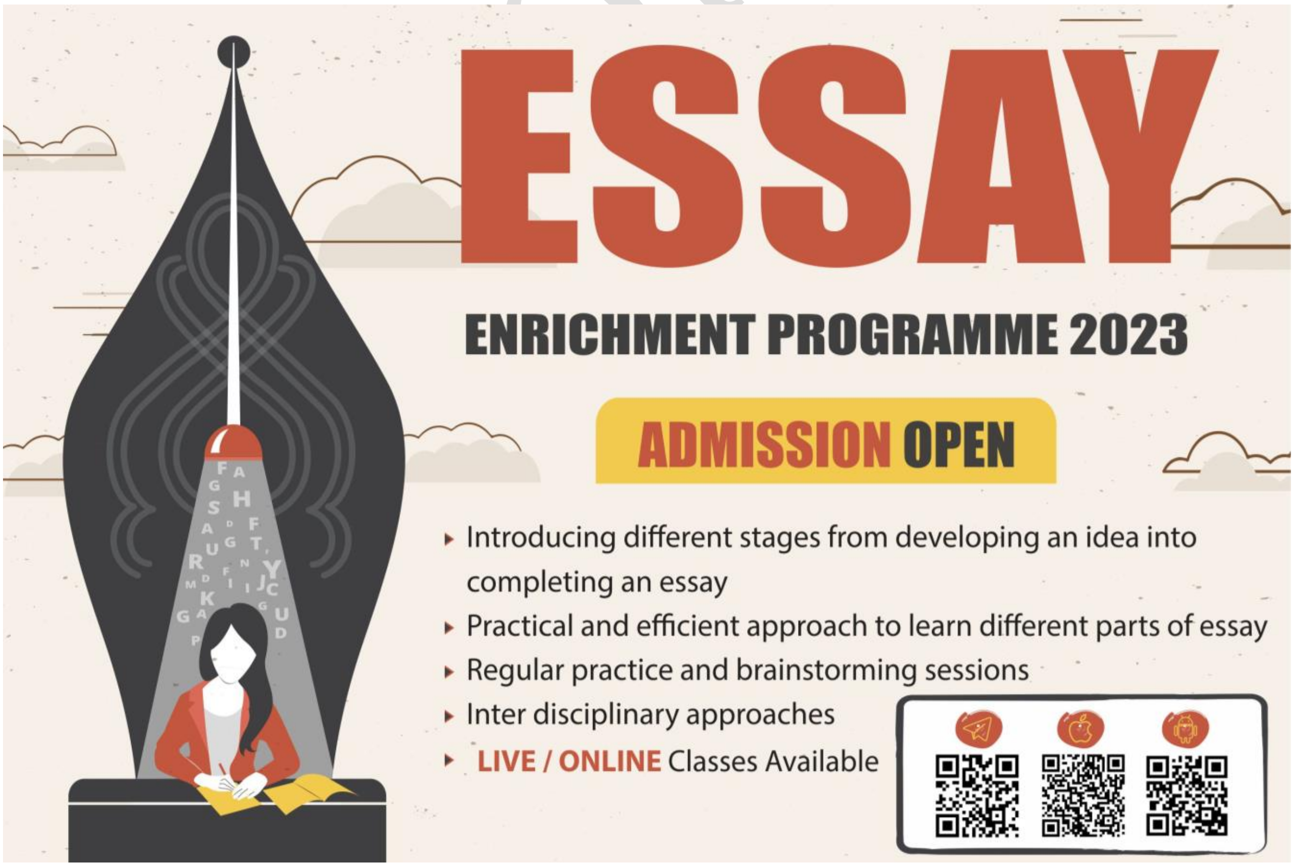

9. सेवा क्षेत्रक (Services Sector)

9.1. भारत में पर्यटन क्षेत्रक (Tourism Sector in India)

9.1.1. राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन रणनीति (National Strategy For Sustainable Tourism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पर्यटन मंत्रालय ने **राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन रणनीति** जारी की है।

राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन रणनीति के बारे में

- **लक्ष्य:** इसका उद्देश्य संधारणीयता को **भारतीय पर्यटन क्षेत्रक की मुख्यधारा में लाना है।** साथ ही, यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों की सुरक्षा करते हुए अधिक लचीला, समावेशी, कार्बन न्यूट्रल तथा संसाधन कुशल पर्यटन सुनिश्चित करेगा।
- **विजन:** इसका विज़न भारत को संधारणीय और उत्तरदायी पर्यटन के लिए **पसंदीदा वैश्विक गंतव्य बनाना है।**
- **मिशन:** इसका मिशन भारत में कार्बन-निम्न, समावेशी और लचीला पर्यटन क्षेत्रक बनाने **के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों को बढ़ाना है।**

भारतीय पर्यटन क्षेत्रक

पर्यटन क्षेत्रक के बारे में

देश के कुल GDP में पर्यटन क्षेत्रक का योगदान **लगभग 4.7%** (2020 में)	देश के कुल रोजगार में **7.3%** की हिस्सेदारी	2019 तक देश का **तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक**

इस क्षेत्रक के लिए नीतियां और योजनाएं

राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2021 का प्रारूप		राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन नीति
तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक व विरासत संवर्धन अभियान **(प्रसाद/ PRASAD) योजना**	**स्वदेश दर्शन योजना**	अन्य योजनाएं जैसे कि **निधि 2.0** (आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस) योजना

हालिया घटनाक्रम

धर्मशाला घोषणा–पत्र को राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। इसके तहत 2047 तक पर्यटन के क्षेत्र में विश्व में भारत को अग्रणी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है	**विश्व आर्थिक मंच** (WEF) **के वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक** (Global Travel and Tourism Development Index) 2021 में 117 देशों में भारत का स्थान 54वां है।

- **संधारणीय पर्यटन के विकास के लिए निम्नलिखित रणनीतिक स्तंभों की पहचान की गई है:**
  - पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देना
  - जैविक विविधता और प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करना
  - आर्थिक संधारणीयता को बढ़ावा देना
  - सामाजिक-सांस्कृतिक संधारणीयता को बढ़ावा देना
  - संधारणीय पर्यटन प्रमाणन योजना
- **IEC और क्षमता निर्माण:** पर्यटन मंत्रालय द्वारा संधारणीय पर्यटन, एडवेंचर पर्यटन और इको-पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी।
- **गवर्नेंस:**
  - सचिव (पर्यटन मंत्रालय) के अधीन राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
  - संधारणीय पर्यटन के प्रोत्साहन और विकास के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी नामित की जाएगी।
  - राज्य पर्यटन विभाग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र एक राज्य नोडल एजेंसी भी नामित कर सकेंगे।

 © Vision IAS

9.1.2. पर्यटन क्षेत्रक से जुड़े अन्य घटनाक्रम (Other Developments in the Tourism Sector)

युवा पर्यटन क्लब (YUVA Tourism Clubs)	• **केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)** ने **पर्यटन मंत्रालय** के साथ मिलकर अपने **संबद्ध स्कूलों से युवा पर्यटन क्लब गठित करने** का आह्वान किया है। • इसका उद्देश्य **भारतीय पर्यटन के लिए युवा राजदूतों को प्रोत्साहित व विकसित करना** है। पर्यटन के ये युवा राजदूत भारत में पर्यटन की संभावनाओं के बारे में जागरूक होंगे, हमारी **समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सराहना** करेंगे और पर्यटन के प्रति रुचि एवं जुनून विकसित करेंगे। • इस पहल से टीम वर्क, प्रबंधन, नेतृत्व आदि जैसे **सॉफ्ट स्किल्स का विकास** होगा। साथ ही, पारिस्थितिक पर्यटन के अंगीकरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
शिल्प-ग्राम (Craft Villages)	• एक ही स्थान पर **'शिल्प और पर्यटन' को बढ़ावा देने के लिए 'वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने (Linking textile with Tourism)' के अंतर्गत आठ शिल्प ग्रामों की कार्य योजना** शुरू की है। • इन ग्रामों में शामिल हैं- रघुराजपुर (ओडिशा), तिरुपति (आंध्र प्रदेश), वदाज (गुजरात), नैनी (उत्तर प्रदेश), अनेगुंडी (कर्नाटक), महाबलीपुरम (तमिलनाडु), ताजगंज (उत्तर प्रदेश) तथा आमेर (राजस्थान)। • शिल्प ग्राम, क्लस्टर्स में दस्तकारी को सामूहिक रूप से कारीगरी के लिए स्थायी और लाभकारी आजीविका विकल्प के रूप में विकसित करेंगे। इस प्रकार, ये देश की समृद्ध शिल्प विरासत की रक्षा करेंगे।

9.2. ई-कॉमर्स (E-Commerce)

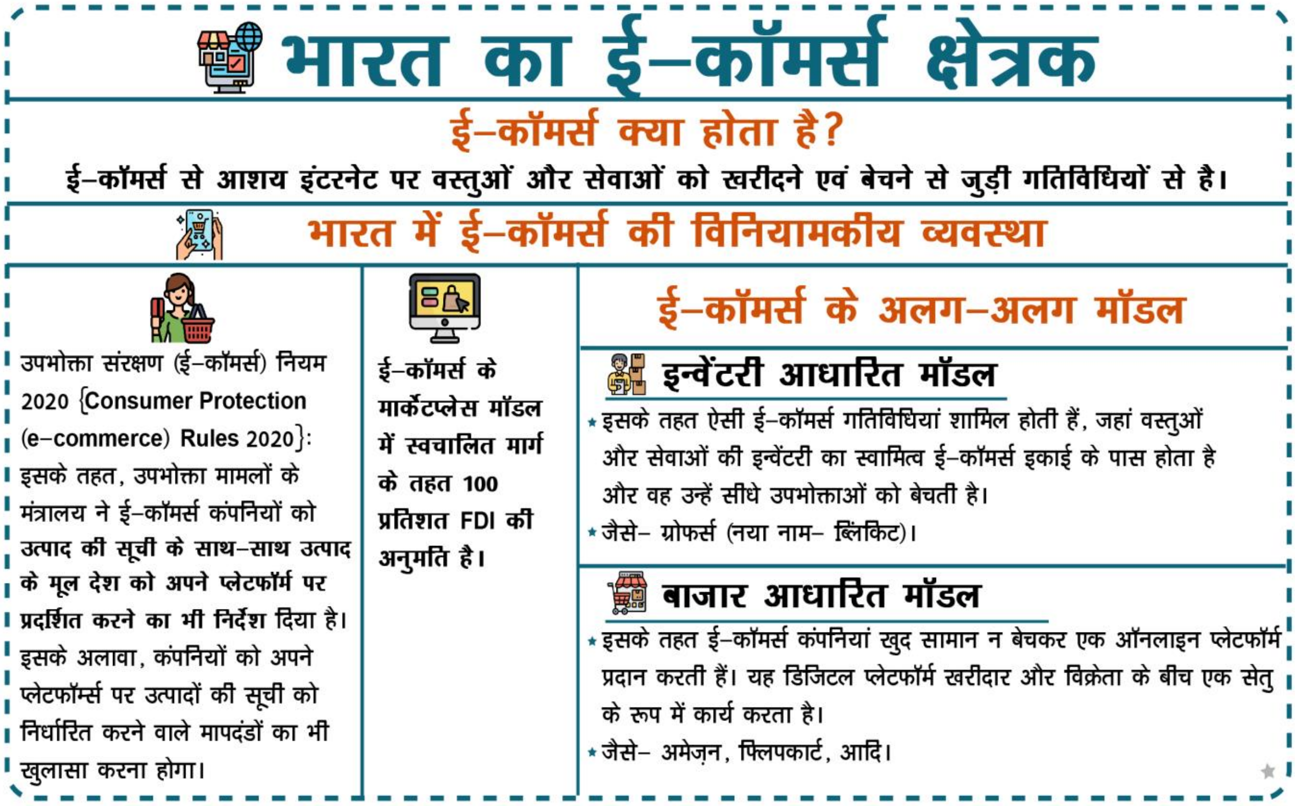

9.2.1. ई-कॉमर्स को बढ़ावा और उसका विनियमन (Promotion and Regulation of E-Commerce)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति[99] ने **"भारत में ई-कॉमर्स को बढ़ावा और उसके विनियमन[100]"** पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

[99] Parliamentary Standing Committee on Commerce

[100] Promotion and Regulation of E-Commerce in India

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- समिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव किए हैं:
    - या तो एक नया **डिजिटल मार्केट कानून** बनाया जाए, जिससे भारत में ई-कॉमर्स से संबंधित व्यावसायिक कार्य-कलापों का नियमन हो सके। समिति ने इन व्यावसायिक कार्य-कलापों में डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ी कंपनियों द्वारा डेटा संग्रह और डेटा के उपयोग को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। या फिर,
    - उपर्युक्त से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए **प्रतिस्पर्धा अधिनियम** में **स्पष्ट दिशा-निर्देशों को शामिल** किया जाए।
- साथ ही, समिति ने विनियमन के लिए एक **एक्स-पोस्ट मॉडल** (Ex-post Model) के बजाय एक **एक्स-एंटी मॉडल** (Ex-ante Model) का प्रस्ताव रखा है।
    - **एक्स-एंटी मॉडल** में डेटा संग्रह और उसके उपयोग सहित बिग टेक कंपनियों के लिए एक **आचार संहिता** होती है। (**नोट:** एक्स-पोस्ट मॉडल में डेटा संग्रह और उपयोग के बाद उसके परिणामों पर नज़र रखी जाती है।) इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि **उपभोक्ताओं से प्राप्त डेटा का उपयोग उपभोक्ता के हितों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं** किया जाएगा।
    - इसमें **'गेटकीपर्स' के रूप में कार्यरत बिग टेक कंपनियां** शामिल होंगी। यहां गेटकीपर्स से आशय ऐसे व्यावसायिक प्लेटफॉर्म्स से है, जो छोटी कंपनियों को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने हेतु प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं। **इससे डिजिटल बाजारों को बेहतर तरीके से विनियमित करने में मदद मिलेगी।**
- वर्तमान में, **प्लेटफॉर्म-टू-बिजनेस (P2B)** उपयोगकर्ता संबंध को प्रबंधित करने के लिए प्रभावी विनियमन का अभाव है। साथ ही, विनियमन के **एक्स-पोस्ट मॉडल पर अत्यधिक निर्भरता** बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, विकसित होते और तेजी से बदलते बाजारों में हमेशा बेहतर प्रतिस्पर्धा का माहौल सुनिश्चित नहीं होता है, विशेष रूप से जब ऐसे बाजार में गेटकीपर्स शामिल हों।

संबंधित सुर्ख़ियां

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फर्जी समीक्षाओं (फेक रिव्युज़) की जांच के लिए रूपरेखा (Framework to Check Fake Reviews On E-Commerce Platforms)

- उपभोक्ता कार्य विभाग ने **नए भारतीय मानक (IS) 19000:2022** का अनावरण किया है। इसे **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)** ने बनाया है। इसका उद्देश्य **उत्पादों और सेवाओं की फर्जी व भ्रामक समीक्षाओं** को रोकना है।
    - ये मानक शुरू में सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा अनुपालन के लिए स्वैच्छिक होंगे। ये **प्रत्येक उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे, जो उपभोक्ता समीक्षाएं प्रकाशित करता है।**
    - **फर्जी और भ्रामक समीक्षाएं** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत **उपभोक्ता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं।**
- **मुख्य बिंदु:**
    - ये मानक **समीक्षा लेखक** और **समीक्षा प्रशासक** के लिए विशेष उत्तरदायित्व निर्धारित करते हैं।
    - साथ ही, **संगठनों के लिए जिम्मेदारियां और उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र** का प्रावधान करते हैं।

9.2.2. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (Open Network for Digital Commerce: ONDC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ONDC नेटवर्क** ने बेंगलुरु में उपभोक्ताओं के लिए **बीटा टेस्टिंग** शुरू की है।

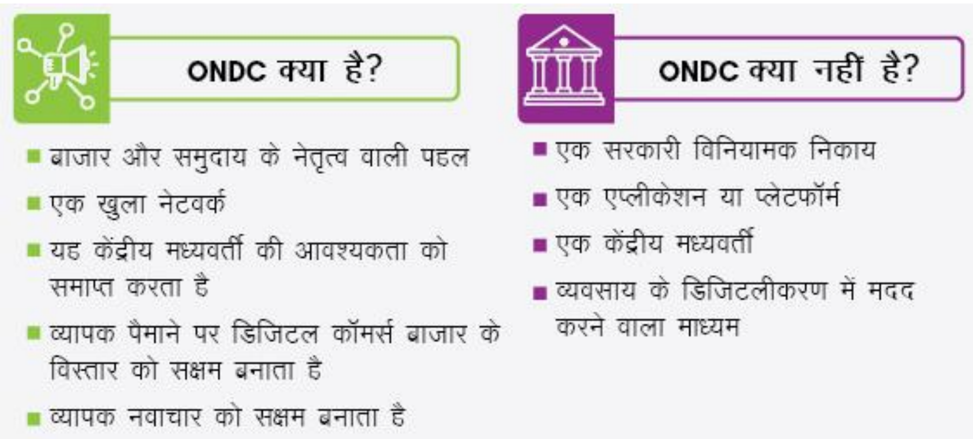

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) क्या है?

- ONDC, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)**[101] की एक पहल है।

[101] Department of Promotion of Industry and Internal Trade

© Vision IAS

- इसे दिसंबर, 2021 में **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में** स्थापित किया गया था।
    - इसके शुरुआती प्रमोटर **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)**[102] और **प्रोटिन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड** हैं।
- इसका उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर **वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन संबंधी सभी रूपों के लिए ओपन नेटवर्क** को बढ़ावा देना है।

ONDC पारंपरिक ई-कॉमर्स मॉडल से कैसे भिन्न है?

ई-कॉमर्स के पारंपरिक मॉडल के विपरीत, ONDC किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं है। यह टरऑपरेबल प्लेटफॉर्म्स/ एप्लीकेशंस का एक खुला नेटवर्क है। इसके परिणामस्वरूप परिचालन नियंत्रण (Operational Control) विकेंद्रीकृत हो जाता है।

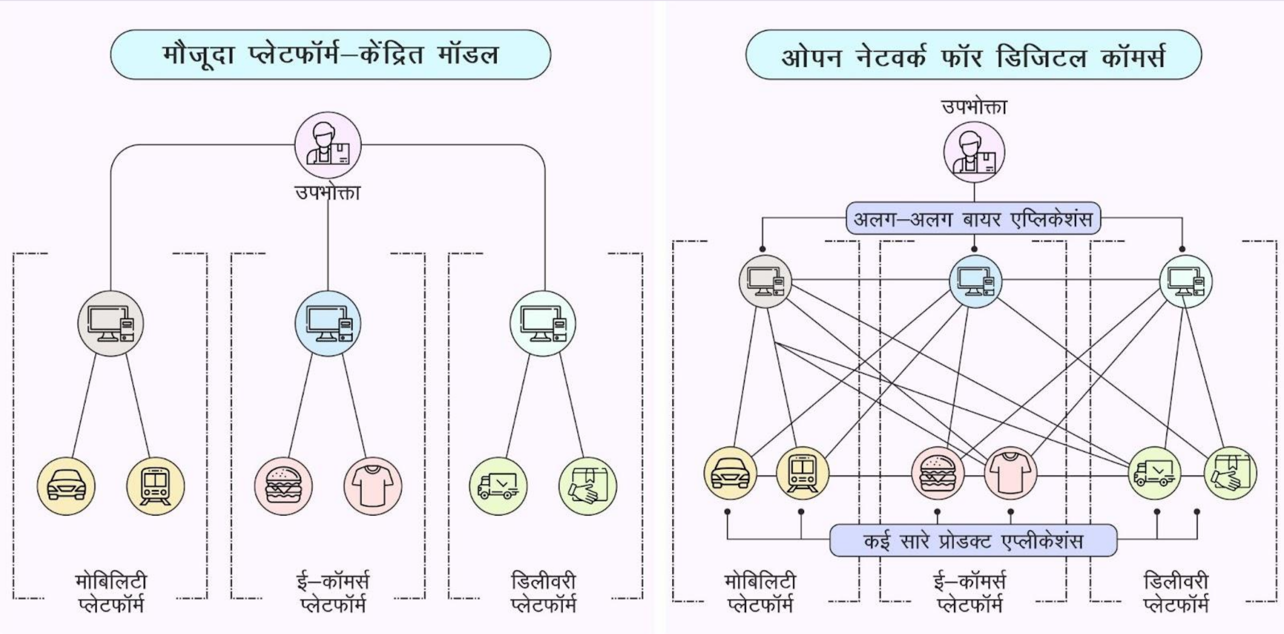

भारत में ONDC का महत्व

- बड़ी कंपनियों की **एकाधिकार संबंधी प्रवृत्ति को समाप्त करना और उपभोक्ताओं के लिए चुनने की स्वतंत्रता में वृद्धि करना।**
- केंद्रीकरण के जोखिम, अपवर्जन (Exclusion) और विवेकाधिकार संबंधी व्यवहार आदि से बचने के लिए **ऑपरेटर-संचालित प्लेटफ़ॉर्म-केंद्रित मॉडल से दूर जाना।**
- **स्थानीय व्यवसायों को औपचारिक बनाना।**
- **संवृद्धि और विकास:** ONDC डिजिटल कॉमर्स की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला यानी लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, लास्ट माइल डिलीवरी आदि में आर्थिक विकास और आजीविका सृजन के अवसर पैदा करेगा।
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने संबंधी बाधाओं को कम करके **लघु और मध्यम उद्यमों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।**

[102] Quality Council of India

- **अन्य संभावित लाभ:**
    - इससे आपूर्ति श्रृंखला क्षमता बेहतर होती है;
    - यह डिजिटल कॉमर्स बाजार के भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक कवरेज को बढ़ाता है;
    - यह डिजिटल कॉमर्स बाजार के परिचालन का मानकीकरण करता है;
    - मूल्य के निर्धारण में पारदर्शिता को बढ़ाता है आदि।

9.3. दूरसंचार क्षेत्रक (Telecom Sector)

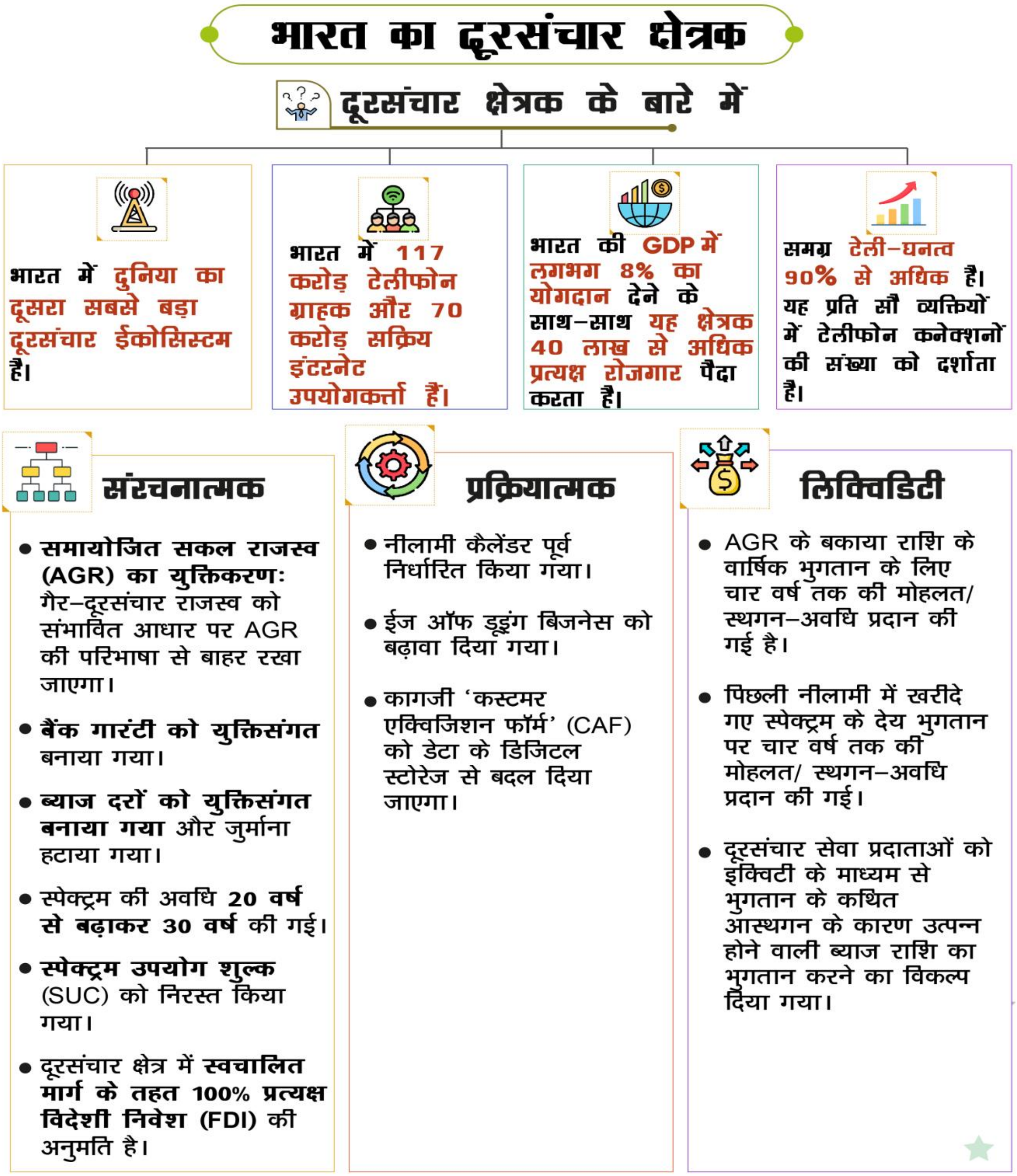

© Vision IAS

9.3.1. गति शक्ति संचार पोर्टल (GatiShakti Sanchar Portal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दूरसंचार विभाग ने RoW[103] **स्वीकृति** के लिए **गति शक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ** किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- राइट ऑफ वे एक **कानूनी अधिकार** है। इसके द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSP) को ऑनलाइन आवेदन करने और फिर सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जाती है। इसके तहत दूरसंचार क्षेत्रक के लाइसेंसधारी निजी संपत्ति के मालिकों के साथ समझौता कर सकते हैं और उन्हें टावर, पोल या ऑप्टिकल फाइबर जैसी दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए किसी भी सरकारी प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
- **भारतीय टेलीग्राफ RoW नियम (भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम), 2016** भूमिगत अवसंरचना (ऑप्टिकल फाइबर) और जमीन के ऊपर की अवसंरचना (मोबाइल टावर) को विनियमित करते हैं।
- यह केंद्र और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों, स्थानीय निकायों और सेवा प्रदाताओं सहित सभी हितधारकों के बीच एक **सहयोगी संस्थागत तंत्र** है। इसे **मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम** ने विकसित किया है।
- यह पोर्टल देश भर में **डिजिटल संचार अवसंरचना** को सुचारू तरीके से स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगा।

नवीनतम संशोधनों के मुख्य बिंदु

- 5G सेवा जल्द शुरू करने के लिए RoW **आवेदन प्रक्रियाओं को सरल** बनाया गया है।
- नियमों के पालन की लागत को कम करने के लिए **प्रशासनिक शुल्क** को युक्तिसंगत बनाया गया है।
- दूरसंचार लाइसेंसधारी **निजी संपत्ति के मालिकों के साथ समझौता** कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी सरकारी प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

संबंधित सुर्ख़ियां

दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष (Telecom Technology Development Fund: TTDF)

- **सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF)** ने TTDF लॉन्च किया है। USOF **दूरसंचार विभाग** के अधीन एक निकाय है।
- **इसके उद्देश्यों में शामिल हैं:**
  - ग्रामीण-विशेष संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में **अनुसंधान एवं विकास को वित्तपोषित करना।**
  - शैक्षणिक समुदाय, स्टार्ट-अप्स, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच **सहयोग बढ़ाना।**
  - **प्रौद्योगिकी स्वामित्व और स्वदेशी विनिर्माण** को बढ़ावा देना।
  - **देशव्यापी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानकों का विकास करना** और अनुसंधान एवं विकास, प्रोटोटाइप आदि के लिए इकोसिस्टम का निर्माण करना।

9.4. सेवा क्षेत्रक से जुड़े अन्य घटनाक्रम (Other Services Sector Developments)

9.4.1. सॉफ्टवेयर ऐज ए सर्विस (Software as a Service: SaaS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कॉन्फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (CII) और अर्नेस्ट एंड यंग (EY)[104] ने **"इंडिया: द नेक्स्ट ग्लोबल SaaS कैपिटल[105]"** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में **भारतीय SaaS उद्योग की महत्वपूर्ण स्थिति और उसके द्वारा निर्मित व्यापक प्रभाव पर प्रकाश** डाला गया है।

[103] Right of Way/ केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार

[104] Ernst & Young

[105] India: The Next Global SaaS Capital

SaaS के बारे में

- SaaS वस्तुतः सॉफ्टवेयर सेवाओं की डिलीवरी हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक मॉडल है। इसके तहत **क्लाउड सेवा प्रदाता** द्वारा उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर **सॉफ्टवेयर सेवाएं उपलब्ध कराई** जाती हैं। उदाहरण के लिए- गूगल वर्कस्पेस, एडोब क्रिएटिव क्लाउड, गिटहब आदि द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं।

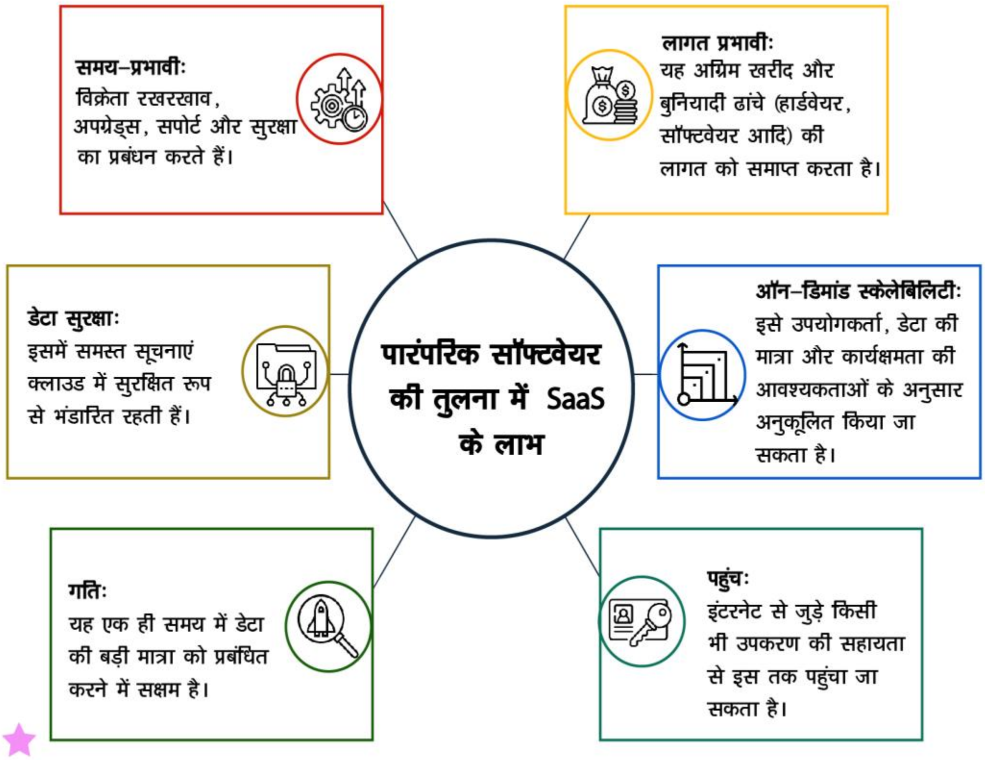

- **SaaS की मुख्य विशेषताएं:**
    - SaaS सेवाओं को **सॉफ्टवेयर प्रदाता से किराए** पर लिया जा सकता है। इसमें सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता द्वारा तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है।
    - यह सेवा एक निश्चित मूल्य के भुगतान पर प्रदान की जाती है।
    - इसके तहत सॉफ्टवेयर को **कई डिवाइस के माध्यम एक्सेस** किया जा सकता है।
- **यह क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं की तीन श्रेणियों में से एक है। अन्य दो हैं:**
    - **इंफ्रास्ट्रक्चर ऐज ए सर्विस (Infrastructure as a Service: IaaS):** इसके तहत कंपनी द्वारा पट्टे (Lease) पर सर्वर, नेटवर्क संसाधन इत्यादि सहित एक संपूर्ण डिजिटल आधारभूत संरचना प्रदान की जाती है। सेवा प्राप्त करने वाला इसका उपयोग अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने, एप्लीकेशन बनाने, डेटा स्टोर करने आदि के लिए करता है।
    - **प्लेटफॉर्म ऐज ए सर्विस (PaaS)**[106]**:** इसके तहत मुख्य रूप से एप्लीकेशन बनाने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट टूल और आधारभूत संरचना सहित क्लाउड सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

भारत में SaaS क्षेत्रक

- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद **भारत, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा SaaS इकोसिस्टम** वाला देश है।
- यह संभावना व्यक्त की गई है कि भारत **वर्ष 2026 तक चीन को पीछे छोड़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा SaaS इकोसिस्टम** वाला देश बन सकता है।
- वर्तमान समय में भारत में **18 SaaS यूनिकॉर्न** मौजूद हैं। ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में इनकी संख्या केवल एक थी।

[106] Platform as a Service

© Vision IAS

10. अवसंरचना क्षेत्रक (Infrastructure Sector)

10.1. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक (Logistics Sector)

10.1.1. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy: NLP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति** का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य देश भर में **वस्तुओं की बाधारहित आवाजाही** को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, घरेलू और वैश्विक बाजारों में **भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार** लाना भी इसका उद्देश्य है।

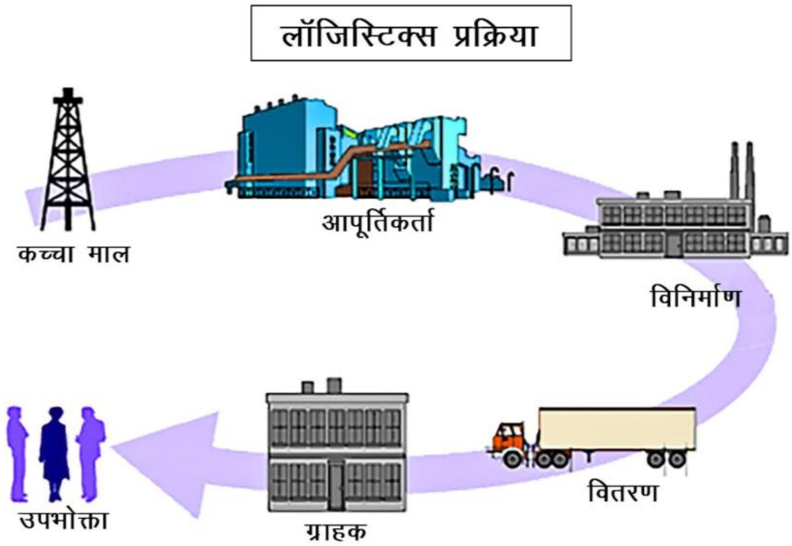

भारत में लॉजिस्टिक्स परिवेश

- संसाधनों की प्राप्ति या उत्पादन, भंडारण और अंतिम गंतव्य पर पहुंचने तक उनके परिवहन के प्रबंधन की **समग्र प्रक्रिया** को **लॉजिस्टिक्स** कहा जाता है। लॉजिस्टिक्स अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है (इंफोग्राफिक देखें)।
- एक अनुमान के अनुसार, भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक वर्ष 2021 में **250 बिलियन डॉलर** से अधिक का था। **वर्ष 2025** में इसके **380 बिलियन डॉलर** तक पहुंचने की उम्मीद है।
- **वैश्विक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक- 2018** में भारत का **44वां** स्थान था। यह रैंकिंग विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) के बारे में

- **विजन:** त्वरित और समावेशी विकास के लिए देश में तकनीकी रूप से सक्षम, एकीकृत, लागत-कुशल, लचीला, टिकाऊ और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम विकसित करना।
- **NLP के स्तंभ:** यह चार **प्रमुख स्तंभों** पर आधारित है, जैसा कि इंफोग्राफिक में दिया गया है।

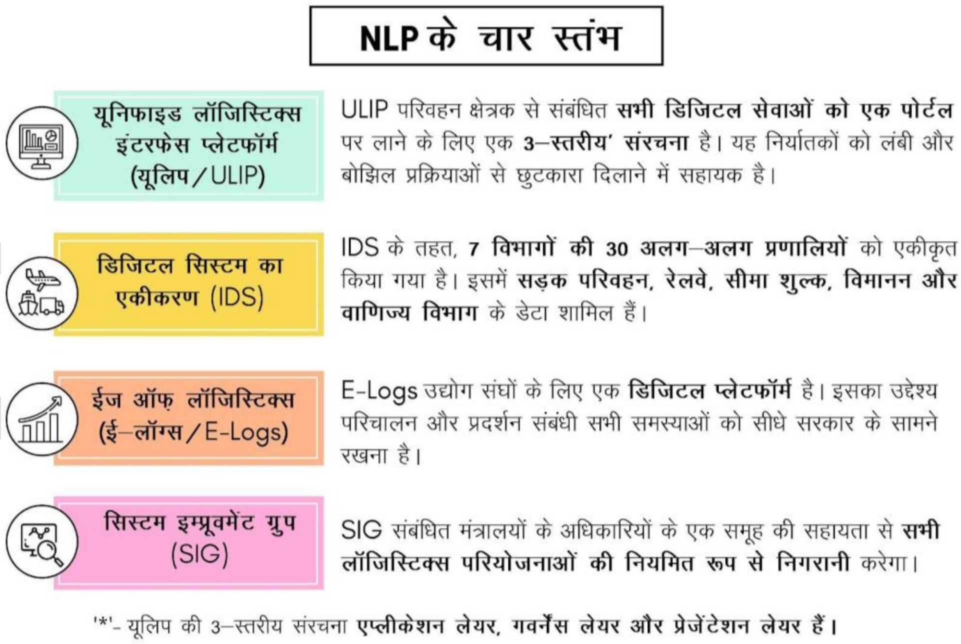

- NLP में इस नीति को लागू करने के लिए एक **व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना** (CLAP)[107] भी शामिल की गयी है। इसमें निम्नलिखित **आठ प्रमुख कार्य क्षेत्र** शामिल हैं:
    - **एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम:** यह एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस की एक प्रणाली विकसित करेगा।

[107] Comprehensive Logistics Action Plan

- **मानकीकरण और बेंचमार्किंग: भौतिक परिसंपत्तियों का मानकीकरण और सेवा गुणवत्ता मानक की बेंचमार्किंग** की जाएगी।
- **लॉजिस्टिक्स में मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण**: यह एक व्यापक लॉजिस्टिक्स मानव संसाधन रणनीति विकसित करेगा।
- **राज्यों की भागीदारी:** इसके ज़रिए राज्य/शहर स्तर की लॉजिस्टिक्स योजनाओं के विकास का समर्थन करके, शहर/राज्य स्तर पर संस्थागत ढांचा स्थापित किया जाएगा। साथ ही, राज्यों की कार्रवाई को मापा जाएगा और उनकी निगरानी की जाएगी।
- **एक्जिम (निर्यात-आयात) लॉजिस्टिक्स:** यह कनेक्टिविटी में अवसंरचनात्मक और प्रक्रियात्मक कमियों को दूर करेगा। इसके अलावा, यह कुशल और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का भी निर्माण करेगा।
- **सेवा सुधार ढांचा:** अलग-अलग क्षेत्रकों के बीच ताल-मेल को बाधारहित बनाने के लिए नियामकीय इंटरफेस में सुधार किया जाएगा।
- **सेक्टोरल योजना:** प्रत्येक क्षेत्रक के लिए **कुशल लॉजिस्टिक्स हेतु सेक्टोरल योजना** विकसित की जाएगी।
- **लॉजिस्टिक्स पार्क्स के विकास को सुविधाजनक बनाया जाएगा।**

- **कार्यान्वयन:** NLP को प्रधान मंत्री गति शक्ति के तहत गठित **सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह** (EGoS)[108] द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

10.1.2. पी.एम. गति शक्ति (PM Gati Shakti)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पिछले साल सरकार ने **पी.एम. गति शक्ति** के तहत अलग-अलग परियोजनाओं में **197 महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक कमियों की पहचान** की थी।

पी.एम. गति शक्ति के 6 स्तंभ

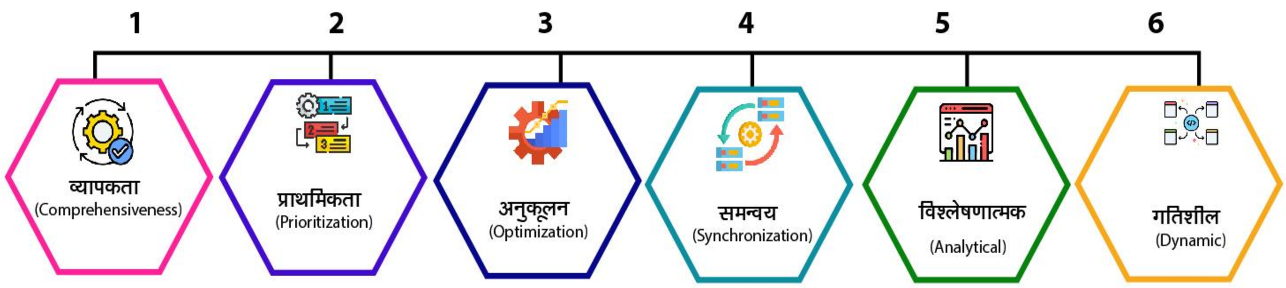

पी.एम. गति शक्ति के बारे में

- पी.एम. गति शक्ति या मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP) **16 मंत्रालयों के अंतर्गत वर्तमान में जारी और भावी परियोजनाओं के व्यापक डेटाबेस हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म** है।
- **उद्देश्य:** अतीत के अनुभवों से सीखकर और 6 स्तंभों के माध्यम से **बेहतर दक्षता प्राप्त करके अगली पीढ़ी की अवसंरचना का निर्माण** करना (इन्फोग्राफिक देखें)।
- इसमें मौजूदा अवसंरचनाओं, वनों, नदियों और जिलों की सीमाओं से संबंधित 200 लेयर्स से अधिक का भू-स्थानिक डेटा एकीकृत किया गया है।
- इसे BISAG-N द्वारा विकसित किया गया है (बॉक्स देखें)।
  - BISAG-N द्वारा विकसित मानचित्र के माध्यम से **रियल टाइम अपडेशन के साथ सभी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का गतिशील मानचित्रण** किया जा सकेगा।
  - मानचित्र को ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकी के आधार पर बनाया जाएगा और वह Meghraji.e.GoI क्लाउड पर सुरक्षित रूप से उपलब्ध होगा।

---

108 Empowered Group of Secretaries

पी.एम. गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP) का गवर्नेंस ढांचा

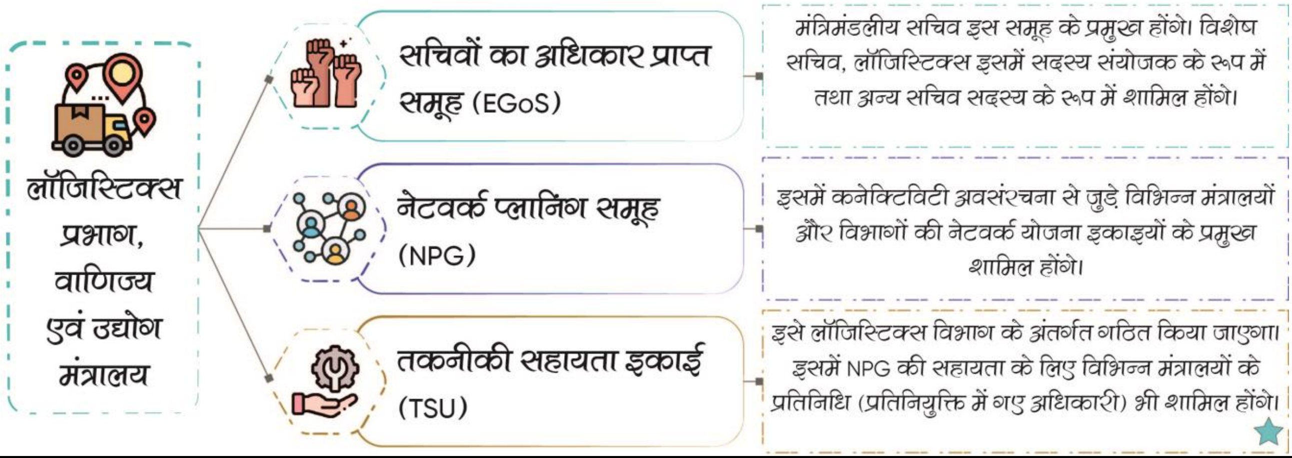

भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-informatics: BISAG-N) के बारे में

- BISAG-N एक **स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी** है। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत **MeitY** के अधीन पंजीकृत है।
- इसके तीन मुख्य डोमेन क्षेत्र हैं- **उपग्रह संचार, भू-सूचना विज्ञान,** और **भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी।**

डिजिटलीकरण से संबंधित पहलें

- मौजूदा और प्रस्तावित आर्थिक क्षेत्रों को एकल GIS प्लेटफॉर्म में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मानचित्रित किया गया है।
- **लॉजिस्टिक डाटा बैंक (LDB) और यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP)** को पी.एम. गति शक्ति के तहत एकीकृत किया जा सकता है।

संबंधित सुर्ख़ियां

गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV)

- शिक्षा मंत्रालय ने **'केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक'** प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य **'राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान' (NRTI)** को GSV के रूप में एक स्वायत्त केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना है। **NRTI को डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप मान्यता प्राप्त है।**
- GSV रणनीतिक रूप से **महत्वपूर्ण और विस्तारित परिवहन क्षेत्र में प्रतिभा** की आवश्यकता को पूरा करेगा। साथ ही, इस क्षेत्र के विकास और विस्तार को बढ़ावा देने के लिए **प्रशिक्षित प्रतिभा की मांग को भी पूरा** करेगा।

10.1.3. लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) 2022 रिपोर्ट {Logistics Ease Across Different States (LEADS) 2022 Report}

सुर्ख़ियों में क्यों?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 'लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स/ LEADS)' 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- लीड्स एक **स्वदेशी डेटा-संचालित सूचकांक** है। यह सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन करता है।
  - यह **लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक की दक्षता** को बढ़ाने का एक प्रमुख साधन है। यह वैश्विक मानक की तुलना में **लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने** के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है।

- इसे पहली बार **वर्ष 2018 में लॉन्च** किया गया था।

- लीड्स 2022 में **वर्गीकरण-आधारित ग्रेडिंग प्रणाली** को अपनाया गया है। पिछले संस्करण सभी राज्यों की रैंकिंग प्रणाली पर आधारित थे।

10.1.4. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (Multi Modal Logistics Park: MMLP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने चेन्नई के पास भारत का पहला मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने हेतु रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के साथ अनुबंध किया है।

MMLP के बारे में

- यह एक **इंटर-मॉडल माल प्रबंधन (Freight-Handling) इकाई** के रूप में कार्य करेगा। इस इकाई में गोदाम, समर्पित कोल्ड चेन सुविधाएं, फ्रेट या कंटेनर टर्मिनल्स, बल्क कार्गो टर्मिनल्स आदि शामिल होंगे।
- इसके उद्देश्य हैं- **माल ढुलाई समेकन को केंद्रीकृत करना** और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप **लॉजिस्टिक की लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 14 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत** पर लाना।
- **भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में "पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान" की घोषणा की थी।** इसके तहत **MMLPs के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP)[109] मॉडल के माध्यम से अनुबंध** किया जाएगा।
- भारतमाला परियोजना के अंतर्गत MMLP के सुगमतापूर्वक विकास के लिए **राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड (NHLML), भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) और रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL)** ने एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
    - **भारतमाला परियोजना वर्ष 2017 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** ने शुरू की थी। यह राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक छत्र (अम्ब्रेला) कार्यक्रम है। यह देश भर में **माल ढुलाई और यात्री आवाजाही की दक्षता** को बढ़ाकर उसका लाभ प्राप्त करने पर केंद्रित है।

भारत द्वारा 35 MMLPs के निर्माण की योजना

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)[110] ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को देश भर में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) विकसित करने का आदेश दिया है।
- 35 MMLPs को तैयार करने और संचालित करने हेतु **राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड (NHLML)**[111] को एक **नोडल एजेंसी** के रूप में नियुक्त किया गया है। NHLML, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India: NHAI) के पूर्ण स्वामित्व में संचालित एक विशेष प्रयोजन इकाई (Special Purpose Vehicle: SPV) है।
    - इन MMLPs को **सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत DBFOT (डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण/ Design,**

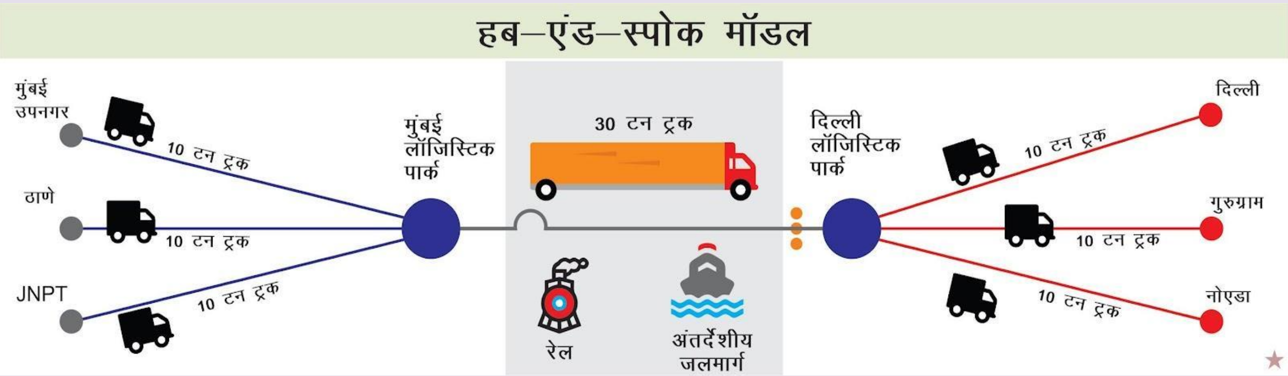

[109] Public-Private Partnership

[110] Cabinet Committee on Economic Affairs

[111] National Highways Logistics Management Limited

Build, Finance, Operate and Transfer) **मोड** पर विकसित किया जाना है।

* इस पहल का उद्देश्य **हब-एंड-स्पोक मॉडल** के अनुरूप मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करना है।
  * हब-एंड-स्पोक मॉडल एक ऐसा मॉडल है, जहां सभी वस्तुओं को एक केंद्रीय लोकेशन (जिसे 'हब' कहा जाता है) पर एकत्र किया जाता है और फिर इन्हें स्पोक्स नामक छोटी वितरण इकाइयों तक तथा उसके बाद अंततः ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है।

10.2. रेलवे (Railways)

10.2.1. रेलवे में नवाचार (Innovation in Railways)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रेलवे (IR) ने "भारतीय रेलवे नवाचार नीति[112]" शुरू की है। इसका उद्देश्य नवाचारों का वित्त-पोषण करना है।

इस नीति की मुख्य विशेषताएं

* इस नीति के तहत, **IR स्टार्ट-अप्स द्वारा किए गए इनोवेशन्स को सीधे उन्हीं से खरीदेगा। इसके लिए वह उन स्टार्ट-अप्स में निवेश करेगा।** इसमें IR के लिए नवीन तकनीकी समाधानों का विकास करने हेतु स्टार्ट-अप्स को 1.5 करोड़ रुपये तक की सीड मनी (Seed Money) दी जाएगी।
  * **सीड मनी:** सीड कैपिटल/मनी किसी स्टार्ट-अप को शुरू करने हेतु उपयोग किया जाने वाला वित्त-पोषण है।
* **नीति के उद्देश्य हैं:**
  * IR की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और रख-रखाव से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए **लागत प्रभावी, कार्यान्वयन योग्य, मापनीय (scalable) समाधान विकसित करना** और कार्यात्मक प्रोटोटाइप तथा अभिनव उत्पाद बनाना।

112 Indian Railway Innovation Policy

- IR में परिचालन दक्षता और सुरक्षा में सुधार के लिए **नवीन तकनीकों का लाभ उठाना।**

- **नीति के लिए वार्षिक बजट लगभग 40-50 करोड़ रुपये का होगा।** मंडल रेल प्रबंधकों के लिए एक अतिरिक्त कोष भी होगा, ताकि वे ऑन-फील्ड समस्याओं का ऑन-फील्ड समाधान ढूंढ सकें।
- विकसित किए गए **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)**[113] **इनोवेटर्स या आविष्कारकों के पास ही रहेंगे।**

भारतीय रेलवे में नवाचार के लिए किए गए प्रयास

क्षेत्र	भारत द्वारा उठाए गए कदम
सुरक्षा में वृद्धि	• **ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम (BMS):** यह सूचना की 24x7 उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए **एक वेब आधारित आईटी एप्लीकेशन** है। • ट्रेन को ट्रैक और ट्रेस करने के लिए ट्रेन पर **रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग लगाए जा रहे हैं।** • सुरक्षा बढ़ाने के लिए **इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) को अपनाया जा रहा है।** • **कवच** नामक **स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का उपयोग।**
बुनियादी ढांचे का उन्नयन	• **आधुनिक ट्रैक संरचना,** जो **प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर** से लैस हैं। • **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs)** की सहायता से क्षमता में वृद्धि। • **माइक्रोप्रोसेसर आधारित ट्रेन नियंत्रण और प्रबंधन प्रणाली,** आपातकालीन टॉक बैक सिस्टम/ पैनिक बटन आदि।
यात्रियों के अनुभव में सुधार	• 'मेक इन इंडिया' **सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों** की शुरुआत। • बायो-टॉयलेट लगाकर **ट्रेनों और स्टेशनों की सफाई** पर ध्यान, आदि। • किसी भी ट्रेन दुर्घटना से संबंधित जानकारी को प्रबंधित और संसाधित करने के लिए **सेफ्टी इनफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (SIMS)।**
संगठनात्मक क्षमता में वृद्धि	• **नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन** के तहत IR के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना बनाई गई है। उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण की भी योजना है। • **रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन:** इसके आकार को आधा किया गया है। इसकी आठ रेलवे सेवाओं को एक केंद्रीय 'भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा[114]' में एकीकृत किया गया है।

10.2.2. एल्युमीनियम से निर्मित रेल बोगियां (Aluminium Wagons)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय रेल मंत्री ने **देश की पहली एल्यूमीनियम बोगी वाली मालगाड़ी** को हरी झंडी दिखाई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसका विनिर्माण **बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और एल्यूमीनियम क्षेत्र की अग्रणी कंपनी हिंडाल्को** के सहयोग से किया गया है।
- वर्तमान में, राजधानी और शताब्दी जैसी भारतीय हाई-स्पीड ट्रेनों में **स्टेनलेस स्टील से बनी लिंके-हॉफमैन-बुश (LHB) बोगियों का उपयोग** किया जाता है।

इसका महत्व

- **कम कार्बन फुटप्रिंट:** यदि **15 से 20 प्रतिशत तक भी एल्युमिनियम निर्मित रेक निर्माण** को अपना लिया जाता है, तो इससे **25 लाख टन तक कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) को कम करने में** मदद मिल सकती है।
- **पुनर्चक्रण योग्य:** एल्युमिनियम से बनी बोगियों का 100 प्रतिशत तक पुनर्चक्रण किया जा सकता है। जंग-रोधी होने के कारण इसके रख-रखाव की लागत भी कम है।
- **भारतीय रेलवे के लॉजिस्टिक्स को और अधिक दक्ष बनाना -**
  - **अधिक भार ले जाने में सक्षम:** यह पारंपरिक बोगियों की तुलना में प्रति ट्रिप 180 टन अतिरिक्त भार ले जाने में सक्षम है।
  - **उत्पादन की गति को बढ़ाना:** एल्युमिनियम बोगियों के विनिर्माण में कम समय लगता है और इस प्रकार इनका उत्पादन तेजी से किया जा सकता है।
- **आयात में कमी:** लौह एवं इस्पात उद्योग बड़ी मात्रा में निकल और कैडमियम पर आश्रित हैं, जिन्हें आयात करना पड़ता है।
- **घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन:** यह घरेलू एल्युमीनियम उद्योग के लिए एक बेहतर अवसर प्रदान कर सकता है।

---

[113] Intellectual Property Rights

[114] Indian Railway Management Service

© Vision IAS

10.2.3. रेलवे से जुड़े अन्य घटनाक्रम (Other developments in Railways)

भारत गौरव ट्रेन	**'भारत गौरव योजना'** के तहत कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिर्डी के लिए **'भारत गौरव ट्रेन'** की पहली सेवा शुरू की गई है। • भारत गौरव ट्रेनें **थीम-आधारित ट्रेनें** हैं। इन्हें **नवंबर, 2021 में** भारतीय रेलवे ने शुरू किया था। • **लक्ष्य: भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत** और शानदार **ऐतिहासिक स्थलों को भारत तथा विश्व के लोगों को दिखाना।** • इस योजना का उद्देश्य थीम-आधारित ट्रेनों के संचालन हेतु पर्यटन क्षेत्र के **पेशेवरों की प्रमुख क्षमता का लाभ उठाना** है। इससे **भारत की विशाल पर्यटक क्षमता का दोहन** हो सकेगा। ○ भारत गौरव योजना के दिशा-निर्देश, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेशन (IRCTC) द्वारा पहले से चल रही पर्यटक सर्किट ट्रेनों के साथ-साथ **'बौद्ध सर्किट पर्यटक ट्रेनों'** पर भी लागू होते हैं।
जिरीबाम - इंफाल रेल लाइन	• हाल ही में, मणिपुर में हुए भूस्खलन ने जिरीबाम-इंफाल रेल लाइन परियोजना को नुकसान पहुंचाया है। • इस **परियोजना की लंबाई 111 कि.मी.** है। इसे **वर्ष 2013 में शुरू** किया गया था। इसके तहत **मणिपुर की राजधानी इंफाल को** असम सीमा के निकट **मणिपुर के जिरीबाम जिले से** जोड़ा जाएगा। ○ इस परियोजना के **वर्ष 2023 तक पूरा होने का अनुमान** है। ○ इसमें एक 12 कि.मी. की सिंगल ट्यूब टनल सहित 46 सुरंगें हैं। ○ **नोनी ब्रिज भी इस परियोजना का हिस्सा है।** इसका निर्माण कार्य पूरा होने पर यह **दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल होगा।**
दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल (World's Highest Railway Bridge)	• हाल ही में, चिनाब नदी पर **दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के ओवरआर्च डेक के दो सिरों को जोड़ने वाले गोल्डन जॉइंट** अर्थात आखिरी जोड़ को लगाया गया है। ○ इस पुल की लंबाई 1.3 कि.मी. है। **यह चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊपर अवस्थित है।** यह पुल **एफिल टॉवर से 30 मीटर ऊंचा** है। • यह पुल **कश्मीर को हर मौसम में रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।** साथ ही, यह **'कटरा से बनिहाल'** तक एक महत्वपूर्ण लिंक बनाएगा, जो कश्मीर रेलवे परियोजना के **उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला खंड का हिस्सा है**
वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेनें	• वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेनें भारत में डिजाइन और निर्मित की गई हैं। ये ट्रेनें वर्ष 2023 तक शुरू हो जाएंगी। • **जर्मनी पहला देश है, जिसने अगस्त माह में दुनिया में पहली बार हाइड्रोजन से संचालित ट्रेनों का परिचालन शुरू किया था।** • **ये ट्रेनें बहुत कम शोर करती हैं और कोई प्रदूषण नहीं फैलाती हैं।** ये केवल भाप और वाष्पित जल का उत्सर्जन करती हैं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC)	• NCRTC भारत सरकार तथा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की एक **संयुक्त उपक्रम कंपनी** है। • यह **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण** के अधीन है। इसे पूरे **NCR क्षेत्र में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना को लागू करने** का कार्य सौंपा गया है। इसका उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी और पहुंच के माध्यम से **संतुलित तथा सतत शहरी विकास** करना है। ○ RRTS, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी वाली एक नवीन, समर्पित, उच्च गति और उच्च क्षमता से युक्त एक आरामदायक कम्यूटर रेल सेवा** है।

10.3. नागर विमानन क्षेत्रक (Civil Aviation Sector)

10.3.1. राष्ट्रीय वायु खेल नीति (NASP) 2022 {National Air Sports Policy (NASP) 2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

नागर विमानन मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति (NASP) जारी की है। **NASP का लक्ष्य** देश में **हवाई खेलों के लिए सुरक्षित, वहनीय और संधारणीय परिवेश** प्रदान करना है।

NASP, 2022 के उद्देश्य

- हवाई खेलों में अवसंरचना, उपकरण, संचालन, रखरखाव और प्रशिक्षण सहित सुरक्षा के लिए भी बेहतर अंतर्राष्ट्रीय **प्रथाओं को अपनाना।**
- वैश्विक हवाई खेल आयोजनों में **भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी और सफलता** को बढ़ाना।

PT 365 - अर्थव्यवस्था

- आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप भारत में हवाई खेल उपकरणों के **डिजाइन, विकास और निर्माण** को बढ़ावा देना।
    - इसका विजन वर्ष 2030 तक **भारत को हवाई खेलों में शीर्ष पर रहे देशों में शामिल** करना है।
    - इस नीति के तहत **ग्यारह हवाई खेलों को बढ़ावा** दिया जाएगा। इनमें शामिल हैं: एयरोबेटिक्स, एयरो मॉडलिंग और रॉकेट्री, बैलूनिंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरा-मोटरिंग आदि।

शासी संरचना

- NASP-2022, 11 अलग-अलग हवाई खेलों को शामिल करती है। यह एक चार स्तरीय शासी संरचना का प्रावधान करती है। **एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFSI)** इसका **शीर्ष शासी निकाय** होगा।
- AFSI नागर विमानन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय होगा।
    - AFSI **फेडरेशन एयरोनॉटिक इंटरनेशनेल (FAI)** और हवाई खेलों से संबंधित अन्य वैश्विक प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व करता है।
        - FAI का मुख्यालय **स्विट्जरलैंड के लुसाने** में स्थित है।
        - **FAI हवाई खेलों के लिए वैश्विक स्तर का शासी निकाय** है।

10.3.2. नागर विमानन क्षेत्र से जुड़े अन्य घटनाक्रम (Other Developments in the Civil Aviation Sector)

विमानन सुरक्षा रैंकिंग (Aviation Safety Rankings)	• इस नवीनतम रैंकिंग के अनुसार, **भारत 48वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2018 में भारत 102वें स्थान** पर था। ○ भारत का विमानन क्षेत्रक **दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार** बन गया है। ○ उम्मीद है कि 2030 तक भारत की हवाई क्षमता सालाना एक बिलियन यात्राओं की हो जाएगी। • **रैंकिंग के बारे में:** ○ इसे **अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन** ने जारी किया है। ○ इसमें 187 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। इस रैंकिंग में **सिंगापुर** शीर्ष पर है। ○ यह सूचकांक **सुरक्षा निरीक्षण प्रणाली के आठ महत्वपूर्ण घटकों** को मापता है। इनमें प्राथमिक विमानन कानून, सुरक्षा संबंधी मुद्दों का समाधान आदि शामिल हैं
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Civil Aviation Security: BCAS)	• नागर विमानन मंत्रालय (MoCA) ने **विमान सुरक्षा नियम, 2022** के मसौदे को अधिसूचित किया है। ○ यह **BCAS को सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए हवाई अड्डों और एयरलाइंस पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने में सक्षम** बनाता है। • **BCAS के बारे में:** ○ इसे पांडे समिति की सिफारिश पर **1978 में नागर विमानन महानिदेशालय में एक प्रकोष्ठ (Cell) के रूप में स्थापित** किया गया था।

	○ इसे 1987 में, MoCA के तहत **एक स्वतंत्र विभाग के रूप में** पुनर्गठित किया गया था। ○ यह भारत में **अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों पर सिविल उड़ानों की सुरक्षा के संबंध में मानकों एवं उपायों** को निर्धारित करता है। ○ मुख्यालय: **नई दिल्ली।**
एयरक्राफ्ट लीजिंग	• सरकार ने इंडियन एयरलाइंस को **एक वर्ष तक के लिए वेट लीज** (Wet lease) पर वाइड-बॉडी वाले विमान पट्टे पर लेने की अनुमति दी है। • **वेट लीज** का अर्थ **विमान को चालक दल और इंजीनियरों के साथ पट्टे पर देना** है। ○ तकनीकी भाषा में **वेट लीजिंग को ACMI** कहा जाता है, इसमें- ▪ A का मतलब एयरक्राफ्ट, ▪ C का मतलब क्रू, ▪ M का मतलब मेंटेनेंस और ▪ I का मतलब इंश्योरेंस है। • **ड्राई लीज** तब होता है, जब **एयरलाइन केवल विमान को लीज पर** लेती है। • **डैम्प लीज** का अर्थ उपर्युक्त **दोनों प्रकारों के बीच की स्थिति** है। इसके अंतर्गत **एक एयरलाइन एक विमान को वेट-लीज़** पर लेती है, लेकिन अपने स्वयं के **केबिन क्रू का उपयोग** करती है।
विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020	• **विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020** ने DGCA को **दीवानी न्यायालय की शरण लिए बिना जुर्माना लगाने का अधिकार** दिया है। • DGCA (मुख्यालय: नई दिल्ली) **नागर विमानन के क्षेत्र में विनियामक निकाय** है। यह सुरक्षा निरीक्षण करने और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) के साथ **विनियामक कार्यों के समन्वय के लिए** उत्तरदायी है। ○ इसे विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने एक **वैधानिक निकाय** का दर्जा प्रदान किया है।

10.4. सड़क मार्ग (Roadways)

10.4.1. सड़क अवसंरचना में निजी निवेश मॉडल (Private Investment Models in Road Infrastructure)

सड़क निर्माण में सरकारी–निजी भागीदारी (PPP) के लिए अलग–अलग मॉडल

इस क्षेत्रक के बारे में

बिल्ड–ऑपरेट–ट्रांसफर (BOT)
इसके तहत, एक निजी संस्था सड़क का निर्माण, डिजाइन और संचालन करती है। कुछ समय बाद वह सड़क को वापस सरकार को सौंप देती है।

इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडल
इसके तहत, लागत पूरी तरह से सरकार वहन करती है। सरकार निजी कंपनियों से इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के लिए बोलियां आमंत्रित करती है।

हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM)

- HAM एक हाइब्रिड मॉडल है। इसमें EPC (40%) और BOT (60%) शामिल हैं।
- सरकार परियोजना लागत का **40 प्रतिशत शेष 60 प्रतिशत** राशि की व्यवस्था डेवलपर करता है
- **टोल शुल्क वसूली** सरकार/ प्राधिकरण की जिम्मेदारी है

अन्य प्रचलित मॉडल

बिल्ड लीज ट्रांसफर (BLT)
इस मॉडल में कोई ठेकेदार किसी परियोजना का निर्माण करता है। फिर वह इसे एक निर्धारित अवधि के लिए **सरकार को लीज (पट्टे) पर** देता है। ठेकेदार द्वारा निवेश की वसूली के बाद यह परियोजना पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व में आ जाती है।

टोल–ऑपरेट–ट्रांसफर (TOT) मॉडल
यह **चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मुद्रीकरण** का एक मॉडल है। इसमें निवेशक एक मजबूत टोलिंग (पथकर) प्रणाली व्यवस्था के तहत लंबी अवधि तक टोल वसूली अधिकार प्राप्त करते हैं। इसके बदले में वे सरकार को एकमुश्त भुगतान करते हैं।

लीज डेवलप ऑपरेट ट्रांसफर (LDOT)
इसमें परिसंपत्तियां विशेष शर्तों के तहत निजी क्षेत्र को पट्टे पर दे दी जाती हैं। ऐसा रियायत अवधि के दौरान परिसंपत्ति का संचालन और रखरखाव करने के लिए किया जाता है। इसके बाद परिसंपत्ति **वापस प्राधिकरण/ सरकार को** सौंप दी जाती है।

संबंधित सुर्ख़ियां

टर्नकी परियोजना (Turnkey project)

- यह एक प्रकार का अनुबंध है। इसके तहत, **कोई कंपनी एक विनिर्माण/ व्यवसाय/ सेवा इकाई को पूरी तरह से डिजाइन, निर्मित और सुसज्जित करने के लिए सहमत** होती है। इसके बाद **प्रतिफल हेतु संचालन के लिए तैयार होने पर परियोजना को क्रेता को सौंप दिया जाता है।**
    - यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परियोजनाओं को पूर्ण करने के तरीकों में से एक है।
- यह NMDC को सार्वजनिक खरीद के **चार सिद्धांतों अर्थात् पारदर्शिता, समानता, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने तथा उनका अनुपालन** करने में मदद करेगी।

10.4.2. सड़क मार्ग क्षेत्रक से संबंधित अन्य घटनाक्रम (Other Developments in the Roadways Sector)

प्री-कास्ट कंक्रीट नीति	• **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** ने प्री-कास्ट फैक्ट्री के 100 कि.मी. के दायरे के भीतर की परियोजनाओं में फैक्ट्री निर्मित प्री-कास्ट कंक्रीट तत्वों का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। • प्री-कास्ट कंक्रीट **एक प्रकार का कंक्रीट ही** है। इसे पुन: प्रयोज्य सांचों (Moulds) का उपयोग करके फैक्ट्री के नियंत्रित परिवेश में तैयार, ढाला (Cast) और उपचारित किया जाता है। ○ **प्री-कास्ट फैक्ट्री** को **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)/ आई.आई.टी. द्वारा प्रमाणित** किया जाएगा। साथ ही, इसमें बेहतर गुणवत्ता के लिए पूर्णतः स्वचालित रेडी मिक्स कंक्रीट (RMD) संयंत्र की न्यूनतम सुविधा होगी।
ऑटोमोटिव उद्योग मानक (Automotive Industry Standard: AIS)	• सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने **AIS-145 में निर्धारित तकनीकी आवश्यकताओं को संशोधित करने के लिए एक प्रारूप संशोधन** जारी किया है। • इस संशोधन के जरिये मौजूदा **सीट बेल्ट अलार्म** को **'ड्राइवर और अन्य सभी सीट पर बैठने वालों'** के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अभी सीट बेल्ट अलार्म का प्रावधान केवल ड्राइवर और सह-चालक के लिए है। • वर्ष 2019 में ड्राइवर और आगे बैठे सह-यात्री के लिए सीट बेल्ट अलार्म अनिवार्य कर दिया गया था। • यह मानक **अंतर्राष्ट्रीय विनियमन संयुक्त राष्ट्र विनियम संख्या 16 (UNR-16)** के अनुरूप है।
अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात पर अभिसमय (जिनेवा कन्वेंशन), 1949 {Convention on International Road Traffic of 1949 (Geneva Convention)}	• सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस अभिसमय के अनुपालन में देश भर में **अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP)** जारी करने के लिए प्रक्रिया के मानकीकरण पर अधिसूचना जारी की है। • यह अभिसमय **एक अंतर्राष्ट्रीय संधि** है। यह अनुबंधित पक्षों के बीच कुछ समान नियम बनाकर **अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात के विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देती है।** • **भारत, इस अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता है।** इसलिए, इसे अन्य देशों के साथ पारस्परिक आधार पर इसके उपबंधों को स्वीकार करने के लिए इस कन्वेंशन की शर्त के अनुसार IDP जारी करना आवश्यक है।
भारत सीरीज (Bharat Series: BH)	• हाल ही में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने **नियमित वाहन पंजीकरण को भारत सीरीज (BH) नंबरों में बदलने की अनुमति प्रदान करने वाले प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है।** ○ **वर्तमान में, केवल नए वाहन ही BH सीरीज वाले नंबर प्लेट का विकल्प ले सकते हैं।** ○ साथ ही, इन संशोधनों में **BH सीरीज के तहत पंजीकृत वाहनों को अन्य व्यक्तियों को भी ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान की गई है।** अन्य व्यक्तियों का तात्पर्य उनसे है जो BH सीरीज के लिए योग्य अथवा अयोग्य हैं। • **BH सीरीज** को सड़क परिवहन मंत्रालय **द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में वाहनों के सुगम ट्रांसफर को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था।** इसके अलावा, इसे इसलिए भी लाया गया था ताकि एक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश (UT) से दूसरे राज्य/ UT में स्थानांतरित होने पर **वाहन मालिकों को अपने वाहन का पुनः पंजीकरण न करवाना पड़े।** ○ वर्तमान में रक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए **"BH सीरीज" के तहत वाहन पंजीकरण सुविधा को स्वैच्छिक** बनाया गया है। इसके अलावा, चार या अधिक राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय वाली निजी क्षेत्रक की कंपनियों के कर्मचारियों के लिए भी स्वैच्छिक रूप से यह सुविधा प्रदान की गई है। ○ इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए निजी क्षेत्रक के कर्मचारियों के लिए **वर्किंग सर्टिफिकेट** प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया गया है।

10.5. भारतीय पोत-परिवहन उद्योग (Indian Shipping Industry)

10.5.1. लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल (Landlord Port Model)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNP) 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला महापत्तन (Major Port) बन गया है।

भारत में बंदरगाह और लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल

- भारत में पत्तनों को **भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908** के अनुसार **महापत्तन** (केंद्र सरकार के तहत) और **लघु पत्तन** (राज्य सरकार के तहत) **के रूप में वर्गीकृत** किया गया है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल की विशेषता है।
    - इस मॉडल में, **पत्तन प्राधिकरण, विनियामक संस्था और लैंडलॉर्ड (स्वामी) के रूप में** कार्य करता है। वहीं, **पत्तन का संचालन (विशेषकर कार्गो हैंडलिंग) निजी कंपनियों के हाथ में** होता है।
    - इसका उद्देश्य **निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण** करना है। साथ ही, महापत्तनों के संचालन में **पेशेवर क्षमता** को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है।

पत्तनों के लिए अन्य PPP मॉडल		
सर्विस पोर्ट मॉडल पत्तन प्राधिकरण के पास **भूमि और सभी उपलब्ध अचल व सचल परिसंपत्तियों का स्वामित्व** होता है। प्राधिकरण, सभी विनियामक और पत्तन संचालन संबंधी कार्य भी करता है। इस तरह पोर्ट ट्रस्ट, लैंडलॉर्ड और कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर, दोनों की भूमिका में होता है।	**टूल पोर्ट मॉडल** पत्तन प्राधिकरण के पास **पत्तन की अवसंरचना का स्वामित्व** होता है। वह इसे विकसित करता है और उसका **रख-रखाव करता है**। उसकी इस भूमिका में **कार्गो हैंडलिंग उपकरण** जैसे कि क्रेन और फोर्कलिफ्ट ट्रक भी शामिल हैं।	**कॉर्पोरेट पोर्ट मॉडल** पत्तनों का **पूरी तरह से निजीकरण** कर दिया जाता है, **लेकिन स्वामित्व** सरकार के अधीन होता है। सरकार बहुसंख्यक शेयरधारक होती है।

10.5.2. भारत का पहला 'हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र {India's First 'National Centre Of Excellence For Green Port & Shipping (NCoEGPS)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

NCoEGPS को **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW)** ने शुरू किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- NCoEGPS **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा के रूप** में कार्य करेगा। यह केंद्र, **सागरमाला कार्यक्रम के ढांचे के तहत** कार्य करेगा।
- यह केंद्र भारत में हरित पोत परिवहन (ग्रीन शिपिंग) के लिए **विनियामक ढांचा और वैकल्पिक प्रौद्योगिकी अपनाने पर रोडमैप** विकसित करेगा। इसका उद्देश्य पोत परिवहन क्षेत्रक में **कार्बन उदासीनता और चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) को बढ़ावा** देना है।
    - **हरित पोत परिवहन का अर्थ** पोतों से उत्सर्जित प्रदूषकों से पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों या वस्तुओं के पोत द्वारा परिवहन में न्यूनतम संसाधनों और बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करना है।
    - **पोत संचालन में CO_2 उत्सर्जन का मुख्य स्रोत** मुख्य इंजनों, सहायक इंजनों, बॉयलरों और भस्मकों (Incinerators) में जीवाश्म ईंधन का दहन है।
    - **मैरीटाइम विज़न डॉक्यूमेंट 2030** का उद्देश्य प्रमुख पत्तनों के संचालन में **2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाकर लगभग 60 प्रतिशत** करना है।

© Vision IAS

10.5.3. पोत परिवहन उद्योग से जुड़े अन्य घटनाक्रम (Other developments in the Shipping Industry)

नेशनल टाइम रिलीज स्टडी (NTRS), 2022	• इसे हाल ही में **केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने जारी** किया है। • NTRS 2022 बंदरगाहों की चार श्रेणियों के माध्यम से **कार्गो क्लीयरेंस प्रक्रिया की वार्षिक रिपोर्ट** प्रस्तुत करता है। ये चार श्रेणियां हैं- समुद्री बंदरगाह, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (ACC) और एकीकृत चेक पोस्ट (ICP)। • टाइम रिलीज स्टडी एक **प्रदर्शन माप उपकरण** है। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कार्गो क्लीयरेंस प्रक्रिया का आकलन किया जाता है। यह **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के व्यापार सुविधा समझौते (TFA) और विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) द्वारा अनुशंसित** है।
नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (STCW), 1978 {International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978}	• **'भारत और ईरान' ने STCW के प्रावधानों के अनुसार दोनों देशों के मध्य नाविकों की सुचारू आवाजाही के लिए** एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। • STCW अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी से संबंधित न्यूनतम मानकों को स्थापित करने** के लिए एक बहुपक्षीय कन्वेंशन है। • इसे 1978 में अपनाया गया था। यह 1984 में लागू हुआ था। • **भारत ने इसे 1984 में अधिसूचित किया था।** भारत के लिए यह **1985 से प्रभावी** हुआ था। • इसके **अनुपालन और कार्यान्वयन की समीक्षा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)** करता है। IMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका **मुख्यालय जिनेवा** में स्थित है। इसे 1948 में स्थापित किया गया था।

10.6. अवसंरचना से संबंधित मुख्य अवधारणाएं और जानकारी (Key Concepts and Information on Infrastructure)

डेटा सेंटर्स को बुनियादी ढांचे का दर्जा (Infrastructure Status To Data Centres)	• केंद्र सरकार ने **5 मेगावाट IT लोड की न्यूनतम क्षमता वाले** डेटा सेंटर्स को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है। • डेटा सेंटर को **बुनियादी ढांचा उप-क्षेत्रकों की हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट** में शामिल किया गया है। • यह एक **केंद्रीकृत स्थान में एक समर्पित सुरक्षित जगह** है। यहां कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग उपकरण बड़ी मात्रा में डेटा एकत्रण, भंडारण, प्रसंस्करण, वितरण या पहुंच की अनुमति देने के उद्देश्य से स्थापित होते हैं। ○ यह निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है: ▪ **नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर:** सर्वर आदि को अंतिम उपयोगकर्ता स्थलों से जोड़ता है। ▪ **स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर:** डेटा स्टोर करता है। ▪ **कंप्यूटिंग संसाधन:** प्रसंस्करण, मेमोरी आदि प्रदान करते हैं, जो एप्लीकेशन को चलाते हैं। • भारत का **सबसे बड़ा हाइपरस्केल डेटा सेंटर 'Yotta D1' ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश)** में है।
राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको) (National Real Estate Development Council: NAREDCO)	• नारेडको ने **सदस्य डेवलपर्स को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से आसानी से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक वित्त समिति का गठन** किया है। • **यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के तहत एक स्वायत्त स्व-विनियामक निकाय** है। इसे **1998 में स्थापित** किया गया था। ○ यह **भारत के प्रमुख रियल एस्टेट सरकारी उद्योग संघ** के रूप में कार्य करती है। ○ **केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री नारेडको के मुख्य संरक्षक** के रूप में कार्य करते हैं। • इसका उद्देश्य सरकार, **रियल एस्टेट उद्योग और आम जनता की रियल एस्टेट संबंधी चिंताओं को दूर करने** तथा **इस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के लिए प्रभावी समाधान खोजने हेतु एक वैध मंच** प्रदान करना है।

स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार 2022 (Smart Solutions and Inclusive Cities Awards 2022)	• ये पुरस्कार भारत में **नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) और संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है।** इनका लक्ष्य दिव्यांग व्यक्तियों (PwD), महिलाओं, लड़कियों और बुजुर्गों के सामने आने वाली **शहर-स्तरीय सुलभता तथा समावेशन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान** करना है। • इन पुरस्कारों का उद्देश्य **लोक-केंद्रित डिजाइन को बढ़ावा देना तथा नवीन घरेलू तकनीकी नवाचारों व समाधानों** को प्रोत्साहित करना है।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (National Industrial Corridor Development Program: NICDP)	• शीर्ष निगरानी प्राधिकरण को **NICDP की गतिविधियों की समय-समय पर समीक्षा** करने का कार्य सौंपा गया है।
	• राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) एक अखिल भारतीय बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य **नए औद्योगिक शहरों को 'स्मार्ट शहरों' के रूप में विकसित करना** है। साथ ही, **अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में समाहित करना** है।
	• इसके तहत भारत अलग-अलग **औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का विकास** कर रहा है।
	• इसमें 11 एकीकृत औद्योगिक और आर्थिक गलियारों के तहत 32 परियोजनाएं शामिल हैं। जैसे दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC), अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC) इत्यादि।
	  ○ NICDP लिमिटेड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** के तहत एक विशेष प्रयोजन साधन (SPV) है। यह NICDP के विकास के साथ-साथ रोजगार सृजन और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में भी मदद करता है।
	• **नीति आयोग निम्नलिखित परियोजनाओं को भी पीएम गतिशक्ति के तहत लाने की संभावनाओं पर विचार करेगा:**
	  ○ औद्योगिक, मालभाड़ा और रक्षा गलियारा,
	  ○ पीएम-मित्र पार्क,
	  ○ मेडिकल, फार्मा और लॉजिस्टिक पार्क आदि।

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (National Investment and Infrastructure Fund: NIIF)	• **NIIF की गवर्निंग काउंसिल (GC) की 5वीं बैठक** सम्पन्न हुई।
	  ○ GC की **अध्यक्षता वित्त मंत्री** करते हैं। इसमें **कॉर्पोरेट्स, निवेश और नीति क्षेत्रकों के सदस्य शामिल** होते हैं।
	• **भारत सरकार द्वारा समर्थित,** NIIF **अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए एक सहयोगी निवेश मंच** है।
	• NIIF तीन निधियों का प्रबंधन करता है: **मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स और स्ट्रेटेजिक फंड।**
	  ○ इन निधियों की स्थापना **घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों से पूंजी जुटाकर भारत में निवेश करने** के लिए की गई है।
	• **NIIF का पहला द्विपक्षीय कोष:** हाल ही में, एक भारत-जापान कोष को प्रस्तावित किया गया है।

ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज स्टेज-2 (Transport 4 All Challenge Stage-2)	• **'ट्रांसपोर्ट4ऑल' चैलेंज' आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** की एक पहल है। **"परिवहन और विकास नीति संस्थान"** तथा **'विश्व बैंक'** ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया है। • इसका उद्देश्य **नागरिकों की आवाजाही के अनुभव को बेहतर** करना है। यह पहल डिजिटल नवाचार पर केंद्रित है, ताकि सभी नागरिकों की आवाजाही संबंधी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके।

इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम (ITF)	• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **भारतीय परिवहन क्षेत्र में ITF गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भारत-फ्रांस समझौते** को मंजूरी प्रदान की है। इस कदम से निम्नलिखित में सहायता प्राप्त होगी-
	  ○ **नए वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त करने में;**
	  ○ **नई नीति अंतर्दृष्टि में;**
	  ○ **वैज्ञानिक संपर्क में वृद्धि के माध्यम से क्षमता निर्माण में; तथा**
	  ○ **भारत में परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण के लिए प्रौद्योगिकी विकल्पों की पहचान करने में।**

 © Vision IAS

	• ITF का **मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में** है। यह प्रशासनिक रूप से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के साथ एकीकृत एक अंतर-सरकारी संगठन है। वर्ष 2006 में 43 देशों के मंत्रियों ने इसका गठन किया था। ○ वर्तमान में, इसके सदस्यों देशों की संख्या 64 है। • यह **लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से परिवहन नीतियों के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य** करता है। • यह **एकमात्र वैश्विक निकाय** है, जिसके पास सभी परिवहन साधनों के लिए अधिदेश है।

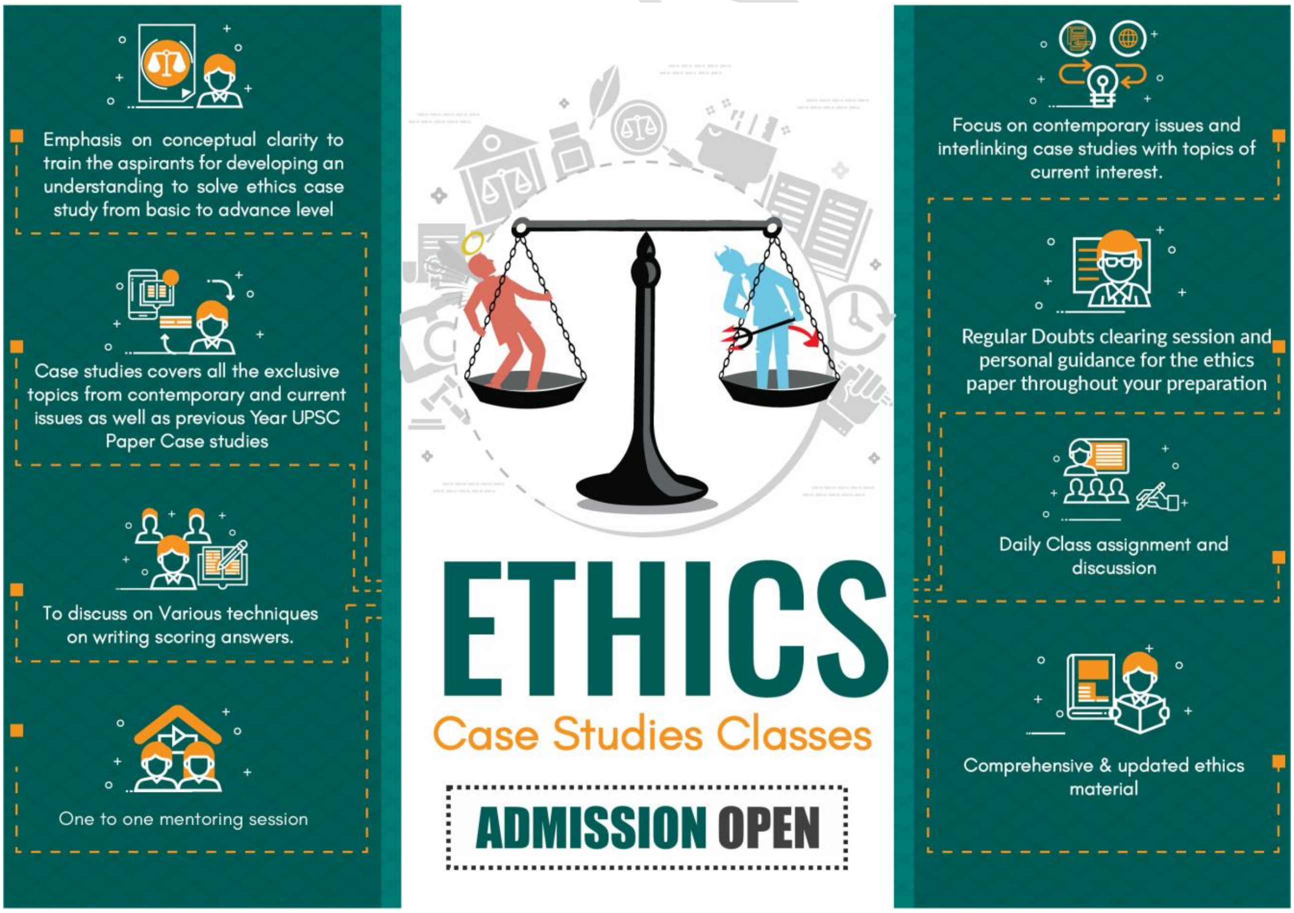

11. ऊर्जा क्षेत्रक (Energy Sector)

11.1. विद्युत क्षेत्रक (Power Sector)

11.1.1. ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियमावली (Green Energy Open Access Rules)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विद्युत मंत्रालय ने **ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस** (GEOA) नियमावली, 2022 को अधिसूचित किया है।

ओपन एक्सेस के बारे में और उसके उद्देश्य

- ओपन एक्सेस का आशय पात्र उपभोक्ताओं, उत्पादकों और राज्य वितरण कंपनियों (DISCOMs) के लिए **विद्युत पारेषण और वितरण प्रणाली तक गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच** से है।
- **विद्युत (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियमावली**[115]**, 2022** का उद्देश्य हमारे नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों को गति प्रदान करना है।

नियमावली की मुख्य विशेषताएं

- हरित ऊर्जा के लिए **ओपन एक्सेस (खुली पहुंच) लेन-देन की सीमा 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट** कर दी गई है।
    - 100 kW या उससे अधिक के कनेक्टेड लोड वाला कोई भी उपभोक्ता ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल का उपयोग करके किसी भी RE उत्पादन संयंत्र से ओपन एक्सेस के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा (RE) प्राप्त कर सकता है।
- खुली पहुंच के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनाई गई है।
    - यह **अनुमोदन 15 दिनों में प्रदान किया जाएगा।** ऐसा नहीं होने पर इसे तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन अनुमोदित माना जाएगा। यह राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से होगा।
- यदि **हरित ऊर्जा का उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन** के लिए किया जाता है, तो क्रॉस सब्सिडी अधिभार (surcharge) और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।
- उपभोक्ता डिस्कॉम से हरित ऊर्जा की आपूर्ति की मांग करने के पात्र हैं।
    - उपभोक्ताओं को **हरित प्रमाण-पत्र** दिया जाएगा, यदि वे हरित ऊर्जा का उपभोग करते हैं।
- वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से हरित ऊर्जा खरीदने की अनुमति है।
- **वितरण लाइसेंसधारियों के क्षेत्र में सभी बाध्य संस्थाओं पर एक समान नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO)** होगा।
- इसके RPO की पूर्ति के लिए ग्रीन हाइड्रोजन/ ग्रीन अमोनिया को भी शामिल किया गया है।

शब्दावली को जानें

नवीकरणीय खरीद दायित्व (Renewable Purchase Obligation: RPO)

- RPO एक ऐसा तंत्र है, जिसके द्वारा SERC नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का एक निश्चित प्रतिशत खरीदने के लिए विद्युत कंपनियों (या इकाइयों) को बाध्य करता है।
- RPO **के तहत बाध्य संस्थाएं:** वितरण लाइसेंसधारी, कैप्टिव उपभोक्ता और ओपन एक्सेस उपभोक्ता।
- **कोई भी इकाई/संस्था अपने** RPO **लक्ष्य को निम्नलिखित के माध्यम से पूरा कर सकती है-**
    - देश में कहीं भी अपना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित करना।
    - किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक से बिजली खरीदना।
    - एनर्जी एक्सचेंज से अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC) खरीदना।

संबंधित सुर्ख़ियां

जनरल नेटवर्क एक्सेस (GNA) विनियम

- ये विनियम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) ने जारी किए थे। इसका उद्देश्य देश के **विद्युत पारेषण (ट्रांसमिशन) के लिए विनियामक**

115 Electricity (Promoting Renewable Energy through Green Energy Open Access) Rules

© Vision IAS

ढांचे को कारगर बनाना था। यह **एक राष्ट्र, एक ग्रिड की अवधारणा** के अनुरूप है।

- GNA विनियमों के तहत **पूर्व-निर्धारित पॉइंट-टू-पॉइंट ट्रांसमिशन एक्सेस को समाप्त करने** का प्रावधान किया गया है। इसकी जगह **उत्पादकों और खरीदारों को पूरे ट्रांसमिशन कॉरिडोर में एक्सेस या ड्रॉल (Drawal) दोनों की सुविधाएं** दी गई हैं। ड्रॉल का अर्थ अंत:राज्य (intra state) पारेषण तंत्र से विद्युत की निकासी है।
- वर्तमान में **पॉइंट-टू-पॉइंट कनेक्टिविटी व्यवस्था के तहत उपयोगकर्ताओं को दीर्घावधि शुल्क का भुगतान करना पड़ता** है। साथ ही, विद्युत मार्ग पर बनी सहमति में विचलन के लिए भी शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।
- **GNA के तहत वे किसी भी पॉइंट से आपूर्ति कर सकते हैं।**

11.1.2. विद्युत संशोधन विधेयक, 2022 (Electricity Amendment Bill, 2022)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने **लोक सभा में विद्युत संशोधन विधेयक 2022** पेश किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022 का उद्देश्य विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन करना है। विद्युत अधिनियम, 2003 भारत में विद्युत क्षेत्रक को नियंत्रित करता है।

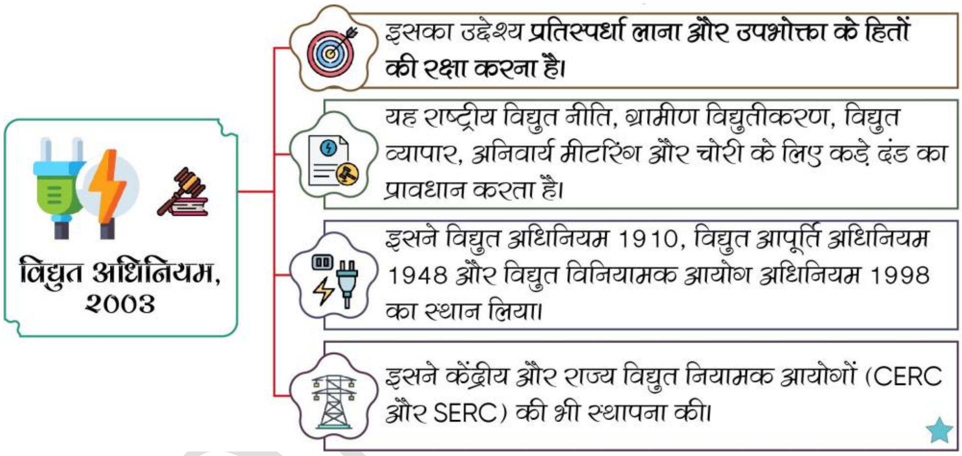

विधेयक के मुख्य प्रावधान

- यह **डिस्कॉम के लिए अपने स्वयं के नेटवर्क के माध्यम से विद्युत वितरित करने की अनिवार्यता को समाप्त** करता है।
    - विधेयक के अनुसार डिस्कॉम को एक ही क्षेत्र में संचालित अन्य सभी डिस्कॉम्स को अपने नेटवर्क की गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुंच प्रदान करनी होगी। इसके बदले डिस्कॉम निश्चित शुल्क वसूल कर सकते हैं।
- आपूर्ति के एक ही क्षेत्र में **कई डिस्कॉम्स के मामले में SERC**[116] टैरिफ के लिए अधिकतम और न्यूनतम टैरिफ सीमा निर्धारित करेगा।
- एक ही क्षेत्र के लिए कई लाइसेंस देने पर राज्य सरकार द्वारा **क्रॉस-सब्सिडी बैलेंसिंग फंड** गठित किया जाएगा।
    - क्रॉस-सब्सिडी के अंतर्गत **एक उपभोक्ता श्रेणी, किसी अन्य उपभोक्ता श्रेणी के उपभोग की सब्सिडी वहन करती है।**
    - क्रॉस-सब्सिडी के कारण वितरण लाइसेंस धारक के पास कोई भी अधिशेष, उपर्युक्त फंड में जमा किया जाएगा।
    - फंड का उपयोग एक ही क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में दूसरे **डिस्कॉम्स** के लिए क्रॉस-सब्सिडी में घाटे की क्षतिपूर्ति करने के लिए किया जाएगा।
- **केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC)** एक से अधिक राज्यों में विद्युत के वितरण के लिए लाइसेंस देगा।
- यदि डिस्कॉम द्वारा पर्याप्त भुगतान सुरक्षा (Payment security) प्रदान नहीं की जाती है तो विद्युत वितरित या पारेषित नहीं की जाएगी।
    - **केंद्र सरकार भुगतान सुरक्षा के संबंध में नियम निर्धारित** कर सकती है।
- CERC और SERC को **अनुबंधों के अनुपालन से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार** है।
    - ये विद्युत की बिक्री, खरीद या वितरण से संबंधित अनुबंधों को संदर्भित करते हैं। इसके अलावा, **आयोगों के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां** होंगी।
- डिस्कॉम के लिए नवीनीकरण खरीद दायित्वों (RPO)[117] को निर्धारित करने का अधिकार SERC को दिया गया है।
    - RPO केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए और **RPO की पूर्ति करने में विफलता दंडनीय होगी।**

[116] State Electricity Regulatory Commission/ राज्य विद्युत विनियामक आयोग

[117] Renewable Purchase Obligation

11.1.3. विद्युत क्षेत्रक से जुड़े अन्य घटनाक्रम (Other developments in the Power Sector)

पावर ट्रेडिंग	• **पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन** (POSOCO-नेशनल ग्रिड ऑपरेटर) ने **12 राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को एक्सचेंजों में बिजली खरीदने/ बेचने से रोक दिया है।** इसके लिए POSOCO ने **विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022** का उपयोग किया है। • डिस्कॉम द्वारा देर से भुगतान विद्युत उत्पादक कंपनियों (Gencos) के लिए दुष्चक्र बन गया है, जो उनके संचालन को प्रभावित करता है। Gencos को **बिजली उत्पादन जारी रखने हेतु उधार लेने के लिए मजबूर** होना पड़ता है। ○ उधार में यह वृद्धि **Gencos को कर्ज के जाल में धकेल देती है।**

प्राप्ति (उत्पादकों की इन्वॉयसिंग में पारदर्शिता लाने हेतु विद्युत खरीद में भुगतान पुष्टिकरण एवं विश्लेषण) पोर्टल {PRAAPTI (Payment Ratification and Analysis in Power procurement for bringing Transparency in Invoicing of generators) portal}	• प्राप्ति पोर्टल को विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2018 में लॉन्च किया था।
	  ○ इस पोर्टल का उद्देश्य **उत्पादकों और विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के बीच बिजली खरीद लेनदेन में पारदर्शिता लाना** है।
	  ○ डिस्कॉम इस पोर्टल पर **इनवॉइस का समाशोधन** कर सकते हैं। साथ ही, **उत्पादकों द्वारा किए गए दावों पर प्रतिक्रिया** कर सकते हैं।

बाजार आधारित किफायती प्रेषण (MBED) तंत्र	• विद्युत मंत्रालय ने MBED के माध्यम से एक **केंद्रीकृत विद्युत मॉडल की दिशा में बढ़ने का प्रस्ताव** दिया है। • MBED वस्तुतः **विद्युत बाजार के संचालन से संबंधित सुधार** है। यह सुधार **केंद्रीय बाजार संचालक के माध्यम से संपूर्ण वार्षिक विद्युत उपभोग का प्रेषण करने के लिए** किया जा रहा है। ○ वर्तमान में, **भारत में** विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत **विकेंद्रीकृत विद्युत मॉडल का पालन** किया जाता है। • **उद्देश्य: "एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक फ्रीक्वेंसी, एक दाम" फ्रेमवर्क** की दिशा में आगे बढ़ना।
वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 (World Energy Outlook 2022)	• इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) प्रतिवर्ष प्रकाशित करती है। **मुख्य निष्कर्ष:** • इस दशक में, भारत में ऊर्जा की मांग में विश्व की सर्वाधिक वृद्धि देखे जाने की संभावना है। **भारत में 2021- 2030 अवधि में ऊर्जा मांग प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है।** • **विद्युत की मांग में 60% से अधिक की वृद्धि नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी की जाएगी,** जिसकी 2030 तक **कुल विद्युत उत्पादन में 35% हिस्सेदारी** होगी। • **कोयले के माध्यम से विद्युत उत्पादन 2030 के आसपास चरम पर** होगा, जो **2021 में 240 GW से बढ़कर 2030 में 275 GW हो जाएगा।**
नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री (NOAR)	• हाल ही में, **नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री** को लाइव किया गया। ○ NOAR एक **केंद्रीकृत ऑनलाइन मंच** है। यह भारत में **अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए अल्पकालिक खुली पहुंच** की व्यवस्था को बनाए रखता है। • **राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (NLDC)** नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री के कार्यान्वयन और संचालन के लिए **नोडल एजेंसी** है।
हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज (HPX) ने परिचालन शुरू किया	• HPX देश में तीसरा पावर एक्सचेंज है। **इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पहले से परिचालन** में हैं। ○ यह **पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ICICI बैंक द्वारा प्रवर्तित** है। • पावर एक्सचेंज **बाजार सहभागियों को व्यापार के लिए एक मंच** प्रदान करते हैं। इसी कारण वे उनके **पावर पोर्टफोलियो को दक्षता से प्रबंधित** करते हैं।

 © Vision IAS

11.2. कोयला, तेल, गैस और अन्य संसाधन (Coal, Oil, Gas and Others)

भारत में कोयला क्षेत्रक

इस क्षेत्रक के बारे में

- **भारत में विश्व का पांचवां** (केवल प्रमाणित भंडार का लेखांकन करने पर) **सबसे बड़ा कोयला भंडार है।**
- भारत में कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में कोयला **चालित विद्युत संयंत्रों की हिस्सेदारी** लगभग 50% है।
- **भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है।** (मुख्य रूप से इंडोनेशिया दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से)

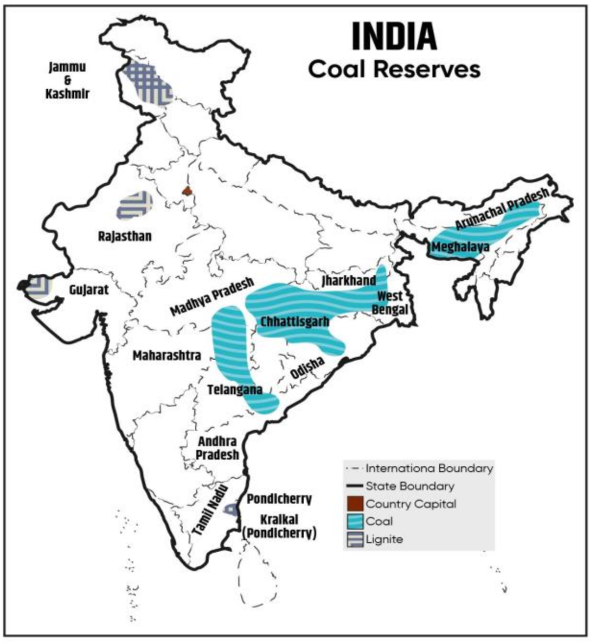

कोयले का वर्गीकरण

- **एन्थ्रेसाइट** (सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला): इसमें **80 से 95 प्रतिशत कार्बन की मात्रा** होती है। यह अल्प मात्रा में जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है।
- **बिटुमिनस: इसमें 60 से 80 प्रतिशत कार्बन की मात्रा** होती है। इसमें नमी बहुत कम होती है। यह कोयला मध्य और पूर्वी भारत में पाया जाता है।
- **लिग्नाइट:** इसमें 40 से 55 प्रतिशत कार्बन की मात्रा होती है। यह राजस्थान, लखीमपुर (असम) और तमिलनाडु में पाया जाता है।

कोयला क्षेत्रक से संबंधित हालिया घटनाक्रम या उपाय

कोयला खदानों के लिए बोली लगाए जाने की प्रक्रिया में **अब अंतिम उपयोग पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है।**	**कोयले का मुक्त व्यापार** क्योंकि उत्पादक कोयले को बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग, बेच या निर्यात कर सकता है।	कोयला गैसीफिकेशन/द्रवीकरण के अंतर्गत मात्रा के लिए छूट।	**शीघ्र उत्पादन के मामले में** आवंटन प्राप्त करने वाले को खनन करने के लिए छूट।
राष्ट्रीय **कोयला सूचकांक (NCI)*** के अनुसार बाजार संचालित मूल्य।	प्रति टन रुपये के स्थान पर आय में **राजस्व साझाकरण मॉडल** को अपनाया गया है।	**आंशिक रूप से खोजे गए कोयला ब्लॉक्स को भी बोली लगाए जाने की प्रक्रिया में शामिल** किया गया है।	**पूर्व अनुभव के मापदंड को हटा दिया गया है।**

*राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (National Coal Index: NCI)

- **जारीकर्ता: कोयला मंत्रालय**
- NCI एक मूल्य सूचकांक है। यह किसी **निश्चित आधार वर्ष के सापेक्ष किसी विशेष महीने में कोयले के मूल्य स्तर में बदलाव को दर्शाता है।** यहां **वित्त वर्ष** 2017-18 **आधार वर्ष** माना गया है।
- यह भारतीय बाजार में **कच्चे कोयले के सभी प्रकार के लेन-देन** को शामिल करता है।
  - इसमें अलग-अलग श्रेणियों के **कोकिंग और गैर-कोकिंग** कोल शामिल हैं।
  - इसके अंतर्गत, **धुला हुआ कोयला और कोयला उत्पाद** शामिल नहीं हैं।

11.2.1. कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम {Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957**[118] के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग की नीति को मंजूरी दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- CBA अधिनियम में किसी भी ऋण भार से मुक्त, **कोयला युक्त भूमि के अधिग्रहण का प्रावधान** किया गया है। अधिग्रहण के बाद **भूमि पर सरकारी कंपनी का स्वामित्व** बना रहेगा।
- **यह नीति इस तरह की भूमि के निम्नलिखित शर्तों के तहत उपयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है:**
  - यदि भूमि **कोयला खनन गतिविधियों के लिए अब उपयुक्त नहीं** है या आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।
  - ऐसी भूमि से **कोयले का खनन कर लिया गया है या उसे कोयला रहित कर दिया गया** है और ऐसी भूमि को फिर से प्राप्त कर लिया गया है।
- सरकारी कोयला कंपनियों, जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और उसकी सहायक कंपनियों के पास CBA अधिनियम के तहत अधिग्रहित इन जमीनों का स्वामित्व बना रहेगा। साथ ही, **यह नीति केवल इस नीति में निर्धारित उद्देश्यों के लिए भूमि पट्टे पर उठाने की अनुमति देती है।**

> **कोल 2022: एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025**
> - यह **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की एक वार्षिक रिपोर्ट** है। यह रिपोर्ट कोयले की मांग, आपूर्ति, व्यापार, लागत, कीमत आदि के बारे में नवीन रुझानों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है।
> - इसके अनुसार भारत और चीन दुनिया के **सबसे बड़े कोयला उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक** हैं।

11.2.2. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy: HELP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने HELP-2016 के तहत नवीनतम नीलामी में **अन्वेषण और विकास के लिए 42 हाइड्रोकार्बन ब्लॉक** प्रस्तुत किए हैं। नवीनतम **नीलामी में तेल और गैस के 26 ब्लॉक तथा कोल-बेड मीथेन (CBM) के अन्वेषण के लिए 16 ब्लॉक** शामिल हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- CBM, प्राकृतिक गैस का एक **अपरंपरागत रूप** है। यह **कोयले के भंडार या कोयला संस्तरों (Coal Seams)** में पाया जाता है।
- आम तौर पर, इसमें मुख्य रूप से **मीथेन गैस** होती है। हालांकि, इसमें **ईथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की भी कुछ मात्रा** होती है।

HELP के बारे में

- इसने **नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (NELP)**[119] **की जगह** ली है।
- यह **एकल लाइसेंस व्यवस्था** है। इसमें **सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन (E&P)** को शामिल किया गया है। इनमें पारंपरिक तेल और गैस, कोल-बेड मीथेन, शेल ऑयल, गैस हाइड्रेट्स आदि शामिल हैं।
- इसके तहत **खुला रकबा लाइसेंसिंग (Open Acreage Licensing: OALP) प्रणाली शुरू** की गई है। यह निवेशकों को E&P डेटा का आकलन करके **अपनी पसंद के ब्लॉक चुनने की अनुमति** देती है।
- **लाभ साझेदारी मॉडल के बदले राजस्व साझेदारी अनुबंध मॉडल** को अपनाया गया है। **लाभ साझेदारी मॉडल** के तहत लागत निकालने के बाद **सरकार और ठेकेदार के बीच मुनाफे को साझा किया जाता** था।
- **रॉयल्टी दरें कम की गई हैं**। तेल उपकर नहीं लगाया गया है। साथ ही, **विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता** भी प्रदान की गई है।
- **नीलामी वर्ष भर जारी रहेगी**। साथ ही, **नीलामी और आवंटन की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और तेज** होगी।

---

[118] Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 (CBA Act)

[119] New Exploration Licensing Policy

© Vision IAS

संबंधित सुर्ख़ियां

विंध्य बेसिन का वाणिज्यीकरण

- ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC), **विंध्य बेसिन** का वाणिज्यीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह बेसिन **भारत के मध्य भाग** में प्रोटेरोज़ोइक कल्प (Era) की एक अंतर-महाद्वीपीय (Intercontinental) बेसिन है।
- विंध्य बेसिन दक्षिण में **सोन-नर्मदा भ्रंश घाटी**, पश्चिम में **ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट**, पूर्व में **मुंगेर-सहरसा कटक** और उत्तर में **बुंदेलखंड मैसिफ़** एवं **सिंधु-गंगा के मैदान** से घिरा हुआ है।
- यह **भारत का नौवां** और ONGC का आठवां **हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन** होगा।
    - इससे पहले ONGC ने वर्ष 2020 में, **बंगाल बेसिन** में एक कुएं से तेल का उत्पादन शुरू कर, **भारत का आठवां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन** चालू किया था। भारत के अन्य हाइड्रोकार्बन बेसिन हैं: **कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिन, मुंबई अपतटीय बेसिन, असम शेल्फ, राजस्थान बेसिन, कावेरी बेसिन, असम-अराकान फोल्ड बेल्ट** और **कैम्बे बेसिन।**

11.2.3. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क, प्राधिकरण और क्षमता विनियम (Natural Gas Pipeline Tariff, Authorisation and Capacity Regulations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) ने **प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क, प्राधिकरण और क्षमता विनियमों में संशोधन** किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- इन संशोधनों का उद्देश्य **"एक राष्ट्र एक ग्रिड और एक प्रशुल्क" लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के दूर-दराज क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी व सस्ती दरों पर प्राकृतिक गैस पहुंचाना** है।
- ये संशोधन **एकीकृत प्रशुल्क विनियमों के कार्यान्वयन के लिए आरंभिक प्रयासों के रूप में** कार्य करेंगे। एकीकृत प्रशुल्क **विनियमन 1 अप्रैल 2023 से लागू** होंगे।

पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB)

PNGRB

उत्पत्ति: इसका गठन PNGRB **अधिनियम, 2006 के तहत** किया गया था।

भूमिका: इसका उद्देश्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित विशेषीकृत गतिविधियों में लगे **उपभोक्ताओं तथा संस्थाओं के हितों की रक्षा करना है।**

प्रमुख संशोधन

- अलग-अलग क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के समग्र हितों की रक्षा के लिए **एकीकृत प्रशुल्क ज़ोन्स की संख्या 2 से बढ़ाकर 3** कर दी गई है।
- **कंपनी स्तर पर समेकित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क लागू** किए गए हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत प्रशुल्क प्रणाली लागू करने में भूमिका निभाएंगे।
- **प्राकृतिक गैस गंधहीन** होती है। यह **हाइड्रोकार्बन का गैसीय मिश्रण** है। यह **मुख्य रूप से मीथेन से बनी** है।
- **भारत, विश्व में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का चौथा सबसे बड़ा आयातक** है। भारत ने वर्ष 2030 तक अपने **एनर्जी मिक्स में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान 6% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य** निर्धारित किया है।

11.2.4. गैस क्षेत्रक से संबंधित अन्य घटनाक्रम (Other Developments in Gas Sector)

दुनिया का पहला संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) टर्मिनल	• प्रधान मंत्री ने **गुजरात के भावनगर में विश्व के पहले CNG टर्मिनल और ब्राउनफील्ड पत्तन** की आधारशिला रखी है। • इसका **परिचालन वर्ष 2026 तक आरंभ** होने की उम्मीद है। • इसे **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल** के तहत विकसित किया जाएगा। इसकी कार्गो हैंडलिंग क्षमता **1.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) है।** ○ यह **मौजूदा सड़क मार्ग और रेलवे नेटवर्क से सीधे कनेक्टिविटी होगी।** यह कनेक्टिविटी सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों, समर्पित मालभाड़ा गलियारों और उत्तरी भारत के आंतरिक भागों से जुड़ेगी।

इंडियन गैस एक्सचेंज (Indian Gas Exchange: IGX)	• ONGC ने इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX) पर घरेलू गैस का व्यापार करना आरंभ किया है। ऐसा करने वाली यह भारत की **पहली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (E&P) कंपनी** बन गई है। • IGX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) की सहायक कंपनी है। यह **प्राकृतिक गैस के लिए एक व्यापारिक मंच है।** • यह प्राकृतिक गैस के खरीदारों और विक्रेताओं को आयातित प्राकृतिक गैस के लिए हाजिर (स्पॉट) बाजार और वायदा (फॉरवर्ड) बाजार दोनों में व्यापार करने की अनुमति देता है। • वर्तमान में तीन केंद्रों, **गुजरात में दाहेज और हजीरा तथा आंध्र प्रदेश में काकीनाडा** में प्राकृतिक गैस के व्यापार की अनुमति है। • यह **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB)** के विनियामक ढांचे के **अधीन कार्य करता है।**

वन नेशन, वन गैस ग्रिड (ONOGG)	• **ONOGG कई क्षेत्रीय ग्रिडों को जोड़कर एक राष्ट्रीय ग्रिड** बनाने पर केंद्रित पहल है। इससे कई हितधारकों को प्राकृतिक गैस द्वारा उत्पादित ऊर्जा की आपूर्ति करने में मदद मिलेगी।
	  ○ इसके तहत **प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा का उत्पादन और वितरण एक ही गैस प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण देश** में किया जा सकता है।
	  ○ इसका उद्देश्य देश में **गैस की उपलब्धता में विद्यमान क्षेत्रीय असमानता** को कम करना है।
	• **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB)** पाइपलाइनों के निर्माण को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।

गैस मूल्य निर्धारण पर गठित किरिट पारेख समिति (Kirit Parekh Panel on Gas Prices)	• **समिति ने निम्नलिखित उद्देश्यों से गैस मूल्य निर्धारण की सिफारिशें की हैं:**
	  ○ **उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गैस** उपलब्ध कराना;
	  ○ 2030 तक भारत के **एनर्जी मिक्स में गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15%** करना आदि।
	• वर्तमान में, **गैस मूल्य निर्धारण की कई प्रणालियां** हैं। प्रशासित मूल्य प्रणाली (APM)[120] और गैर-प्रशासित मूल्य प्रणाली इसके कुछ उदाहरण हैं।
	  ○ ये प्रणालियां **फार्मूला आधारित** हैं। साथ ही, गैस मूल्य निर्धारण के लिए हेनरी हब, नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट, अलबर्टा और रूस जैसे **अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रचलित कीमतों को ध्यान में** रखती हैं।
	  ○ गैस कीमतें **प्रत्येक छह महीने के बाद अधिसूचित** की जाती हैं।

11.2.5. गैस क्षेत्रक से जुड़े अन्य घटनाक्रम (Developments in the Oil sector)

अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone: EEZ)	• **रक्षा व अंतरिक्ष एजेंसियों ने अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के अधीन 99% निषिद्ध घोषित क्षेत्र को तेल की खोज और उत्पादन (E&P)[121] के लिए सरकार को सौंप दिया है।** • सुरक्षा कारणों से निषिद्ध घोषित किए गए इन क्षेत्रों में तेल की खोज व उत्पादन की अनुमति देने के पीछे का मुख्य उद्देश्य **भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता** देना है। ○ इस कदम से भारत के **EEZ का लगभग 2.37 मिलियन वर्ग कि.मी. का 'नो-गो' क्षेत्र 42% से कम होकर केवल 1%** रह जाएगा। • **संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि अभिसमय (UNCLOS)**[122] के अनुसार, EEZ **प्रादेशिक समुद्र (Territorial Sea) सीमा** से परे निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र है। इसका विस्तार आमतौर पर **समुद्र तट से समुद्र की ओर 200 नॉटिकल मील** तक होता है।
घरेलू रूप से उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के विनियमन में ढील दी गई (Deregulation of sale of Domestically Produced Crude Oil)	• केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर, 2022 से **घरेलू रूप से उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के विनियमन में ढील** को मंजूरी दी है। • इसमें सरकार या उसके द्वारा नामित या सरकारी रिफाइनरी कंपनियों (जैसे कि BPCL)

[120] Administered Price Mechanism

[121] Exploration and Production

[122] United Nations Convention on the Law of the Sea

© Vision IAS

	को **कच्चा तेल बेचने के लिए उत्पादन साझाकरण अनुबंध (PSCs)**[123] **की शर्तों में छूट** दी जाएगी। • पहले की तरह, इसके तहत **निर्यात की अनुमति नहीं होगी।**
रूस बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता (Russia becomes India's second biggest oil supplier)	• **सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए रूस, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता राष्ट्र (मई 2022 के लिए) बन गया है।** इराक, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। ○ भारत ने तेल का आयात बढ़ाने के लिए रूसी कच्चे तेल की कीमतों में छूट (यूक्रेन युद्ध के बाद) का लाभ उठाया है। • अमेरिका और चीन के बाद **भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता** राष्ट्र है। भारत अपनी तेल आपूर्ति का 80% से अधिक आयात के जरिए प्राप्त करता है। • वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता: **इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और नाइजीरिया** थे।
ऑयल बॉण्ड	• ऑयल बॉण्ड **सरकार द्वारा तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को जारी किया गया एक वचन-पत्र** होता है। सरकार इसे **OMCs पर बकाया नकदी के बदले में जारी** करती है। • आवश्यकता- जब उपभोक्ताओं के लिए **ईंधन की कीमत अधिक** हो जाती है, तब **सरकार OMCs को उपभोक्ताओं से कम कीमत वसूलने का निर्देश देती है और शेष राशि का भुगतान स्वयं करती है।** ○ हालांकि, **यदि सरकार नकद में भुगतान करती है,** तो उसे भुगतान करने हेतु धन एकत्र करने के लिए **उपभोक्ताओं पर ही कर लगाना होगा।**

11.3. ऊर्जा क्षेत्रक से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं और अन्य जानकारी Key Concepts and Information on Energy Sector)

एनर्जी पॉवर्टी (Energy Poverty)	ऊर्जा निर्धनता को **ईंधन निर्धनता** के रूप में भी जाना जाता है। इसे आमतौर पर **दो तरीकों** से परिभाषित किया जाता है- • **ऊर्जा तक पहुंच,** यानी बिजली तक पहुंच का अभाव; और • **ऊर्जा वहन करने की क्षमता,** अर्थात् अकुशल और प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों पर घरेलू निर्भरता, जैसे कि ठोस बायोमास को जलाना।
कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIS)	• जल शक्ति मंत्री ने कहा है कि **KLIS राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत शामिल होने के योग्य नहीं** है। इसका कारण यह है कि तेलंगाना ने केंद्र से निवेश संबंधी मंजूरी प्राप्त कर ली है। ○ **KLIS गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना है। यह कालेश्वरम (तेलंगाना) में स्थित** है। • राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का उद्देश्य **लोगों के लाभ के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय परियोजनाओं को पूरा करने की गति को तेज करना** है। • ऐसी परियोजनाओं को केंद्र केंद्रीय अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह अनुदान सहायता परियोजना की अनुमानित लागत का 90% होती है।
यू.एन.-एनर्जी की कार्य योजना {UN-Energy Plan of Action (PoA)}	• यू.एन.-एनर्जी ने **वर्ष 2025 के लिए कार्य योजना** (Plan of Action) आरंभ की है। यह कार्य योजना **वैश्विक ऊर्जा संकट और बिगड़ते जलवायु आपात को देखते हुए** शुरू की गई है। • यह योजना **स्वच्छ, सभी के लिए सस्ती ऊर्जा और शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक व्यापक कार्रवाई एवं समर्थन को प्रेरित करने हेतु** एक बड़ा कदम है। • **यू.एन.-एनर्जी के बारे में:** ○ यू.एन.-एनर्जी वास्तव में **ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर-एजेंसी सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक तंत्र** है। ○ इसका उद्देश्य **SDG-7 लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अंतर्विषयक प्रतिक्रिया में सुसंगता को बढ़ावा देना** है। यह प्रोत्साहन सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के समर्थन में दिया जायेगा।

[123] Production Sharing Contracts

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (Petroleum and Explosives Safety Organisations: PESO)	• सरकार ने इसरो को अंतरिक्ष रॉकेट्स के लिए ठोस प्रणोदक के उपयोग एवं भंडारण हेतु PESO से अनुमति प्राप्त करने से छूट प्रदान की है। ○ इससे पहले, इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) को इस कार्य के लिए PESO से लाइसेंस लेना पड़ता था। • PESO को **पहले विस्फोटक विभाग के रूप में जाना** जाता था। इसका **मुख्यालय नागपुर** में है। यह विस्फोटक, संपीडित गैस और पेट्रोलियम जैसे खतरनाक पदार्थों की सुरक्षा को विनियमित करने के लिए **नोडल एजेंसी** है। ○ PESO का प्रमुख कार्य विस्फोटक अधिनियम, 1884 और पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के तहत सौंपे गए उत्तरदायित्वों और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को संचालित करना है। • यह **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) की एक शाखा** है।
बीएम सील-11 प्रोजेक्ट (BM-SEAL-11 Project)	• आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने **भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड (BPRL) द्वारा ब्राजील में BM-SEAL-11 रियायत परियोजना के विकास के लिए अतिरिक्त निवेश को मंजूरी** प्रदान की है। • BPRL, **भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी** है।
पेट्रोलियम कोक या पेटकोक (Petroleum Coke or Petcoke)	• भारत ने, वर्ष 2022 की शुरुआत में **वेनेजुएला से पेट्रोलियम कोक या पेटकोक का अपना पहला कार्गो** प्राप्त किया था। • पेट्रोलियम कोक **एक कार्बन युक्त उत्पाद** है। यह **तेल शोधन प्रक्रिया से प्राप्त** होता है। • इसका **ऊष्मीय मान कोयले की तुलना में अधिक** होता है। लेकिन यह **सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों के अत्यधिक उत्सर्जन** का कारण बनता है। • इसका उपयोग सीमेंट, चूना भट्टी, गैसीकरण इकाइयों, औद्योगिक बॉयलरों आदि में ईंधन के रूप में किया जाता है। साथ ही, यह विद्युत धातुकर्म (electro metallurgical) उद्योगों, सिंथेटिक ग्रेफाइट, एल्युमिनियम एनोड्स आदि के लिए इलेक्ट्रोड में कार्बन स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। • सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पेट्रोलियम कोक या पेटकोक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।

12. विविध (Miscellaneous)

12.1. अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 (Nobel Prize for Economics 2022)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने **बैंकों और वित्तीय संकटों** पर शोध के लिए यू.एस.ए. के तीन अर्थशास्त्रियों को अर्थशास्त्र में सेवरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार/ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है।

पुरस्कार विजेता और उनके शोध कार्य

- 2022 का यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित तीन अर्थशास्त्रियों को दिया गया है:
  - **बेन एस. बर्नांके:** यह अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में वाशिंगटन डी.सी. में ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं।
  - **डगलस डब्ल्यू. डायमंड** एवं **फिलिप एच. डाइबविग** बैंकिंग और वित्त विषय के प्रोफेसर हैं।
- इनका कार्य **अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका को समझने पर केंद्रित** था। इनके कार्य को **समाज के लिए अत्यधिक लाभकारी माना गया** है। ऐसा इसलिए क्योंकि **इनके विचारों ने गंभीर वित्तीय संकट और महंगे बेलआउट दोनों से बचने की हमारी क्षमता में सुधार किया है।**

शब्दावली को जानें

बैंक रन

- **बैंक रन** (Bank Run): बैंक के अस्तित्व के बारे में संशय की स्थिति में **जमाकर्ता** बैंक में जमा **अपनी धनराशि निकालने लगते हैं तो इस स्थिति को बैंक रन कहते हैं।** दूसरे शब्दों में, बैंक रन तब घटित होता है जब बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के अधिकतर ग्राहक बैंक के दिवालिया होने के भय से एक साथ अपनी जमा राशि वापस निकाल लेते हैं।
- यदि एक साथ अत्यधिक लोग ऐसा करते हैं, तो **बैंक का रिजर्व सभी विड्रॉल्स को कवर नहीं कर सकता है और इससे बैंक दिवालिया** हो जाता है।
- बैंक रन के कारण **1929 की मंदी** 1930 **तक एक पूर्ण बैंकिंग संकट में बदल गई** थी, क्योंकि आधे बैंक दिवालिया हो गए थे।

उपर्युक्त विद्वानों के अनुसंधान के बारे में

बर्नांके द्वारा किया गया शोध

- बर्नांके ने 1930 के दशक की **महामंदी (Great Depression)** का विश्लेषण किया है। यह आधुनिक जगत का सबसे गंभीर आर्थिक संकट था।
- इनके अध्ययन से पहले, **बैंक की विफलताओं को वित्तीय संकट के 'परिणाम'** के रूप में देखा जाता था।
- हालांकि 1983 में, उन्होंने साबित किया कि **बैंक रन (बॉक्स देखें)** के कारण बैंक विफल हुए थे। इस स्थिति के कारण **अपेक्षाकृत साधारण मंदी भी महामंदी** में तब्दील हो गई।
  - जब **बैंक बर्बाद हुए,** तब उनसे **उधार लेने वालों के बारे में मूल्यवान जानकारी भी सुरक्षित नहीं रह पाई** और उसे दोबारा शीघ्रता से प्राप्त भी नहीं किया जा सका था।
  - उन्होंने यह भी बताया कि अर्थव्यवस्था तब तक ठीक नहीं होनी शुरू हुई जब तक कि यू.एस.ए. सरकार ने बैंकों को बचाने के लिए अतिरिक्त और मुख्य उपायों को लागू नहीं किया।
- बर्नांके के अनुसार, जब सरकार ने **बैंकों की विफलता की अन्य घटनाओं को रोकने हेतु कठोर उपाय** लागू किए तभी **अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आनी शुरू हुई।**
- अमेरिकी फेडरल रिजर्व के प्रमुख के रूप में **बर्नांके** ने **अपनी बुद्धिमता का प्रयोग कर 2008 के वित्तीय संकट को और बिगड़ने से रोका था।**

भारत में जमा बीमा (Deposit insurance in India)

- भारत में जमा बीमा **1962 में शुरू** किया गया था।
- 1933 में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत इस तरह की योजना शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश था।
- भारत में बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता के **मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर अधिकतम 5 लाख रुपये तक राशि को बीमा के तहत कवर किया गया है।**

डगलस डब्ल्यू. डायमंड एवं फिलिप एच. डाइबविग द्वारा किया गया शोध: उन्होंने निम्नलिखित की व्याख्या करते हुए सैद्धांतिक मॉडल विकसित किए:

- **बचतकर्ता और निवेशकों के बीच संघर्ष (Conflict of Saver and Investors):**
    - अर्थव्यवस्था के सुगम परिचालन हेतु **बचत का उपयोग निवेश में किया जाना चाहिए।** हालांकि, बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच यहां एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है (इन्फोग्राफिक देखें)।

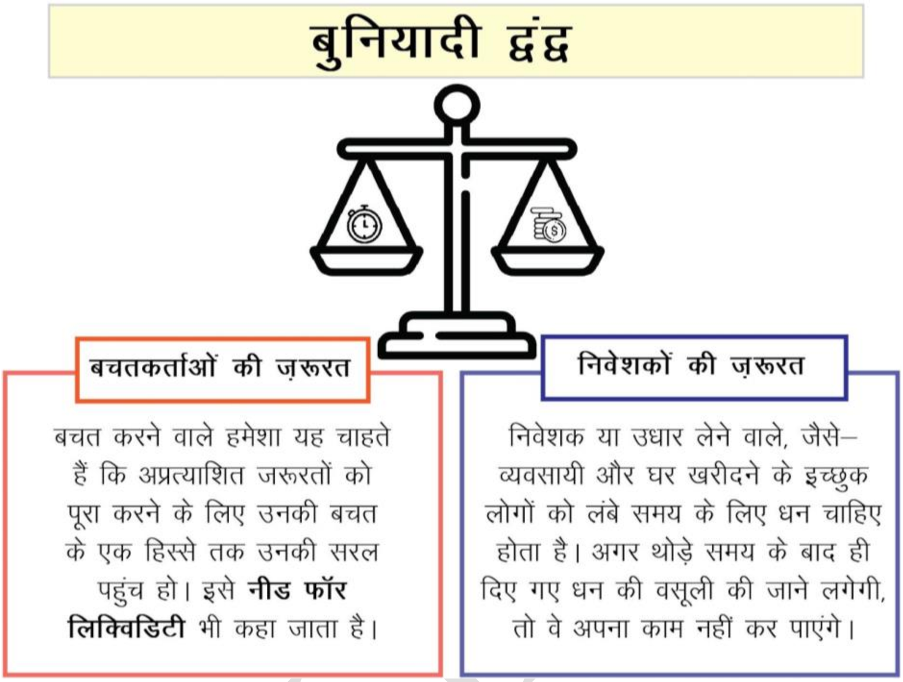

- अपने सिद्धांत में, डायमंड और डाइबविग बताते हैं कि **बैंक इस समस्या का बेहतर समाधान कैसे प्रदान करते हैं।**
    - बैंक मध्यस्थों के रूप में बचतकर्ताओं से जमाराशि स्वीकार करते हैं और जमाकर्ता बैंक से अपनी जमा-राशि को जब चाहे तब निकाल भी सकते हैं। साथ ही, बैंक ऋण लेने वालों को दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान कर सकते हैं।
    - हालांकि विश्लेषण से यह भी पता चला है कि **कैसे उपयुक्त दो गतिविधियां मिलकर बैंकों** को उनके दिवालिया होने से जुड़ी **अफवाहों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं।**
    - यदि बड़ी संख्या में बचतकर्ता एक साथ बैंक से अपना पैसा निकालने लगते हैं, **तो अफवाह वास्तविक रूप भी धारण कर सकती है।** इस प्रकार हुए बैंक रन से बैंक बर्बाद हो जाता है।
    - **सरकार जमा राशि के प्रति बीमा प्रदान करके** और बैंकों के लिए अंतिम उपाय के रूप में ऋणदाता की भूमिका निभाकर इस घातक स्थिति को रोक सकती है।
- **समाज में बैंकों की भूमिका:** डायमंड ने बताया है कि बैंक सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण अन्य कार्य कैसे करते हैं।
    - कई बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच मध्यवर्ती के रूप में, **बैंक उधारकर्ताओं की साख का आकलन करता है** और यह सुनिश्चित करता है कि ऋण का उपयोग अच्छे निवेश के लिए किया जाए।

12.2. मानक राष्ट्रीय कार्य योजना (SNAP), 2022 {Standards National Action Plan (SNAP) 2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने 'मानक राष्ट्रीय कार्य योजना' (SNAP)[124], 2022 का मसौदा जारी किया है। SNAP में **कार्यवाहियों के एक सेट** का प्रस्ताव किया गया है। ये कार्यवाहियां BIS को **राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में इसे सौंपे गए कार्यों को करने में सक्षम** बनाएंगी। साथ ही, BIS की बाजार की जरूरतों के अनुसार मानकों को कुशल और समयबद्ध तरीके से तैयार करने में भी मदद करेंगी। यहां मानक प्रमाणीकरण से यह तात्पर्य है कि **कोई उत्पाद या सेवा अपने डिजाइन और प्रोटोकॉल्स में निर्धारित गुणवत्ता की शर्तों को पूरा** करता/ करती है।

मसौदा SNAP के मुख्य बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 (SDGs) और पेरिस समझौते पर भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप मानकों को विकसित करने एवं संशोधित करने पर **विशेष ध्यान** दिया जाएगा।
- अर्धचालकों जैसी प्रौद्योगिकियों; IT सेवाओं; तथा **मेटावर्स और साइबर सुरक्षा जैसी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तकनीकों को BIS के प्रमाणीकरण के दायरे में लाने का प्रस्ताव** किया गया है।

[124] Standards National Action Plan

© Vision IAS

भारत में अलग-अलग प्रमाणन चिन्ह

ISI	इसका उपयोग भारत में **मानक औद्योगिक उत्पादों के लिए** किया जाता है। यह कुछ उत्पादों (जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स) के लिए अनिवार्य है, वहीं कुछ उत्पादों के लिए स्वैच्छिक है। BIS द्वारा प्रमाणित।
एगमार्क	यह **कृषि उत्पादों के लिए है।** इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का **विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय** जारी करता है।
फूड प्रोडक्ट ऑर्डर (FPO) मार्क	यह **भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों** (जैसे कि पैकेज्ड फ्रूट बेवरेज, फ्रूट-जैम) आदि के लिए **अनिवार्य** है। इसे **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जारी** करता है।
BIS हॉलमार्क	यह **सोने और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं के आभूषणों की बिक्री के लिए हॉलमार्किंग प्रणाली है। यह धातु की शुद्धता प्रमाणित** करती है। यह सत्यापित करता है कि **आभूषण BIS द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं।**
गैर-प्रदूषणकारी वाहन मार्क	भारत में बेचे जाने वाले **सभी नए मोटर वाहनों पर** अनिवार्य प्रमाणीकरण मार्क लगाना आवश्यक है
भारतीय जैविक प्रमाणीकरण	यह भारत में निर्मित जैविक कृषि वाले खाद्य उत्पादों के लिए एक प्रमाणन चिन्ह है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र जारी करते हैं।

संबंधित सुर्खियां

भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council Of India: QCI)

- यह **सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** (1860 का केंद्रीय अधिनियम XXI) के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संगठन है। यह एक स्वायत्त निकाय है।
- इसे **1997 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग के साथ संयुक्त रूप से सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल** के माध्यम से स्थापित किया गया था।
  - इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रखा गया है।
- भारतीय उद्योगों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित तीन प्रमुख उद्योग संघों द्वारा किया जाता है:
  - **एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM),**
  - **कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) और,**
  - **फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI)**
- इसका उद्देश्य एक राष्ट्रीय प्रत्यायन ढांचे[125] का गठन एवं संचालन करना और राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।
- इसे सरकार, उद्योग जगत और उपभोक्ताओं की समान भागीदारी वाले एक परिषद द्वारा संचालित किया जाता है।
  - **उद्योग जगत की सिफारिश के आधार पर प्रधान मंत्री द्वारा** इसके **अध्यक्ष की नियुक्ति** की जाती है।

12.3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR)

सुर्खियों में क्यों?

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने **कंपनी {कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नीति} संशोधन नियम, 2022**[126] जारी किए हैं। इन नियमों ने **कंपनी अधिनियम, 2013** के **कंपनी (CSR नीति) नियम, 2014 में संशोधन** किए हैं।

[125] National Accreditation Structure

[126] Companies (Corporate social responsibility or CSR Policy) Amendment Rules 2022

नए नियमों के मुख्य प्रावधान

- कंपनियों को **खर्च नहीं किए गए CSR खाते की राशि को तीन वित्त वर्षों के भीतर इस्तेमाल करना अनिवार्य** है। साथ ही, इसके **कार्यान्वयन की निगरानी के लिए CSR समिति का भी गठन** करना होगा।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

CSR क्या है?

यह व्यवसायों द्वारा अपने व्यावसायिक कार्यों में **सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को शामिल करने की प्रतिबद्धता है।**

किन कंपनियों के लिए CSR व्यय अनिवार्य है?

₹ जिनका **नेट वर्थ** 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो	जिनका **टर्न ओवर** 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो	जिनको 5 करोड़ रुपये या अधिक का **शुद्ध लाभ** हुआ हो

इन कंपनियों को अपने **पिछले तीन वित्तीय वर्षों की राशि के औसत नेट प्रॉफिट का न्यूनतम 2%** CSR गतिविधियों पर खर्च करना जरूरी है।

CSR से संबंधित अन्य तथ्य

सरकार **MCA21 पोर्टल पर दिए गए विवरण के माध्यम से CSR अनुपालन** की निगरानी करती है। CSR नियमों का अनुपालन नहीं किए जाने को एक सिविल (दीवानी) मामला माना जाता है।	CSR व्यय के लिए **करों पर कोई विशेष छूट नहीं** दी गई है।	**निम्नलिखित कोष में योगदान को CSR व्यय माना जाता है:** - **स्वच्छ भारत कोष,** - **स्वच्छ गंगा कोष,** - **प्रधान मंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष** (PMNRF) - **पी.एम. केयर्स आदि।**

- **सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA)**[127] **के लिए व्यय को CSR खर्च में शामिल** किया जा सकता है। हालांकि, यह व्यय **एक वित्तीय वर्ष में कुल CSR खर्च के 2.5% या 50 लाख रुपये (जो भी अधिक हो) से ज्यादा नहीं होना चाहिए।**
    - पहले, **यह कुल CSR व्यय का 5% या 50 लाख रुपये (जो भी कम हो) था।**
- **10 करोड़ रुपये या अधिक CSR बजट वाले व्यवसायों और 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक के परिव्यय वाली सभी परियोजनाओं के लिए SIA अनिवार्य** है।
- कंपनियों को **अपनी वेबसाइट पर CSR समिति की संरचना और CSR नीति का उल्लेख करना आवश्यक** है।

संबंधित सुर्ख़ियां

पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (Environmental Social and Governance: ESG)

- सेबी (SEBI) ने **ESG से संबंधित मामलों पर सलाहकार पैनल का गठन** किया है।
- पैनल के लिए विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - **व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट (BRSR) में सुधार करना,**
    - **ESG रेटिंग, और**
    - **ESG इन्वेस्टिंग**
- ESG मानदंड **कंपनी के परिचालन के लिए मानकों का एक सम्मुचय** है। इसका उपयोग **सामाजिक रूप से जागरूक निवेशक संभावित निवेशों की जांच करने** के लिए करते हैं।
    - **पर्यावरणीय (Environmental-E) मानदंड:** इसके तहत इस तथ्य पर विचार किया जाता है कि **कोई कंपनी प्रकृति के प्रबंधक के रूप में कैसा**

[127] Social Impact Assessment

© Vision IAS

प्रदर्शन करती है।
- ○ **सामाजिक (Social-S) मानदंड:** इसके तहत इस तथ्य का परीक्षण किया जाता है कोई **कंपनी अपने परिचालन क्षेत्र में कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों व समुदायों के साथ संबंधों का प्रबंधन कैसे करती** है।
- ○ **अभिशासन (Governance-G):** इसके तहत **किसी कंपनी के नेतृत्व, लेखा परीक्षा, आंतरिक नियंत्रण, शेयरधारकों के अधिकार आदि का परीक्षण** किया जाता है।
- **BRSR, बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होगी। साथ ही, BRSR की रिपोर्टिंग को वित्त वर्ष 2022-23 से अनिवार्य** कर दिया गया है।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (National Financial Reporting Authority: NFRA)
- सरकार ने **NFRA का गठन वर्ष 2018 में** किया था। इसे **कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गठित किया गया था।** इसका गठन भारत में **सभी तरह की'कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने के** लिए किया गया था।
- NFRA के **अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार** करती है। इसमें **अधिकतम 15 सदस्य** होते हैं।
- इसके कार्यों और कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - ○ कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों की सिफारिश करना;
  - ○ लेखांकन मानकों और लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी एवं प्रवर्तन करना;
  - ○ अनुपालन सुनिश्चित करने से जुड़े व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करना।
- **उद्देश्य:** यह उन कंपनियों द्वारा लेखा और लेख-परीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए अधिदेशित है, जिन्हें सार्वजनिक हित की संस्थाओं (**Public Interest Entities: PIEs**) के रूप में वर्णित किया गया है।
- इस समूह में **सभी सूचीबद्ध कंपनियां और बड़ी गैर-सूचीबद्ध कंपनियां शामिल** हैं।

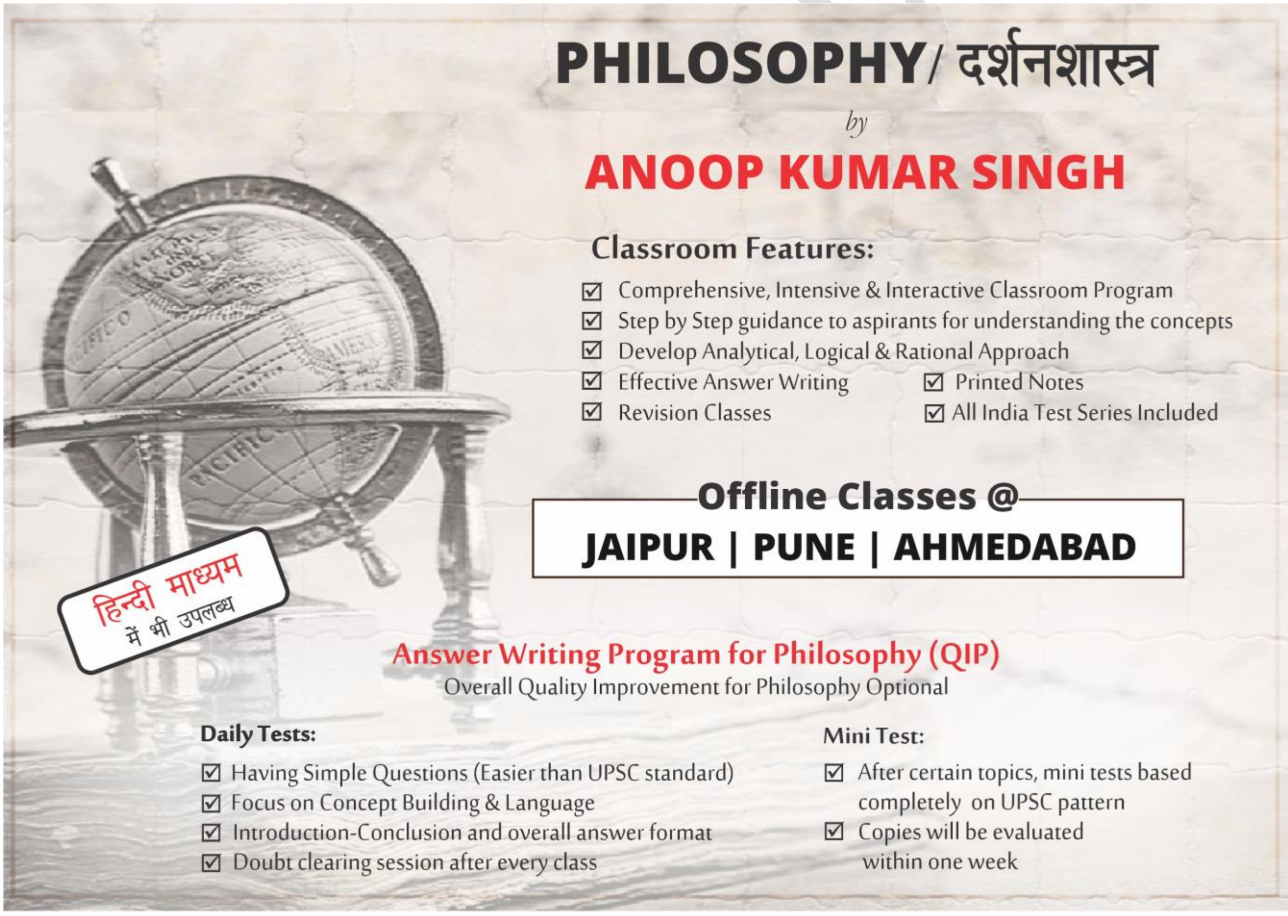

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

8 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2021

from various programs of VisionIAS

2 AIR ANKITA AGARWAL
3 AIR GAMINI SINGLA
4 AIR AISHWARYA VERMA
5 AIR UTKARSH DWIVEDI
6 AIR YAKSH CHAUDHARY

CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020
1 AIR SHUBHAM KUMAR

7 AIR SAMYAK S JAIN
8 AIR ISHITA RATHI
9 AIR PREETAM KUMAR
YOU CAN BE NEXT

ABHYAAS 2023
ALL INDIA PRELIMS
(GS+CSAT)
MOCK TEST SERIES

3 TESTS

TEST-1	TEST-2	TEST-3
2 APRIL	23 APRIL	7 MAY

- All India Ranking
- Comprehensive Evaluation, Feedback & Corrective Measures
- Available In ENGLISH / हिन्दी

OFFLINE* IN 170+ CITIES

Register @ www.visionias.in/abhyaas

AGARTALA | AGRA | AHMADNAGAR | AHMEDABAD | AIZAWL | AJMER | ALIGARH | ALMORA | ALWAR | AMARAVATI | AMBALA | AMBIKAPUR | AMRAVATI | AMRITSAR ANANTHAPURU | ASANSOL | AURANGABAD | AYODHYA | BALLIA | BANDA | BAREILLY | BATHINDA | BEGUSARAI | BENGALURU | BHAGALPUR | BHAVNAGAR | BHILAI | BHILWARA BHOPAL | BHUBANESWAR | BIKANER | BILASPUR | BOKARO | BULANDSHAHR | CHANDIGARH | CHANDRAPUR | CHENNAI | CHHATARPUR | CHITTOOR | COIMBATORE | CUTTACK DAVANAGERE | DEHRADUN | DELHI-MUKHERJEE NAGAR | DELHI-RAJINDER NAGAR | DHANBAD | DHARAMSHALA | DHARWAD | DHULE | DIBRUGARH | DIMAPUR | DURGAPUR ETAWAH | FARIDABAD | FATEHPUR | GANGTOK | GAYA | GHAZIABAD | GORAKHPUR | GR NOIDA | GUNTUR | GURDASPUR | GURUGRAM | GUWAHATI | GWALIOR | HALDWANI HARIDWAR | HAZARIBAGH | HISAR | HOWRAH | HYDERABAD | IMPHAL | INDORE | ITANAGAR | JABALPUR | JAIPUR | JAISALMER | JALANDHAR | JAMMU | JAMNAGAR JAMSHEDPUR | JAUNPUR | JHAJJAR | JHANSI | JODHPUR | JORHAT | KAKINADA | KALBURGI | KANNUR | KANPUR | KARIMNAGAR | KARNAL | KASHIPUR | KOCHI | KOHIMA KOLHAPUR | KOLKATA | KORBA | KOTA | KOTTAYAM | KOZHIKODE | KURNOOL | KURUKSHETRA | LATUR | LEH | LUCKNOW | LUDHIANA | MADURAI | MANDI | MANGALURU MATHURA | MEERUT | MIRZAPUR | MORADABAD | MUMBAI | MUNGER | MUZAFFARPUR | MYSURU | NAGPUR | NALANDA | NASIK | NAVI MUMBAI | NELLORE | NIZAMABAD NOIDA | ORAI | PALAKKAD | PANAJI | PANIPAT | PATIALA | PATNA | PRAYAGRAJ | PUDUCHERRY | PUNE | PURNIA | RAIPUR | RAJKOT | RANCHI | RATLAM | REWA | ROHTAK ROORKEE | ROURKELA | RUDRAPUR | SAGAR | SAMBALPUR | SATARA | SAWAI | MADHOPUR | SECUNDERABAD | SHILLONG | SHIMLA | SILIGURI | SIWAN | SOLAPUR | SONIPAT SRINAGAR | SURAT | THANE | THANJAVUR | THIRUVANANTHAPURAM | THRISSUR | TIRUCHIRAPALLI | TIRUNELVELI | TIRUPATI | UDAIPUR | UJJAIN | VADODRA | VARANASI VELLORE | VIJAYAWADA | VISAKHAPATNAM | WARANGAL

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station

8468022022 WWW.VISIONIAS.IN

JAIPUR | HYDERABAD | BHOPAL | GUWAHATI | RANCHI | LUCKNOW | PUNE | AHMEDABAD | CHANDIGARH | PRAYAGRAJ